राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] नवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तैंतीसवां दिवस [संख्या 16

मंगलवार,

26 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन) :

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री हेमराज मीणा।

पथ परिवहन निगम में बिना नम्बरों की चालान बुक प्रकरण

142. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में बिना नम्बरों की चालान बुक छपायी गयी हैं ? यदि हां, तो कब व क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बिना नम्बरों की चालान बुक विभागीय अधिकारियों की सहमति से छपायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

यातायात मंत्री (श्री जगमाल सिंह यादव) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में फर्जी चालान बुक छपायी गयी है, जिसका सरकार को कतई मालूम नहीं है। उन चालान बुकों के नम्बर भी मेरे पास मौजूद हैं। माननीय मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है कि चालान बुक छपाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह बात सही है कि राज्य सरकार के रिकार्ड में यह बात नहीं होगी, परन्तु अधिकारियों की मिलीभगत से चालान बुक छपी हैं और उनका उपयोग किया गया है।

श्री अध्यक्ष : आपके पास कहां है ? है क्या आपके पास ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या यह सही है कि मंत्रीजी स्वयं ने ऐसी बिना नम्बरों की चालान बुक पकड़ी है और

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

उस पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई ?

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या यह सही है कि परिवहन निगम में नहीं लेकिन परिवहन विभाग में विभिन्न चौकियां जो स्थापित हैं वहां पर सिर्फ चालान बुक पकड़ी गयी हैं और उन पर नम्बर नहीं थे ?

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा यह सवाल किसी सीमा तक सही है। लेकिन अगर आप सवाल को पढ़ेंगे तो उसमें आर. एस. आर. टी. सी. से पूछा गया है कि आर. एस. आर. टी. सी. में क्या कोई पंचनामे बगैर सीरियल नम्बर के छपे हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में पंचनामे होते ही नहीं, होते हैं कोई छोटा–मोटा चालान जमा कराने के फार्म वगैरह। पंचनामे के चालान नहीं होते। यह सही है कि परिवहन विभाग में ये बगैर सीरियल के कुछ पंचनामे होते हैं, ओवर लोडिंग के, क्लेण्डेस्टाइन आपरेशन रोकने के चालान के लिए पंचनामे होते हैं, इस सरकार से नहीं यह तो 1971 से ऐसी प्रक्रिया चली आ रही है कि 1971 से कभी तो चालान फार्मों पर सीरियल नम्बर डल गये और कभी नहीं डले। यह बात जब मेरे ध्यान में आयी तो उसको मैंने देखकर माननीय मुख्य मंत्रीजी को निवेदन किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तुरन्त वायरलैस मैसेज दिलवाकर पूरे राजस्थान में जहां जहां पंचनामे ऐसे हैं जिन पर सीरियल नम्बर नहीं हैं उनको तुरन्त सीज करवा लिया। उसकी एवज में या तो क्रमांक नम्बर डालकर डी. टी. ओ. या सक्षम अधिकारी उसको तस्दीक करे या तुरन्त नये चालान फार्म छपवा लिये जायं और वे एनफोर्समेण्ट आफिसर्स को जो उनका उपयोग करते हैं सीरियल नम्बर डलवाकर दे दिये जायं। विभाग ने उसको तुरन्त सीज कर लिया। अब कोई चालान फार्म या पंचनामे ऐसे नहीं हैं जो बिना क्रमांक नम्बर के चल रहे हों।

जब इस मामले में शंकाएं उत्पन्न हुई कि सीरियल नम्बर डलने भूल से रहे या यह किसी साजिश का हिस्सा था, तो इस मामले में मैंने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सख्ती से ये निर्देश दे दिये हैं कि इसकी जांच कर तुरन्त अवगत कराया जाय सरकार को कि ये किसी साजिश का हिस्सा थे या यह गलती से हुआ है। मैं इतना सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे विभाग में जिस तरह से यह हुआ है यह अगर किसी साजिश का हिस्सा है तो निश्चित तौर से कोई कितना भी बड़ा अफसर हो वह सरकार के हाथों बच नहीं पायेगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी उसको सजा दी जायेगी। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, हां उसको इसमें सन्तुष्ट किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री बिरधाराम।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इस प्रकार की चालान बुक मिली हैं, क्या यह सही है कि जितनी राशि वहां चालान के जरिये जमा होनी चाहिए उससे

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अधिक राशि वहां मिली है ? लगभग एक माह पूर्व की यह घटना है। क्या यह सही है कि ऐसी चालान बुकों के आधार पर, जिन पर नम्बर नहीं थे, करोड़ों रुपयों की हेराफेरी की गयी है ? और इसकी सम्भावना हमेशा बनी रहती है कि उस चालान बुक में किसी भी प्रकार की राशि भरने के उपरान्त वसूल कर ली जाय और उसको फाड़कर फेंक दिया जाय, जिसका रिकार्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं हो सकता क्योंकि वह उपलब्ध नहीं है। इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक क्या कार्यवाही हुई, यह माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ चुके, बार बार नहीं। आपका क्वेश्चन नहीं है। दो बार मौका नहीं मिलेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, क्या चालान बुक परिवहन के अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय द्वारा छपायी जाती है तथा उनका अनुमोदन भी अतिरिक्त आयुक्त के स्तर पर होता है ? प्रश्न नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष : बस एक ही कीजिए, सप्लीमैण्ट्री एक ही होता है। बस एक हो गया।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : सन् 1981 से आज तक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त के पद पर कौन-कौन कार्यरत रहे ? मुख्यालय से परिवहन निरीक्षकों को सन् 1981 से आज तक जारी चालान बुकों एवं वापस खाली लौटायी गयी चालान बुकों का कोई व्यवस्थित रिकार्ड रखा गया है ? कितनी बुक निरीक्षकों को दी गयी हैं....

श्री परसादीलाल मीणा : किसी ने लिखकर दिया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : खुद ही लिखते हैं। होम वर्क करते हैं, खुद लिखते हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : कितनी और कब उनके द्वारा वापस लौटायी गयीं ? जिला परिवहन कार्यालयों में निरीक्षकों द्वारा कम्पाउण्ड किये गये चालानों का कोई प्राथमिक लेखा-जोखा है क्या ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि यह जो सीज किया गया है रिकार्ड, इसकी जांच कौनसे विभाग से करा रहे हैं ? जैसा आदरणीय मंत्रीजी ने कहा कि मुख्य मंत्रीजी और उनको बड़ी चिन्ता है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भी इर्रेगूलरिटीज हो रही हैं उनका पता लगे, क्या सरकार इसकी ए. सी. डी. से जांच कराने का विचार रखती है ?

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि यह किसी साजिश का हिस्सा था या किसी गलती से हो गया था। अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि भ्रष्टाचार की बात है। क्या एण्टी-करप्शन से इसकी जांच करायेंगे। मैं आपको यह बता दूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह मामला आज से नहीं 1976 से चल रहा

(श्री जगमाल सिंह यादव)

है जब आपकी सरकार थी। 1976 के बाद दस साल आपकी सरकार रह गयी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्होंने तो योजनाबद्ध किया है।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपके यातायात मंत्री रहे, आपके द्वारा नियुक्त उपायुक्त भी रहे....

श्री ईश्वर लाल सैनी : आप भी उस समय मैम्बर थे....

श्री जुबेर खान : दूध का दूध पानी का पानी कर दो, हम तो यही चाहते हैं।

श्री ईश्वर लाल सैनी : आप भी उस समय माननीय सदस्य रहे थे, आपको इस विषय को उठाना चाहिए था पांच साल में, कि ऐसा घोटाला हो रहा है। अब आप मंत्री हैं, इन्होंने उठाया है जवाब दीजिए, एण्टी करप्शन से इन्क्वायरी कराइये।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह घोटाला पकड़ा। कई वर्षों से इस प्रकार की स्थिति चल रही थी। ये स्वयं कहीं एक चौकी पर बैठे थे जब उनको जानकारी मिली कि बिना नम्बर के चालान यहां काटे जा रहे हैं। इन्होंने चालान देखे और देखने के बाद कुछ चालान अपने साथ ले लिये। लेकर उस आधार पर जांच की। प्रशंसा होनी चाहिए। इस बात की कि कई वर्षों से यह मामला चल रहा था। जब हमने बैठकर यह देखा कि कई वर्षों के बीच में कई बार तो नम्बर्ड कापियां जा रही हैं और कई वर्ष बिना नम्बर की चल रही हैं, किसी ने चैक नहीं किया, किसी के ध्यान में भी नहीं आया। अब क्वेश्चन यह आता है, जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि किसी ने कोई साजिश करके ये नम्बर नहीं डलवाये या कोई गलती हो गयी। इस सारे प्रकरण को देख रहे हैं। बहुत बड़ा रिकार्ड है उसको देखना है, कोई आप यह देखें कि इमीजिएटली 15 दिन में इसका फैसला हो जाय, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। लेकिन यह मामला गवर्नमेण्ट के ध्यान में है। कोई ए. सी. डी. से जांच करायें, जुडिशियल इन्क्वायरी करायें, रेवेन्यू बोर्ड से जांच करायें या मंत्री महोदय खुद जांच करें, यह प्रश्न विवादास्पद नहीं है। असलियत निकालने के बाद क्या कार्यवाही करनी है, कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री बिरधा राम।

परबतसर तेजाजी मेले से प्राप्त चढ़ावा

143. **श्री बिरधा राम चौधरी** (मकराना) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परबतसर में श्री वीर तेजाजी पशु मेला माह भादवा में हर साल भरता है? इस मेले का नाम तेजाजी पर ही है एवं इस स्थान पर श्री वीर तेजाजी का मन्दिर है?

(2) क्या यह सही है कि मेले के समय उक्त मन्दिर में भक्तों से प्राप्त चढ़ावे की पशुपालन विभाग सार्वजनिक नीलामी करता है एवं नीलामी की वह राशि पशुपालन विभाग में जमा होती है? यदि हां, तो वर्ष 1970 से 1990 तक वर्षवार नीलामी से कितनी राशि पशुपालन विभाग

(श्री बिरधा राम चौधरी)

को प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि जो मन्दिर के चढ़ावे से नीलामी राशि प्राप्त होती है उसमें से मन्दिर के रखरखाव, जीर्णोद्धार आदि में खर्च नहीं की जाती है ?

(4) क्या यह सही है कि इस नीलामी की राशि को श्री वीर तेजाजी मंदिर के रखरखाव व जीर्णोद्धार आदि में खर्च करने के लिए वीर तेजाजी स्मारक समिति, परबतसर ने विभाग से निवेदन किया है ? यदि हां तो क्या पशुपालन विभाग ने उक्त राशि में से मन्दिर पर खर्च करने के लिए कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) जी हां, परबतसर में श्री वीर तेजाजी पशु मेला हर वर्ष श्रावण शुक्ल 15 से भादवा शुक्ल 30 तक भरता है एवं इस स्थान पर श्री वीर तेजाजी का मन्दिर भी है ।

(2) मेले के दौरान भक्तगण द्वारा चढ़ाये गये प्रसाद का प्रति वर्ष ठेका दिया जाता है और आय को नियमानुसार राज कोष में जमा कराया जाता है । वर्ष 1970 से 1990 तक प्रति वर्ष ठेके से प्राप्त आय का विवरण सूची "क" में दर्शाया गया है ।

(3) प्रसाद के ठेके से प्राप्त आय तो राजकोष में जमा करा दी जाती है किन्तु प्रति वर्ष मेला प्रारम्भ होने से पूर्व रंग-रोगन तथा मरम्मत कार्य विभागीय राशि से कराया जाता है ।

(4) जी नहीं, श्री वीर तेजाजी स्मारक समिति, परबतसर की ओर से मन्दिर के रखरखाव एवं जीर्णोद्धार हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । प्रसाद के ठेके से इतनी आय नहीं होती कि मन्दिर के जीर्णोद्धार पर खर्च की जा सके, अतः उसे नियमानुसार राज कोष में जमा करा दिया जाता है तथा मन्दिर के रखरखाव पर व्यय विभागीय बजट से किया जाता है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री बिरधाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, परबतसर में वीर तेजाजी का मेला भरता है वह तेजाजी के नाम से भरता है यह प्रश्न के उत्तर के खण्ड 1 और 2 में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि यह मेला भरता है । उसके बाद में यह भी सही है कि जो मन्दिर में चढ़ावे की राशि आती है वह राजकोष में जमा होती है लेकिन उन्होंने यह मना किया है कि जो पैसे - प्रसाद - की नीलामी में प्राप्त होते हैं उनको हम तेजा जी के मन्दिर के रख-रखाव पर खर्च नहीं करते हैं और यह मेला भरता है उसके पहले रंग-रोगन कराया जाता है वह विभागीय खर्चे से कराया जाता है । मैं प्रश्न यह पूछना चाह रहा हूं कि वर्ष 1970 से लेकर 1990 तक रंग-रोगन पर विभाग की ओर से कितना खर्चा आज तक किया गया ? यह बिल्कुल गलत बात है कि विभाग इस पर खर्चा करता है, जिस पुजारी को ठेका दिया जाता है वह पुजारी अपने खुद के खर्चे से मन्दिर के रंग-रोगन पर खर्चा करता है ।

श्री अध्यक्ष : अब आपने सवाल पूछा है उसका जवाब तो आने दीजिये ।

श्री बिरधाराम चौधरी : जानकारी दे रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : वह कह देंगे कि हमने खर्चा किया है, हिसाब बता देंगे तब ?

श्री बिरधाराम चौधरी : हां तो यही तो कह रहा हूं कि नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष : पहले उनको पूछ तो लेवे कि कितना खर्चा राज्य सरकार ने इस मन्दिर पर किया है ।

श्री बिरधाराम चौधरी : मैं यही तो पूछ रहा हूं कि कितना किया है जबकि वहां पर किया नहीं है, मेले में कुल कितना खर्चा किया है ?

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिये ।

श्री बिरधाराम चौधरी : दूसरी बात, मेले में जो भक्त लोग आते हैं और भक्त लोग जो चढ़ावा चढ़ाते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं उसकी नीलामी होती है, नीलामी के कारण से क्या होता है कि जैसे किसी ने प्रसाद चढ़ाया तो पुजारी उसमें से ज्यादा रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी नीलामी होती है और नीलामी होने की वजह से वहां पर प्रसाद का वितरण नहीं हो सकता है अतः यह नीलामी नहीं होनी चाहिये और यदि नीलामी होती है तो जो पैसे नीलामी से प्राप्त होते हैं वह मन्दिर पर लगने चाहिये जबकि वह लगते नहीं हैं ।

तीसरी बात, इन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि वीर तेजाजी स्मारक समिति बनी हुई नहीं है और यदि बनी हुई है तो उससे कोई पत्र व्यवहार नहीं किया है । मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये । 3 सवालों का जवाब मंत्री महोदय दे दें ।... आप बैठिये । 3 सवालों का जवाब दे दें कि प्रसाद से आय कितनी हुई, कितना खर्चा आपने किया है और यह शिकायत आपके पास स्मारक समिति की आयी या नहीं आई ? (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : आय कितनी हुई, खर्चा कितना हुआ ?

श्री अध्यक्ष : यही तो पूछा है और क्या पूछा है ?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1970 में जो आय हुई है वह 6521, 1971 में 7001, 1972 में 7321 की इस प्रकार से लम्बा विवरण है और वर्ष 1979 में 11,501 और 1990 में 14,801/– रुपए की आय प्राप्त हुई । औसतन हम, यह बात माननीय सदस्य की सही है कि जितना इसके रख-रखाव पर खर्च होना चाहिये वह विभाग की ओर से खर्च नहीं किया जाता है ।

इसमें, अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में यह स्थिति है कि रंगाई-पुताई पर थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं । मैंने विभाग को यह निर्देश दिये हैं कि इसके पूर्णतया जीर्णोद्धार के लिए तुरन्त कार्यवाही करे और इसमें भी एक निश्चित राशि करें कि हमें इतनी राशि प्राप्त हुई है उसमें से इतनी प्रतिशत राशि इस पर खर्च करेंगे । औसतन वैसे

(श्री देवीसिंह भाटी)

हम इसके ऊपर करीबन 500 रुपए वर्षवार खर्चा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया है कि समिति की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई है, समिति की ओर से हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री बिरधाराम चौधरी : मांग की है....

श्री देवीसिंह भाटी : वह यही है कि इस पर पूरी आय जो इससे होती है वह उस पर खर्च नहीं करते हैं और मन्दिर के पुजारी अपनी ओर से कराते हैं....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, पिछले साल 14,801 रुपए की आय इससे हुई है वह क्या इस साल पूरी खर्च कर देंगे इसके रख-रखाव पर ?

श्री देवीसिंह भाटी : वह तो एक ही हैण्ड में, अध्यक्ष महोदय, जमा हो जाती है और पूरी की पूरी राशि उसमें खर्च नहीं की जाती है। जैसे-जैसे हमारे विभाग की उपलब्धता होती है उसके अनुसार हम खर्च करते हैं लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि निश्चित तौर से अगला हमारा पशु मेला भर जायेगा उसके पहले हम इसका जीर्णोद्धार करवा देंगे और आपकी इस तरह की जो एप्लीकेशन कि मेला भरता है जो सही है उसके अनुसार कार्यवाही करने के तुरन्त आदेश भी जारी कर दिये हैं और इसके अन्दर अगर कहीं भी कोई शिकायत हो तो आप मुझे दुबारा बतायें निश्चित तौर से इसकी सही जिम्मेदारी की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल चौहान।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह 400 वर्ष पुराना वीर तेजाजी पशु मेला भरता है जो एशिया प्रसिद्ध है। वीर तेजा जी का मन्दिर जो बना हुआ है वह बहुत छोटासा है और जब से बना है उसके विस्तार के सन्दर्भ में कुछ नहीं किया गया है। मैं जानकारी करना चाहता हूं कि क्या जिला कलक्टर, नागौर ने इस मन्दिर के विस्तार हेतु कोई कमेटी नियुक्त की है ?

दूसरा, इस मेले के अन्दर पशुपालन विभाग को लाखों रुपए की आय होती है परन्तु वहां पर सड़क भी नहीं बनी हुई है, मेला लगता है वह बरसात में लगता है, डामर रोड छोड़कर कच्ची सड़क भी नहीं है। मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि मन्दिर का विस्तार कब तक करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब आप रिपीट कर रहे हैं। आप बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो पशु मेले में मुख्य आय होती है वह पशुओं की बिक्री से होती है वह बिक्री कर में आय जमा होती है और बिक्री कर विभाग उसकी जमा करा लेता है और जो हमारे 10 विभागीय मेले राजस्थान में लगते हैं....

श्री अध्यक्ष : आपको तो खाली प्रसाद मिलता है।

श्री देवीसिंह भाटी : उससे करीबन 40 लाख रुपए की आय होती है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : रवन्ना फीस भी मिलती है। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : रवन्ना फीस से और पंचायत समिति टैक्स भी लगाती है उससे लाखों रुपए की आय होती है।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है उसके सम्बन्ध में हमने पहले ही विचार कर लिया है और इसके अन्दर हम एक कमेटी नियुक्त करने जा रहे हैं जिलाधीश की अध्यक्षता में, उसमें जन-प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और उनकी जो सलाह होगी उसी के अनुरूप जीर्णोद्धार होगा और कहीं भी कमी रह जाय तो आप मुझे बतायें और मैं निश्चित तौर से कार्यवाही करूंगा....(व्यवधान)

श्री मोहनलाल चौहान : माननीय मंत्री महोदय आपके विभाग ने आपको गलत सूचना दी है जिला कलक्टर ने कमेटी बना रखी है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर ने कमेटी बनायी हुई है, एम.एल.ए. और प्रधान की कमेटी बनायी हुई है विभाग ने गलत सूचना दी है....

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि जिलाधीश की अध्यक्षता में आपको भी शामिल करेंगे, सबकी बनायेंगे।

श्री मोहनलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, कमेटी बनी हुई है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, वह सिर्फ मेले के दौरान ही व्यवस्था करने के लिए होती है। यह अलग से इसकी मरम्मत के लिए, जीर्णोद्धार के लिए होगी....

श्री मोहनलाल चौहान : मन्दिर के विस्तार हेतु कमेटी बनी हुई है....

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसी कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। बैठिये आप।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मन्दिर में जो चढ़ावा आता है वह तो सीमित आमदनी है मगर जो किसान आते हैं, जो वीर तेजाजी में आस्था रखते हैं वह 5 रुपए, 2 रुपए का चढ़ावा करते हैं उसके अलावा लाखों रुपए की आमदनी पशुपालन विभाग को होती है, रवन्ना फीस से होती है, बिक्री कर की अलग होती है, बाकी 2 लाख रुपए की इनकम होने के बावजूद पशुपालन विभाग जो पंचायत समिति मेला भरती है उसको 1 लाख रुपए की आमदनी बाद में टेकओवर करती है। आमदनी सैंकड़ों वर्षों से हो रही है तो राज्य सरकार ने, पशुपालन विभाग ने वहां परबतसर के अन्दर धर्मशाला है, सड़कें हैं, पशुपालन का हास्पिटल है, आपने कौन-कौन सी फेसिलिटीज वहां पर मुहैया करवायी यह बात आप बतायें।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनारामजी।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह मेला एशिया में मशहूर बता रहे हैं आज यह लोग मांग कर रहे हैं तो पिछले 40 सालों तक आप क्या करते रहे ? (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आपकी लड़ाई तो कुम्भारामजी से ही सकती है, तेजाजी से थोड़े ही लड़ाई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, आर्डर, प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा निश्चित तौर से आय होती है और यह भी आपकी जानकारी में है कि पशु मेले के दौरान पेयजल की व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था है और अन्य सारी व्यवस्थाओं पर खर्चा होता है। अध्यक्ष महोदय, आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि वर्ष 1990 में बिजली व्यवस्था पर 51 हजार रुपए व्यय हुए....

श्री रतनाराम चौधरी : आय कितनी हुई यह बतायें पहले।

श्री देवीसिंह भाटी : आय का बता दिया मैंने आपको। अलग अलग इसमें जैसे पारितोषिक के लिये 4 हजार रुपए, मोटे तौर पर बता रहा हूं मैं, अस्थायी मजदूरों पर ढाई हजार रुपए, विविध खर्चा 4300 और करीबन 78,400 रुपए हमने 1990 में खर्च किए हैं। उसी के अनुरूप जैसे आय होती है उसके अलावा भी हम खर्चा करने के लिये तैयारी पर जो प्राथमिक आवश्यकताएं हमें मेले के अन्दर होती हैं वह हम खर्च करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री फूलचन्द गुर्जर।

स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने का मापदण्ड

144. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्नातकोत्तर (पी. जी.) कक्षाएं खोलने के मापदण्ड क्या हैं ?

(2) क्या राजकीय महाविद्यालय, नीम-का-थाना (सीकर) में स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब तक खोलने दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. रतन लाल) : (1) स्नातकोत्तर (पी. जी.) कक्षाएं खोलने के लिये निम्नांकित मापदण्ड हैं—

(I) तीन वर्ष के परीक्षा परिणाम।

(II) वित्तीय भार।

(III) विश्वविद्यालय से सम्बद्धता।

(IV) तृतीय वर्ष की छात्र संख्या व क्षेत्र की आवश्यकता।

(2) जी हां। वित्तीय संसाधन होने व मापदण्डों के आधार पर विचार किया जायेगा।

श्री फूलचन्द गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के फर्स्ट भाग का जो उत्तर दिया है कि पी.जी. कालेज खोलने के मापदण्ड यह है कि तीन वर्ष के परीक्षा परिणाम, मेरे पास रिकार्ड है साठ प्रतिशत से ज्यादा नीम का थाना महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम है।

श्री अध्यक्ष : आपका तो विचाराधीन है।

श्री फूलचन्द गुर्जर : द्वितीय भाग, डेढ़ लाख से ज्यादा महाविद्यालय का कोष है और विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तृतीय वर्ष के छात्रों की संख्या 350 है। चार सेक्शन हैं यानि राज्य सरकार की तरफ से एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। महाविद्यालय है वह विश्वविद्यालय में, जो भी 25 हजार रुपए हैं वह जमा करा सकते हैं। तो मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब मापदण्ड पूरे हैं और यह महाविद्यालय 1960 से चल रहा है। यानि तीस साल से ज्यादा सीकर जिले का दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। जहां एक हजार से ज्यादा छात्र संख्या है। एस. टी. एस. सी. की सख्या चालीस प्रतिशत से ज्यादा है और तीस साल से हर बार यही उत्तर दिया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय, से यह जानना चाहूंगा कि मापदण्ड पूरे होने के बावजूद भी क्या आप इस वित्तीय वर्ष में इस महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलेंगे ? क्योंकि तीस साल से इन्तजार कर रहे हैं, दूसरा है कि इस वर्ष में खोलने की घोषणा करेंगे ?

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि तीस साल से पिछड़ा क्षेत्र है नीमका थाना, जहां एस. सी., एस. टी. की बहुत भारी संख्या है।

डा. रतनलाल जाट : महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने के लिए कालेज को क्रमोन्नत करना होता है और उसके लिए बजट में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। इस वर्ष केवल पांच नये महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने का इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

श्री फूलचन्द गुर्जर : एक पैसा सरकार को खर्च करने की जरूरत नहीं है और इस तरह से वहां के साथ अन्याय किया जा रहा है। क्या मंत्री महोदय की जानकारी में है कि आपने चिमनपुरा महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोला है वह किन मापदण्डों के आधार पर खोला है ? इस तरह से भेद भाव हो रहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हमने नहीं खोला।

श्री फूलचन्द गुर्जर : किसी ने भी खोला है साहब। मापदण्ड तोड़ने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोले जा रहे हैं और जहां तीस साल से इन्तजार कर रहे हैं। मुख्य मत्री महोदय, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उस क्षेत्र पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी कि तीस साल के इन्तजार के बावजूद हर दस साल के बाद प्रस्ताव है कि सरकार के विचाराधीन है। इसके बावजूद वहां छात्र संख्या, वित्तीय संसाधन, सारा सब होने के बावजूद वहां नहीं खुल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में पांच महाविद्यालय खोलने का आपका प्रस्ताव है उसके तहत क्या खोलने का करेंगे। यह आश्वासन देंगे....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मापदण्ड में जो निर्धारित किये हुए हैं उसमें आ गया तो ?

श्री फूलचन्द गुर्जर : मापदण्ड में निर्धारित में आ गया साहब....

श्री अध्यक्ष : अब वह तय कर लेना आप।

नैक्स्ट श्री प्रभूराम गरासिया।

सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन के ग्रामों की हरिजन बस्तियां

145. **श्री प्रभूराम गरासिया** (पिंडवाड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन के कितने ग्रामों में हरिजन बस्ती में रोड लाइट हेतु प्रार्थना पत्र समाज कल्याण विभाग के पास विचाराधीन हैं ?

(2) राज्य सरकार ने जनवरी, 1990 से आज तक कितने गांवों में हरिजन बस्ती की रोड लाइट्स हेतु स्वीकृति प्रदान की है ? गांव वार सूची सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री कुन्दन लाल मिगलानी) :

(1) पंचायत समिति सोजत की दो हरिजन बस्तियों तथा पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन की चार हरिजन बस्तियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिन्हें सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता को भिजवा दिया गया है ।

(2) जनवरी, 1990 से 23 फरवरी, 91 तक उपरोक्त क्षेत्र में विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की ग्राम वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न करना चाहता हूं । राज्य सरकार ने हरिजन बस्तियों के अन्दर रोड लाइट लगाने के लिए क्या मापदण्ड तय किये हैं ? दूसरा मेरा प्रश्न है कि राज्य सरकार ने 1991–92 में कितने ग्रामों में हरिजन बस्तियों में रोड लाइट लगाने के लिए....

श्री अध्यक्ष : आप कौनसे ग्रामों में पूछ रहे हैं ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मैं तो स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं नीतिगत प्रश्न राज्य सरकार ने हरिजन बस्तियों के अन्दर रोड लाइट लगाने के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किए हैं ?

दूसरा प्रश्न है कि 1991-92 में राज्य सरकार ने हरिजन बस्तियों के मोहल्लों के अन्दर रोड लाइट लगाने के लिए....

श्री अध्यक्ष : पूरे राजस्थान का पूछ रहे हैं ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : हां साहब.... व्यवधान)

तीसरा मेरा प्रश्न है क्या राज्य सरकार रोड लाइट के बिलों की राशि को स्वयं बहन करने का विचार रखती है ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल अपनी ग्रामीण विद्युतीकृत योजना में आवंटित वार्षिक राशि में से लगभग 20 प्रतिशत राशि हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण हेतु व्यय करता है । जो भी ग्राम पंचायतें अपनी तरफ से कोई भी प्रपोजल भेजती है तो स्ट्रीट लाइट के लिए वह विद्युतीकरण के लिए विद्युत विभाग को भेज दिया जाता है । तो उनकी तरफ से

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

इस योजना के अनुसार इस कार्य को विद्युत मण्डल ही पूरा करता है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि हरिजन बस्तियों के अन्दर रोड लाइट लगाने के लिए राज्य सरकार ने क्या मापदण्ड तय किये हैं ?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने बता दिये हैं ना मापदण्ड।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : बीस प्रतिशत राशि का बताया है।

श्री अध्यक्ष : यह तय तो विद्युत बोर्ड करता है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : कितना प्रतिशत हरिजन बस्तियों के अन्दर, उस मोहल्ले के अन्दर, उस क्षेत्र में कितने प्रतिशत हरिजन बस्ती है वहां रोड लाइट की राज्य सरकार व्यवस्था करे।

श्री जुबेर खान :अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सुनने में आ रहा है कि यह जो स्कीम है, हरिजन बस्तियों में निःशुल्क रोड लाइट लगाने की स्कीम है विद्युत विभाग की, क्या सरकार उसको चालू रखने की नीयत रखती है या इसको बन्द करने जा रही है ?

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्कीम है वह पंचायत की मार्फत है और पंचायत समिति में हर प्रस्ताव में यह तय किया जाता है कि पंचायत कोष से 20 रुपये भरकर और फार्म भरेंगे तो यह जो योजना है वह लागू हो जायगी। आज तक मैं मेरी पंचायत समिति के बारे में बता रहा हूं, बार-बार मेरे लिखकर देने के बाद भी, पंचायत समिति की मीटिंग में आने के बाद भी फार्म तक नहीं भर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इसी को मान लिया जाय जवाब ? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कृपया यह बता दें कि इस चालू वर्ष में 1990-91 में कितनी हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किया गया है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह अलग से प्रश्न है, विद्युत विभाग से आप प्रश्न पूछ लें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जवाब भी नहीं देने दिया। ऐसे रेस्क्यू पर मत आया करो आप, मंत्री जी। जवाब देने दिया करो उनको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

झुन्झुनू व रींगस रेलवे स्टेशन व रेलवे फाटक के समीप शराब के ठेके

146. **श्री किशनाराम नाई** (श्री डूंगरगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनू रेलवे स्टेशन व रींगस रेलवे फाटक के पास शराब का ठेका है ? यदि हां, तो कब से और कितनी क्षमता का है ?

(2) क्या यह भी सही है कि शराबी लोग प्रतिदिन वहां से आस-पास के लोगों को शराब पीकर परेशान करते हैं ? यदि

(श्री किशनाराम नाई)

हां तो क्या इस सम्बन्ध में विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस ठेके को हटाने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

आबकारी मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) यह सही है कि झुन्झुनू रेलवे स्टेशन की सीमा से बाहर एवं रेलवे स्टेशन मार्ग से हटकर देशी शराब की स्वीकृत दुकान पिछले दस वर्षों से चल रही है। उसी प्रकार रींगस रेलवे स्टेशन फाटक से थोड़ा हटकर देशी शराब की स्वीकृत दुकान है किन्तु यह दोनों स्थान राजस्थान आबकारी नियम के नियम 75 एवं अनुज्ञा पत्र की शर्तों के प्रतिकूल नहीं हैं। शराब के ठेके की कोई कैपेसिटी नहीं होती है। इन दुकानों की अलग से एकाकी विशेषाधिकार राशि नहीं होकर वृहद समूह में राशि शामिल है।

(2) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जो जवाब दिया है उनके विभाग ने उनको सही जानकारी नहीं दी है। अमूमन जो शराब की दुकानें हैं, पिछली सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर यह दुकानें स्वीकृत करके उनके स्थान जो दिये गये हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि मेरे डूंगरगढ़ में शराब की जो दुकानें हैं, दोनों ही दुकान, देशी और इंग्लिश की, एक तरफ तो....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सवाल झुन्झुनू और रींगस का है और यह डूंगरगढ़ कहां से आ गया (व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई : आपकी जनता ने मुझे लिखा है, आपकी ही पैरवी कर रहा हूं। विभाग की तरफ से जो दुकानें आवंटन की हैं वह नियमों में नहीं हैं। डूंगरगढ़ में दक्षिण की तरफ तो मस्जिद और पश्चिम की तरफ मन्दिर है और संस्था में चार साल के बच्चे से लेकर 18 साल के बच्चे तक पढ़ते हैं। वह पास में चिपटी हुई है। रींगस से मुझे लैटर आया है। रींगस के लोगों ने लिखा है। मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। माननीय उस वार्ड नं. 6 रींगस में स्थित शराब की बिक्री केन्द्र हटाने के क्रम में। आपको निवेदन किया था कि जिले की जनता में बड़ा आक्रोश है और 8-3-91 तक रात को 10 बजे ठेकेदारों द्वारा कुछ औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया जिसके कारण मैं वहां पहुंच गया, कोई दुर्घटना नहीं हुई। पुलिस से मिलकर क्या किया है कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमे करने की साजिश रची जा रही है और उनको तंग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा इस विषय में कुछ गहराई से मंत्री महोदय ध्यान देवें कि इस विषय में आगे समुचित व्यवस्था करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक जानकारी करना चाहता हूं। रींगस के बायीं तरफ फाटक पर शराब की दुकान है या दाहिनी तरफ।

श्री किशनाराम नाई : दायीं तरफ, साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द।

(14)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : झुन्झुनू रेलवे फाटक के पास शराब की दुकान है ही नहीं।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो प्रश्न (2) का उत्तर दिया है कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। यह विभाग ने बिल्कुल असत्य उत्तर दिया है। रींगस में भयंकर झगड़ा हुआ है। सारे दिनभर पुलिस फोर्स रही है, गांव वालों ने शिकायत की है, ठेके पर धरना दिया है, दो दिन धरना दिया है। इतनी बड़ी शिकायत होने के बाद विभाग कह रहा है कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आयी। क्या ऐसा असत्य उत्तर देने के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ? ठेका दायीं तरफ है और वहां बहुत भयंकर रूप से भीड़–भड़क्के वाले एरिये में दो दिन तक पुलिस फोर्स वहां पर रही है।

श्री किशनाराम नाई : ठेकेदारों ने आगजनी की है।

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद, झुन्झुनू का आप पूछेंगे ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक तो यह जानकारी देना चाहूंगा कि झुन्झुनू रेल्वे फाटक के पास कोई शराब का ठेका नहीं था। मैं आपके माध्यम से माननीय आबकारी मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा, जिले के ही इस्लामपुर ग्राम के निवासियों का एक प्रतिनिधि मण्डल आपसे मिला, मैंने स्वयं ने लिखित शिकायत की थी, अम्बेडकर नवयुवक प्रतिनिधि मण्डल भी आपसे मिल कर गया। वहां की हरिजन बस्ती में स्कूल के बिल्कुल पास शराब का ठेका पिछले तीन वर्ष से, मैं भी चिट्ठी दो–तीन बार लिख चुका हूं, वहां के लोगों ने भी सबको पत्र लिखे हैं वहां से हटाने के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में क्या आपने कोई कार्यवाही की।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो नीम का थाना से आते हैं, डूंगरगढ़ के विषय में जो बताया है कि डूंगरगढ़ में कोई झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई....

श्री अध्यक्ष : रींगस में।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सदस्य जो नीम का थाना से पधारते हैं उन्होंने कहा है कि रींगस में झगड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर लोग शराब पीकर झगड़ा करते हैं तो कहीं भी कर सकते हैं यह लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन हो जाती है जिसको हमारी पुलिस उसका ध्यान रखती है। उसकी व्यवस्था करती है। झुन्झुनूं से पधारने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि इस्लामपुर में इन्होंने एक दुकान के विषय में लिखा था, यह सही है कि इन्होंने लिखा था, कहा भी था। वहां हमारे अधिकारी गये भी, उन्होंने उस दुकान को वहां से हटाया भी है, पर जहां हटाया है वहां भी लोगों को आपत्ति है। अगर नियमों के विपरीत है तो 1–4–90 से जो आपत्तिजनक स्थान दूसरी जगह बदला हुआ है उसको वहां से हटा दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हटाया नहीं गया। कार्यवाही पर हजारों रुपये खर्च होता है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय ।

प्रश्न संख्या 147

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 147. श्री रामस्वरूप मीणा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री जितेन्द्र सिंह ।

जैसलमेर के इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

148. **श्री जितेन्द्र सिंह** (जैसलमेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जैसलमेर जिले के इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में बसे काश्तकारों को उनके खातेदारी अधिकार दिये जाने की सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक इन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी नहीं । जैसलमेर जिले के इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के काश्तकारों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 एएए के तहत खातेदारी हकूक के आवेदनों की जांच की जा रही है । अभिलेख से जांच एवं काश्तकारों द्वारा पर्याप्त प्रमाणादि प्रस्तुत करने पर मामलों का निस्तारण निर्भर करता है, ज्यों-ज्यों प्रस्तुत होंगे, त्यों-त्यों उनका निस्तारण करने की कार्यवाही की जाकर पात्र काश्तकारों को खातेदारी हकूक दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का उत्तर सम्पूर्णतया निराशाजनक है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि धारा 15 एएए के अन्तर्गत जैसलमेर, बीकानेर जिलों में आज तक उपनिवेशन विभाग को कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे, किस–किस वर्ष कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ।

(2) कुल आवेदनों में से अभी कितने आवेदनों का उपनिवेशन विभाग ने निस्तारण किया है तथा यह कुल आवेदनों का कितना प्रतिशत है ?

(3) क्या यह सही है कि धारा में संशोधन करने के उपरान्त भी विगत आठ वर्षों में निर्णय कतई नहीं हुए हैं, क्या यह भी सही है कि इसका मुख्य कारण एक मुरब्बा मुफ्त एवं एक मुरब्बा पर सरकार की नीयत कीमत वसूल करने की है ? जो काश्तकारों को कतई स्वीकार नहीं है । इसके उपरान्त पुश्तैनी काश्तकारों को जो पीढ़ियों से वहां काश्त कर रहे हैं और जिनके नाम रेवेन्यू के सैटलमेंट रिकार्ड में और उपनिवेशन विभाग के रिकार्ड्स में दर्ज हैं उनको भी सरकार ने अभी तक काश्त खातेदारी का करार नहीं किया है । इसके उपरान्त मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्वयं दिनांक 24 दिसम्बर, 90 को सार्वजनिक रूप से यहां जयपुर सभा में घोषणा की थी कि खातेदारी के अधिकार दिये जायेंगे । इसके उपरान्त भी इसको नहीं तो क्या उपनिवेशन विभाग मुख्य मंत्री की घोषणा का और मंशा की अवहेलना कर रहा है, यदि ऐसा

(श्री जितेन्द्र सिंह)

तो क्या इस क्षेत्र की जो गम्भीर समस्या है, का पिछले 35 वर्षों से निर्णय नहीं दिया गया है और क्षेत्र में जन आक्रोश इतना बढ़ रहा है कि सरकार अभी भी सोती रही तो रूद्र रूप अपना लेगा। यह इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है इसलिए जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। इस केस में....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर अर्स्टव्हाइल स्टेट से सम्बन्धित अब तक 4,863 प्रार्थना पत्र तो कोलायत के पास में प्रेषित किये थे। निर्धारित समय के भीतर उनमें से केवल 14 दावे तय किये गये हैं। डी. सी. नाचना के पास में 3238 मामले दर्ज हुये थे उनमें से केवल 13 तय हो पाये। कुल 8001 मामलों में 27 अब तक तय हो पाये। अध्यक्ष महोदय, धारा 15 एएए में अब तक जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों के अन्दर माननीय सदस्य भी जानते हैं कि जहां रिकार्ड नहीं था वहां टिनेन्सी एक्ट, टिनेन्सी लॉ अवेलेबल नहीं था उनके लिए प्रावधान तो किये गये प्रार्थना पत्र आने के बाद में प्रार्थी को अपना सबूत पेश करना पड़ता है। टिनेन्सी एक्ट लागू होने के, वह खातेदारी टिनेन्ट था या प्राप्त करने का अधिकारी था। यदि उसको ट्रान्सफर राइट थे तो वह अधिकारी हो जाता है चाहे रिकार्ड में दर्ज न हो। इसके लिए प्रावधान यह किया गया था कि सबूत के अभाव में मजमा-ए-आम में केस रख करके उनकी राय लेकर खातेदारी अधिकार दे दिये जाये लेकिन उससे भी यह समस्या अब तक हल नहीं हुई इसलिए हम इस पर विचार कर रहे हैं कि जैसलमेर जिले में जहां पर कानून का भी अभाव था, रिकार्ड का भी अभाव था, जैसलमेर जिले के कालोनाइजेशन एरिया के बाहर के क्षेत्र में और लोगों को चूंकि बन्दोबस्त वह 15-10-55 के बाद हुआ था और लोगों को 1960 के बन्दोबस्त के आधार पर खातेदार मान लिया। उसी आधार पर हम विचार कर रहे हैं कि जैसलमेर जिले के कालोनी एरिया की तरफ के लोग जिले के भी और अर्स्टव्हाइल स्टेट के कोलायत के कुछ गांव हैं उनको खातेदारी अधिकार किस प्रकार दिये जा सकें इस पर जल्दी ही निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में....

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता पूछ लें, उनके सवाल पहले हो जाय।

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 2101 मामले प्रस्तुत हुए और उसमें से माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 23 मामलों का निस्तारण हुआ है।

श्री अध्यक्ष : 27।

श्री जितेन्द्र सिंह : 27 मामलों का निस्तारण हुआ है, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस विषय में क्या प्रगति रही है। दूसरा, अगर जैसलमेर स्टेट भूतपूर्व रियासत में रेवेन्यू रेकार्ड उपलब्ध नहीं था पर उस स्टेट को तो मर्ज हुए आज 42 वर्ष हो गये, राज्य सरकार क्या कर रही थी ? 4 दशक के उपरान्त भी क्या राज्य सरकार सो रही है इस मामले में ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुनील विश्नोई ।

श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह की समस्या जैसलमेर में है उसी तरह की हमारे गंगानगर जिले में भी है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर गंगानगर से होती हुई जैसलमेर जाती है । फर्स्ट स्टेज पर जितने काश्तकारों को पहले जमीन अलाट कर दी गयी उन काश्तकारों ने अपनी सारी किश्तें दे दी । सारी किश्तें देने के बाद में भी अभी उनको खातेदारी राइट नहीं दिया गया है ऐसे कितने मामले पैण्डिग पड़े हैं जिन काश्तकारों ने सारी किश्तें जमा करा दीं फिर भी उसको खातेदारी नहीं दी गयी इसका माननीय मंत्री महोदय कोई समाधान करेंगे कि सारी किश्तों के बाद 7 दिन के अंदर आप स्वतः ही करते ताकि उनको इसका खामियाजा न भुगतना पड़े ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल यादव ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि किसानों को खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत धारा 15–एएए में और 19–एएए में जो दरख्वास्त दी गयी थी उसका एक सरटेन पीरियड उसके लिए निश्चित था और उस पीरियड के अंदर जो एप्लीकेशन हैं वे आन एन एप्लीकेशन और सुओमोटो एक्शन काग्नीजेंस लेने का प्रावधान था और उस सरटेन पीरियड के एक्सपायर होने के बाद ऑन एन एप्लीकेशन और सुओमोटो एक्शन आपके इस प्रावधान के तहत नहीं लिया जा सकता तो क्या सरकार पीरियड को आगे एक्सटेंशन करने का इरादा रखती है क्योंकि राजस्थान में धारा 15–एएए और 19–एएए जो है वह मुख्य मंत्री जी पहले जब जनता शासन में थे इन्होंने खुद ने ही स्पेसिफिक पीरियड लागू किया था । उस पीरियड में सभी काश्तकारों ने जो इन धाराओं में आते थे वे सब एप्लीकेशन मूव नहीं कर पाये । आपने 4000 और 3000 बताया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि राजस्थान में करीब 5 लाख किसान ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन इस नियम के तहत आनी चाहिये और अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी बैठे हैं कि जब 5 लाख किसानों का मामला है तो क्या उस पीरियड को एक्सटेंशन करने का इरादा रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल ।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में गंगानगर जिले में बहुत विस्तृत आन्दोलन हुए हैं और उस वक्त की राज्य सरकार 77 से 80 तक की सरकार के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह जी थे उस वक्त एक आश्वासन दिया गया था कि हम इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से प्रावधान करेंगे । यह जो किसानों को खातेदारी राइट देने का सेक्शन 15 है उस सिलसिले में राज्य सरकार क्या ऐसी नीति बना रही है जिससे इस लिटिगेशन से बचकर राज्य सरकार एक प्रोसेस बनाये और उसमें जो काश्तकार आते हैं उनको खातेदारी अधिकार अपने आप मिल जायेंगे । क्या राज्य सरकार यह प्रोग्राम बना रही है कालोनीज में जो 40–40 साल से बसे हुए लोग हैं जिनकी दरख्वास्तें आ गयीं और

(श्री हेतराम बेनीवाल)

माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है गंगा-नगर का 30 साल का है उनका तो अभी 8–10 साल में होगा। पिछले 30 साल से एप्लीकेशन्स पैण्डिग पड़ी हैं और उन पर लिटिगेशन चल रहा है क्या राज्य सरकार इसके लिए कुछ करने का इरादा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी कैनाल के दूसरे हिस्से की कितनी एप्लीकेशंस पैण्डिग हैं और कितनी डिसाइड हो गयीं यह सारी सूचना तो मेरे पास इस वक्त नहीं है। जो प्रश्न चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है कि धारा 15–एएए में सुओमोटो एप्लीकेशन लेने का तो कोई प्रावधान नहीं है, एप्लीकेशन की एक मियाद जरूर रख दी थी 31-12-87। 31-12-87 तक जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे दी हैं उन पर विचार हुआ है धारा 19 का तो, वैसे तो अलग से धारा है। मुझे इस वक्त सुओमोटो एप्ली-केशन ली जा सकती है सुओमोटो उन पर कार्यवाही की जा सकती है या नहीं इसकी तो जानकारी नहीं है। यह अवश्य है कि धारा 19 के तहत समय-समय पर मियाद बढ़ायी गयी थी एप्लीकेशन देने की। उसके अंतर्गत जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे दी उनको खातेदारी अधिकार सारों को प्राप्त हो गये। अब भी अगर कुछ बचे हैं, बहुत से लोग अगर रह गये हैं तो आप रिप्रजेन्ट करें तो उन पर माननीय मुख्य मंत्री जी विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, अल्प सूचना प्रश्न। श्री जीतमल जैन।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय मंत्री जी, आपने कहा है कि 19–एएए के अंदर नहीं बढ़ाया गया है। 19–एएए में जब भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री थे उनको एक साल का पीरियड दिया था उसके बाद में नहीं बढ़ाया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत अहम् है।

श्री अध्यक्ष : बहुत अहम् है, मानता हूं मगर इसका डिसीजन थोड़े होगा यहां।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : धारा 15–ए और 19–एएए के अंतर्गत 5 लाख किसानों को लाभ होने वाला है अगर केवल पीरियड बढ़ा दिया जाता है....

श्री अध्यक्ष : मगर इसका निर्णय थोड़े होगा यहां, मान ली आपकी सारी बात। (व्यवधान)

श्री जीतमल जैन।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 3
काटन एवं जीनिंग मिल को खिल्लत पर जमीन का आवंटन

3. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) एवं **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1934 में तत्कालीन अलवर स्टेट द्वारा काटन एवं जीनिंग मिल (रानी मिल) लगाने हेतु हर-सुखराय, गोविन्द राम को 95 वर्षीय

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

"खिल्लत" पर जमीन आवंटित की गई थी ? "खिल्लत" की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त "खिल्लत" की शर्त के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि फैक्ट्री के उपभोग में नहीं आने के कारण राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत की जा सकती थी ? यदि हां, तो फैक्ट्री बन्द होने के बाद अधिग्रहण क्यों नहीं की गई ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(3) क्या राज्य सरकार अब उक्त भूमि को अधिगृहीत करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार को इस भूमि अवैध बेचान की जानकारी है ? यदि हां, तो इसे कब तक निरस्त कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी, हां। अलवर स्टेट द्वारा खिल्लत पर दी गई भूमि में कोई शर्त अंकित नहीं है। खिल्लत की प्रमाणित प्रति की फोटो स्टेट प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) खिल्लत में ऐसी कोई शर्त नहीं है। दिनांक 21-8-86 को नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा जयंती नगर योजना के अंतर्गत उक्त भूमि अवाप्ति करने की अधिसूचना जारी की गई थी लेकिन अवाप्ति कार्यवाही के दौरान श्री निरंजनलाल पुत्र श्री प्यारेलाल एवं सुरेन्द्र कुमार रानीवाल ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी थी और अपर न्यायालय द्वारा याचिकाओं के पक्ष में दिनांक 23-1-89 को निर्णय दिया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध न्यास द्वारा डबल बैंच में अपील प्रस्तुत की गई जो निरस्त कर दी गई। तदुपरान्त भी उच्च न्यायालय द्वारा न्यास की अपील को निरस्त कर दिया। इस प्रकार अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(3) जी, हां। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(4) बम्बई उच्च न्यायालय की सिविल रिट संख्या 214/58 में पारित निर्णय दिनांक 21-5-67 की डिक्री के अनुसार श्री सुन्दरलाल पुत्र श्री रामस्वरूप एवं मै. चम्पालाल, रामस्वरूप द्वारा दिनांक 10-7-81 को श्री निरंजनलाल पुत्र प्यारेलाल एवं शैलेन्द्रकुमार भार्गव, निवासी अलवर द्वारा लीज डीड स्थानान्तरित करने के संबंध में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार भूमि बेचान को निरस्तीकरण करने के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न से जानकारी करना चाहूंगा कि खिल्लत का क्या अर्थ है और दूसरा, क्या उद्योगपति द्वारा रायल्टी दी जाती थी और क्या यह सही है कि 20-2-1916 को रायल्टी

(श्री जीतमल जैन)

बढ़ाने के प्रश्न पर उद्योगपति ने असमर्थता जाहिर की और फैक्ट्री हटाने की हां भरी थी ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, खिल्लत एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ अभी तक हालांकि सरकार ने प्राप्त करने की कोशिश की थी, रेवेन्यू बोर्ड से भी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भी नहीं जानते खिल्लत का क्या अर्थ है। पूछा तो आपने है।

श्री जीतमल जैन : मेरी जानकारी के अनुसार आज की भाषा में इसे लाइसेंस शब्द कह सकते हैं कोई रायल्टी पे की जाती थी, लाइसेंस है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की समझ में लाइसेंस है।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1884 में अलवर स्टेट ने जो भी यह भूमि खिल्लत पर दी जैसाकि बताते हैं उसकी जो भी कापी हमें प्राप्त हुई है उसमें इस प्रकार की शर्त नहीं रखी गई है लीज लेने की, लीज का पैसा लेने का यह इण्डस्ट्री कितने दिन में लगायेंगे या नहीं लगायेंगे तो रिज्यूम करने का या कोई रायल्टी देने का किसी प्रकार का प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है। मैंने प्रति इसके साथ में पेश कर दी है जो सदन के पटल पर है।

यह सही है कि राजस्थान बनने के बाद में राजस्व रिकार्ड के अनुसार किसी प्रकार की लीज मनी या रायल्टी जमा नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में न्यायालयों में कई मुकदमे चले, कई रिट हुई, दो हाई कोर्ट में रिट हुई, राजस्व मण्डल ने अपने फैसले में यह जरूर होल्ड किया है, कुछ वर्ष पहले जब सैटलमेंट हुआ था, सैटलमेंट में इस पार्टी को जब खातेदारी दे दी गई तो उनके खिलाफ में मामला दायर सरकार की तरफ से हुआ, रेफरेन्स किया गया और रेवेन्यू बोर्ड ने यह होल्ड कर दिया कि यह कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की पार्टी अधिकारी नहीं है लेकिन उन्होंने इस भूमि को आबादी भूमि होना बता दिया था। जो भी मामले अन्य न्यायालयों में चले हैं उनमें सरकार के खिलाफ फैसला कर दिया गया। मैट्रोपोलिटन कोर्ट, जो बम्बई में है, वहां पर भी इनकी पार्टी के एक हिस्सेदार हैं, उन्होंने एक रिट पेश की थी उसमें भी मामला सरकार के पक्ष में नहीं रहा। राजस्व मण्डल के निर्णय में खिल्लत को एक इनाम माना है। इनाम की जमीन होने से....

श्री अध्यक्ष : इनाम ही है, लीज नहीं है, फुल राइट है उसको।

श्री गंगाराम चौधरी : कई मामले उलझन में पड़ गये हैं....

श्री अध्यक्ष : फुल राइट है उसको, इनाम का मतलब फुल राइट....

श्री गंगाराम चौधरी : इसलिए इसमें कई कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं, कोर्ट्स में कई दावे हो गये....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, खिल्लत का मतलब होता है बख्शीश।

श्री गंगाराम चौधरी : अब हम प्रयत्न करेंगे।

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.आई.आर. 1965 के अन्दर रायल्टी की जो परिभाषा की गई है Royalty is a payment made to the land owner by the leasee. और 20.3.1916 को जो पत्र उद्योगपति ने सरकार को लिखा है उसमें लिखा है, जब रायल्टी बढ़ाने की बात उद्योगपतियों से की गई थी कि आप रायल्टी बढ़ाइये, तो उन्होंने जवाब में कहा "We say to enclose the favour of His Highness the Maharaja Sahib Bahadur and return the original document graciously issued by the late His Highness showing appreciation as well encouraging attitude."

मतलब उन्होंने वहां से अपने उद्योग को हटाने की बात कही है और इसका मतलब जमीन छोड़ने को तैयार थे। वह केवल लीजी थे, वह उनकी मिल्कियत नहीं थी और जहां तक आपने बम्बई हाई कोर्ट का निर्णय....

श्री अध्यक्ष : यह निर्णय यहां थोड़े ही होगा, कोर्ट ने जो कर दिया....

श्री जीतमल जैन : नहीं, बम्बई हाई कोर्ट का निवेदन किया, वह इनके पर्सनल, पारिवारिक झगड़ों का मामला था....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है, पूछना क्या चाहते हैं ? आप तो बहस करना जानते हैं....

श्री जीतमल जैन : नहीं, मेरा निवेदन करना यह है कि क्या यह जमीन, जो लीज पर दी गई थी, उद्योग समाप्त होने के बाद वापस सरकार के अन्दर निहित हो गई है, क्या सरकार उसे वापस लेने की मंशा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार मंशा रखती है मगर कोर्ट जब तक फैसला नहीं करेगा कि लीज है या फुल ओनरशिप है तब तक क्या करेगी सरकार इसमें ? सरकार की मंशा तो कह दी उन्होंने, हमारी मंशा है, हम अवाप्त करना चाहते हैं, यह कह चुके हैं।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब रायल्टी पे करते हैं तो लीज है यह....

श्री अध्यक्ष : जब इसमें कोर्ट है, let the court decide, सरकार तो चाहती है....

श्री जीतमल जैन : नहीं, सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष : सरकार तो चाहती है, कानूनी राय ले रही है, कोर्ट में गई है।

श्री जीतमल जैन : और जहां तक नगर सुधार न्यास ने इसको लेने की अवाप्ति की कार्यवाही की, मेरी दृष्टि में यह गलत है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नगर सुधार न्यास वह मुकदमे क्यों हार गया, उसके पीछे क्या कारण थे ?

श्री अध्यक्ष : अब यह कोई कारण नहीं है, यह क्या बतायेंगे कि क्यों हार गयी ? हो गया आपका।

श्री जीतमल जैन : यह करोड़ों की सम्पत्ति है जो सरकार के हाथों से और एक लीजी ने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया....

श्री अध्यक्ष : चलिए, नैक्स्ट तारांकित प्रश्न संख्या 149 श्री शिवकिशोर सनाढ्य (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री लक्ष्मी लाल।

विधवा महिलाओं को रोजगार

150. **श्री लक्ष्मीलाल** (आसीन्द) **एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ब्राह्मणों की सरेरी में सामाजिक परम्परानुसार विधवा विवाह नहीं होने से लगभग 250–300 विधवाएं हैं, जिनके पास कोई स्थाई रोजगार का साधन नहीं है ? क्या सरकार ऐसी महिलाओं के स्थायी रोजगार की कोई योजना बनायेगी ?

(2) क्या सरकार खादी ग्रामोद्योग, उद्योग विभाग, सहकारी विभाग या समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत इन महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना बना कर राहत देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्री रतनलाल जाट) : (1) ग्राम ब्राह्मणों की सरेरी में 170 के करीब विधवा महिलाएं रहती हैं । इनमें से 26 विधवाएं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित हैं जिनमें से 10 विधवाओं को आई.आर.डी.पी. में लाभान्वित कराया गया है एवं 10 विधवाओं को विधवा/वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है ।

(2) खादी ग्रामोद्योग विभाग, उद्योग विभाग, सहकारी विभाग, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनमें जो विधवाएं उन मापदण्डों पर पूरी उतरेंगी, उस काम के प्रति इच्छुक भी होंगी तो उनके लिए कोई योजना बनाने पर शीघ्र विचार किया जा सकता है ।

श्री लक्ष्मीलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रचनात्मक है और मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि जो 170 महिलाएं हैं, इनके रोजगार का कोई साधन नहीं है, क्या मंत्री महोदय यह आश्वस्त करेंगे कि उनके लिए शीघ्र ही कोई कार्य की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पर सवाल कर रहे हैं, उनका जवाब तो आने दीजिए । माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उसका तो उत्तर आ जाने दीजिए ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : साथ-साथ आ जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप उसको डाइल्यूट कर देंगे, उनका जवाब आ जाने दीजिए । वह आश्वासन चाहते हैं, और कुछ

(श्री अध्यक्ष)

नहीं चाहते हैं, कि 170 महिलाओं को काम भी देंगे। बस इतनी सी बात है।

श्री रतनलाल जाट : ग्राम ब्राह्मणों की सरेरी आसीन्द पंचायत समिति में आता है जहां पर हमारे विभाग के तहत द्वारका योजना के तहत 17 महिला समूह बनाये गये हैं और उसके तहत एक-एक समूह को, जो समूह 15 और 20 महिलाओं को मिलाकर बनाया जाता है, उसमें पांच हजार रुपये केन्द्र सरकार के माध्यम से, पांच हजार रुपये यूनीसेफ के माध्यम से और पांच हजार रुपये राज्य सरकार के माध्यम से देकर के एक रिवाल्विंग फण्ड बनाया जाता है और उसके माध्यम से महिलाएं स्वयं अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके कई चीजों का निर्माण करती हैं और उन चीजों की कई मेलों में बिक्री करवाई जाती है। दो महत्वपूर्ण मेलों में, एक अन्तर्राष्ट्रीय मेला, जो दिल्ली में हुआ था, श्री कृपाट मेले में भी कम से कम तीन लाख सत्तर हजार रुपये और ढ़ाई लाख के आस-पास इन महिलाओं द्वारा निर्मित चीजों की बिक्री हुई थी और उनका लाभ भी इन्हीं में वितरित किया गया है। तो वहां पर भी जो यह समूह चल रहे हैं उनके माध्यम से उनको लाभान्वित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : एस, नैक्स्ट, श्री शिवजीराम मीणा, अनुपस्थित।

श्री शिवजीराम मीणा : है, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप कभी यहां बैठते हैं, कभी यहां, कभी वहां; आपका कोई स्थान होना चाहिए।

परिवहन निगम में मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति

151. **श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को निगम सेवा में लिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो अब तक कितने मृत कर्मचारियों के आश्रितों को निगम सेवा में लिया गया एवं कितने मृत कर्मचारियों के आश्रितों के प्रार्थना-पत्र निगम के पास विचाराधीन हैं एवं इन्हें कब तक सेवा में ले लिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने पद आरक्षित हैं ? इनमें से कितने पद रिक्त हैं, इन रिक्तियों के क्या कारण रहे ? इन पदों को कब तक भरे जाने का विचार है, रिक्त पदों को नहीं भरने के लिए कौन जिम्मेदार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

यातायात मंत्री (श्री जगमाल सिंह यादव) : (1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को निगम सेवा में लिये जाने का प्रावधान 26 जून, 1982 से 15.12.90 तक था। उक्त अवधि में 220 मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दी गई। 15.12.90 को निगम मण्डल द्वारा निगम में 6000 सरप्लस कर्मचारी होने से एवं तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण निर्णय संख्या 57/90 से इस प्रावधान को वापस लिया। इस

(श्री जगमाल सिंह यादव)

निर्णय द्वारा मृत कर्मचारियों के आश्रितों की विशेष आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन्हें शीघ्र नियुक्ति प्रदान करने का अधिकार निगम मण्डल के समक्ष सुरक्षित रखा गया है। बकाया 317 प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही निगम कर रहा है। अब तक जो 220 आश्रितों को नियुक्तियां दी गई हैं उनमें 1-1 क. लेखाकार, ब. लि., संगणक, 49 क. लि., 11 परिचालक व 157 च. श्रे. क. हैं। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मण्डल द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु निर्णय संख्या 17/71/3 दिनांक 17.4.71 से पदों को आरक्षित किया गया है जो कमशः 16 व 12 प्रतिशत रखे गये। इन पदों को भरने हेतु परिवहन निगम लगातार प्रयास कर रहा है। समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम को भी इन पदों की पूर्ण सूचना दी जाकर उक्त वर्गों के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रयास किये गये हैं। हाल ही में भर्ती में विशेष रोक होने के उपरांत भी ड्राईवर व कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती के लिए विशेष अनुमति प्राप्त की गई है एवं भर्ती करने हेतु विज्ञापन जारी किये जा रहे हैं। इन वर्गों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित करने की कार्यवाही की जा रही है। जिन पदों पर अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों की पदोन्नति दी जानी है उनके निम्न पदों पर इन वर्गों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण पदोन्नति दिया जाना सम्भव नहीं हो सका है। निगम रिक्त पदों को भरे जाने के लिए अभियान स्वरूप कार्यवाही कर रहा है। इस सम्बन्ध में कोई अधिकारी दोषी नहीं है। जो पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं उनमें आरक्षित पदों की संख्या, भरे पदों की संख्या व रिक्त पदों की संख्या की जानकारी सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ख")

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री शिवजीराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय ने जो सूची दी है उसमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खेतसिंह नानक कोटा डिपो में ड्राइवर था, उसकी मृत्यु 1978 में हुई। उसकी विधवा के कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी उसको सेवा में नहीं लिया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसको कब तक सेवा में लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी देख लीजिये। यही एक सवाल है ? इसका केस भी देख लीजिये।

श्री शिवजीराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक और है....

श्री अध्यक्ष : सारे केस लब्बेलुआब यही है कि जिसका नाम बता रहे हैं उसको सर्विस मिलनी चाहिये। वह देख लेंगे माननीय मंत्रीजी, इसको विशेष तौर से देख लें।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

डेयरी विकास हेतु योजना

147. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा–भीम) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम (जिला सवाई माधोपुर) में कुल कितनी डेयरी सोसायटीज हैं और ये कौन-कौन से ग्राम में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इनके विकास के लिए कोई नयी योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल 26 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। समितियों की ग्रामवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। नवीन सदस्य बनाकर, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम प्रारम्भ कर एवं अनुदानित दर पर पशु आहार वितरण कर अधिक कार्यशील बनाने की योजना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

उदयपुर जिले में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ

149. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार के सामने आदिवासी और जन जाति बाहुल्य क्षेत्र से जुड़े उदयपुर जिले में राजस्थान उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस प्रकरण में क्या विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य के न्यायालयों में लम्बित मुकदमे

245. **श्री हुक्माराम** (सिवाना) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रान्त में विभिन्न अदालतों में कुल कितने मुकदमे लम्बित हैं तथा कुल कितने मजिस्ट्रेट, जजों एवं न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु नयी अदालतों की स्थापना करना अत्यन्त आवश्यक है ? यदि हां तो कुल कितनी अदालतों की आवश्यकता होगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि कोटा जिले के मांगरोल तथा बूंदी जिले के इन्द्रगढ़ कस्बे में मुन्सिफ कोर्ट खोलने की मांग वहां की जनता समय–समय पर करती रही है ?

(4) क्या सरकार जनहित में नई अदालतें खोलने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) प्रान्त में विभिन्न अदालतों में लम्बित मुकदमों की संख्या 9,20,647 है तथा न्यायाधीशों के कुल रिक्त पदों की संख्या 50 है।

(2) जी हां। अनुमानत: 815 न्यायालय।

(3) जी हां।

(4) सरकार समय–समय पर वित्तीय उपलब्धि के अनुसार नये कोर्ट सृजित करती रही है और आगे भी करती रहेगी।

तहसील देसूरी में लम्बित मुकदमे

246. **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) देसूरी तहसील में रेवेन्यू के कुल कितने मुकदमे विचाराधीन हैं जिनमें भू-प्रबन्ध के कितने मुकदमे हैं तथा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के मुकदमे कितने हैं ? ये मुकदमे कब से चल रहे हैं ?

(2) इनमें अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों पर कितने मुकदमे हैं ? इन्हें शीघ्र निपटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देसूरी तहसील में रेवेन्यू के कुल 517 मुकदमे विचाराधीन हैं। इसमें से भू-प्रबन्ध के 82 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के 435 मुकदमे हैं। ये मुकदमे वर्ष 1988 से विचाराधीन हैं।

(2) उपरोक्त मुकदमों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लम्बित मुकदमों की स्थिति निम्नानुसार है :—

धारा 91 के मुकदमे		भू-प्रबन्ध के मुकदमे	
अ. जा.	ज. जा.	अ. जा.	ज. जा.
23	20	10	3

इन मुकदमों को नियमान्तर्गत शीघ्र निपटाने की कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार देसूरी व उप–खण्ड अधिकारी बाली को बकाया मुकदमों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिये गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में महाविद्यालय की स्थापना

247. **श्री गुलाबसिंह** (सुमेरपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में एक भी महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार सुमेरपुर नगर में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। महाविद्यालय खोलने के बारे में निर्धारित मानदण्डों एवं गुणा–वगुण के आधार पर प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

प्रदेश में शिक्षितों का प्रतिशत

248. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में शिक्षकों का प्रतिशत कितना है ? अन्य प्रदेशों की तुलना में हम कितने प्रदेशों से ऊपर हैं और कितनों से नीचे हैं ? शिक्षा के प्रसार के लिये विभाग ने क्या कार्यक्रम निर्धारित किया और उसमें विभाग को कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

(2) इस वर्ष में शिक्षा प्रसार के लिए कितनी शालाएं खोली गयी ?

(3) इस वर्ष उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शालाओं में कितने अध्यापकों की भर्ती की गयी ?

(4) बांरा के उच्च माध्यमिक शालाओं और उच्चतर माध्यमिक शालाओं में अध्यापकों के कितने पद सृजित हैं ? इन शालाओं में किस-किस विषय के कितने-कितने अध्यापकों की कमी है व कब से है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत 24.38 है। अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान एक राज्य अरुणाचल प्रदेश से ऊपर एवं 28 प्रदेशों से नीचे है। इसमें असम के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं। शिक्षा प्रसार के लिए प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा शिक्षाकर्मी कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि एवं निर्धन बालिकाओं को उपस्थिति छात्रवृत्ति, बुक बैंक आदि की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गयी है। विद्यालयों को भौतिक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस वर्ष 1991 की जनगणना के परिणामों के बाद ही इसकी सफलता की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

(2) कोई नहीं।

(3) इस वर्ष 1324 प्रथम वेतन श्रृंखला 2165 द्वितीय वेतन श्रृंखला, 1289 तृतीय वेतन श्रृंखला में अध्यापकों की शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति दी गयी हैं।

(4) बांरा के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

	स्वीकृत पद			रिक्त पद		
ग्रेड	i	ii	iii	i	ii	iii
छात्र	33	25	9	–	–	–
छात्रा	15	13	3	4	–	–

रिक्त पद का दिनांक एवं विषय

छात्र	–	–
छात्रा	नवम्बर, 1990	हिन्दी
	दिसम्बर, 1990	अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान
	जनवरी, 1990	संगीत

सवाईमाधोपुर जिले के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

249. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा–भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर में राजकीय माध्यमिक स्कूलों एवं सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों में कितने-कितने अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं ? सूची विद्यालय वार सदन की मेज पर रखें।

(2) सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय टोडाभीम में वर्तमान में कुल कितनी छात्र एवं छात्राओं की संख्या है ? उनमें कितने अध्यापक हैं ?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में राजकीय सैकण्डरी एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय टोडाभीम में छात्र-छात्राओं की संख्या 1578 है तथा उनमें अध्यापकों के स्वीकृत पदों की संख्या 39 है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

अवकाश दिवसों को राजकीय विद्यालय भवनों का उपयोग

250. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि अवकाश के दिनों में राजकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों के भवनों का उपयोग सामाजिक कार्यों में किया जा सकता है ? क्या इससे सरकार को समुचित आय होती है ? यदि हां, तो गत वर्ष इससे सरकार को कितनी आय हुई ? क्या इस आय का उपयोग इन भवनों की सुविधाओं की अभिवृद्धि में किया गया है ?

उत्तर

जी, हां। गत वर्ष शिक्षा विभाग में राजकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों को सामाजिक कार्यों हेतु उपयोग में देने से रुपये 24,281/–की आय हुई है। चूंकि यह आय राजकीय कोष में जमा होती है अतः इस आय का उपयोग उसी भवन की सुविधाओं की अभिवृद्धि में हो सके, ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है।

राजस्थान विश्वविद्यालय में आरक्षित पद

251. **श्री रामप्रसाद** (वैर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में शैक्षणिक प्राध्यापकों एवं शैक्षणिक कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो वर्तमान में कितने पद रिक्त पड़े हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए पद आरक्षित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों को विकलांग कोटे के अन्तर्गत भरने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(२९)

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में कुल 241 पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित कोटे में पदों को विकलांग कोटे के अन्तर्गत भरने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यालय

252. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण व कमजोर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए एक-एक राज्य में कई-कई रीजनल कार्यालय खोल रहा है ?

(2) क्या राजस्थान सरकार राजस्थान में भी बीकानेर व उदयपुर में खादी ग्रामोद्योग आयोग के रीजनल कार्यालय खुलवाने हेतु प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भविष्य में इस बारे में क्या प्रयास करने की योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह विषय राज्य सरकार की परिधि में नहीं है। कार्य के विस्तार व प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर खादी आयोग ही अपने स्तर पर इस विषय में निर्णय लेता है। अक्टूबर, 89 में उदयपुर में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय आयोग द्वारा किया जा चुका है एवं आयोग द्वारा कार्यालय शीघ्र चालू करने की कार्यवाही की जा रही है। बीकानेर में रीजनल कार्यालय खोलने की आयोग वर्तमान में आवश्यकता नहीं समझता है।

जयपुर जिले में कृषि भूमि का रजिस्ट्री मूल्यांकन

253. **श्री राम किशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में कृषि भूमि (चाही, बारानी, बंजर) के विक्रय पर भूमि का रजिस्ट्री मूल्यांकन किन-किन मापदण्डों के आधार पर किया जाता है ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की कृषि भूमि का रजिस्ट्री मूल्यांकन अन्य तहसीलों के मूल्यांकन से अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में कृषि भूमि (चाही, बारानी, बंजर) का बाजार मूल्य भूमि की किस्म, मौके की स्थिति, सिंचाई का साधन, सड़क आबादी व व्यावसायिक स्थान आदि से नजदीक दूरी के आधार पर, तैयार पंजीयन सूची नं. 2 में दर्ज विक्रय पत्रों की दर के, एवं जिला कमेटी द्वारा निर्धारित दरों के मुताबिक तय किया जाता है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की कृषि भूमि का रजिस्ट्री मूल्यांकन अन्य तहसीलों के मूल्यांकन से मिलान करने पर सामान्यतया तहसील चौमू, दौसा,

(वित्त मंत्री)

जयपुर, कोटपूतली, चाकसू, आमेर, लालसोट, सांगानेर, से कम एवं सांभर, दूदू, कालवाड़, शाहपुरा के करीब-करीब बराबर एवं विराट-नगर, बस्सी, जमवारामगढ़, किशनगढ़–रेनवाल, कोटखावदा, फागी व सिकराय से अधिक पाया गया है। विवरण संलग्न है। मूल्यांकन में अन्तर का प्रमुख कारण सम्बन्धित तहसील में कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्यों में अन्तर के कारण हैं जो प्रश्न के खण्ड 1 के उत्तर में वर्णित तथ्यों से निर्धारित होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

जोधपुर में अवैधानिक रजिस्ट्रेशन

254. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ. 2(27) एफ डी/ग्रुप-4/87 दिनांक 20-5-1988 में यह स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि अधिकतम से अधिक नगरीय भूमि का हस्तान्तरण पब्लिक पालिसी के विरुद्ध है ? यदि हां, तो उपरोक्त नोटिफिकेशन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त अधिनियम के दिनांक 9–3–1976 को राजस्थान में लागू होने के पश्चात आज तक अधिकतम सीमा से अधिक नगरीय भूमि के हस्तान्तरण के सैंकड़ों अवैधानिक दस्तावेज सब-रजिस्ट्रार, जोधपुर के कार्यालय में बिना सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन जोधपुर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये भूमि माफियाज से अवैधानिक सांठ-गांठ के आधार पर रजिस्टर्ड हुए हैं जो सभी उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के अनुसार नल एण्ड वाइड है ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार जोधपुर नगर परिषद् की सीमा में स्थित मण्डोर ग्राम से खसरा संख्या 1857, 1858, 1877 व 1880 की लाखों बर्ग मीटर रिक्त भूमि के विक्रय पत्र दिनांक 11-8-1989, 26-9-1989, 21-10-1989, 11-12-1989 एवं 9-1-1990 का रजिस्ट्रेशन इन दिनांकों के पश्चात् किया गया ?

(4) यदि हां, तो ऐसे समस्त अवैधानिक रजिस्टर्ड दस्तावेजों की जांच कब तक की जाकर इन्हें निरस्त घोषित किया जायेगा एवं सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड की कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(2) उपरोक्त अधिनियम एवं प्रावधान के लागू होने के पश्चात् उप पंजीयक कार्यालय जोधपुर द्वारा अरबन सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप ही आलेखों का पंजीयन किया गया है।

(3) जी हां, जोधपुर नगर परिषद सीमा में स्थित मंडोर ग्राम के खसरा नं. 1858, 1877 एवं 1880 की भूमि के

(वित्त मंत्री)

आलेखों का पंजीयन राज्य सरकार के आदेश क्र. एफ. 9(105) यू.डी.एच./82 दिनांक 15.10.1982 (प्रतिलिपि संलग्न है) के अन्तर्गत दी गयी छूट के अनुसार किया गया है।

(4) किसी व्यक्ति द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर आलेख पंजीबद्ध करवाने की जानकारी सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन विभाग द्वारा पंजीयन अधिकारी को दिये जाने पर उसके विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने का प्रावधान है। सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन विभाग, जोधपुर द्वारा ऐसे आलेख ध्यान में लाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

आशुलिपिकों को नियुक्ति

255. **श्री रामप्रसाद** (वैर) : क्या मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर दिनांक 6-5-1988 क्रम संख्या–3/परीक्षा 'ग'/शी. लि./सचिवालय/88 राजस्थान पत्रिका में हिन्दी, अंग्रेजी आशुलिपिक के पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था? यदि हां, तो इस प्रतियोगिता परीक्षा में कितने प्रत्याशी उत्तीर्ण हुए और उनमें से कितने लोगों को सचिवालय में तथा अन्य विभागों में आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति दी गयी? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) शासन सचिवालय में मंत्रियों, सचिवों के पास प्रतिनियुक्ति पर किन-किन विभागों के कर्मचारी निजी सहायक के पद पर नियुक्त हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इनकी प्रतिनियुक्ति निरस्त करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों की सूची सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन सं. 3/ परीक्षा "ग"/शी.लि./सचिवालय/88 दिनांक 6.5.88 के द्वारा शासन सचिवालय में शीघ्रलिपिकों के 50 पदों के प्रति भर्ती योग्यात्मक परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त 50 पद का विवरण निम्न प्रकार है :—

पद का नाम	कुल पद	सामान्य पद	आरक्षित पद अ.जा.	अ.ज.जा.	विकलांग
हिन्दी शीघ्रलिपिक	35	23	6	5	1
अंग्रेजी शीघ्रलिपिक	15	09	3	2	1

(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री)

उक्त परीक्षा में सफल प्रत्याशियों की वरिष्ठतानुसार–116 प्रत्याशियों की सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस विभाग को दिनांक 10.5.89 को उपलब्ध करा दी थी, उसमें से सचिवालय द्वारा चाहे गये 50 पदों पर नियुक्ति दे दी गयी है। चूंकि उक्त सूची की अवधि मार्च, 1991 में समाप्त होगी। अतः विज्ञापित पदों के अलावा और पद रिक्ति (वेकेन्सी) होने पर नियमानुसार नियुक्ति दी जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निम्न प्रकार वरिष्ठता सूची इस विभाग को उपलब्ध करायी है :—

पद नाम	कुल प्रत्याशी	सामान्य प्रत्याशी	अ. ज. के प्रत्याशी	अ. ज. जा. के प्रत्याशी	विकलांग
हिन्दी शीघ्रलिपिक	70	55	10	4	1
अंग्रेजी शीघ्रलिपिक	46	46	—	–	–

शासन सचिवालय में राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्राप्त उक्त सूची में से निम्न प्रकार नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं :—

(सूची—परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है)

पद नाम	कुल नियुक्तियां	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	विकलांग
हिन्दी शीघ्रलिपिक	38	23	10	4	1
अंग्रेजी शीघ्रलिपिक	23	—	—	—	—

यह परीक्षा केवल सचिवालय में नियुक्ति दिये जाने हेतु आयोजित की गयी थी। अतः अन्य विभागों में नियुक्ति दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) शासन सचिवालय के अन्तर्गत मंत्रीगणों के कार्यालयों में शासन सचिवालय से बाहर के कुछ कर्मचारी उनके निजी सहायकों के पदों के प्रति कार्यरत हैं। सूची संलग्न है (परिशिष्ट "ब") इस प्रकार की नियुक्तियां राज्य सरकार के आदेश सं. पं. 9(6) पर्सनल (ए–1)70, दि. 1.6.90 के अनुसार माननीय मुख्य मंत्री महोदय की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही की जाती है। सचिवगणों के यहां ऐसे कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं।

(3) उपरोक्त स्थिति में कोई विचार नहीं है।

(4) जी, हां। सूची परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विभिन्न विभागों में अनावश्यक पड़ा सामान

256. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)** : क्या मुख्य मंत्री (सामान्य प्रशासन) यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा राजकीय उपक्रमों में कितना–कितना सामान बगैर काम आये कुल कितनी-कितनी राशि का पड़ा हुआ है ?

(2) क्या बिना काम में आये व काम के लायक नहीं रहे सामान के निस्तारण करने की कोई योजना राज्य सरकार की है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा राजकीय उपक्रमों में अनुपयोगी/सरप्लस सामान, जिन विभागों से अब तक प्राप्त सूचनानुसार संकलित किया गया है, का मूल्य 1478.68 लाख रुपये है। शेष अन्य विभागों से सूचना संग्रहित की जा रही है।

(2) जी हां, नियमों में इसके लिए समुचित प्रावधान है तथा विशेष अभियान चलाकर निस्तारण करने के लिए सरकार के पत्र क्रमांक प–9 (8) वित्त/साविलेनि/90, दिनांक 26–4–90 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, तदनुसार निस्तारण की कार्यवाही जारी है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

सोजत में आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना

257. **श्री अचलाराम (देसूरी)** : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष 1990 में राज्य के किन-किन स्थानों पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये ? वर्ष 1991 में किन-किन स्थानों पर सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र खोलना प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सोजत में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रस्ताव प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त केन्द्र सरकार कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) गत वित्तीय वर्ष 1989–90 में 8 बाल विकास परियोजनाएं तथा वित्तीय वर्ष 1990–91 में 18 बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। जिनकी सूची सदन की पटल पर रख दी गई है। अगले वर्ष 1991 में परियोजनाओं को खोलने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जायेगा। अभी तक स्थानों की जानकारी भारत सरकार ने नहीं दी है। अतः सूची सदन के पटल पर रखना संभव नहीं है।

(2) इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति

258. **श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)** : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(1) क्या मृत कर्मचारियों के आश्रित को राज्य सेवा में नियुक्ति देने के कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति देने में सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग (आर. पी. एस. सी.) की परीक्षा से छूट दी जाती है ? यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारी के आश्रितों को जो आशुलिपिक का ज्ञान भी रखते हों, उन्हें आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति देने में भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में छूट देने का उक्त नियमों में प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को नियमों में छूट देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। नियमों में ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति देने में आयोग की परीक्षा से छूट देने के मामले राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस पर राज्य सरकार गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

पीपला प्रोजेक्ट के गबन की जांच

259. **श्री प्रकाश चन्द बैरवा** (फागी) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपला प्रोजेक्ट के घपले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी जांच की क्या प्रगति है ? जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारी पीपला प्रोजेक्ट के घपले की जांच में निष्क्रियता बरत रहे हैं ? यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पूर्व में पीपला प्रोजेक्ट के घपले की जांच विभाग द्वारा करायी गयी थी। जांच से आरोप अप्रमाणित पाये जाने पर परिवाद नत्थीबद्ध कर दिया गया।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर की सीलिंग भूमि का आवंटन

260. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 5 वर्षों में सीलिंग की कितनी जमीन जिला बाड़मेर व जैसलमेर में आवंटन की गयी ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई ऐसे किसान हैं जिनसे पुरानी रेट से सारी रकम वसूली कर ली गयी और अब नयी रेट से दुबारा वसूली की जा रही है ? यदि हां तो क्यों ?

(श्री अमीन खां)

(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के लोगों को सीलिंग में जो भूमि आवंटन हुई है उनको कब्जा अभी तक नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में क्रमशः 1918 बीघा 01 बिस्वा एवं 25,867 बीघा 19 बिस्वा सीलिंग भूमि का आवंटन किया गया। तहसीलवार सूची परिशिष्ट "क" एवं "ख" संलग्न है।

(2) जी हां। पुरानी सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत अवाप्त भूमि के लिए भी देय राशि नये सीलिंग कानून 1973 की धारा 19(4) में उल्लिखित दरों के अनुसार ही देय है। अतः जिनसे पहले पुरानी दर से कीमत वसूल की गयी, उनसे पुरानी व 1973 के सीलिंग कानून में निर्धारित नयी दरों के अन्तर की राशि वसूल की जा रही है।

(3) जिला बाड़मेर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सीलिंग नियम के तहत आवंटित भूमि का कब्जा दिया जा चुका है तथा जिला जैसलमेर में तहसील पोकरण में अनुसूचित जाति के 25 आवंटियों को मौके पर उपस्थित नहीं होने के कारण कब्जा नहीं दिया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम मांगलोद (नागौर) में माताजी के मन्दिर की भूमि पर कब्जा

261. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर तहसील जायल ग्राम मांगलोद में खसरा नं. 841, 843, 922, 922/1003, 841/1062 कदीम से माताजी के मन्दिर की भूमि थी, उक्त खसरा नम्बर की भूमि की तारीख 9–12–1959 को ए. आर. ओ. सैटलमेण्ट, जायल ने बिना मन्दिर समिति से पूछे गोचर कर दिया ?

(2) क्या यह सही है कि राज. टेनेन्सी एक्ट एवं राज. भूमि सुधार एवं जागीर रिजम्पशन एक्ट के अनुसार देवता की जमीन में किसी तरह कोई परिवर्तन या अन्य किसी का कब्जा अधिकार नहीं किया जा सकता है और न इसे ट्रान्सफर ही किया जा सकता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 21–5–1987 को राज. राजस्व मण्डल की फुल बैंच ने देवता की जमीन को रद्दोबदल न करने का निर्णय दिया है ? यदि हां, तो उपरोक्त माताजी की जमीन को गोचर से माताजी के नाम कब तक की जायेगी।

उत्तर

(1) जी नहीं, यह सही नहीं है कि ग्राम मांगलोद तहसील जायल जिला नागौर के वर्तमान ख. नं. 841, 843, 922 922/1063 व 841/1062 पूर्व में ग्राम मांगलोद के मंदिर माताजी के नाम में थे। उपरोक्त वर्तमान खसरा नम्बरों की भूमि गत बन्दोबस्त सम्वत् 2000 की मिसल बन्दोबस्त में पड़त कदीम (सरकारी भूमि) दर्ज थे। सरकारी भूमि होने से

(राजस्व मंत्री)

सहायक भू–अभिलेख अधिकारी के आदेश दिनांक 9–12–59 के मुताबिक गोचर दर्ज की गयी है।

(2) जी हां।

(3) जी हां, राजस्व मण्डल के निर्णय के बारे में प्रश्न में व्यक्त स्थिति सही है। चूंकि उपरोक्त जमीन माताजी के मन्दिर के नाम दर्ज ही नहीं थी, अतः गोचर से माता जी के मंदिर के नाम किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बाड़मेर जिले के भूमिहीन किसानों की भूमि का नियमन

262. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर में कितने भूमिहीन किसानों को जो संवत् 2032 से आज तक काबिज थे, नियमन किया गया? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर, जैसलमेर में ऐसे कितने नियमन के केस विचाराधीन हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में 446 भूमिहीन व्यक्तियों को जो संवत् 2032 से काबिज थे, को नियमन किया गया है। तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम तहसील	नियमन की संख्या
1.	बाड़मेर	23
2.	चौहटन	280
3.	शिव	12
4.	गुडामालानी	11
5.	सिवाना	60
6.	पचपदरा	60
7.	बगतू	—
	योग :—	446

(2) जिला बाड़मेर में कुल 33 नियमन के प्रकरण विचाराधीन है। तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	नाम तहसील	संख्या विचाराधीन प्रकरण
1.	पचपदरा	19
2.	चौहटन	14
	योग :—	33

जिला जैसलमेर में वर्तमान में नियमन का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

भीनमाल (जालौर) के मेघवालों की जमीन पर कब्जा

263. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बंशीलाल पटवा)

(1) क्या गुलाब चन्द पुत्र श्री केसरी मल अग्रवाल ने भीनमाल के साथ कुछ मेघवालों की जमीन पर नाजायज कब्जा करने तथा उन्हें परेशान करने की शिकायत जिलाधीश तथा उप-खण्ड अधिकारी के यहां की ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही चल रही है ?

(2) श्री गुलाब चन्द के विरुद्ध राजस्व सम्बन्धी कितने मामले विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, जांच करने पर यह तथ्य सामने आये कि मौजा भीनमाल में निम्न भूमि तारीया, अटरिया 1/4, ओखाराम, हंजा 1/4, पीरा 1/4 व खीमा 1/4 समस्त कौम भांबी (मेघवाल) निवासी भीनमाल के नाम की थी :—

ख. नं.	रकबा	किस्म
3608	5 बीघा	चाही चारम
3613	24 बीघा 16 बिस्वा	,,
3615	2 बीघा 6 बिस्वा	,,
योग	32 बीघा 2 बिस्वा	

उपरोक्त भूमि का इश्तहार हक का दावा मुसम्मात सुन्दर बेवा साकूजी व भोज-राज पुत्र साकूजी ओसवाल नि. भीनमाल ने उप खण्ड अधिकारी, भीनमाल के न्यायालय में अलग-अलग पेश किये व वहां से वाद संख्या 12/67 व 61/66 का सम्मिलित निर्णय 12-7-68 को वादीगण मुसम्मात सुन्दर व भोजराज के पक्ष में हुआ। मुसम्मात सुन्दर व भोजराज ने उक्त आराजी अपने नाम दर्ज करवा कर दिनांक 11-5-71 को उक्त आराजी का बेचान श्री लछाराम पुत्र बेरा, मोहनलाल, घमण्डीराम, पेमाराम, भंवरलाल पिता लछाराम कौम सुथार नि. भीनमाल के पक्ष में कर दिया व इन लोगों ने दिनांक 13-12-72 को उक्त आराजी श्री गुलाबचन्द, गणपत लाल पि. केसरी-मल अग्रवाल की माता श्रीमती सरबतीदेवी के नाम बेचान कर दी व सरबती देवी के मौत होने के बाद उसके जाईन्दा पुत्र गण-पत लाल व गुलाबचन्द्र अग्रवाल पिता केसरीमल अग्रवाल भीनमाल के नाम दर्ज हुई व वर्तमान में भी इन्हीं के नाम दर्ज है व इनके कब्जे में है । जिला कलक्टर के न्यायालय में धारा 232 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के निर्णय 12.7.60 को निरस्त करने के लिए रेफरेंस प्रार्थना पत्र विचारा-धीन है। जिसमें तारीख पेशी 25-3-91 मुकरर है। जिसका मु० नं. 41/88 दर्ज है।

(2) श्री गुलाबचन्द व उसके भाई गणपतलाल के विरुद्ध जिला जालौर के राजस्व न्यायालयों में उक्त प्रकरण के अलावा अन्य कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

ऊपरमाल बिजौलिया व माण्डलगढ़ भीलवाड़ा के खनिज क्षेत्र में भूमि का आवंटन

264. श्री बंशीलाल पटवा (भील-वाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बंशीलाल पटवा)

(1) भीलवाड़ा जिले के ऊपरमाल बिजौलिया व माण्डलगढ़ क्षेत्र के खनिज क्षेत्र में बिला नाम भूमि जो आवंटित की गई वह किस पंचायत क्षेत्र में कितनी कितनी आज की तिथि में है ?

(2) उक्त बिला नाम भूमि को माइन्स हेतु आवंटित करने के लिये विभाग के एस. डी. ओ. तथा तहसीलदार और पटवारी द्वारा किस–किस को अनापत्ति प्रमाण–पत्र खनन हेतु पिछले 5 वर्षों में जारी किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के ऊपरमाल क्षेत्र बिजौलिया की 12 पंचायतों में 1630 व्यक्तियों को 1879 एकड़ भूमि आवंटित की गई। (सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है)

(2) उक्त बिला नाम भूमि मे माइन्स हेतु केवल ऊपरमाल, बिजौलिया में खनिज विभाग को जिला कलक्टर की अनुमति से तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा कुल 4 अना–पत्ति प्रमाण पत्र पिछले पांच वर्षों में जारी किये गये हैं। (सूची परिशिष्ट "बी" संलग्न है) एस. डी. ओ. व पटवारी द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

किशनगंज व शाहबाद (कोटा) के अनु. जाति द जनजाति के कृषकों को भूमि का आवंटन

265. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि किशनगंज व शाहबाद में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कृषकों को भूमि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो क्या उनको आवंटित भूमि का कब्जा दिला दिया गया है ?

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर कौन-कौन प्रभावशाली लोग काबिज हैं ? उनके खिलाफ सरकार ने कब-कब क्या क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील किशनगंज में अनुसूचित जाति के 1483 व्यक्तियों को 4268 एकड़ एवं अनुसूचित जनजाति के 3927 व्यक्तियों को 11470 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है, जिसमें से 32 आवंटियों को आवंटित भूमि का कब्जा संलग्न सूची में उल्लिखित कारणों से नहीं दिया गया है। तहसील शाहबाद में अनुसूचित जाति के 2418 व्यक्तियों को 7635 एकड़ एवं अ. ज. जा. के 3593 व्यक्तियों को 12358 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है व समस्त आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर जो प्रभावशाली लोग काबिज हैं, ऐसे व्य–क्तियों की सूची परिशिष्ट "ख" "ग" संलग्न है। इन प्रकरणों में काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर 20 प्रकरणों में कब्जा दिलाया जा चुका है, एक प्रकरण खारिज

(राजस्व मंत्री)

हो गया है तथा शेष 40 प्रकरणों में बेदखली की कार्यवाही विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर एवं जैसलमेर ज़िलों का भू–राजस्व रिकार्ड

266. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में उपनिवेशन की गति धीमी होने के क्या कारण हैं ?

(2) बीकानेर एवं जैसलमेर में जिन लोगों के भू–राजस्व रिकार्ड नहीं हैं उनके मामले कुल कितने हैं तथा ये मामले कब तक निपटा दिये जायेंगे ? ऐसे काश्तकारों को भूमि का मालिक कब तक बना दिया जावेगा ?

(3) कितने भूमिहीन किसानों को चालू वित्त वर्ष में कितने हैक्टेयर भूमि आवंटित की जावेगी ?

(4) इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के प्रथम एवं द्वितीय चरण में किस-किस उपनिवेशन तहसील में व्यावसायिक दर पर विक्रय की जाने वाली जमीन उपलब्ध कितनी–कितनी है सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। धीमी गति होने का प्रश्न नहीं।

(2) बीकानेर एवं जैसलमेर में जिलों के भूतपूर्व जैसलमेर राज्य के क्षेत्र के देहात में जिन लोगों के भू–राजस्व रिकार्ड नहीं हैं, उनके कुल मामले 7878 हैं। इन मामलों के निस्तारण के पात्र व्यक्तियों को जांच के बाद 25 बीघा कमाण्ड निःशुल्क व शेष सीलिंग सीमा तक आरक्षित मूल्य पर अधिकार देने के प्रावधान हैं। इस भूमि में से, कौनसी भूमि काश्तकार निःशुल्क चाहते हैं और किस भूमि का आरक्षित मूल्य अदा करेंगे यह विकल्प संबंधित काश्तकार नहीं दे रहे हैं, अतः मामलों के निस्तारण में कठिनाई है। जब तक यह विवरण एवं अभिलेख का साक्ष्य नहीं देंगे, तब तक इन क्षेत्रों के लोगों को धारित भूमि का मालिक नहीं बनाया जा सकेगा। ये लोग विकल्प इसलिये नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे धारण की पूरी ही भूमि निःशुल्क खातेदारी चाहते हैं।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में 3000 भूमिहीन किसानों को 20 हजार हैक्टेयर भूमि आवंटन के लक्ष्य रखे गये थे। चालू वित्तीय वर्ष में 3246 भूमिहीनों को 20 हजार हेक्टेयर भूमि आवंटन कर दी गई है।

(4) इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के प्रथम एवं द्वितीय चरण में उपनिवेशन तहसील नियम 13 ए के तहत विशेष आवंटन हेतु व्यावसायिक दर पर विक्रय की जाने वाली भूमि की सूची परिशिष्ट– "क" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत शास्ति एवं लगान का निर्धारण

267. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत कृषि व अकृषि भूमि जुर्माना आरोपित करने व लगान निर्धारित करने के क्या नियम हैं ?

(2) क्या रायपुर तहसील में राजस्व ग्राम सुमेल में भूतपूर्व जागीरदार के बीड़ों की भूमि का लगान सैटलमेंट के समय से निर्धारित है ? यदि हां, तो बीड़ों की भूमि की प्रति बीघा लगान दर का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि रायपुर तहसील क्षेत्र के किसी पटवार मंडल में उक्त दर निर्धारित है तो राजस्व गांव तीरमा. कोट–किराणा वेलपना, आसन जिलेलाव कलालिया, बगडी, कानुजा, कालब खुर्द लवाचा, पचान पुरा, कालबकलां, मोहराखुर्द, चांग चिताड नानणा सोडपुरा, बसेंडा, बिराटिया खुर्द, सरधना, अमरपुरा, रायगढ़, सेठोतान रामावासबूटीवास कालाकोट मालनो दीपावास इत्यादि में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत अकृषि योग्य बीड़ों की भूमि पर कृषि भूमि का लगान निर्धारित कर कई गुणा जुर्माना लगा कर काश्तकारों को क्यों दण्डित किया गया है ?

(4) उक्त प्रश्न संख्या 3 में वर्णित गांवों में पिछले वर्षों में उक्त धारा के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डित किये गये काश्तकारों के नाम वल्दियत व राशि जुर्माना सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या ऐसी गलत आरोपित दंडनीय लगान राशि की सरकार पुन: जांच करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की इस समस्या को हल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कैसे और कब तक ?

उत्तर

(1) भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा, 91 परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

(2) ग्राम सुमेल में भू.पू. जागीरदारों के बीड़ों की भूमि का लगान सेटलमेन्ट के समय से निर्धारित नहीं है।

(3) तहसील रायपुर में बीड़ों की लगान की दरें निर्धारित नहीं हैं। यदि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है तो उसे भू-राजस्व अधिनियम की धारा, 91 के तहत अतिक्रमी मानकर नियमानुसार निकटवर्ती भूमि के लगान का 50 गुणा तक अधिकतम जुर्माना आरोपित किया जाता है।

(4) सूची संलग्न है।

(5) जी नहीं। आरोपित दण्डनीय लगान नियमानुसार है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम ब्रह्मबाद (भरतपुर) की चक भूमि पर अनधिकृत कब्जा

268. श्री रामप्रसाद (वैर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की तहसील बयाना के गांव ब्रह्माबाद में खसरा नम्बर 492 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 656 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा सिवाय चक भूमि है ? उक्त भूमि पर किन-किन लोगों का कब से अनधिकृत कब्जा है ? कब्जा नहीं हटाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि हेतु अनु. जाति के भूमिहीन कृषक द्वारा आवेदन किया गया ? यदि हां, तो उक्त भूमि को अब तक किन कारणों से आवंटन नहीं की ? क्या सरकार अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्ति को भूमि आवंटन करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले की तहसील बयाना के ग्राम ब्रह्मबाद खसरा नं. 492 की भूमि मौके पर खाली है । ख.नं. 656 की 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि से मात्र 01 बीघा भूमि पर श्री चिरंजीलाल पुत्र प्रभुनारायण मीणा द्वारा इसी वर्ष अतिक्रमण किया है, जिसके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही विचाराधीन है ।

(2) जी नहीं । अनुसूचित जाति के किसी भूमिहीन कृषक द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः आवेदन नहीं करने एवं भूमि की किस्म गै. मु. रास्ता होने के कारण आवंटन संभव नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई व सिकराय के रेवेन्यू मुकदमों की सुनवाई

269. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई व सिकराय के रेवेन्यू मुकदमे दौसा एस. डी. एम. के यहां सुनवाई हेतु पेश होते हैं ? वर्तमान में उक्त दोनों क्षेत्रों के कुल कितने मुकदमे दौसा एस. डी. एम. की कोर्ट में लम्बित हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त मुकदमात् को राज्य सरकार बांदीकुई स्थित अदालत ए.सी.एम. में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई व सिकराय के राजस्व मुकदमें सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक बांदीकुई के न्यायालय में पेश होते हैं । सहायक कलक्टर के उपलब्ध न होने पर यह दावे एस.डी.एम. दौसा की पेश हो सकते हैं । वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र का मुकदमा उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में लम्बित नहीं है ।

(५२)

(राजस्व मंत्री)

(2) उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राजस्व मुकदमात एस.डी.एम. कोर्ट दौसा में स्थानान्तरण करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

टोंक जिले में विभाग द्वारा खर्च राशि

270. **श्री महावीरप्रसाद जैन** (टोंक) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टोंक जिले में पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 1989–90 एवं वर्ष 1990 से 15 फरवरी, 1991 तक किस-किस कार्य के लिये कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई एवं प्रत्येक वर्ष में प्रशासनिक खर्चा कितना-कितना हुआ? प्रत्येक का अलग-अलग वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

टोंक जिले में पशु पालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा कार्य, कुक्कुट पालन एवं पशु विकास नस्ल सुधार कार्यक्रमों पर वर्ष 1989–90 में 24,28,930 रुपये की राशि व्यय की गई है एवं वर्ष 90–91 में 39,48,870 रुपये की राशि आवंटित की हुई है।

वर्ष 1989-90 में प्रशासनिक व्यय 246410/– हुआ है एवं 90–91 में 278000/– प्रशासनिक व्यय हेतु आवंटित हैं। वर्षवार खर्च का ब्यौरा सूची "क" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) के स्वीकृत पशु चिकित्सालय

271. **श्री हुकमाराम** (सिवाना) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन पशु स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने पद स्वीकृत हुए हैं तथा कितने पद रिक्त पड़े हैं? राज्य सरकार इन पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में केवल एक पशु स्वास्थ्य केन्द्र पादरू में कार्यरत हैं।

(2) इस पशु स्वास्थ्य केन्द्र में निम्नलिखित पद स्वीकृत हैं :

1. सहायक पशु शल्य चिकित्सक	एक
2. पशुधन सहायक	दो
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	तीन

कोई भी पद रिक्त नहीं है।

पद भरने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में अनिवार्य पशु बीमा योजना

272. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

क्या राज्य में अनिवार्य पशु बीमा की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां तो उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान में राज्य में अनिवार्य पशु बीमा की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को जो भी पशु बैंकों से क्रय करने हेतु ऋण दिया जाता है उन पशुओं के लिए बीमा अनिवार्य है। अनिवार्य पशु बीमा अधिनियम राज्य में लागू नहीं है।

बांसवाड़ा जिले के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

273. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला कलक्टर बांसवाड़ा से पशुपालन विभाग ग्राम आधार योजना बांसवाड़ा के डॉ. बसंत लाल गांधी प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध जांच पूरी कर निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर को उक्त डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्र भिजवाया है ? यदि हां, तो कब तथा निदेशक द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुक्कुट परियोजना अधिकारी, बांसवाड़ा के डा. गोरीनन्दन पुरोहित के विरुद्ध भी जिला कलक्टर द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर को जांच हेतु आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डा. बसंत लाल गांधी, प्रभारी ग्राम आधार योजना, बांसवाड़ा के विरुद्ध की गई अनियमितताओं की जांच कर, एक पत्र दिसम्बर, 90 में जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ है, किन्तु उसके साथ जांच सम्बन्धी पूर्ण अभिलेख प्राप्त नहीं होने के कारण जिला कलक्टर से पूर्ण अभिलेख प्राप्त करने की कार्यवाही की गई है।

(2) अतिरिक्त कलक्टर बांसवाड़ा द्वारा परियोजना अधिकारी सघन कुक्कुट विकास खण्ड के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट जिला कलक्टर को दिनांक 18–2-91 को प्रेषित की है। जिला कलक्टर की ओर से विभाग को कार्यवाही हेतु मामला अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य में पशु मेले

274. **श्री बालचन्द** (डग) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पशु मेले किन-किन स्थानों पर लगते हैं तथा उनसे राज्य सरकार को कितनी-कितनी आमदनी होती है ? पूर्ण विवरण सहित सभी स्थानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किन-किन स्थानों के मेलों में

(श्री बालचन्द)

किस-किस किस्म के (जाति) पशु आते हैं ? प्रत्येक पशु पर राज्य सरकार द्वारा कितना-कितना टैक्स लिया जाता है, पूर्ण विवरण सहित बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पशु पालन विभाग द्वारा प्रति वर्ष 10 राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजना किया जाता है। इसके अलावा प्रदेश की विभिन्न पंचायतों एवं नगर पालिकाओं द्वारा भी अपने स्तर से प्रति वर्ष 229 पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तरीय मेलों से प्रति वर्ष राज्य सरकार को लगभग 10 लाख रु. की आय विभाग के माध्यम से तथा 40 लाख रु. बिक्री कर एवं अन्य विभागों के माध्यम से होती है। राज्य स्तरीय पशु मेलों के स्थानों की सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य स्तरीय व पशु मेलों में आने वाले गौ वंश का उल्लेख सूची "क" में दर्शा दिया गया है। पशुओं की किस्म के अनुसार राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले टैक्स (रवन्ना–कर) का ब्यौरा संलग्न सूची "ख" में दिखाया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 275
(स्थगित)

चम्बल की दायीं मुख्य नहर पलायथा सब ब्रांच पर लिफ्ट माइनर का निर्माण

276. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चम्बल की दायीं मुख्य नहर पलायथा सब ब्रान्च पर लिफ्ट माइनर का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ था ? इस माइनर पर कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ?

(2) उक्त माइनर का कार्य कब से बन्द पड़ा हुआ है ?

(3) कितनी धनराशि व्यय होने पर यह कार्य पूर्ण हो जायेगा ? क्या सरकार इसे पूर्ण करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या किसानों को मुआवजा दे दिया गया है ?

उत्तर

(1) चम्बल की दायीं मुख्य नहर पलायथा सब ब्रान्च पर लिफ्ट सब माइनर का कार्य सन् 1984–85 में प्रारम्भ हुआ था तथा इसके निर्माण में रु. 5,16,994 खर्च हुए थे।

(2) सन् 1985 से बन्द है।

(3) यदि नहर की मिट्टी को ही रख कर कार्य पूर्ण किया जाय तो इसको पूरा करने में लगभग 3 लाख रुपये का व्यय और आवश्यक होगा। कार्य पूर्ण करवाया जाना विचाराधीन है।

(4) जी हां।

चम्बल नहर एवं इंदिरा गांधी नहर की द्वितीय चरण के खालों की कीमतें

277. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चम्बल नहर एवं इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण के अन्तर्गत बने खालों की कीमतें कब तक माफ कर दी जायेंगी ?

(2) क्या यह सही है, कि खालों की कीमत वसूल न करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक हो जायेगी ?

(3) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई पत्र भेजा गया था ? उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि खालों की कीमत माफ करने हेतु जन आंदोलन हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त आंदोलन में किन-किन नेताओं ने हिस्सा लिया था ?

उत्तर

(1) यह मामला भारत सरकार के सक्षम विचाराधीन है।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 11(11) सीएडी/85 दि. 20.7.87 के अनुसार इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में खालों की वसूली अग्रिम आदेश तक स्थगित करने के आदेश किये गये थे, माफ करने के नहीं।

(3) जी हां। नवीनतम पत्र में संबंधित बिन्दु की प्रति संलग्न है।

(4) हां, यह सही है कि वर्ष 1987 व 1989 में खालों की कीमत माफ करने हेतु किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में जन आन्दोलन हो चुका है। इस आन्दोलन में बीकानेर एवं श्रीगंगानगर के निम्न नेताओं ने हिस्सा लिया था :—

बीकानेर (वर्ष 1987 में)

1. श्री मानिक चंद सुराणा, विधायक
2. ,, हंसराज मिड्ढा, विधायक
3. ,, योगेन्द्र सिंह हांडा, पूर्व विधायक
4. ,, दाऊदयाल आचार्य
5. ,, शिवकुमार व्यास, सरपंच, दात्तौर
6. ,, आलम सिंह
7. ,, सांग सिंह भाटी
8. ,, ओम शास्त्री
9. ,, निरंजन किराड़
10. ,, बजरंग लाल ओझा
11. ,, ओमप्रकाश आचार्य
12. ,, मास्टर महेश आजाद
13. ,, जयनारायण व्यास
14. ,, मक्खन जोशी
15. ,, गोपाल गहलोत

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदानित संस्थाएं

278. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(1) राजस्थान में कितनी संस्थाएं राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड जयपुर में अनुदान प्राप्त कर रही हैं ? क्या कुछ लोग अलग-अलग नामों से संस्थाएं बनाकर अनुदान हासिल कर रहे हैं ? उन संस्थाओं की सूची मय नाम के सदन की मेज पर रखें।

(2) अनुदान प्राप्त संस्थाओं का अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड व अन्य अधिकारियों का 1988 से दिसम्बर, 1990 तक कहां-कहां व कब–कब निरीक्षण किया ? क्या किसी संस्था को अनुदान का दुरुपयोग करते पाया है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में 467 संस्थाएं समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड से अनुदान प्राप्त कर रही हैं। जी हां, ऐसी शिकायत है। निम्न संस्था के संबंध में विभाग को शिकायत प्राप्त हुई है :—

1. नृसिंह लोक कल्याण समिति, ग्राम पंचायत केमला, तहसील नादोती जिला सवाईमाधोपुर।

(2) निरीक्षणों की सूची परिशिष्ट 'अ' तथा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ब' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

छात्रावास छबड़ा (कोटा) में छात्रों की संख्या

279. **श्री नन्द किशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) छबड़ा छात्रावास में छात्र संख्या कितनी है तथा कितनी और बढ़ाने का विचार है ?

(2) छात्रों की संख्या के अनुपात में क्या वहां छात्रावास भवन की कमी अनुभव की जाती रही है ? यदि हां, तो क्या भविष्य में कोई और भवन की व्यवस्था की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार छबड़ा क्षेत्र के भील व पिछड़ी जाति क्षेत्र पाली में और छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) छबड़ा छात्रावास की स्वीकृत छात्र संख्या 40 है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर आवश्यकतानुसार छात्र संख्या में वृद्धि की जावेगी।

(2) जी नहीं। किराये का यह छात्रावास भवन 40 छात्रों के लिये पर्याप्त है।

(3) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर एवं आवश्यकता को देखते हुए छात्रावास खोलने पर विचार किया जावेगा।

राज्य में बढ़ती भिक्षावृति

280. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल आर्य)

प्रान्त में भिक्षावृति को रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं तथा क्या वह प्रभावी व पर्याप्त हैं ?

उत्तर

प्रान्त में भिक्षावृति की रोकथाम के लिये कोई अधिनियम लागू नहीं है, लेकिन ऐसे किशोर भिक्षुक जिनकी आयु 16 वर्ष है तथा किशोरी भिक्षुक जिसकी आयु 18 वर्ष है और भिक्षावृत्ति करते हैं; उनके विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है । जो भिक्षुक बड़ी उम्र के हैं और भिक्षावृति छोड़ना चाहते हैं, उनके लिये विभाग द्वारा अजमेर में 150 आवासियों की क्षमता वाला एक सेवा सदन चलाया जा रहा है, उनको रख कर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वावलम्बी बन सकें ।

ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि

281. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिये प्रोत्साहन राशि दिये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो अजमेर जिले में यह योजना कब तक लागू कर जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां । प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति की छात्राओं को विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिये निःशुल्क पोषाकें एवं पुस्तकें उपलब्ध कराने जाने की योजना अजमेर जिले सहित पूरे राज्य में 1982 से लागू है ।

अस्थायी रैन बसेरों में आवास सुविधा

282. **श्रीमती रमा पायलट** (हिण्डौली) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला प्रशासन द्वारा हाई कोर्ट के निर्णयानुसार स्थापित अस्थायी रैन-बसेरों में कितने निराश्रितों ने अब तक शरण ली है ?

(2) अस्थायी रैन बसेरों में आवास की कुल कितनी व्यवस्था थी एवं कितनी क्षमता का उपयोग किया गया ? पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होने के क्या कारण रहे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) हाई कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य में स्थायी रैन-बसेरों में 5 जनवरी से 4 मार्च, 1991 तक कुल 10337 निराश्रितों ने शरण ली ।

(2) अस्थायी रैन बसेरों में राज्य में 3795 व्यक्तियों के प्रति दिन आवास की व्यवस्था थी जिसके विरुद्ध 5 जनवरी से

(राज्य मंत्री समाज कल्याण)

4 मार्च, 1991 तक कुल 10337 व्यक्तियों द्वारा इस व्यवस्था का लाभ लिया गया। प्रारम्भ में जब अधिक ठण्ड थी तब तुलनात्मक रूप से अधिक लोगों ने क्षमता का उपयोग किया किन्तु जब ठण्ड कम हो गई तब निराश्रित वापस अपने पूर्व स्थानों पर चले गये। बाद में पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया।

सम्भागीय मुख्यालयों पर मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण की स्थापना

283. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में सम्भागीय मुख्यालयों, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर व कोटा में मोटर दुर्घटनाओं के मामलों की सुनवाई हेतु पृथक् से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण स्थापित है ?

(2) इनमें अलग-अलग एवं कुल कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(3) अजमेर में मोटर दुर्घटनाओं के कुल कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(4) क्या सरकार अजमेर में अन्य सम्भागीय मुख्यालयों की भांति पृथक् से अधिकरण खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या किसी जिले या शहर में भी इस प्रकार का अधिकरण काम कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा में मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत मोटर दुर्घटना के मुकदमों की संख्या दिनांक 31.12.90 के अनुसार निम्न प्रकार है :—

1.	जयपुर	—	3,651
2.	उदयपुर	—	1,277
3.	जोधपुर	—	787
4.	बीकानेर	—	336
5.	कोटा	—	880
	कुल विचाराधीन मामले		6,931

(3) अजमेर में मोटर दुर्घटनाओं के 1,357 दावे दिनांक 14.3.91 को विचाराधीन हैं।

(4) किसी संभागीय मुख्यालय पर ऐसी व्यवस्था नहीं है।

(5) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के नाम एवं अधिकारिता क्षेत्र की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा (सवाईमाधोपुर) के मुकदमों की सुनवाई

284. **श्री प्रभुलाल** (सपोटरा) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री प्रभुलाल)

(1) क्या यह सही है कि सपोटरा क्षेत्र के मुकदमे करौली मुन्सिफ कोर्ट में चल रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि मुन्सिफ कोर्ट को करौली से सपोटरा में स्थानान्तरित करने से वहां की जनता को सस्ता व सुलभ न्याय मिल सकेगा ? यदि हां, तो सरकार कब तक न्यायालय को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। परन्तु यह सपोटरा में न्यायालय भवन, आवासीय भवन, अभिभाषक गण आदि की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

बांसवाड़ा जिले में नये न्यायालयों की स्थापना

285. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बांसवाड़ा जिले में नये न्यायिक न्यायालय खोलने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर ?

(2) क्या यह सही है कि घाटोल व गढ़ी प्रतापपुर में भी नये न्यायिक न्यायालय खोलने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 91–92 में सरकार बांसवाड़ा में एक नया अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने का विचार रखती है।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता है।

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में कर्जा मुक्ति प्रमाण–पत्रों का आवंटन

286. **श्री रखब चन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) यह सही है कि प्रतापगढ़ विधान सभा में सहकारी समितियों द्वारा अभी तक कर्जा मुक्ति प्रमाण-पत्र वितरण नहीं किये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकारी द्वारा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को कर्ज मुक्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि सेवना ग्राम पंचायत की सहकारी समिति के कर्जा मुक्ति प्रमाण-पत्र अभी तक अधिकारी द्वारा रोके हुए हैं ? यदि हां, तो अब कब तक दिलवा दिये जायेंगे।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) सेवना ग्राम पंचायत क्षेत्र की सहकारी समिति सेवना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. जो कि अवसायन में है, के अधिकांश सदस्यों ने ऋण की गड़बड़ी की

(सहकारिता मंत्री)

जांच कराये जाने की शिकायत की थी। सहायक अधिशाषी अधिकारी प्रतापगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्ति किया गया है। जांच पूर्ण नहीं होने के कारण सदस्यों के प्रमाण पत्र अभी तक वितरित नहीं किये गए हैं। जांच पूर्ण होने पर कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा। जांच कार्य अति-शीघ्र पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित कर दिया गया है।

जयपुर की गृह निर्माण सहकारी समितियों के जांच शिविर

287. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत वर्ष माह मई-जून में जयपुर नगर की गृह निर्माण सहकारी समितियों की जो जांच शिविरों द्वारा करवायी गई थी उसमें कितनी सहकारी समितियां दोषी पायी गयीं ?

उत्तर

गत वर्ष मई-जून से जयपुर की गृह निर्माण सहकारी समितियों के विशेष अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में कुल 81 गृह निर्माण सहकारी समितियों में प्रथम दृष्टया अनियमितताएं पायी गई।

अतारांकित प्रश्न संख्या 288

(स्थगित)

सीकर भूमि विकास बैंक में अनियमितताएं

289. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर भूमि विकास बैंक में ऋण संबंधी मामलों में गबन एवं अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) उक्त मामले में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लि., सीकर में ऋण सम्बन्धी मामलों में गबन का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है, किन्तु स्वीकृत ऋण पत्रावलियों में भुगतान के स्तर पर अनियमितता का मामला दिनांक 19.12.90 को प्रकाश में आया है, जो ऋण के भुगतान की प्रक्रिया से सम्बन्धित है। सचिव की अनुपस्थिति में पूर्व अध्यक्ष द्वारा लिपिक को सचिव के अधिकार देकर ऋण भुगतान कराया जा रहा था।

(2) बैंक द्वारा प्राथमिक तौर पर दोषी पाये गये 2 शाखा सचिवों, 3 लिपिकों एवं भूमि मूल्यांकन अधिकारी के विरुद्ध राज सी. सी. ए. नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर से सहायक रजिस्ट्रार, सीकर द्वारा निरीक्षण करवाया जा रहा है तथा राज. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा भी जांच की जा रही है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना का ब्ल्यू प्रिन्ट

290. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार द्वार प्रस्तावित, आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या है ? उसका ब्ल्यू प्रिन्ट सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान राज्य की प्रतिकूल परिस्थितियों, अन्य राज्यों की तुलना में राज्य का अभी भी विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ापन, राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति व्यक्ति योजना उदव्यय में बढ़ते हुए अन्तर, इत्यादि को ध्यान में रखते हुए राज्य के त्वरित विकास हेतु विभागों से आठवीं योजना के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया था। योजना विभाग ने विभिन्न विभागों से विचार विमर्श पश्चात् राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव रु. 7902.47 करोड़ का तैयार किया है।

प्रस्तावित योजना में निम्न महत्वपूर्ण बातें हैं :—

1. राज्य की योजना प्रस्तावों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 61% विनियोजन प्रस्तावित है ।

2. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसमें मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए आवासीय व्यवस्था, शहरी कच्ची बस्तियों का सुधार, पोषाहार इत्यादि सम्मलित है, पर लगभग 12% व्यय होगा ।

3. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जहां 7 प्रतिशत व्यय प्रस्तावित है, वहीं अनुसूचित जाति के लिए विशिष्ट संघटक योजना पर 16 प्रतिशत व्यय होगा ।

4. ऐसा अनुमान है कि राज्य योजना कार्यक्रमों के फलस्वरूप लगभग 31 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर का सृजन होगा ।

प्रस्तावित योजना में प्रावधान निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपये)

वृहत शीर्षक	आठवीं-योजना 1990-95 प्रस्तावित प्रावधान
1. कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम	850.05
2. ग्रामीण विकास	414.27
3. विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम	58.54
4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1449.72
5. विद्युत	2244.63
6. उद्योग एवं खनिज	370.19
7. यातायात	478.24
8. सांइटिफिक सर्विसेज एवं अनुसंधान	17.00
9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	1728.31
10. आर्थिक सेवाएं	254.85
11. सामान्य सेवाएं	36.67
योग :—	7902.47

(आयोजना मंत्री)

आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के लिए उपाध्यक्ष योजना आयोग एवं मुख्य मंत्री महोदय के बीच वार्ता होना अभी अपेक्षित है।

बांसवाड़ा जिले में सी. डी. पी. ओ. के रिक्त पद

291. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में कितने सी. डी. पी. ओ. के स्थान रिक्त हैं तथा वे अब तक क्यों नहीं भरे जा रहे हैं ?

(2) बांसवाड़ा जिले में महिला बाल विकास में गत 15 वर्षों से कार्यरत महिला पर्यवेक्षकों को नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में वर्तमान में बाल विकास परियोजना अधिकारी, गढ़ी, घाटोल, कुम्भलगढ़ एवं तलवाड़ा के पद रिक्त हैं। ये पद निवेदन करने पर भी कार्मिक विभाग द्वारा आर. ए. एस. अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी उपलब्ध नहीं करवाने के कारण रिक्त हैं। अब रिक्त पदों को शीघ्र भरने की व्यवस्था की जा रही है।

(2) महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षकों के पद अस्थायी हैं। अतः इन पदों पर नियुक्ति महिला पर्यवेक्षकों को नियमित रूप से स्थायी किया जाना संभव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में बाल पोषाहार केन्द्र

292. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम (जिला सवाई माधोपुर) में कितने एवं कहां-कहां बाल पोषाहार केन्द्र संचालित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में कुल कितनी राशि इनको दी गई एवं किस मद में किस किस पर खर्च हुई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाल पोषाहार केन्द्र नाम से कोई योजना राजस्थान में कहीं भी संचालित नहीं है। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना, टोडाभीम में 88 तथा बाल विकास परियोजना नादौती में 83 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। इसके अतिरिक्त टोडाभीम परियोजना के 32 केन्द्र महुआ विधान सभा क्षेत्र के हैं।

(2) पूरी परियोजना के संचालन के लिये राशि दी जाती है। बाल विकास परियोजना, टोडाभीम एवं नादौती में गत पांच वर्षों के व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डालमिया डेयरी, भरतपुर

293. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन को क्या राष्ट्रीय डेयरी डवलपमेन्ट कारपोरेशन ने भरतपुर स्थित डालमिया डेयरी के सम्बन्ध में कोई निर्देश प्रदान किये हैं ?

(2) यदि हां, तो कब ? राजस्थान सरकार ने उन पर अब तक क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के कच्चे मार्गों पर बस सेवा

294. **श्री गुलाबसिंह** (सुमेरपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के कच्चे मार्गों पर कितनी बसें चल रही हैं ? चल रही बसों की संख्या मय मार्ग एवं समय तथा बस आपरेटर्स के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के कच्चे मार्गों पर 57 बसें चल रही हैं। चल रही बसों की संख्या, मार्ग का नाम एवं ऑपरेटर्स के नाम की सूची एवं मार्गों की समय सारणी की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य में सड़क सुरक्षा निधि कोष

295. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय स्थायी सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिये निर्णय की पालना के तहत दुर्घटना राहत के लिये राज्य में सड़क सुरक्षा निधि कोष की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो इस वर्ष में अभी तक कितनी राशि एकत्र हुई व कितनी राशि सहायतार्थ दी गई ?

उत्तर

जी नहीं।

जयपुर शहर के उत्तरी हिस्से में यातायात व्यवस्था

296. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जयपुर शहर के उत्तर हिस्से में बढ़ती हुई आवासीय बस्तियों को देखते हुए :---

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

1. मुरलीपुरा, विश्वकर्मा से वाया-शास्त्रीनगर-धूलकोट मोहन नगर होकर जलमहल चौराहे तक,

2. शास्त्री नगर से वाया-धूलकोट, मोहन नगर ब्रह्मपुरी-कागदीवाड़ा, परसुरामपुरी होकर आमेर तक,

3. रेल्वे स्टेशन से वाया-धूलकोट, मोहन नगर (माउंट रोड) शंकर नगर, कागदी वाड़ा होकर जलमहल चौराहे/पुरानी चुंगी नाके तक, तथा

4. अजमेरी गेट से वाया-छोटी चौपड़, ब्रह्मपुरी माउंड रोड होकर आमेर तक सिटी बस (या मिनी बस) चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार रूट नं. 9 (जवाहर नगर से आमेर) की बसों को भी यातायात व्यवस्था, दूरी व समय की बचत की दृष्टि से चांदी की टकसाल से जोरावर सिंह गेट के स्थान पर चांदी की टकसाल से सीधे कंवर नगर, पोण्डरिक उद्यान के पास से ब्रह्मपुरी होकर आमेर जाने की अनुमति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) क्रम संख्या 1 व 2 में प्रस्तावित मार्गों की सड़कों की स्थिति खराब होने के कारण प्रस्तावित मार्ग निजी बस मालिकों के लिये आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं हैं।

रेल्वे स्टेशन से आमेर वाया खासाकोठी चांदपोल, सरोज सिनेमा धूलकोट, मोहन नगर, गेटोर, कागदीवाड़ा होकर आमेर तक मिनी बस हेतु मार्ग दिनांक 11-5-89 को खोला गया है। किन्तु इस मार्ग पर अनुज्ञा-पत्र स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुए। निजी वाहन स्वामी यदि आवेदन करेंगे तो अनुज्ञापत्र नियमानुसार दिये जा सकते हैं। वर्तमान में मार्ग सं. 9 (ब्रह्मपुरी से जवाहर नगर वृद्धिकृत आमेर (पर निजी मिनी बसें ब्रहमपुरी, गेटोर पावर हाउस, कागदीवाड़ा, रामगढ़ मोड़, जलमहल; बापू सेवा कालोनी होकर आमेर तक संचालित हैं। इसके अतिरिक्त निगम की सेवायें बड़ी चौपड़ से आमेर वाया जोरावरसिंह गेट जलमहल होकर संचालित हैं। अजमेरी गेट व छोटी चौपड़ को इस मार्ग में जोड़ने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) मार्ग सं. 9 ब्रह्मपुरी से जवाहर नगर वृद्धिकृत आमेर मार्ग के चांदी की टकसाल से जोरावरसिंह गेट के स्थान पर चांदी की टकसाल से सीधे कंवर नगर पौंडरिक उद्यान के पास से ब्रह्मपुरी होकर आमेर तक परिवर्तित करने के संबंध में मार्ग का सर्वेक्षण करवाया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट क्षेत्रीय प्राधिकार के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत की जावेगी। आगे की कार्यवाही निर्णय के उपरान्त ही सम्भव होगी।

जयपुर शहर के उत्तरी हिस्से में बस स्टैण्ड

297. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(1) क्या सरकार जनता, मार्केट, (चांदी की टकसाल) जयपुर स्थित लघु बस स्टैण्ड को घनी आबादी एवं अपर्याप्त स्थान को देखते हुए भी यहां रखना उचित मानती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त बस स्टैण्ड को जल महल के दक्षिण पूर्व में बाई-पास (पुरानी चुंगी के सामने) पर खाली पड़े स्थान पर या घाटी एवं जयसिंह पुरा-खोर के मध्य कहीं भी स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जनता मार्केट (चांदी की टकसाल) जयपुर स्थित लघु बस स्टेण्ड घनी आबादी व पर्याप्त स्थान को देखते हुये सुविधाजनक नहीं है, परन्तु इस स्टेण्ड से मुख्यतः शहर की चारदीवारी के भीतर के बाजारों आदि एवं अचरोल, भानपुरा, शाहपुरा, जमवारामगढ़, आंधी साईड की बसें संचालित की जा रही हैं और इस हेतु यह उपयुक्त स्थान है।

(2) जी नहीं। बस स्टेण्ड स्थानान्तरण जनहित में नहीं होगा। अचरोल, भानपुरा, शाहपुरा, जमवारामगढ़, आंधी साईड की बसों हेतु यात्रियों को ओटो रिक्शा, रिक्शा, तांगे आदि से 5–6 कि.मी. जाना होगा जिससे पैसा व समय कहीं अधिक व्यय होगा।

सिवाना में शराब की दुकानों के लाइसेन्स

298. श्री हुक्माराम (सिवाना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा सिवाना क्षेत्र में देशी व इंग्लिश शराब की कितनी दुकानों का लाइसेन्स जारी किया गया है तथा कहां-कहां इसकी शाखाएं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सिवाना क्षेत्र में कितनी पोस्त (डोडा) की दुकानें हैं ? क्या इन दुकानों के लाइसेन्स जारी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन दुकानों के खुलने का समय क्या है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में देशी एवं विदेशी मदिरा की लाइसेंसशुदा निम्न दुकानें हैं :—

देशी मदिरा दुकानें (मुख्य दुकानें)

1. सिवाना 2. समदड़ी
3. मोकलसर 4. पादरू

उप दुकानें (शाखाएं)

1. सिवाना बी 2. समदडी
3. समदड़ी गांव 4. सांवरडा
5. मोकलसर स्टेशन 6. काठाडी
7. खण्डप 8. रानी
9. रामणिया 10. मजल

विदेशी मदिरा (मुख्य दुकानें)

1. सिवाना 2. समदड़ी

(आबकारी मंत्री)

उप दुकानें—कोई नहीं

(2) सिवाना क्षेत्र में डोडा पोस्त की सिवाना एवं समदडी दो दुकानें हैं जिनके नाम लाइसेन्स जारी है।

(3) देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें खुलने का समय प्रात: 10 बजे से 11 बजे रात्रि तक का है। डोडा पोस्त की दुकानों के खुलने का समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का है।

धार्मिक स्थानों के पास शराब की दुकानें

299. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में शराब की कई दुकानें, मन्दिर, मस्जिद, मोटर स्टैण्ड के समीप हैं ?

(2) क्या सरकार द्वारा इसका सर्वे करवाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों के समीप से दुकानें हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। यथासंभव उसमें कुछ दुकानें अनुपयुक्त स्थानों से हटाई गई हैं। दिनांक 1.4.91 से प्रारम्भ होने वाली अनुज्ञापत्र अवधि में दुकानें नियमों एवं अनुज्ञापत्र शर्तों के अनुरूप ही स्वीकृत करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सतलज व्यास नदी से बर्फ पिघलने के फलस्वरूप राज्य में आने वाला पानी पंजाब सरकार की मिली भगत से पंजाब के किसानों द्वारा अदालती आदेश के तहत अपने राज्य के क्षेत्र में बहने से रोक कर पड़ौसी देश की ओर मोड़ देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री बी. डी. कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हो गयी है। मैं इनको स्वीकार करने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी :—

(1) श्री लक्ष्मीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से आसीन्द तहसील जिला भीलवाड़ा में अभी हाल भू-बन्दोबस्त में

(श्री अध्यक्ष)

की गयी गंभीर अनियमितताओं तथा अनुचित एवं अनियमित रूप से लगान वसूली से कृषकों में भारी आक्रोश के संबंध में राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा के 204 गांवों में राज्य सरकार द्वारा भू-प्रबंध कार्य अधिसूचना दिनांक 25.9.80 द्वारा शुरू करवाया गया था। उक्त कार्य सम्पन्न होने पर विधिवत् सूचना दिनांक 9.5.90 द्वारा जारी की जाकर कार्य बन्द किये जाने की घोषणा की गई। इस अवधि के दौरान कृषकों की ओर से लगान संबंधी 786 एवं अन्य रिकार्ड संबंधी 1360 कुल 2146 उज्रदारियां हुई, जिन सब का निस्तारण किया गया है।

(2) श्री जनार्दन सिंह गहलोत की ओर से करौली नगर पालिका क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल से कस्बे में व्याप्त भयंकर गन्दगी से आम जनता के स्वास्थ्य पर हो रहे दुष्प्रभाव के संबंध में राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि नगर पालिका करौली में 70 सफाई हरिजन कर्मचारियों में से 68 कर्मचारी 15.11.90 से हड़ताल पर हैं। एक ट्रेक्टर चालक व एक जमादार हड़ताल पर नहीं हैं। इसके पहले भी वर्ष 1990 में कर्मचारी तीन बार हड़ताल पर रहे हैं। स्थानीय आम जनता व दैनिक वेतन पर रखे कर्मचारियों से सफाई करवा कर मलबा शहर से बाहर डलवाया जाता है इससे क्रुद होकर हड़ताली कर्मचारियों ने पालिका अध्यक्ष व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर 24.2.90 को कातिलाना हमला किया। हड़ताली कर्मचारियों की प्रमुख मांग बकाया वेतन, वर्दी, जी.पी.एफ., ब्याज एवं हड़ताल अवधि का वेतन एक मुश्त देने की है। जिससे पालिका पर 5 लाख का भार पड़ता है पालिका की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है फिर भी एक फार्मूले के अन्तर्गत कुल लाभ देने का आफर किया है। सफाई कर्मचारियों से पुनः वार्ता कर हड़ताल को समाप्त करवाने के प्रयास के लिए निर्देश दिये गये हैं।

(3) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कोटपूतली डिपो की बन्द की गयी 25 बसों को पुनः चलाये जाने के संबंध में उत्तर में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ग्रीष्मकालीन समय सारिणी 1989 (अप्रेल, 1989 से अक्टूबर, 1989) के अनुसार कोटपूतली आगार को विभिन्न मार्गों पर संचालन हेतु 89 अनुसूचित सेवाएं, 412 परिचक्र तथा 21928 कि. मी. दैनिक निर्धारित किये गये थे। इस अवधि में इस आगार द्वारा संचालित सभी वाहनों का औसत यात्री भार 66 प्र. श. एवं आय प्रति कि. मी. 453 रही जो संचालन लागत से भी कम थी। इस प्रकार निरन्तर संचालन अनार्थिक रहने के कारण मार्गवार संचालन का पुनः निर्धारण किया गया। 1989 की तुलना में वर्तमान में इस आगार द्वारा 21 अनुसूचित सेवाएं एवं 4263 कि. मी. प्रतिदिन कम संचालित किये जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कटौती की गयी सेवाओं को पुनः प्रारम्भ किये जाने से संचालन और अनार्थिक होने की संभावना है।

(58)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री गोपालसिंह (32), सदस्य, विधान सभा की ओर से जवाई बांध के पानी से जालौर जिले के आहोर क्षेत्र की भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

2. श्री रामकिशोर सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा क्षेत्र के ग्राम बापी में अप्रोच सड़क के निर्माण हेतु निर्धन किसानों की भूमि अवाप्त किये जाने से किसानों में रोष उत्पन्न होने के संबंध में।

3. श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले में जहरीले पानी को पीने से फैल रही असाध्य बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों की मिलीभगत व भ्रष्टाचार से लाखों रुपये की हानि होने के संबंध में।

5. श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री श्यामलाल, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी को सात वर्ष से वेतन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री बी. डी. कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को विभाजित कर उदयपुर में दक्षिणी परिसर नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री ईश्वरलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से औषध एवं चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 का कड़ाई से पालन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से केशोरायपाटन तहसील मुख्यालय पर बस स्टैण्ड नहीं होने से जनता को भारी असुविधा एवं अव्यवस्था होने के संबंध में।

9. श्री फूलचन्द गुर्जर (86), सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले की ग्रामदानी ग्राम सभाओं को पंचायत राज में शामिल किये जाने की कार्यवाही में विलम्ब व उक्त ग्रामों में विकास व अन्य सुविधाएं न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास, सदस्या, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (छात्रा) बम्बा को जोधपुर नगर सुधार न्यास द्वारा आवंटित भूमि को उक्त स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा प्राइवेट संस्था को बेचान कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्या, विधान सभा की ओर से चूरू जिले के नेशल तथा सांखू फोर्ट के अनुसूचित जाति व गरीब काश्तकारों की भूमि जागीरदार सांखू फोर्ट व रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा हथियाने की षड्यंत्रपूर्ण कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से अरावली तराइयों में बसे आदिवासियों पर विवाह में तलवार-

(श्री अमृत लाल परमार)

कटार रखने पर लगी पाबन्दी को हटाये जाने के संबंध में।

13. श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्या, विधान सभा की ओर से सिरोही जिले में फेलोस्पार नामक खनिज का अवैध खनन एवं चोरी छिपे वेचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

14. श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना क्षेत्र की श्रीमती चन्द्रप्रभा पुत्री हरीसिंह सोनी को उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज न लाने पर प्रताड़ित करने के संबंध में।

15. श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधान सभा की ओर से सोजत क्षेत्र के ग्राम धूंधला में दिनांक 18.3.91 की रात्रि को सूरजमल पुत्र भैरूंलाल के आवासीय मकान एवं दुकान में मुलजिमों द्वारा मार-पीट व लूटपाट कर आतंक फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री लक्ष्मीलाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : आप एक एक कर बोलिये। पहले महिला को मौका देते हैं। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, महिलाएं दया की पात्र नहीं हैं कि आप दया के दृष्टिकोण से कहें कि महिलाओं को बोलने दें। हम कोई दया की पात्र नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : दया नहीं, लेडीज फर्स्ट सिद्धान्त की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दया की पात्र नहीं, स्नेह की पात्र हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 24.3.91 को श्रीमती मंजुला देवी की चांदपोल बाजार, जयपुर में हुई निर्मम हत्या के बारे में माननीय गृह मंत्री जी एवं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री कन्हैयालाल खण्डेलवाल की 23 वर्षीया पुत्री मंजुला की शादी 15.5.89 को चांदपोल, जयपुर निवासी श्री मनोजकुमार पुत्र श्री मोहनलाल के साथ हुई थी।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहती हैं ?

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, जो निर्मम हत्याकाण्ड हुआ उसकी जानकारी देना चाहती हूं। थोड़ी सी जानकारी है, लम्बी बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप गृह मंत्री जी को जानकारी दे दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : नियम के विपरीत इन्होंने, परिवार वाले जयपुर में रहते थे, उनको सूचना नहीं दी। उसको अस्पताल ले गये, पोस्ट मार्टम करवा लिया और संस्कार कर दिया और टाइम पर,

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)

सूचना नहीं मिली और यह दहेज का ही काण्ड है। उनके फादर ने जो खुद भी अपंग हैं....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख को मंजु को जहर देकर मार डाला और उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया यह शुद्ध हत्याकाण्ड का मामला है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने किस नियम के तहत आज्ञा दी है ? (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी 295 का प्रस्ताव था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। आप बिराजिये, बैठिये प्लीज। एक बोल रहीं हैं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, सारी जानकारी एस. एच. ओ. को उसके पिता और भाई देने गये तो एस. एच. ओ. कहता है कि.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इनको किस नियम के तहत आज्ञा दे रहे हैं ? हमको तो कह दिया, बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इन्हीं को बैठाने की कोशिश कर रहा हूं। आप बिराजिये। हो गई बात। हां, माननीय गृह मंत्री जी। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को रोज–रोज मारा जा रहा है और.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : महिलाएं ही आपत्ति कर रही हैं। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : परिवार वाले जयपुर में रहते थे। उनको सूचना नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज बैठिये। गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा पाइंट आफ आर्डर है, सर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज There is no point of order as such. I reject it. No point of order can be raised. (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : हमारा पाइंट आफ आर्डर सुनना भी नहीं चाहते ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बैठिये। प्लीज, अब आप बैठिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को रोज मारा जा रहा है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह शहर की कोतवाली का मामला है। शहर के बीचों बीच का मामला है। जाट के कुएं के रास्ते में उनको जहर देकर मारा गया।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये ना। (व्यवधान)

इनका पहले हो जाय।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी सम्बन्ध में पाइंट आफ आर्डर है।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : माननीय सदस्या ने जो जानकारी दी है, वह चिन्ता का विषय है। मैं इसकी पूरी जानकारी कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब बोलिये, आपका क्या पाइंट आफ आर्डर है। अब बैठिये, हो गया आपका। (व्यवधान)

प्लीज, प्लीज।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका गुस्सा ज्यादा इस तरफ है।

श्री अध्यक्ष : यह पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नहीं, मैं पाइंट आफ आर्डर तो अब रखूंगा। हां, मुझे पता है।

श्री अध्यक्ष : आपको तो सब पता है मगर आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है, यही मुझे पता नहीं है। यह बताइये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि करीब 15 दिन पहले राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में भ्रष्टाचार, घोटाला के बारे में मैंने एक प्रस्ताव दिया था जिसमें वरिष्ठ अधिकारी लिप्त हैं और 15 रोज से सरकार का जवाब नहीं आ रहा है। मैं यह कहता हूं, सरकार भी इसमें शामिल है और उसके बारे में मैंने कई बार निवेदन किया, आपने भी मुझे आश्वासन दिया। सदन में भी कहा, चैम्बर में भी कहा लेकिन आज तक वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में नहीं रखा गया है। सरकार की ओर से कोई उसका जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए उसका आज ही जवाब दिलवाइये और उसकी चर्चा कराइये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। अब आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने 13 तारीख को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था, उसके बारे में क्या व्यवस्था है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार को जवाब के लिए कहूंगा, यही व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सरकार पिछले 15 रोज से जवाब नहीं दे रही है। राजस्थान रोडवेज में करोड़ों का घोटाला हुआ है और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इसका जवाब नहीं देते हैं तो इसमें इनका भी हाथ हैं। मैं स्पष्ट चार्ज लगाना चाहता हूं उनके ऊपर। यह कौनसा तरीका हुआ ? (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : ये मंत्री खुद शामिल हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हेतराम जी कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : हम जिस हाउस में बैठे हैं, क्या राज्य सरकार....(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव : यह दल बदल की याचिका का निर्णय कब हो रहे है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले हेतराम जी कुछ बोल रहे हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जो हमने स्थगन प्रस्ताव उठाये हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार ऐसे मामलों में जिससे एक गम्भीर स्थिति पैदा होकर पूरा इलाका उपेक्षित रहा है, मैं आपसे अर्ज करूं आज मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसकी राज्य सरकार को सूचना है या नहीं मुझे पता नहीं। माधोपुर व्यास जो लिंक है, उसके पास हमारा जो बर्फ से पिघलकर पानी आता है, वहां के कुछ काश्तकारों ने स्टे-आर्डर ले लिया और पिछले 7 दिनों से लगातार 2000 क्यूसेक प्रतिदिन पानी ले रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, जिससे गंगा कैनाल सिस्टम पूरा चल सकता है, इतना पानी डाइवर्ट करके पाकिस्तान की तरफ जा रहा है । वह अगर रिवर में आएगा तो वह पूरा पानी हमको मिलेगा और अगर पाकिस्तान में चला जायेगा तो हमारा पूरा इलाका बरबाद होगा । मुझे इत्तला मिली है उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि डेढ़ करोड़ रुपया राज्य सरकार दें तो हम इस पानी को यहां आने देंगे । मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि यह जो सारी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उनको हाउस से छिपाकर, राज्य की सारी जनता से छिपा कर रखना उचित नहीं है, राज्य सरकार को चाहिये कि वह इस मामले को हाउस में रखे और सारे हाउस की राय लेकर केन्द्र सरकार पर इसके लिए दबाव डाले ।

श्री अध्यक्ष : श्री महीपाल यादव ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : हो गई आपकी बात । ये सब बोलने वाले हैं । महिपाल सिंह जी ।

श्री महीपाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय आपने यह विश्वास दिलाया कि सदन में जो हमारी विधान सभा में दल बदल हुआ है, इसके बारे में आप जल्दी निर्णय देंगे । अब एक दिन और रहा है, 27 तक विधान सभा चलेगी तो क्या यह.... (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सारे मैम्बर्स को हमारे साथ वापस कर दो साहब । (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : इनके नाथूराम जी मिर्धा गये, हरजी राम जी बुरडक गये....

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये खुद भी जाने वाले हैं । (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आजकल में इसका निर्णय होगा ? आपने विश्वास दिलाया था आप पर बहुत विश्वास और गर्व है हमें, आप दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है । देखिये, यह कोई सदन में पूछने का प्रश्न नहीं है और यदि आप सदन में पूछेंगे, तो आप कानून उठाकर देखिये कि किसी भी गम्भीर मुक-

(श्री अध्यक्ष)

दमे का फैसला कोर्ट्स में लिखने के लिए अन्तिम सुनवाई के बाद कम से कम 14 दिन का समय दिया जाता है हर जज को। यदि मामला गम्भीर है तो he can take as much as 14 days as right. ज्यादा लगता है तो उसकी मर्जी की बात है। अब आप अन्दाज लगा लीजिये 14 दिन तक मुझे कायदे से अदालत के नियमों से मिलते हैं। अन्तिम सुनवाई 20 तारीख को हुई है, 14 दिन का हिसाब लगा लीजिये। (व्यवधान) सदन में पूछा है इसलिए मैं कह रहा हू। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में कहा था इस सत्र के अन्त तक इसका निर्णय करेंगे और अकेले में कहा वह हम नहीं कह रहे हैं। अकेले तो इससे पहले की बात थी लेकिन सदन में कहा है कि सत्र के अन्त तक फैसला करेंगे, चैम्बर में हमने धरना दिया था, तब और बात हुई थी लेकिन सदन में कहा गया है कि सत्र के अन्त तक करेंगे।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक साथ निर्णय ले लें तो अच्छा रहेगा, अभी तो और भी जा रहे हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। मैंने 119 में एक नोटिस दिया था। आपने यह कहा था कि 26 तारीख तक इसका निर्णय देंगे।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आज आप मुझसे मिलिये।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, आज की ही बात है।

श्री अध्यक्ष : आप कल आये नहीं थे। मैंने आपको कल के लिए रिजर्व रखा है, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक 119 का नोटिस दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सारा मुझे याद थोड़े ही है। किसका जवाब आ गया है और किसका नहीं आया है। हां, आप बोलिये। आप क्या कह रहे हैं? (व्यवधान) श्री लक्ष्मी लाल। श्री लक्ष्मी लाल जी बोल रहे हैं। पहले इनको सुन लीजिये।

श्री लक्ष्मी लाल (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले की आसीन्द तहसील में अभी हाल ही में जो सैटलमेंट हुआ है, उसके सम्बन्ध में जो गम्भीर अनियमितताएं हुई हैं वह आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय के पास पहुंचाना चाहता हू। आसींद तहसील में अभी हाल में सैटलमेंट हुआ था और उस सैटलमेंट में रिकार्ड राइटिंग और लगान वृद्धि में भारी अनियमितताएं हुई हैं और उन अनियमितताओं के बारे में तत्कालीन क्षेत्रीय सांसद और तत्कालीन विधायक और वहां के किसानों 5000 लोगों की जनसभा करके सारी बातें प्रशासन के पास पहुंचाई। इसके बाद में पंचायत समितियों के द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजा गया कि इस तहसील में जो अभी भू-

(श्री लक्ष्मीलाल)

बंदोबस्त हुआ है, उसके अन्दर भारी अनियमितताएं की गई हैं और इसके साथ-साथ जिला परिषद से भी निर्णय लेकर राज्य सरकार को भिजवाया और पंचायत समिति की 43 पंचायतों ने इसमें आपत्ति और उज्रदारियां कीं लेकिन उन उज्रदारियों को न तो सुना गया और न ठीक प्रकार से निपटाया गया और इसमें भारी अनियमितताएं कर सरकार ने इस संबंध में यहां जो सूचना दी गई है, वह सरासर गलत दी है।

(12.20 म. प)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : जिन-जिन के प्रिवान्सेज हैं उनको आप सुन लीजिये मेहरबानी करके।

श्री उपाध्यक्ष : उनको कन्टीन्यू करने दीजिये उसके बाद सुन लेंगे। एक बार उनको पुकार दिया गया है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीलाल : मेरा स्थगन प्रस्ताव है, मैं उस पर बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : इनको टाइम दिया था दो मिनट का।

श्री उपाध्यक्ष : पहले इनको ओवर करने दीजिये उसके बाद में आपका ले लेते हैं। पहले इनको कम्पलीट करने दीजिये।

श्री लक्ष्मीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना आसीन्द तहसील के सैटलमेण्ट के बारे में मुझे दी गयी है उसमें सरकार ने गलत सूचना दी है। आसीन्द तहसील की भूमि बन्दोबस्त में जो लगान दरें थीं और 406 भूमि वर्ग थे उसको सरकार ने वर्गीकृत करके 22 समूह बनाये गये हैं लगान दर की जो मुझे सूचना दी गयी है उसमें 23 समूह बनाये गये हैं यह सरकार ने सूचना दी है वह गलत है। साथ ही उसमें सरकार ने अपने उत्तर में यह माना है कि आसींद तहसील का गत भू-प्रबन्ध में 4 लाख 38 हजार 596 रुपये 69 पैसे लगान था उसको बढ़ाकर 9 लाख 84 हजार 220 रुपया 51 पैसे किये हैं और सरकार ने इसके साथ ही मुझे यह सूचना दी है कि यह लगान 25 प्रतिशत बढ़ाया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केकूलेशन तो इस सदन में किया जा सकता है कि जो लगान 4 लाख 38 हजार के लगभग था वह बढ़ कर 9 लाख 84 हजार हो गया तो क्या यह लगान 25 प्रतिशत बढ़ा है या यह 126 प्रतिशत बढ़ा है। सदन के अन्दर सूचना मुझे दी गयी है कि यह 25 प्रतिशत लगान बढ़ाया है यह सरासर गलत है। लगान 126 प्रतिशत बढ़ाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मुझे सूचना दी गयी है कि अभी वर्गीकृत लगान दरें बढ़ायी गई हैं उसके 22 वर्ग बनाये हैं जबकि इसके अन्दर मुझे सूचना दी है कि 23 वर्ग बनाये गये हैं।

साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लगान दरों के कारण लगान वृद्धि में 82 प्रतिशत बढ़ाया गया है और उन्नत काश्त के कारण लगान वृद्धि 84 प्रतिशत की गयी है। यह सम्पूर्ण लगान वृद्धि 126 प्रतिशत हुई है जो इस एक्ट में दिये गये प्रावधान के बिल्कुल विपरीत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू

(श्री लक्ष्मीलाल)

एक्ट की धारा 161 के अन्दर सरकार को अधिकतम इन्क्रीज जो इस लगान वृद्धि में कर सकती है वह 25 प्रतिशत अधिक से अधिक है लेकिन यहां पर जो लगान वृद्धि की गयी है वह 126 प्रतिशत की गयी है जो इस तहसील के काश्तकारों के लिए एक भारी घोर अन्याय है। मैं इस सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हाल में सरकार ने इसी सदन में घोषणा की हैं कि हम बारानी लगान माफ करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि जो लगान अभी माफ किया है बारानी का, उसमें क्या आसीन्द तहसील के लोगों पर 126 प्रतिशत लगाया है, उसके साथ अन्याय करके आप दूसरों से इस तरह से लगान वृद्धि की वाहवाही लूट रहे हैं। इस तहसील के अन्दर इस बात को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो इसके अन्दर जो उज्रदारियां पेश हुई हैं; लगभग ढाई हजार उज्रदारियां पेश हुई हैं। मुझे यह सूचना दी गयी है कि 900 उज्रदारियां पेश हुई जिसका निराकरण कर दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा सूचना दी गयी थी उसमें उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया कि ढाई हजार से अधिक उज्रदारियां प्राप्त हुई थीं और मुझे 900 उज्रदारियों के बारे में बताया गया है। इस प्रकार सरकार ने इस सम्बन्ध में जो उत्तर दिया है वह उत्तर भ्रामक और गलत है और इस तहसील के काश्तकारों के साथ घोर अन्याय हुआ है। इस तहसील के काश्तकार इस लगान वृद्धि, इस अनियमितता के बारे में आन्दोलन का रूख अपनाये हुए हैं, उनके अन्दर भारी आक्रोश है। अभी जो रिकार्ड राइटिंग किया गया है उसमें पहले बीघा और बिस्वा था अब उन्होंने नये तौर पर हैक्टेयर दर्ज किया है। हैक्टेयर साधारण काश्तकार नहीं समझता है कि एक बीघे के कितने हैक्टेयर या 5 बिस्वा के कितने हैक्टेयर होते हैं। इस तरह से उनके पास जो पर्चियां मिली हैं, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकार को इस हैक्टेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो रकबा है जिसके कारण से हजारों काश्तकारों को परेशानी होती है, प्रशासन के लिए, उन काश्तकारों के लिए घोर परेशानी का कारण बन गया है। इस तरह से इस तहसील के अन्दर जो लगान वृद्धि हुई है इस तरह से रिकार्ड राईटिंग में जो अनियमितता हुई है उसके बारे में सरकार को वहां के कलक्टर ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पत्र लिखा था और उस कलेक्टर ने शासन सचिव को भी पत्र लिखा था कि इस तहसील में जो भू-बन्दोबस्त हुई है उसमें भारी अनियमितता हुई है और लगान वृद्धि अन्यायपूर्ण बताया है और भू-प्रबन्ध आयुक्त ने भी शासन सचिव को पत्र लिखा है, पंचायत समिति ने, जिला परिषद ने, कलक्टर ने, वहां के काश्तकारों ने और आठ हजार के लगभग लोगों ने वहां पर सम्मेलन करके सरकार को सारी बात बता दी है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रोटेक्शन चाहता हूं कि इस तरह से जब सारे लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, सैटलमेण्ट कमिश्नर कर रहा है, कलक्टर कर रहा है, जिला

66

(श्री लक्ष्मीलाल)

परिषद, पंचायत समिति और पंचायतें कर रही हैं और वहां की जनता सारी इस बात के लिए उग्र और आक्रोश रूप धारण किये हुए हैं तो मैं आपके माध्यम से यह संरक्षण चाहता हूं, माननीय राजस्व मंत्रीजी इस बात का आश्वासन दें कि वह सैक्शन 107 के अन्तर्गत जो सैटलमेण्ट हुआ है, नये सिरे से वापस इसकी कार्यवाही करवा कर जो अन्यायपूर्ण लगान वृद्धि हुई है उस लगान वृद्धि को न्यायसंगत, तर्कसंगत बनायें।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक पाइंट आफ इन्फार्मेशन देना चाहता हूं कि बाहर भारी तादाद में जनता दल के लोग जे.डी.ए. में विकास शुल्क लिया जा रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन पर आये हुए हैं। खुद मुख्य मंत्रीजी ने, स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने सदन के बाहर यह घोषणा की थी कि विकास शुल्क घटा कर 25 रुपया कर दिया जायेगा। आज तक वह हुआ नहीं, धांधली हो रही है। जो विकास मंत्री केन्द्र में श्री दौलत राम सारण जनता दल में थे वह स्वयं धरने पर बैठे थे और आज यह बड़ी विकट समस्या है, जिसके सम्बन्ध में, कल सदन का सत्र समाप्त होने जा रहा है, यहां पर भी कई माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया था लेकिन सरकार ने आज तक कोई निर्णय करके इस सम्बन्ध में घोषणा नहीं की है। इसलिए मैं चाहता हूं, मंत्रीजी उन्हें सुनें, उनकी बात सुनें और इस सम्बन्ध में आश्वस्त करके विकास शुल्क 25 रुपया करने की घोषणा करें।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक....(व्यवधान)

गृह मंत्रीजी ने कल आश्वासन दिया था कि एक घंटे बाद में वक्तव्य देंगे। अभी तक माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि इस बारे में माननीय अध्यक्षजी के चैम्बर में मिल कर व्यवस्था ले लीजिये।.... (व्यवधान)

आपको जानकारी मिल जायेगी। (व्यवधान)

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 86 जी.बी. में जो पांच आदमी मिलिटेंट के द्वारा मारे गये उस पर कल गृह मंत्रीजी को स्टेटमेण्ट देना था और आसन का आदेश था। कल चूंकि गुलोटिन हो गया, होम की मांग थी कुछ और मसले थे, सेंसर मोशन था इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। आज माननीय गृह मंत्रीजी इस बारे में स्टेटमेण्ट दें।

दूसरा, मान्यवर, एम.बी. लिंक है जिसे माधवपुर व्यास लिंक कहते हैं जिससे आई.जी.एन.पी. की नहर में पानी आता है, पंजाब के लोग यूनिलेटरल एक्शन करते आ रहे हैं। पोंग डैम में, भाखरा में 10 फीट वाटर लेवल नीचा कर दिया और अब उन्होंने युनिलेटरल एक्शन करके स्टे ले लिया और पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक मसला ऐसा है, मान्यवर, जब से चेयरमैन भाखरा व्यास मैनेजमेण्ट बोर्ड का मारा गया है मि. कुमार मिलिटेंट द्वारा, तब से पंजाब के अन्दर जो चाहे करते हैं। हमेशा आर्बीटरेरी युनिलेटरल एक्शन करते आ रहे हैं पानी के बारे में,

(श्री केदारनाथ शर्मा)

डैम के बारे में, वाटर लेवल के बारे में। इसलिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं यहां पर, इस बारे में स्टेटमेण्ट आ जाय क्योंकि माननीय सिंचाई मंत्रीजी उस दिन इन्टर स्टेट के बारे में कुछ बोल नहीं पाये क्योंकि समय नहीं था। यह बहुत बड़ा अहम् मसला है, इस बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी आप स्टेटमेण्ट दें।

यह बहुत बड़ा मसला है, राजस्थान के इण्ट्रेस्ट का मसला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ जानकारी है, माननीय सदस्य ने भी जानकारी दी है उसके आधार पर विचार कर लेंगे और आवश्यकता होगी तो स्टेटमेण्ट दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो गया माननीय सदस्य, आप पूरा कीजिए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि किसी भी भू-बंदोबस्ती में लगान बढ़ता है तो उसका कुछ आधार होता है। मैं इस तहसील के सम्बन्ध में निवेदन कर दूं। पानी की उपलब्धता, उत्पादकता, भौगोलिक स्थिति या अन्य स्थिति है वह बदली नहीं है। यह आप रिकार्ड उठाकर देख लें। पिछले 10 साल से लगातार यह तहसील अकाल से पीड़ित है और पिछले दस साल से लगातार अकालग्रस्त घोषित हो रही है। इसके अन्दर जो सिंचाई के साधन हैं केवल एक दांतेड़ा बांध है जिसके कैचमेण्ट क्षेत्र में एक बार भी पिछले दस साल में पूरी तरह से पिलाई नहीं हुई है। इसी तरह से यह एरिया डार्क जोन में घोषित है और डार्क जोन घोषित होने के कारण उसमें पानी की उपलब्धता नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मीलाल जी। आपको दो मिनट का समय दिया था, आप 10 मिनट तो ले चुके हैं अपना पाइंट रेज कर चुके हैं, सदन में जो कहना था कह चुके हैं अब समाप्त कीजिए।

श्री लक्ष्मीलाल : मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से इस बात का जवाब चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में नये सिरे से लगान वृद्धि के बारे में पुनर्विचार करने का मुझे आश्वासन दें। (व्यवधान)

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 10 रोज पहले एक काल अटेंशन मोशन दिया था। कुचामन पंचायत समिति में विकास अधिकारी नहीं है। मैंने निवेदन किया था कि वहां विकास अधिकारी नहीं है तो किसी दूसरे को चार्ज दो। अब मार्च का एण्ड है और सारे विकास के काम ठप्प हैं। पहले विकास अधिकारी लगा हुआ था मोहनलाल शर्मा, उसकी शिकायत हुई और बार-बार सरकार उसी विकास अधिकारी जो एण्टी करप्शन द्वारा पकड़ा गया है, की तो जांच नहीं करती है और उसी विकास अधिकारी को लगाती है। दूसरा लगाया नहीं जा रहा है और आज तक किसी भी पंचायत को पेमेण्ट नहीं हुआ है। टीचर्स का पेमेण्ट, स्टाफ का पेमेण्ट नहीं हो रहा है, विकास कार्य ठप्प हैं, इसलिए ध्यानाकर्षण दिया था। विभाग का जवाब भी आ चुका है फिर भी वह नहीं लग रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह व्यवस्था करे।

68

श्री उपाध्यक्ष : श्री ईश्वरलाल सैनी ।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : गुरुवार को मैंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, अध्यक्षजी ने शुक्रवार को निर्णय दिया कि सरकार से इसकी जानकारी मंगायी जायेगी । मेरा निवेदन यह है कि 120 लड़के जो बिल्कुल गांव से आये हुए थे....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया कि कृपया माननीय अध्यक्ष महोदय से सम्पर्क करिए तो कल व्यवस्था की जा सकती है ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उनको झूठा एस.टी.सी. स्कूल बना करके एडमिशन दे दिया । इसमें खास बात यह है कि एडमिशन के लिए इण्टरव्यू में जो बैठे उसमें शिक्षा विभाग का ओ.एस.डी. भी बैठा और 120 लड़कों के इण्टरव्यू हो गये, 15 लाख का घोटाला हुआ । उसकी रिपोर्ट कर दी, एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी । लड़के बैठ गये इसको छोड़ मत देना वरना भाग जायेगा और वही हुआ कि वह उसकी पत्नी, बच्चे सारा सामान लेकर भाग गये, फरार हो गये । मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है, मैं चाहता हूं कि इस पर आज ही चार बजे जवाब दिया जाय । 120 लड़के परेशान हैं । एक एक लड़के के 15–15 हजार रुपए खर्च हुए ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष से सम्पर्क करें ।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने कहा था कि वक्तव्य देंगे. उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कहा माननीय अध्यक्ष महोदय से समय निश्चित करा दें । उसके बाद ही गृह मंत्री बोलेंगे । समय निश्चित तो माननीय अध्यक्ष ही करेंगे । समय का निर्धारण माननीय अध्यक्ष करेंगे, गृह मंत्री तो करेंगे नहीं । आप कृपया अध्यक्ष महोदय से सम्पर्क कीजिए उसके बाद ही पाइंट को उठायें । गृह मंत्रीजी समय निश्चित नहीं करते हैं ।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : गृह मंत्री जी ने कल कहा था वक्तव्य देंगे । कल काफी व्यस्त रहे थे इसलिए नहीं दे पाये लेकिन आज दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अध्यक्ष महोदय से सम्पर्क कर लीजिए । (व्यवधान)

मैं आपके बारे में जानकारी ले रहा हूं । (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, चाकसू के अन्दर 13 तारीख को डकैती काण्ड हुआ था, 19 तारीख को सरकार ने जवाब दिया था लेकिन 19 तारीख को जो जवाब दिया था वह अधूरा दिया था । उसमें एक आदमी मरा है और डाकुओं से संघर्ष करते हुए मरा है । सरकार ने इनाम देने की घोषणा की थी । 6 आदमी घायल हुए थे और 6 आदमी एस. एम. एस. में भर्ती हुए लेकिन न तो सरकार की ओर से जो घायल हुए उनको सहायता दी गयी है और न मरे हुए व्यक्ति को किसी प्रकार की राहत की घोषणा की है, इनाम देने की बात तो दूर रही । न राहत दी है, न इनाम दिया । मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी कम से कम एक लाख रुपये की सहायता की

(श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा)

घोषणा करें और जो डकैतों से संघर्ष करते हुए मारा गया उसको सरकार ने इनाम देने की भी घोषणा की थी वह भी दिया जाय।

श्री जुबेर खान : मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह चुका हूं माननीय अध्यक्ष जी से सम्पर्क कीजिए वह लगा देंगे।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आसन से व्यवस्था होती है, सरकार जब भी किसी स्थगन प्रस्ताव या 131 का जवाब आता है तो आप समय देते हैं। मेरा निवेदन है कि हमने 10–15 दिन पहले राजस्थान रोडवेज में खरीद में हुए घोटाले को लेकर दिया था नया चेसिस तो खरीदा जाता है 7 साल के लिए और बाडी बनायी जाती है 35 साल के लिए, आपने भी सुना होगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अध्यक्ष महोदय से मिलकर इसके बारे में व्यवस्था ले लें।

श्री जुबेर खान : व्यवस्था यह है कि सरकार ने जवाब दे दिया। आप उसका फैसला क्यों नहीं करना चाहते हैं। मेरा सवाल है कि मंत्री महोदय बिराजमान हैं, जब सरकार ने जवाब दे दिया है सचिवालय को तो आप लोग उस पर क्यों नहीं चर्चा कराना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय से मिलकर व्यवस्था ले लें।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था है कि सरकार का जवाब आ जाता है तो आप मौका देते है। इस सवाल पर मौका क्यों नहीं दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो नोटिस दिया है, विधान सभा के कार्यालय को उसके बारे में राज्य सरकार की ओर से उत्तर दे दिया है तो माननीय अध्यक्ष इस बात को निश्चित करेंगे कि उस पर कब विचार होना है। इसलिए अगर माननीय सदस्य सीधा कहें कि आप चर्चा करें, यह उचित नहीं है। तो सरकार का काम तो यह है कि जो आपने मोशन दिया है उसका उत्तर विधान सभा को भिजवा दिया है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय जब भी निश्चित करेंगे, सरकार तैयार है।

श्री जुबेर खान : फिर आसन से व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है ? 10 दिन पहले जवाब आ गया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। कल्ला साहब।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अभी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने निगम में भ्रष्टाचार को लेकर मुझे पर आरोप लगा दिये कि भ्रष्टाचार में माननीय यातायात मंत्री भी शामिल हैं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नो–नो। हमने भी सुना है। सरकार के लिए कहा है।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझ

(श्री जगमाल सिंह यादव)

पर आरोप लगाये वह तथ्यहीन हैं, बिल्कुल गलत हैं। मैं किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हूं। मैंने जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय को भिजवा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : वह स्वयं ही मना कर रही हैं।

श्री जुबेर खान : फिर आसन से व्यवस्था हो।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने विधान सभा सचिवालय को उत्तर भिजवा दिया है। अब जैसी व्यवस्था अध्यक्ष महोदय करेंगे, आसन से व्यवस्था होगी, मैं तैयार हूं।

श्री जुबेर खान : जब जवाब आ गया है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिए। कल आखरी दिन है, क्यों नहीं लगाना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया माननीय अध्यक्ष महोदय से सम्पर्क कीजिए वह लगा देंगे। आप अपने पाइंट को जितना हाइलाइट करना था कर चुके हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : 10 दिन से जवाब आ गया है। आसन की तरफ से वह रोका जाता है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कोई न कोई गड़बड़ है। मैं चाहूंगा आप आज ही इस पर व्यवस्था दीजिए। जवाब आ गया है तो क्यों नहीं लगाया जा रहा है ? यदि कहूंगा तो आप कहेंगे कि इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपसे फिर विनम्र अपील करता हूं कि माननीय सदस्य को जो बात माननीय अध्यक्ष से पूछनी चाहिए और समय का निर्धारण कराना चाहिए उसको यहां रखते हैं, उन्होंने यह पाइंट रख दिया, आपके ध्यान में ला दिया फिर भी समय निश्चित करने का काम अध्यक्ष महोदय का है, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कृपया अविलम्ब अध्यक्ष महोदय के कक्ष में पधार जायं और माननीय अध्यक्ष से चर्चा करके लगवा लीजिए। किस बात का इन्तजार कर रहे हैं ? समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप अध्यक्ष महोदय से सम्पर्क करें। (व्यवधान)

श्री कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे दो स्थगन प्रस्ताव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, आप जिस बात को कहने जा रहे हैं आप बहुत पुराने सदस्य हैं, वही बात हो रही है जो दूसरे सदस्य कह रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप सुन तो लें। मेरा जवाब नहीं आया है। उनकी स्थिति दूसरी है।

एक तो पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, चारे पानी और रोजगार की व्यवस्था नहीं है। बीकानेर में गायें मर रही हैं, उसके लिये कालिंग अटेंशन मोशन दिया था। (व्यवधान)

मेरा विषय सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : विषय सुन लिया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह क्या अव्यवस्था है। आसन ने कोई अनुमति दी है क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप मेरा सब्जेक्ट ही नहीं सुन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सुन चुका हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह मेरा अधिकार है कि मैं आपको अपना विषय सुनाऊं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार है मुझे बताओ ? किस प्रक्रिया के नियम में बोल रहे हैं, बताइये ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यहां जीरो ग्रावर में आप स्वयं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष में बैठते थे, आपके कालिंग अटेंशन और एडजोर्नमेण्ट मोशन थे, उसके बारे में व्यवस्था के प्रश्न उठाकर आप स्वय बोलते थे। मैंने विद्याधर नगर में जिन लोगों ने जे. डी. ए. के माध्यम से प्लाट अलाट करवाये हैं आज तक वहां असामाजिक तत्व कब्जा कर रहे हैं इसके बारे में एक कालिंग अटेंशन दे रखा है। जयपुर में बम पकड़े गये उसके बारे में है, जयपुर के मेडिकल कालेज में बर्न यूनिट के बारे में है। इतने कालिंग अटेंशन हैं उनके बारे में कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल या तो इनके बारे में सरकार से स्टेटमेण्ट दिलाया जाय या मुझे समय दिलाया जाय ताकि मैं उन पर बोल सकूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह जी गहलोत। (अनुपस्थित)

श्री रामकरण सिंह जी

कोटपूतली आगार में अधिकारियों की मनमानी

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बहुत ही आश्चर्यजनक सूचना आई है सरकार की तरफ से, वह मैं आपके सामने रखता हूं। मैंने इस आगार के अधिकारियों के खिलाफ, जो कि केवल 100 रुपये महीना जमा कराके 24 घंटे कार लेकर के घूमते थे, उनकी जानकारी मैंने दी। इसके बाद में इन्होंने साजिश की और यह सोचा कि कोटपूतली आगार को बन्द किया जाये। इसलिये 25 बसें जो कोटपूतली से जयपुर, कोटपूतली से बहरोड़, कोटपूतली से पाटन-नीमकाथाना आने जाने वाली थीं, उनको बन्द किया। और यह साजिश इसलिये की गई है कि उनके पास जो गाड़ियां थीं, मैंने नम्बर बताये, जो ट्रैफिक महाप्रबंधक हैं, उनके पास जो गाड़ियां थीं उनकी बात मैंने बताई, चेयरमैन के पास तीन गाड़ियां आगार की थीं, उनकी बात बताई, उससे वह चिढ़ गये और चिढ़ करके यह साजिश की गई कि आगार बन्द किया जाय। आप आश्चर्य करेंगे, एक नेशनल हाईवे है, जहां बसें रात दिन चलती हैं, कौन नहीं जानता। माननीय मंत्री जी को इसके बारे में जानकारी है। कोई भी आप में से ऐसा नहीं जो देहली से जयपुर के बीच आता जाता है, जो यह नहीं जानता कि बसें ठसाठस भरी रहती हैं, जितनी जीपें हैं, उसमें सवारियां इतनी अनाप शनाप भरी जाती हैं, एक्सी-

(श्री रामकरण सिंह)

डेंट होने पर वह मर जाती हैं। ऐसी चीजें रोकने के लिये हमने वहां के प्रबंधक आगार की सरकार को सूचना दी है तो वे कहते है कि वहां पर क्योंकि सवारियां कम निकलती हैं, इनकम कम होती है, इसलिये हमने इन बसों को रोका है। मैं यह कह सकता हूं और मेरा यह लांछन है कि वास्तव में या तो इसलिये कि रामकरण सिंह जो जीतकर आया है इस विधान सभा में, वह खिलाफ पार्टी का है, इसलिये कोटपूतली आगार को बन्द किया जाय, या इसलिये कि मैंने आगार के कुछ अधिकारियों के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैंने जानकारी दी सदन में कि केवल 100 रुपये महीना जमा कराके 24 घंटे पूरा महीना कार में घूमते हैं। छः सात अधिकारी हैं, वह दो-दो, तीन-तीन गाड़ियां अपने डिस्पोजल पर रखते हैं, उनके नाम और नम्बर मैंने बताये। उनकी लाग बुक है वह अभी तक नहीं भरी गयी हैं। उसके बारे में बहुत परेशान हैं कि लाग बुक कैसे भरी जाय। ड्राइवर को कहते हैं, ओ. एस. को कहते हैं। वह लाग बुक भरी नहीं गयी है। ऐसी स्थिति में मेरे यहां कोटपूतली में, माननीय उपाध्यक्ष जी, आप सोचें, 25 बसें रोजाना बन्द कर देना क्या महत्व नहीं रखता ? इस तरह से वहां की जनता को परेशान करने के लिये कि कोई भी जयपुर न आये।

दूसरा, जितनी बसें जयपुर–देहली चलती हैं, उनके लिये इन्स्ट्रक्शन्स दी हैं कि कोई भी सवारी कोटपूतली की न ली जाय। यह जनरल बात है कि कोटपूतली की सवारी नहीं लेते हैं। इस तरह का पक्षपात, इस तरह का भेदभाव अगर आगार वाले करते हैं, तो यह जो इतना नुकसान हो रहा है, उसके बारे में वह जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार इसके बारे में कड़े कदम उठाये और जो आगार में इस समय साजिश चल रही है, मैंने पहले भी बताया था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद अपने हिसाब से कहा था कि यह मिस्टर कावड़िया सवाईमाधोपुर को खा गया और अब यह आगार को खा रहा है इसलिये मैं कहना चाहूंगा खुले शब्दों में कि अगर इस आगार की तालाबन्दी ही करवानी है तब तो आपकी मर्जी, वरना इस तरह से जो आज कोटपूतली का नम्बर आया है, बाद में दूसरे का नम्बर आयेगा। मैं बड़े अदब के साथ मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस मसले पर गम्भीरता से सोचें, वहां की जनता सभी प्रकार की जनता है, वह जयपुर आना चाहती है, जयपुर जिला मुख्यालय है, उधर देहली जाना चाहते हैं। तो वहां पर 25 बसें एक साथ बन्द कर देना और फिर जवाब यह आना कि केवल आर्थिक दृष्टि से आंकड़े सही नहीं बैठते इसलिये हमने बसें बन्द की हैं, यह कोई शोभाजनक बात है ? यह कौन नहीं जानता कि कौन–कौन से रास्ते पर इन बसों की सवारियां कितनी–कितनी निकलती हैं। बहुत अधिक निकलती हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक मिनट और।

आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहां पर केवल ऐसे आगार इन्चार्ज बनाये जाते हैं जो वहां पर प्राइवेट बसों को स्टैण्ड के अन्दर डिपो में खड़ी करके भरने दें और उनका जो प्रतिशत तय कर रखा है, वह

(श्री रामकरण सिंह)

लें। जब मैंने उनसे कहा कि यह ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि क्या करें, साहब, ट्रैफिक के महाप्रबंधक ने कहा है कि इतना पैसा तुम्हारे यहां से आना चाहिये। तो यह खुली साजिश है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के भले के लिये, फायदे के लिये इसकी व्यवस्था की जाय और जो 25 बसें रोजाना बन्द की हैं वह चालू की जायं। वरना वहां की जनता को मजबूर होकर आपके आगे आन्दोलन करना पड़ेगा या अन्य कदम उठाना पड़ेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव (यातायात मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह।

श्री जगमाल सिंह यादव (यातायात मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव के बारे में एक अर्ज करूंगा। माननीय सदस्य ने कहा कि क्यों कि वह विरोध में चुन कर आये हैं इसलिये हमने बसें बन्द कर दीं, ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ समय के लिये, जब लोड फैक्टर नहीं बैठता था और प्रति किलोमीटर पूरी आमद नहीं आ रही थी, तो यह सही है कि हमने कुछ बसें बन्द की थीं। लेकिन फिर हमने आदेश दिया, आप विरोध पक्ष के हैं, फिर भी हमने आदेश फरमाया कि आप इसका पुनः सर्वे करलें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आदेश फरमाया ?

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने आदेश दिया कि आप इसका सर्वे करालें और अगर लोड फैक्टर बैठ रहा हो, चाहे वह आपरेशन कास्ट से नीचे ही मिल रहा हो, तो भी लोक-हित में वह बसें चलाने की प्रक्रिया हम एडाप्ट कर लें।

जहां तक आपने कहा कि निगम के अधिकारियों ने कारों और जीपों का दुरुपयोग किया है, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से यह राजस्थान जानता है, हिन्दुस्तान जानता है कि मंत्रियों को ही मुख्य मंत्री जी ने इतना टाइट कर दिया है कि हम एक दिन में चार लीटर पैट्रोल तो सैक्रेटरियेट और विधान सभा के कार्य के लिये चला सकते हैं, और सात दिन की हमारी यात्रा कर दी जिसमें हम अपने पालिटिकल वर्क भी करते हैं और अपने राज का काम भी करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिन निगम के अधिकारियों ने गाड़ियों का दुरुपयोग कर लिया, मैं जांच करवा रहा हूं, तो मुख्य मंत्रीजी जब हमको नहीं बख्शते, तो हम निगम के अधिकारियों और दूसरे अफसरों को क्यों बख्श देंगे ? मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि मेरे विभाग में, चाहे वह यातायात विभाग हो, चाहे निगम हो, कुछ लाग बुक मेरे हाथ में हैं, मैंने मंगा ली हैं और कुछ लाग बुक अभी कैला देवी का मेला चल रहा है उसमें कई गाड़ियां गई हुई हैं, उनके आ जाने पर अगर जांच में यह पाया गया कि किसी ने भी गाड़ी का दुरुपयोग किया है, तो निश्चित तौर से सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। इसलिये नहीं करेगी कि आपने सवाल उठाया है, सही बात अगर आप भी बतायेंगे या अन्य कोई विपक्ष के लोग बतायेंगे तो सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। और आपकी बसों को भी, अगर लोड फैक्टर बैठ गया, तो पुनः निश्चित तौर से चलायेंगे।

(74)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपालसिंह ।

जवाई बांध से आहोर क्षेत्र को पानी

श्री गोपाल सिंह (आहोर) : राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत प्रस्ताव । महोदय, जवाई बांध से जिला जालौर के आहोर क्षेत्र के काफी रकबे में सिंचाई होती है। अब जब कि जोधपुर शहर के पीने के पानी की व्यवस्था इन्दिरा गांधी नहर के द्वारा होने लगेगी तो उतना पानी जवाई बांध में बच रहेगा जिसको फिर सिंचाई के काम में लिया जाना शुरू होगा । अतः मेरी मांग है कि इस पानी का वितरण उसी अनुपात में आहोर क्षेत्र को मिले और उतना ही रकबा और कमाण्ड एरिया बढ़ाकर आहोर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जावे । मेरा सुझाव है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्वे का कार्य कमाण्ड एरिया तय करने के लिए शुरू करा दिया जाना चाहिये । ताकि जैसे ही जोधपुर शहर को पानी इंदिरा गांधी नहर से दिया जाना शुरू हो, वैसे ही इस जवाई बांध के पानी की बचत को सिंचाई के काम में लिया जाना शुरू हो जावे ।

इसके लिए सरकार को वर्तमान मुख्य नहरों की क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी । पानी का रिसाव न हो उसके लिए मुख्य व माइनर नहरों की लाइनिंग भी करवानी पड़ेगी। जो आउट लेट्स इस वक्त माइनर नहरों पर पक्षपात या भाई भतीजेवाद की वजह से बढ़ा दिये गये हैं या छोटे कर दिये गये हैं, उनको तो, मंत्री महोदय, अगली सिंचाई शुरू हो उसके पहले ही एक अभियान के रूप में इस कार्य को लिया जाय । वहां के सरपंच, प्रधान, विधायक एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को शामिल माइनर नहर का निरीक्षण किया जाकर जो आउट लैट्स गलत लग गये हैं, उन्हें ठीक करवाया जावे । इसी के साथ वहां के किसानों से आउट लेट्स के गलत लगने की शिकायतें भी मांगी जा सकती हैं और उन शिकायतों के आधार पर भी ये ही समिति मौके पर जा कर उनका निपटारा कर सकती है ।

आहोर क्षेत्र के टेल पर आ जाने की वजह से सिंचाई बहुत कम हो रही है । वह ऊपर जो पिलाई होती है वहां नहरों पर समृद्ध काश्तकार लोग नहर के पानी को टेल पर आने ही नहीं देते । वह नहर को काट कर अपनी जमीन पिला देते हैं और मेरे आहोर क्षेत्र के किसान लोग अपनी फसलों को पिलाने से महरूम रह जाते हैं । इसके लिए मेरा सुझाव है कि नहरों से पिलाई शुरू होती है उसके एक माह पहले नहर पर किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जावे । वहां पुलिस गार्ड लगा दी जानी चाहिये, वह जैसे ही पानी शुरू हो उस समय एक मजिस्ट्रेट या ज्यादा जैसी आवश्यकता हो, तैनात कर दिये जावें ताकि मौके पर कोई भी व्यक्ति नहर पर आकर पिलाई होती हो तब गड़बड़ी न कर सके, ताकि टेल पर आने वाले काश्तकारों को भी पूरा पानी मिल सके ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकिशोर सैनी ।

दौसा क्षेत्र के वापी में भूमि अवाप्ति से किसानों में आक्रोश

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन

(श्री रामकिशोर सैनी)

सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव की सूचना। महोदय, निवेदन है कि दौसा के गांव वापी के गरीब एवं निर्धन तथा पिछड़े हुए किसानों की भूमि को अप्रोच सड़क के निर्माण हेतु वर्तमान सड़क के स्वरूप को बदल कर राज्य सरकार अवाप्त कर रही है तथा गरीब किसानों को मुआवजे के रूप में नाम मात्र की राशि का ही भुगतान कर रही है जबकि उक्त गांव के किसानों ने अप्रोच सड़क में अवाप्त भूमि की अधिसूचना समाचार पत्रों में जारी करने के दस दिवस की अवधि में अवाप्ति अधिकारी के समक्ष अपने अवाप्त नहीं करने सम्बन्धी आपत्ति पत्र लिखित में दिया था लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जान बूझकर किसानों को सूचना दिये बिना ही उनके खेतों में अप्रोच सड़क वास्ते मिट्टी एवं पत्थर खेतों में डलवाया। जिससे गरीब किसानों की खड़ी फसल जो पूरी तरह से पकी भी नहीं थी, उसको नष्ट कर दिया गया। फसल में सरसों, गेहूं तथा जौ आदि फसलें मुख्य थीं। शेष कच्ची फसल को उक्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने समय से पहले ही काटने के लिए बाध्य किया। उक्त गांव के निर्धन किसानों के खेतों के बीच से अप्रोच सड़क के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई। उक्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में वर्ष 1988–89 में कई बार किसानों को तंग करने के उद्देश्य से सर्वे किया गया उसमें से एक सर्वे को अंतिम मानते हुए अवाप्ति अधिकारी द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। राजपत्र में अधिसूचनाएं दिनांक 25/10/88, 23/3/89, व 18/5/89 के द्वारा जारी की गई। राजपत्र में प्रकाशित होने के उपरान्त विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा जान बूझकर प्रकाशित खसरा नम्बरों को बार-बार बदला गया तथा वर्तमान में भी बिना राजपत्र में प्रकाशित अधिकांश किसानों की भूमि को सूचना दिये बिना ही निश्चित किये ही सर्वे रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के उपरान्त निर्माण कार्य चला रखा है। सर्वे रिपोर्ट में जिस ढंग से हेराफेरी करके जालसाजी से किसानों की भूमि का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिसके कारण निर्धन किसान, जिसके पास रोजी-रोटी के लिए मात्र यही भूमि थी उसे भी सरकार द्वारा किसानों को बेदखल करके धोखाधड़ी से अनियमित व असंवैधानिक कार्यवाही करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराकर सख्त कार्यवाही कर किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार को चाहिये कि वर्तमान सड़क को ही चौड़ा करके सुविधाजनक बनाने की स्वीकृति विभाग को पुनः प्रदान करें। यदि राज्य सरकार फिर भी पूर्व में जिन खेतों की भूमि को जो राजपत्र में प्रकाशित की, उतनी ही जमीन में होकर उक्त अप्रोच सड़क का निर्माण कार्य करवाना ही चाहती है तो गरीब किसानों को सड़क में अवाप्त भूमि का सही मुआवजा उप पंजीयक द्वारा वर्ष 1990 में भूमि की निर्धारित दरें उसकी किस्म के अनुसार बारानी, चाही व नहरी की क्रमशः रुपये 10,000/– 16,400/–रुपये तक प्रति बीघा निर्धारित की हुई है, जबकि किसानों को वर्ष 1989 की दर से ही दी जा रही है जो बहुत कम है किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सन् 1991 की चाही व बारानी किस्म की भूमि की दर से मुआवजा राशि दी जानी

(76)

(श्री रामकिशोर सैनी)

चाहिये क्योंकि किसानों को विभाग द्वारा उनके अधिकांश खेत जिनकी अवाप्ति की स्वीकृति राज्यपाल महोदय से अभी तक नहीं मिली है उसमें भी कार्य प्रारम्भ इसी वर्ष से किया गया है। अतः या तो जनहित में पुराने रोड को ही चालू रखा जावे और उसी की मरम्मत कराकर चौड़ा किया जा जा सकता है, या उचित मुआवजा राशि शीघ्र सड़क का कार्य बंद करके पहले भुगतान की कार्यवाही की जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

भरतपुर जिले में जहरीले पानी से असाध्य बीमारियां

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत जहरीले पानी के पीने के कारण भरतपुर जिले में फैल रही असाध्य बीमारियों की ओर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

मान्यवर, यह सर्व विदित है कि भरतपुर जिले में पानी का विकट संकट उत्पन्न हो गया है। खेती के लिए पानी की बात तो दूर, पीने के पानी की एक-एक बूंद को लोग मोहताज हो गये हैं। यह भी सर्व विदित है कि भरतपुर जिले में सतही पानी (सबसोइल वाटर) ही पीने योग्य है। 25 से 30 मीटर के बाद जमीन के अन्दर पानी खारा, कड़वा व जहरीला है। यह भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि भरतपुर जिले के लोग टोटल डिजोल्वड सोल्वस में से 2000 से 15000 पार्ट्स पर मिलियन तक का पानी पी रहे हैं जिसमें माननीय कृषि मंत्रीजी का क्षेत्र विशेष तौर से है। वहां चाय नहीं बना सकते। वहां इतना कड़वा और खारा पानी है कि वहां आप जायेंगे तो चाय भी नसीब नहीं हो सकती, इनके क्षेत्र में। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार जो खतरनाक लवण पाये जाते हैं उनमें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाय की जगह क्या पीते हैं।

एक माननीय सदस्य : दूध ही पीते हैं। यह गूजर भी हैं।

श्री सम्पत सिंह : इनको निपनिया दूध पिलाना पड़ता है।

श्री यदुनाथ सिंह : उनमें क्लोरीन, ब्लोमाइन, फ्लोराइड, इन्डाइन, कैल्शियम, कॉपर, लेड़, फासफोरस, फ्लोरोसिस आदि की सघनता इतनी अधिक है कि लोग असाध्य बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और विभिन्न अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इन लवणों से प्रभावित नरवसनैस, डिपरेशन अंगुलियों का जकड़ जाना, अत्यधिक तनाव, बार-बार पेशाब जाना, मांसपेशियों की जकड़न व उनमें भयंकर दर्द, स्कीन रेसेज, डायरिया, अपच तथा पेट के अन्दर बड़ी-बड़ी बीमारियां तथा दर्द, उल्टी आना, दांतों की बीमारी, हड्डियों का फूल जाना यहां तक कि मानसिक असंतुलन के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। यह सब इस जहरीले पानी के पीने के कारण हो रहा है। समय रहते यदि इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो इन जिलों में मनुष्य व पशुओं का जीवन और भी खतरे में पड़ जायेगा। यह भी सर्व विदित है, भरतपुर जिले में सबसोइल वाटर समाप्त हो

(श्री यदुनाथ सिंह)

गया है और यदि आने वाली गर्मियों में अभी से सरकार की ओर से गंभीर प्रयास नहीं किये गये तो इस समस्या के भयंकर रूप लेने का अंदेशा है। इस ओर मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से ही यह प्रस्ताव रख रहा हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल जैन।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपका ध्यान रा. रा. प. परिवहन निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एक राजकीय उपक्रम है। इसके अधिकारियों की मिलीभगत से इस उपक्रम में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। अधिकारी, उनके रिश्तेदारों एवं मित्रों को लाखों का लाभ दे रहे हैं। बसों की बाडी बनाने एवं अन्य सामान की खरीद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं यहां केवल मात्र दो उदाहरण देकर अपनी बात को विराम दूंगा।

मैसर्स उदयपुर रबर इण्डस्ट्रीज से 24 टन व मैसर्स भारत रबड़ इण्डस्ट्रीज से 48 टन रबड़ खरीदने के आदेश निगम द्वारा जारी किये गये लेकिन व्यवहार में इसका उल्टा हुआ और मैसर्स उदयपुर रबर इण्डस्ट्रीज से 24 टन के स्थान पर 48 टन व मैसर्स भारत रबर इण्डस्ट्रीज से 48 के स्थान पर 24 टन खरीदा गया। इतना ही नहीं मैसर्स उदयपुर रबर इण्डस्ट्रीज को लाभ पहुंचाने हेतु 15 प्रतिशत दर बढ़ाकर खरीद की गई क्योंकि उक्त इण्डस्ट्री एक अधिकारी के रिश्तेदार की है। उक्त रबर निगम के ट्रक संख्या 1832/आर. एस. एल. द्वारा भेजा गया लेकिन आदेशों के अभाव में ट्रक 3 जनवरी से 9 जनवरी तक बाहर खड़ा रहा।

इसी प्रकार मैसर्स हरीनारायण एण्ड सन्स बाडी बिल्डर से मिली भगत से निगम को लाखों रुपये का घाटा कराया गया।

एक अन्य फर्म मैसर्स महेन्द्रा बाडी बिल्डर्स की बॉडी खुलवाकर देखी गई एवं डिफैक्टिव पायी गई और हजारों की पैनल्टी लगाई गई। अब दस माह पश्चात् उनको नोटिस दिया गया है।

इसी प्रकार से अधिकारियों की मिली भगत से निगम को लाखों रुपये की हानि उठानी पड़ रही है। यहां तक कि फाइलों में भी हेराफेरी व गड़बड़ियां की जा रही हैं।

अतः मेरा अनुरोध है कि अधिकारियों के कार्यों की तुरन्त जांच करवाई जाकर दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जावे, नहीं तो निगम को लाखों रुपये की हानि उठानी पड़ेगी।

(1.00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री किशनाराम।

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के वेतन का चुकारा

श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय का ध्यान नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव के माध्यम से निम्न प्रकार आकर्षित करना चाहता हूं।

क्या श्री श्यामलाल, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी को माह अप्रैल, 1984 का वेतन सात वर्ष का समय व्यतीत हो जाने पर भी आज तक नहीं चुकाया गया गया है ? कृपया अवगत करावें कि किन नियमों के तहत मनमाने तौर से वेतन नहीं दिया जा रहा है जब कि अधिकारी ने पूरे माह ड्यूटी दी है, जिला कलक्टर ने कार्य प्रमाणित किया है तथा न ही वेतन रोकने के कोई आदेश आज तक दिये गये हैं ? कारण बतायें।

क्या उक्त अधिकारी को सी. सी. ए. 16 में आरोप पत्र दिया गया है ? क्या सी. सी. ए. 16 के आरोप उचित नहीं होने के कारण तत्कालीन निदेशक ने आरोप 16 सी. सी. ए. से 17 सी. सी. ए. में बदल दिये ? क्या सी. सी. ए. 17 में व्यक्तिगत सुनवाई की गयी थी ? यदि हां, तो निर्णय तुरन्त क्यों नहीं निकाला गया जब कि सुनवाई के दिन अन्य लोगों की जो सुनवाई की गयी थी उनके निर्णय दे दिये गये ?

यह भी बताने का कष्ट करें कि क्या श्यामलाल की 17 सी. सी. ए. आरोप की सुनवाई के पश्चात् निर्णय नहीं दिया गया और पुनः 16 सी. सी. ए. में आरोप-पत्र दे दिया गया ? यह किन नियमों के तहत किया गया ? कृपया नियम सदन की मेज पर रखें।

क्या उक्त अधिकारी को वेतन निर्धारण 1.09.1986 व पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1989 का वेतन निर्धारण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा इनके कोटा के यात्रा बिलों, 1989 का भुगतान भी अब तक क्यों नहीं किया गया, कारण बतावें।

क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त अधिकारी के सी. सी. ए. 16 के आरोप पत्रों पर सुनवाई अक्टूबर, 1989 में पूर्ण हो जाने पर भी निर्णय रोक रखा है और निर्णय नहीं होने से इनका प्रकरण पदोन्नति समिति के समक्ष भी नहीं रखा गया है ? क्या यह जानबूझकर परेशान करने की कार्यवाही नहीं है ? सम्पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बुलाकीदास कल्ला। (अनुपस्थित)

माननीय श्री ईश्वरलाल सैनी।

औषध एवं चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 का कड़ाई से पालन

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 265 के अन्तर्गत प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान वालियण्टरी हैल्थ एसोसिएशन, एक स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठन प्रदेश में स्थित करीब 125 गैर सरकारी संस्थाओं का नैटवर्क है। पिछले तीन सालों से इन

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

विभिन्न संस्थाओं से आपस में सम्पर्क और समन्वय का सफल प्रयास हुआ है। इसी क्रम में अब जयपुर में कार्यालय स्थापित किया गया है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी आपत्तिजनक विज्ञापन : औषध एवं चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के तहत दवाओं और उपचार....

एक माननीय सदस्य : पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया जारी रखें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यहां से आप चले ही जाओ न, आपको सुनना ठीक नहीं लगता है तो।

दवाओं और उपचार सम्बन्धी ऐसे सभी विज्ञापन वर्जित हैं जो यौनवर्द्धक, पौरुष प्रवर्तक, महिलाओं में मासिक धर्म रोक सम्बन्धी और अधिनियम में संलग्न सूची में अंकित किसी भी रोग सम्बन्धी हैं। इस अधिनियम में वर्णित आशय के अनुसार ऐसे विज्ञापन उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं...

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप धीरे-धीरे पढ़िये जिससे लिखा तो जाय। आप इतनी जल्दी बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला जी। माननीय सदस्य सब जानते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : धीरे-धीरे पढ़िये, धीरे-धीरे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री ईश्वरलाल सैनी : जिससे स्वचिकित्सा और नीम हकीमों द्वारा चिकित्सा से नुकसान होते हैं। ऐसे हानिकारक विज्ञापनों पर अंकुश और नियन्त्रण के लिए अधिनियम बनाया गया है। इन प्रावधानों का सख्ती से पालन करवाने के लिए इसमें अंकित अपराधों को काग्नीजेबल बनाया गया था ताकि पुलिस सीधी कार्यवाही कर सके। दुर्भाग्य से ऐसे विज्ञापन उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं और अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है। सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने पर भी जब कुछ नहीं हुआ तो उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी। एस. बी. सिविल याचिका 1135 का निर्णय 22 सितम्बर, 1989 को हुआ। न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिये कि वह एक प्रकोष्ठ की स्थापना कर यह सुनिश्चित करें कि ऐसे विज्ञापन देकर अपराध करने वालों के खिलाफ तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हो। क्या यह प्रकोष्ठ स्थापित हो गया है? क्या इस प्रकोष्ठ की स्थापना और प्रणाली के बारे में जनसाधारण को सूचित किया गया है? इस प्रकोष्ठ ने क्या कार्य किया है? इससे सम्बन्धित अधिकारी कौन हैं?

क्षय-किरणों से हानि : एक्स-रे या क्षय-किरणों का उपयोग हानिरहित नहीं है। इनके प्रयोग से कैंसर और जन्मजात विकृतियों के आसार बढ़ जाते हैं, अतः चिकित्सा में इनके उपयोग में अत्यन्त सावधानी बरतने के प्रावधान हैं। एटोमिक एनर्जी एक्ट के तहत चिकित्सा में काम आने वाले क्षय-किरणों के उपकरणों की खरीद, स्थापना, प्रयोग आदि पर सुरक्षात्मक

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

नियन्त्रण के लिए व्यापक नियम बनाये गये हैं जिनका पालन अनिवार्य है। इन नियमों का अनुपालन करवाना राज्य सरकार का कार्य है। दुर्भाग्य से इस विषय में सर्वथा अवज्ञा के फलस्वरूप कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। बिना सुरक्षात्मक नियमों के पालन के कारण उत्तरोत्तर बढ़ती एक्स-रे मशीनों के व्यापारिक संस्थान, जनसाधारण और आने वाली सन्तति के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। एटोमिक एनर्जी एक्ट के तहत एटोमिक एनर्जी रेगूलेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम जो डाइग्नोस्टिम एक्स–रे के संचालन के लिए अनिवार्य हैं, का जनहित में पालन करवाने की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए। सुरक्षात्मक उपायों के उपयोग की शर्त पूरी करने पर ही एक्स-रे मशीन लगाने का अधिकार देना चाहिए। उनके नियमानुसार संचालन के लिए एक नियन्त्रक बोर्ड का गठन होना चाहिए। जनहित में इसकी जानकारी आम जनता को दी जानी चाहिए।

एल्यूमीनियम फोस्फाइड से मृत्यु : एल्यूमीनियम फास्फाइड कीटनाशक गोलियां प्रदेश में सैलफोस और क्यूकफोस के नाम से अवैध रूप से खुले बाजार में मिलती हैं। कारण कि इनका घरेलू गैसीय कीटनाशक के रूप में प्रचार किया गया था। यह एक घातक विष है जिसके कारण सैकड़ों मृत्यु प्रति वर्ष प्रदेश में होती हैं। नियमानुसार ये कीटनाशक खुले बाजार में नहीं बेचा जा सकता। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार इसका उत्पादन केवल वेयरहाउस कार्पोरेशन आदि संग्रह करने वाले सरकारी संस्थानों के लिए ही किया जाता है। खुले बाजार में इसकी उपलब्धि को रोकने से हजारों जानें बच सकती हैं। यह कैसे अवैध रूप से बाजार में पहुंच रहा है, इसकी जानकारी कर इस पर रोक लगनी चाहिए।

क्षय रोग नियन्त्रण : प्रदेश में क्षय रोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। 1975 से 1985 तक के उपलब्ध सरकारी आंकड़े भी यही दर्शाते हैं। राज्य में क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम चल रहा है और इस पर इतना खर्चा हो रहा है, फिर क्षय रोग क्यों बढ़ रहा हैं इसकी जांच होनी चाहिए।

प्रतिबन्धित दवाएं : औषध एवं शृंगार प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत राज्य में औषध नियन्त्रक को प्रदेश में दवाओं का उत्पादन, उनकी बिक्री और प्रचार–प्रसार पर पूरा अधिकार है। स्टेराइट युक्त आंखों की दवाओं के लम्बे उपयोग से लोग अंधे हो जाते हैं। काफी रोगियों के विवरण प्रकाशित होने के उपरान्त राज्य सरकार ने एक कमेटी बनायी थी, जिसने स्टेराइड युक्त दवाओं पर इस सम्बन्ध में चेतावनी छापने का सुझाव दिया था। राज्य में औषध नियन्त्रक द्वारा कुछ भी न किये जाने पर न्यायालय में याचिका डी. बी. नं. 1109/1987 पेश की गयी, जिसके निर्णय में न्यायालय ने राज्य औषध को स्टेराइड युक्त ऐसी हर दवा पर, जो प्रदेश में बनती हो या बिक्री होती हो, निर्देशित चेतावनी लिखवाने के निर्देश दिये। लेकिन ऐसी अनेक स्टेराइड युक्त दवाएं आज भी प्रदेश में बिक रही है, जिन पर यह चेतावनी अंकित नहीं है। इसी अधिनियम के तहत देश की सर्वोच्च तकनीकी समिति ड्रग्स टैक्निकल एडवाइजरी बोर्ड द्वारा जिन दवाओं को हानिकारक, बेअसर

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

अथवा बेमतलब पाया गया है उनके उत्पादन, खरीद और बिक्री पर इस सम्बन्ध में औषध नियन्त्रक द्वारा प्रतिबंध के निर्देश जारी करने का भी पालन नहीं हुआ है। ऐसी कोई भी दवा जो सरकार की सर्वोच्च तकनीकी समिति द्वारा हानिकारक या बेकार पायी गयी हो, वह दवा सरकारी चिकित्सकों द्वारा लिखने, खरीदने या रिएम्बर्स कराने पर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिए।

लिंग निर्धारण एवं भ्रूण हत्या : चिकित्सा शास्त्र में ऐसा कोई रोग या अवस्था नहीं है जिसके लिए भ्रूण को केवल लिंग परीक्षण एक आवश्यक निदान हो। लिंग परीक्षण भ्रूण प्रकृतियों के लिए अन्य निदान परीक्षणों के साथ ही किया जा सकता है, इनके बिना नहीं। लिंग परीक्षण के बाद केवल "इस आधार" पर कि भ्रूण स्त्री लिंग का है गर्भपात करना या करवाना भी मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेगनेंसी एक्ट के विरुद्ध है। लिंग निर्धारण और भ्रूण हत्या के व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। स्वास्थ्य निदेशालय और राज्य की चिकित्सा परिषद को ऐसे चिकित्सकों और चिकित्सालयों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल।

केशोरायपाटन तहसील मुख्यालय पर बस स्टैण्ड

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केशोरायपाटन (बून्दी) तहसील मुख्यालय पर बस स्टेशन नहीं होने से जनता को हो रही भारी असुविधा एवं अव्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय पर पिछले 43 वर्षों के कांग्रेस के कुशासन की द्वेषता एवं पक्षपात पूर्ण नीति से बस स्टैण्ड तक नहीं है। जिससे जनता को प्रतिदिन हजारों बस यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

केशोरायपाटन में सहायक कलक्टर तहसील, विद्युत, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवाओं, क्रय विक्रय सहकारी समिति आदि के कई सरकारी कार्यालय हैं। साथ ही कोटा से जयपुर, कोटा से इन्द्रगढ़, लाखेरी खटकड़, गेन्डोली, जैथल, कापरेन एवं बून्दी से केशवराय पाटन अनुमानित 100 से 110 बसों द्वारा 700 से 900 तक यात्री सफर करते हैं। केशवराय पाटन नगर पालिका मुख्यालय वाला 20 हजार की आबादी वाला बड़ा नगर है। यहां बस स्टैण्ड न होने से बसें नगर में आम सड़क पर ही खड़ी रहती हैं। एक बस से दूसरी बस बदलने में वृद्ध, मां-बहनों, सामान वालों, ठेले वालों आदि को भारी परेशानी होती है। बस सड़क पर ही खड़ी रहती है। सामान उतारने वालों को, बस बदलने वालों को उस समय जब सैकड़ों जानवरों, बैलगाड़ियों ट्रकों साइकिलें आदि वहीं से होकर गुजरती हैं। जिससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटनाएं होने का हमेशा खतरा बना रहता है। बस को इससे देरी होती है। सवारियों को पानी लघु-शंका आदि की भी भारी

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

असुविधाएं होती हैं। बस स्टैण्ड के न होने से सरकारी बसों तक की बुकिंग व्यवस्था नहीं है। मैंने इस समस्या को पूर्व में कई बार इस पवित्र सदन में उठाया, स्थानीय नगर पालिका एवं व्यक्तिगत रूप से दो चार व्यक्ति स्वयं की जमीन देने को तैयार हैं फिर भी न मालूम क्यों इस मानवीय समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।

अतः मैं मेरे इस 295 के अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि अतिशीघ्र बस स्टेण्ड की स्वीकृति प्रदान कर काम शुरू करवाया जाकर जनहित में सहयोग प्रदान करवायें।

आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द गुर्जर।

सीकर जिले की ग्रामदानी ग्राम सभाओं को पंचायत राज्य में शामिल किये जाने की कार्यवाही में विलम्ब

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत सीकर जिले की ग्रामदानी ग्राम सभाओं से पंचायत राज में शामिल होने की कार्यवाही में विलम्ब होने से उक्त ग्राम में विकास व अन्य सुविधा न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, सीकर जिले में 46 ग्रामदानी ग्रामों को ग्राम सभाएं उप खण्ड नीम-का थाना में हैं। यह ग्रामदानी ग्राम सभाओं का गठन 1965 के आस पास हुआ था। उक्त ग्रामदानी के बारे में जनता परिचित नहीं थी। धीरे-धीरे उक्त ग्रामदानी के साथ कई प्रकार से अनियमितताएं बरती गईं। उक्त ग्रामों का विकास ठप्प हो गया है। राजस्व रिकार्ड की जानकारी लुप्त हो गई है। भूमि का आदान-प्रदान, ऋण अनुदान गिरवी रखना आदि बन्द हो गया है। इसके बाद जनता में बहुत परेशानियां बढ़ गई हैं। चुनाव प्रणाली दोषपूर्ण हो गई है। जनता ने कई ग्राम सभाओं में चुनावों का बहिष्कार किया तथा चुनावों की प्रक्रिया में मनमानी की गई। अन्त में 1984 में उक्त कानून में संशोधन जनता के दु:खों के निवारण हेतु किया गया। तथा 51 प्रतिशत जनता की मांग के आधार पर ग्रामदानी से हटकर पंचायत राज में शामिल होने का प्रावधान किया गया जिसमें पिछले पांच वर्षों में काफी ग्रामदानियों ने उक्त प्रपत्र भरकर जिलाधीश सीकर को दिये। उनमें 10 ग्रामदानी में उक्त प्रपत्रों की पूर्व जांचकर जिलाधीश, सीकर ने उन पर अन्तिम फैसला करने का निर्णय लिया जिस पर छः माह पूर्व फैसला करके पंचायत राज में शामिल होने की घोषणा की गई। परन्तु महोदय, आज तक उनका सरकारी रिकार्ड जमीनों की खाताबन्दी, अन्य प्रकरणों की पूर्ति आज तक नहीं हुई है, जिससे परेशानी और बढ़ गई है तथा हालात और खराब हो गये हैं इससे जनता में भारी आक्रोश है।

अतः मैं मांग करता हूं कि (1). उक्त जिले की दसों ग्रामदानी ग्राम सभाओं का

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

राजस्व रिकार्ड तुरन्त दुरुस्त करके पंचायत राज में शामिल किया जावे ।

(2) उक्त गांवों को पास की पंचायतों या नयी ग्राम पंचायतों में शामिल किया जाकर ग्राम पंचायत बनाई जावे ।

(3) शेष 36 ग्रामदानी ग्राम सभाओं के प्रार्थना-पत्र लिये जाकर पूरी कार्यवाही में मदद की जावे ।

(4) उक्त ग्रामदानी ग्राम सभाओं के चुनावों पर तुरन्त रोक लगाकर अवैधानिक चुनाव प्रणाली की जांच की जावे ।

(5) तथा उक्त ग्रामदानी गांवों के पास की पंचायत द्वारा विकास कार्य करवाये जावें ।

अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त 46 ग्रामदानी ग्रामों की जनता फंसी हुई है उनको निकालने की कार्यवाही करें जिससे वहां की जनता भी मुख्य धारा से जुड़ सके, और अपने अधिकारों के तहत लाभ ले सके यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । 46 ग्रामों का सवाल है, वहां की जनता को भयंकर परेशानी हो रही है उनमें किसी प्रकार का राजस्व रिकार्ड नहीं है, न तहसीलदार, न पटवारी और न किसी प्रकार की वहां कोई सुविधा है । पिछले 5 सालों से मैं इस मामले को यहां पर बराबर रख रहा हूं । जिलाधीश महोदय ने 10 ग्रामदानी ग्रामों का फैसला कर दिया था, परन्तु इसके बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । इसलिए मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : उन ग्रामदानियों को जरूर मुक्त करवायें जिससे प्रजातांत्रिक प्रणाली में.... (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, 131 के तहत हम दोनों ने प्रस्ताव दिया था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय टीकमचन्दजी व्यवस्था हो गई । इस समय 295 चल रहा है, 131 का आये उस समय लेंगे ।

श्री टीकमचन्द कान्त : वह तो बात ठीक है लेकिन इसी विषय में दिया था कि कनादरा के लिए भी वैसा ही हो गया है कि ग्राम पंचायत में जाना चाहते हैं वह लोग और उन्होंने लिखकर दे दिया है, जांच भी हो गई और फिर भी उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है । अभी समानान्तर राज व्यवस्था एक प्रकार की ग्रामों में ग्रामदानी के आधार पर चल रही है उसके अन्दर न तो चुनाव बराबर होते हैं, न जनता की कोई मांग के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं । यह व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि इसके बारे में तुरन्त सरकार को कोई न कोइ निर्णय लेना चाहिए । ग्रामदानी गांवों के लोग दुखी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (छात्रा) बम्बा को आबंटित भूमि का प्राइवेट संस्था को बेचान

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी ।

जोधपुर शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (छात्रा) बम्बा में खोलने हेतु नगर न्यास सुधार जोधपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक सी.ए. /82 दिनांक 7-10-1982 द्वारा इस भूमि का आबंटन किया गया था। यह पत्र जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर को भेजा गया था। यह जमीन निःशुल्क दी गई थी । यह जमीन 1555.55 वर्ग मीटर लम्बी-चौड़ी है। भूमि का आबंटन 99 वर्ष के किरायेदार स्वामित्व के आधार पर किया गया था । भूमि पर दो वर्ष में विद्यालय भवन निर्मित करने की शर्त थी, भवन बन गया है । यह सम्पत्ति राज्य सरकार की रहेगी। तामीर के लिए न्यास से लिखित अनुमति लेनी होगी व राज्य सरकार और नगर सुधार न्यास जो भी नियम बना कर दें उसकी पालना करनी होगी । परन्तु इस राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (छात्र) बम्बा के प्रधानाध्यापक श्री मोहम्मद इकबाल ने न्यास द्वारा सरकारी स्कूल भवन को दी गई जमीन में से आधी जमीन एक प्राइवेट मुस्लिम संस्था को बेचान कर दी। आधी जमीन पर सरकारी भवन बना हुआ है तथा बच्चों के खेलने का जो मैदान था उसको उसने दूसरी पार्टी को सरकार की अनुमति के बिना बेचान कर दिया। स्कूल की जमीन का घोटाला व बेचान करने के लिए प्रधानाध्यापक ने जमीन के माप में अनियमितता तथा गड़बड़ी कर असत्य माप बताकर अपनी मर्जी से बिना किसी अनुमति से एक मुस्लिम संस्था को बेचान कर दी है।

मैं विधान सभा के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करती हूं कि इस जमीन को सरकार की अनुमति के बगैर बेचने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाय तथा मुस्लिम संस्था को बेची गई जमीन वापस कब्जे में की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंहजी ।

गरीब काश्तकारों की भूमि जागीरदार सांखू फोर्ट व रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा हथियाने की कार्यवाही

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव रख रही हूं।

नेशनल तथा सांखू फोर्ट जिला चूरू के अनुसूचित जाति व समाज के गरीब वर्ग के काश्तकारों के साथ उनकी आजादी से पहले आज तक काश्त की भूमि हथियाने की षड्यंत्र पूर्ण कार्यवाही जागीरदार सांखू फोर्ट व रेवेन्यू अधिकारियों ने मिलकर की, जो स्पष्टतः प्रमाणित हो चुकी है। अब प्रशासन अपने अधिकारियों को बचाने के चक्कर में है और इन असहाय काश्तकारों को रेवेन्यू कार्यालयों की सीढ़ियां चढ़ने का रास्ता बता रहा है, जिन कार्यालयों में चक्कर काटते काटते इन परिवारों की तीन तीन पीढ़ी बीत चुकी और अब भविष्य में तीन और बिता दें एवं अन्त में हताश होकर बैठ जायें।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जागीर उन्मूलन अधिनियम, 1952 व काश्तकारी तथा सीलिंग अधिनियम, 1955 लागू होने के बाद भूमि एवं परिवार के वास्तविक स्वरूप व ब्यौरे को छुपाया गया है। परिणामस्वरूप काश्तकारों को रेवेन्यू कार्यालयों एवं विभिन्न अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तथ्य निम्न प्रकार हैं:—

	सांखू फोर्ट जागीरदार की खातेदारी भूमि बीघा	बिस्वा	जागीर के परिवार की सदस्य संख्या
1953	1461	14	6
1958	1049	11	6
1971	828	13	5 – 1 = 4

उप खण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू) ने दिनांक 6.10.71 को इस जागीर परिवार के अलग अलग दो सीलिंग प्रतिवेदन किये।

1. श्रीमती गोविन्द कंवर पत्नी श्री विजय सिंह — जिनका कोई उत्तरधिकारी नहीं
2. श्री हीर सिंह दत्तक पुत्र श्री विजय सिंह — जिसके उत्तराधिकारी—
   1. श्रीमती जसवन्त कंवर पत्नी श्री हीरसिंह
   2. श्री विक्रम सिंह पुत्र हीर सिंह
   3. कु. ज्योति पुत्री हीर सिंह
   4. कु. बीना पुत्री हीर सिंह

जबकि श्री हीरसिंह का स्वर्गवास दिनांक 16.9.69 को हो चुका था। श्रीमान् राजस्व सचिव महोदय, जयपुर ने उक्त प्रकरण को जनहित के प्रतिकूल मानते हुए सितम्बर, 1986 में अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू को जांच कर निर्णय हेतु भेजा। अतिरिक्त कलेक्टर चूरू श्री ताराचन्द सहारन ने वास्तविक काश्तकारों को बिना सूचना सुनवाई का मौका दिये सांठ-गांठ कर दिनांक 6.10.71 के प्रतिवेदन की पुष्टि दिनांक 6.4.89 को कर दी।

यह मामला जब जिला कलक्टर चूरू के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने वास्तविक तथ्यों की जांच कर राज्य सरकार को मामले को पुन: रिवीजन करने हेतु लिखा। अब उप शासन सचिव, राजस्व (सीलिंग) विभाग जयपुर ने अपने पत्रांक प. 1698/ राज/सी/79/402 दिनांक 21.2.91 द्वारा जिला कलक्टर चूरू को लिखा है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी के निर्णय की अपील अथवा रिवीजन हेतु समयावधि समाप्त हो चुकी है।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

राज्य सरकार ने सीलिंग अधिनियम बनाया। पुनः जांच भी राज्य सरकार ने करवाई। इन गरीबों को सीलिंग एवं जांच की जानकारी तक नहीं थी।

अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने का अधिकार नियत दिन तक ही रहता है। नियत दिन के पश्चात अधिकतम सीमा क्षेत्र से अतिरिक्त भूमि धारण करने वाला अतिरिक्त भूमि का अतिक्रमी कहा जाता है।

जागीर एवं विधवा (मांजी) की विवादग्रस्त भूमि उसकी खुदकाश्त नहीं मानी जाती है।

नियत दिन के बाद भूमि का विक्रय, दान व वसीयत बिना राज्य सरकार की अनुमति के अवैध है। सीलिंग का प्रकरण लम्बित चलता रहा एवं राजस्व अधिकारियों से मिल कर श्री विक्रमसिंह पुत्र श्री हीर सिंह जमीन के गलत कब्जे के आधार पर बेचान करता रहा जो समय पाकर गरीब व अनुसूचित जाति के काश्तकारों को भूमि से बेदखल करने में सफल होंगे।

श्री हीरसिंह दत्तक पुत्र श्री विजय सिंह का स्वर्गवास दिनांक 16.9.69 को हुआ तथा श्रीमती गोविन्द कंवर पत्नी श्री विजय सिंह का स्वर्गवास दिनांक 28.12.71 को हुआ लेकिन उप खण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू) ने दोनों ही पत्रावलियों में सीलिंग प्रतिवेदन दिनांक 6.10.71 को तैयार किये। अतः स्पष्ट है कि सांखू फोर्ट जागीर में दिनांक 28.12.71 के बाद केवल चार सदस्य रह गये। श्रीमती जसवन्त कंवर पत्नी श्री हीरसिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री हीरसिंह, कु. ज्योति पुत्री श्री हीरसिंह, कु. बीना पुत्री श्री हीरसिंह।

श्रीमती गोविन्द कंवर पत्नि श्री विजयसिंह के स्वर्गवास दिनांक 28.12.71 के बाद अलग दिखाये गये श्री हीरसिंह दत्तक पुत्र श्री विजय सिंह, जिनका स्वर्गवास दिनांक 16.9.69 को हो चुका था, के शेष रहे परिवार के उक्त सदस्य जिनके पास सीलिंग सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि थी, श्रीमती गोविन्द कंवर की भूमि के उत्तराधिकारी कैसे बने? उक्त भूमि पर वास्तविक काश्तकारों को खातेदारी क्यों नहीं मिली?

उक्त जागीर परिवार प्रकरण में राजस्व अधिकारियों ने सांठ गांठ करके सीलिंग नियमों का उल्लंघन करते हुए परिवार को तीन भागों में बांट कर भूमि खुदकाश्त दिखाते हुए अपने अधिकार में रखना बताया है जबकि वास्तविक काश्तकार अनुसूचित जाति व समाज के गरीब वर्ग के लोग रहे हैं जैसा कि राजकीय अभिलेख से स्पष्ट है। राजस्व अधिकारियों ने साज करके श्रीमती गोविन्द कंवर को साधारण विधवा की संज्ञा दी एवं उसके दत्तक पुत्र श्री हीरसिंह के नाम को अलग रखा अन्यथा श्रीमती गोविन्द कंवर को विधवा का लाभ नहीं मिलता और इन गरीबों को विभिन्न अदालतों एवं रेवेन्यू कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।

अतः अनुरोध है कि आजादी के पहले से आज तक काश्त करते आ रहे अनुसूचित जाति व समाज के गरीब वर्ग के काश्तकारों को उनकी काश्त भूमि के खातेदारी हक

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

प्रदान करावें एवं जिन अधिकारियों ने यह अन्याय करके गरीबों को परेशान किया है उन्हें दण्डित करावें तथा सांखू फोर्ट जागीर परिवार के सीलींग प्रकरण की विस्तृत जांच की जावे। मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस प्रकरण की ओर उल्लेख करके बता रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल परमार (अनुपस्थित)

श्रीमती तारा भण्डारी।

सिरोही जिले में फ्लोस्पार खनिज का अवैध खनन एवं चोरी छिपे बेचान

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष जी, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत सिरोही जिले में फ्लोस्पार के अवैध खनन एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहती हूं।

सिरोही जिला अनेकों प्रकार की खनिज सम्पदाओं से भरपूर जिला है। जिसमें मार्बल, ग्रेनाइट, लाइम स्टोन, फ्लोस्पार, बालस्टोनाइट आदि प्रमुख हैं। इसमें फ्लोस्पार काफी कीमती खनिज है। पिछले काफी समय से फ्लोस्पार के अवैध खनन एवं उसे चोरी छिपे बेचने की घटनाएं भी हो रही हैं।

इसी सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने अपने आदेशों के जरिये श्री गोविन्द प्रसाद सोमानी तथा अनिलकुमार जैन को फ्लोस्पार की पी.एल. स्वीकृति दी थी। जिसमें सर्व श्री गोविन्द प्रसाद सोमानी को 600 टन पी.एल तथा श्री अनिल कुमार जैन को 2000 टन फ्लोस्पार खनन करने की स्वीकृति दिनांक 14.3.87 तथा दिनांक 25.10.88 को दी थी। परन्तु इन लोगों को जिन स्थानों पर पी.एल. दी गई उन स्थानों पर फ्लोस्पार है ही नहीं। इन लोगों ने पी.एल. के स्थानों पर फर्जी पिट्स यानि खड्डे बना रखे हैं जबकि खनन फारेस्ट एरिया में कर रहे हैं जबकि उन नकली पिट्स में फारेस्ट एरिया से खनिज लाकर उस खनिज की छंटाई करते हैं तथा खनिज को चोरी छिपे ले जाकर लाखों रुपयों की कमाई कर रहे हैं। इन पी.एल. स्वीकृति को देने में बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ है क्योंकि पी.एल. की स्वीकृति केवल खनिज के टेस्टिंग हेतु दी जाती है तथा नियमों में टेस्टिंग हेतु दी जाने वाली पी.एल.के अनुसार 500 किलो ग्राम रायल्टी के तथा 500 किलोग्राम मय रायल्टी के खनिज निकालने की स्वीकृति होती है। यानि केवल एक हजार किलोग्राम तक ही स्वीकृति होती है।

परन्तु उपरोक्त लोगों को 600 टन एवं दो हजार टन पी.एल. की स्वीकृति देने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है तथा सारे प्रकरण को देखने पर कुछ गम्भीर सवाल सामने आते हैं।

(1) ऐसे क्या कारण रहे कि पी. एल. देने के सारे नियमों को तोड़कर राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त लोगों को नियम विरुद्ध इतना अधिक खनिज निकालने की स्वीकृति दी गई ?

(2) उपरोक्त पी. एल. धारकों ने इसका टेस्टिंग कहां करवाया तथा टेस्टिंग रिपोर्ट क्या आयी ?

(श्रीमती तारा भण्डारी)

इस प्रकार अधिकारियों की मिली भगत से फ्लोस्पार जैसे महंगे खनिज को टेस्टिंग के नाम पर निकाल कर फर्जी कम्पनियों तथा खुले बाजार में बेचकर पी. एल. धारकों ने भारी मुनाफा कमाया है तथा अवैध खनन कर सरकार को भी धोखा दिया जा रहा है।

मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगी कि सारे प्रकरण की जांच करवायी जाये और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरधा राम चौधरी।

श्रीमती चन्द्रप्रभा को ससुराल वालों द्वारा दहेज न लाने पर प्रताडित किया जाना

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन व प्रक्रिया के नियम 295 के तहत श्रीमती चन्द्रप्रभा पुत्री हरीसिंह, जाति सोनी, निवासी मकराना को उनके ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करने व दहेज दानव बाबत सूचना।

महोदय, उपरोक्त विषय में यह निवेदन है कि श्रीमती चन्द्रप्रभा पुत्री हरीसिंह सोनी, निवासी मकराना की शादी प्रदीप पुत्र गजानन्द सोनी निवासी जयपुर के साथ की थी एवं श्री हरी सिंह ने, जो अपनी पुत्री के लिए बन पड़ा उतना दहेज में दिया जिसमें दस तोला सोना एवं आवश्यक सामग्री दी। श्रीमती चन्द्रप्रभा के ससुराल वालों ने इस दहेज को अपनी स्थिति के अनुपात में कम मानते हुए भारी असन्तोष पैदा करते हुए श्रीमती चन्द्रप्रभा को अपने पीहर से और दहेज लाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया व 10 तोला सोना व 20 हजार नकद लाने के लिए दबाव डाला। उक्त मांग पूरी नहीं होने पर श्रीमती चन्द्रप्रभा को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दीं, प्रताड़ित किया, उनसे कई तरह के पत्र लिखवाये, जिन्दा जलाने के प्रयास किये व चन्द्रप्रभा की मासूम बच्ची को भी मारने का प्रयास किया। इस पर चन्द्रप्रभा के पति प्रदीप, ससुर गजानन्द, देवर आदि के खिलाफ चन्द्रप्रभा के पिता ने शास्त्री नगर, जयपुर पुलिस थाना में दिनांक 4.8.88 को धारा 498 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया लेकिन अभी तक वह जैर तफतीश है। चन्द्रप्रभा के ससुराल वाले अपने प्रभाव से मुकदमे को दबा रहे हैं। अभी मुकदमा सी. आई. डी. में लम्बित है। मुल्जिमान मुस्तगीस व उसकी पुत्री को घुटने टेकने को मजबूर करना चाहते हैं।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन कर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह मामला महिलाओं के उत्पीड़न व दहेज वसूली बाबत होने से बहुत ही महत्वपूर्ण व अविलम्बनीय है, अतः मुल्जिमान के खिलाफ तुरन्त चालान पेश करवाने की व्यवस्था करावें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, श्री बुलाकीदास कल्ला उपस्थित हैं। उदयपुर में परिसर का गठन करने के लिए 295 में नोटिस दिया है। यदि वह बोल दें तो मैं चला जाऊं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह नहीं बनाया जाय इसके बारे में बोलूंगा। इसके बारे में गलत एनलिस्ट कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यह कहा है, आपने यह नहीं कहा कि गलत लिखा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप स्वयं किसानों के हितैषी हैं। आप उदयपुर में कितनी यूनिवर्सिटीज खोलेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं है तो बोलने की जरूरत नहीं है। यदि है, तो बोलें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बनाये जाने के ऊपर आपको एक जगह नहीं सारी यूनिवर्सिटीज को देखना होगा, कई परिसर बनाने पड़ेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो प्रस्ताव दिया, मैंने सोचा कल्ला साहब जैसा आदमी इस तरह का प्रस्ताव रख रहा है, मामला क्या है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : टाईपिंग मिस्टेक हो गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी मिस्टेक हुई हैं या इनकी हुई है। यह कहते हैं ओरीजिनल में नहीं है मिस्टेक।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

ग्राम धूंधला सोजत में मारपीट एवं लूटपाट

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत ग्राम धूंधला पुलिस थाना सोजत में दिनांक 18.3.91 को रात्रि के 8.00 बजे सूरजमल पुत्र श्री भैरूंलाल, जाति जैन, निवासी धूंधला के आवासीय मकान एवं दुकान पर मुल्जिमानों ने जबरदस्ती पूर्वक परिवार के साथ मार-पीट कर घर का सामान बाहर डाल दिया एवं लूट पाट कर आतंक फैलाया जिसके सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं।

यह कि ग्राम धूंधला तहसील मारवाड़ जंक्शन, पुलिस थाना सोजत में सूरजमल पुत्र श्री भैरूंलाल, जाति जैन, निवासी धूंधला पिछले 20 वर्षों से श्री जनराजजी संचेती के मकान में किराये पर रह रहा है जिसमें सूरजमल उस मकान में दुकान करता है एवं अपने परिवार सहित रहता आ रहा है। दिनांक 18.3.91 को करीब सायं आठ बजे बेनाराम पुत्र श्री उम्मेद, चूनाराम पुत्र श्री मिश्री लाल, मांगीलाल पुत्र श्री माता जी, कुंभाराम पुत्र श्री आइदानजी, घेवर पुत्र श्री बचना जी, खींवाराम पुत्र श्री हिमताजी, निवासीगण धूंधला सूरजमल के आवासीय मकान में मारपीट, लूट–पाट की पूर्व तैयारी कर अनधिकृत रूप से मकान में प्रवेश कर एवं मकान के अन्दर कमरों का ताला तोड़कर मकान व दुकान का सामान मकान के बाहर फेंक दिया तथा सूरजमल के लड़के प्रेमचंद व सूरजमल की औरत को धक्का देकर घसीटते हुए मकान के बाहर खदेड़ दिया, कीमती सामान एवं रुपये चोरी करके ले गये। इसकी सूचना सूरज-

(९०)

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

मल के लड़के प्रेमचन्द ने ग्राम धूंधला के सरपंच पारसमल को दी तो पारसमल मौके पर पहुंचा तब तक काफी संख्या में गांव वाले इकट्ठे हो गये थे। सरपंच ने उक्त मुल्जिमानों को कहा कि जैन समाज का एक मात्र मकान इस गांव में है उन्हें इस बार नाजायज तौर पर तथा उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर अभद्र व्यवहार कर अच्छा नहीं किया। इन लोगों के आवासीय कोई दूसरा मकान भी नहीं है तथा श्री सूरजमल हृदय रोग का रोगी है, यह आप अन्याय कर रहे हैं। सरपंच के इतना कहते ही बेनाराम पुत्र उम्मेदजी, घेवरराम पुत्र श्री बचनाजी, राजाराम पुत्र श्री वचना जी, कुंभाराम पुत्र श्री शिवदान, हीराम पुत्र श्री नाताजी, बेनाराम पुत्र श्री हीराजी, नेमाराम पुत्र श्री शिवदान, मांगीलाल पुत्र श्री चिमनाजी, देवाराम पुत्र श्री मिश्रीजी निवासी धूंधला ने सरपंच पर कातिलाना हमला किया तथा मारपीट की उक्त घटना की सूचना पुलिस थाना सोजत में सरपंच द्वारा की गई। उक्त घटना के विरुद्ध धारा 151 में बेनाराम, मांगीलाल, चूनाराम को गिरफ्तार किया तथा सूरजमल की पुलिस थाना सोजत सिटी में प्रथम सूचना रिपोर्ट 49 दिनांक 18-3-91 को अन्तर्गत धारा 458,380 आई. पी. सी. में दर्ज की। उक्त वाकियात को करवाने में प्रेमपालसिंह एच. सी. सोजत रोड का हाथ था जिसने एक रोज पूर्व ग्राम धूंधला में उक्त मुल्जिमानों से षड्यन्त्र कर तमाम वाकियात करवाया। ग्राम में उक्त मुल्जिमानों का भारी आतंक है तथा तफतीश कुनिन्दा मुल्जिमानों से मिले हुए होने के कारण मुल्जिमानों को धारा 459, 380 में गिरफ्तार नहीं करने के कारण गांव में गवाहानों को टेम्पर विद कर रहे हैं। ग्राम के ग्रामीण उनसे आतंकित हैं, पूर्व में भी बहुत सी घटनाएं गांव में मुल्जिमान कर चुके हैं। अतः गृह मंत्री व सरकार से निवेदन है कि मुल्जिमानों के खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही कर गिरफ्तार करें एवं सरपंच एवं सूरजमल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करावें तथा सूरजमल व उसके परिवार को अपने मकान में पुनः बसाने की व्यवस्था करावें। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का एवं गृह मंत्रीजी का इस मामले में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सूरजमल जो कि एक मात्र एक ही मकान एक ही परिवार वहां रहता है जिसको कि आतंकित कर बेदखल कर दिया गया। मुल्जिमान वहां पर घूम रहे हैं, उनको पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं उसमें हस्तक्षेप करके वहां के हैड कान्स्टेबल, सोजत रोड जो कि गवाहों को टेम्परविद कर रहा है, मुल्जिमानों को प्रोटेक्शन दे रहा है इसलिए उसको तत्काल गिरफ्तार करने, मुल्जिमानों को गिरफ्तार करने की व्यवस्था करावें। ऐसे हैड कान्स्टेबल को जो पूर्व में भी अनेक प्रकार की घटनाओं में मुल्जिमों को प्रोत्साहन देता रहा है तत्काल वहां से हटाने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। श्री बी.डी. कल्ला।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को विभाजित कर उदयपुर में दक्षिणी परिसर नहीं बनाया जाना

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को विभाजित कर उदयपुर में दक्षिणी परिसर बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में विशेष चर्चा करना चाहूंगा।

मान्यवर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सुझावों के आधार पर तथा राजस्थान किसानों के हित में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की स्थापना 1987 में बीकानेर में की गयी थी। बीकानेर सम्भागीय मुख्यालय पर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एवं सिंचित क्षेत्र विकास के मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालय हैं एवं इन्दिरागांधी नहर परियोजना का बीकानेर मध्य भाग है। यहां के विभिन्न कार्यालय प्रथम एवं द्वितीय चरण के बीच में किसानों की नहर सम्बन्धी एवं कृषि सम्बन्धी कार्यों में व्यापक मदद करते है जब कोटा, अजमेर एवं बीकानेर में विश्वविद्यालय बनाये गये थे उस समय यह घोषणा की गयी, थी कि उदयपुर में जो शैक्षणिक प्रवृतियां चल रही हैं वे कायम रहेंगी लेकिन दक्षिण परिसर की बात की कोई बात नहीं कही गयी। पिछले कुल अर्से से विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कुछ कर्मचारी उदयपुर में दक्षिण परिसर बनाने हेतु दबाव की राजनीति का उपयोग कर रहे हैं तथा कृषि विभाग के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रीयवाद की घिनौनी राजनीति में लगे हुये हैं और इस विश्वविद्यालय को विभाजित करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर अधिनियम, 1987 में दक्षिणी परिसर बनाने का प्रावधान है? क्या देश के समस्त 27 कृषि विश्वविद्यालयों में दक्षिणी परिसर व प्रो–वाइस चांसलर मुख्यालय या मुख्यालय के बाहर कार्यरत हैं?

क्या प्रदेश के अन्य 5 विश्वविद्यालयों में प्रो–वाइस चांसलर हैं? क्या सभी विश्वविद्यालयों के, जो प्रदेश में स्थापित है, सभी के दक्षिणी परिसर या विभिन्न परिसर सभी जिला मुख्यालयों पर पृथक–पृथक स्थापित किये जायेंगे? क्या राज्य सरकार सचिवालय के दो टुकड़े कर समानान्तर प्रशासनिक व्यवस्था कायम कर प्रशासनिक कार्यों व आवश्यक कार्यों का निष्पादन कर सकेगी? तो फिर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के टुकड़े दो क्यों किये जा रहे हैं?

राजस्थान में केवल मात्र राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में प्रो–वाइस चांसलर का पद बनाने से अन्य पांचों विश्वविद्यालयों में यह मांग उठेगी कि शेष पांच विश्वविद्यालयों के अलग–अलग परिसर, अलग–अलग राज्य के हिस्सों में बनाये जाय। उदाहरण के लिये अजमेर विश्वविद्यालय का पश्चिमी परिसर बीकानेर में, राजस्थान विश्वविद्यालय का पूर्वी परिसर भरतपुर में, और उदयपुर विश्वविद्यालय का परिसर डूंगरपुर अथवा बांसवाड़ा में तथा कोटा खुला विश्वविद्यालय के कम से कम चार परिसर पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में खोलने पड़ेंगे। इसके लिये विद्यार्थी आन्दोलन जगह–जगह होंगे। इसका अतिरिक्त आर्थिक भार राज्य कोष

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पर पड़ेगा जो राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए असहनीय एवं कष्टदायी होगा। जब प्रदेश में तीन नये विश्वविद्यालय बनाये गये थे उस समय इस बात को ध्यान में रखा गया था कि बीकानेर एक ऐसा इलाका है जहां राज्य के कृषि अनुसंधान तथा कृषि विस्तार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता हैं। उदयपुर में खेती हेतु पर्याप्त जमीन न होने, अनुसंधान के लिए बड़े फार्म न होने तथा वहां के लोगों द्वारा सामान्य विश्वविद्यालय की मांग किये जाने तथा उनकी मांग के अनुसार सामान्य विश्वविद्यालय वहां सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नाम से बनाये जाने के बाद बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया। बीकानेर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं अभी तक प्रारम्भ नहीं की गयी हैं। वे कब तक प्रारम्भ की जायेगी? बीकानेर में डेयरी इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है, वह कब प्रारम्भ किया जायेगा? इसी प्रकार विश्वविद्यालय मुख्यालय पर सभी प्रशासनिक एवं कृषि विस्तार एवं कृषि अनुसंधान के निदेशालय के मुख्यालय बीकानेर में स्थापित किये जाने चाहिए थे। वे अभी तक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा निर्णय लिये जाने के बावजूद भी अभी तक बीकानेर में स्थानांतरित नहीं किये गये हैं जिससे बीकानेर/सम्भाग के लोगों में, नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है। कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य भी इस वर्तमान मंत्रिमण्डल में हैं, वे भी इस बात के समर्थक होंगे कि बीकानेर में फुलफ्लेज्ड विश्वविद्यालय बनाया जावे। मैं समझता हूं कि आप मंत्री–परिषद् में इस बात की आवाज बुलन्द करेंगे।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का चहुंमुखी विकास करने एवं आई. सी. ए. आर. (इण्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च) के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर बीकानेर मुख्यालय पर सभी प्रकार के कृषि विस्तार कृषि अनुसंधान एवं सम्पत्ति अधिकारी तथा विश्वविद्यालय मुख्यालय पर जितने कार्यालय देश के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के मुख्यालयों पर हैं, वे सभी स्थानांतरित करने का क्या राज्य सरकार इरादा रखती है एवं इस हेतु अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये दक्षिणी परिसर उदयपुर में किसी भी हालत में नहीं प्रारम्भ किया जाय, यह हमारी मांग है। इससे न केवल बीकानेर में बल्कि समूचे प्रदेश में यह समस्या राज्य सरकार का सरदर्द बनकर विद्यार्थियों, नागरिकों को आन्दोलन के रास्ते पर ले जायेगी और इसके दूरगामी परिणाम राज्य सरकार को भुगतने पड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि वह दक्षिणी परिसर किसी भी हालत में नहीं बनने दें। यदि दक्षिणी परिसर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का बनाया गया तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे और राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों के अलग अलग प्रकार के परिसर बनाने पड़ेंगे जिसका स्टेट एक्सचेकर पर भारी भरकम भार पड़ेगा और यह क्षेत्रीयता को बढ़ावा देगा। इसलिये किसानों के हित में दक्षिणी परिसर उदयपुर में नहीं बनाया जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने 295 के माध्यम से जो मोशन यहां पर रखा है, उस विषय पर एक सूचना आपके माध्यम से देना चाहता हूं। 1987–88 के बजट भाषण में तत्कालीन मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री और आज विपक्ष के नेता श्रीमान् हरिदेवजी जोशी ने भाषण देते हुए कहा था, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बनाते समय निम्न घोषणा की थी "राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का दक्षिणी परिसर उदयपुर होगा और वहां भी चालू प्रवृतियां बनी रहेंगी।"

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह केवल चालू प्रवृतियों के बारे में था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से जो रूटीन डाक्युमेंट हैं, जो बजट का भाषण है, तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय का और आज के विपक्ष के नेता महोदय का, केवल जानकारी देना चाहता हूं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : यदि बनाया जाना था तो कांग्रेस सरकार उस समय में बना देती। हमने उस समय भी इस बात का विरोध किया था कि दक्षिणी परिसर उदयपुर में नहीं बनाया जाय और आज भी हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। दक्षिणी परिसर किसी भी हिन्दुस्तान में नहीं। किसी विश्वविद्यालय में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बहस का मुद्दा नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : देश के 27 विश्वविद्यालयों में में इस प्रकार के परिसर नहीं है फिर राजस्थान में यह अनहोनी क्यों ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सूचना और देना चाहता हूं कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की है। हमको तो अवसर मिलेगा और हम इसके लिये प्रयासरत है। कैसा लूला-लंगड़ा कृषि विश्वविद्यालय नहीं, फुलफ्लेज्ड विश्वविद्यालय बनायेंगे आपके बीकानेर में। चिन्ता क्यों करते हो आप ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : बनायेंगे तो हम स्वागत करेंगे लेकिन आप तो बीकानेर को गोद लेकर झांसे ही झांसे मार रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत उपाध्यक्ष महोदय, आपने केवल बीकानेर विश्वविद्यालय का दफ्तर लगा दिया। अब वह ठीक है वोट लेने के लिये बहुत अच्छा है लेकिन विद्यार्थियों के लिये बहुत हानिकारक है। आपने जिस समय बीकानेर विश्वविद्यालय बनाया, उसकी पूरी योजना बनाते कि किस प्रकार विश्वविद्यालय चलेगा किस प्रकार की वहां नियुक्तियां होगी, क्या उनका परिसर होगा, इसकी तो चिन्ता की नहीं। चुनाव आ रहे थे इसलिये विश्वविद्यालय का एक बोर्ड लग जाना चाहिये। यह इतना सा काम आपने किया। बीकानेर की जनता अच्छी तरह से इसको जानती है। आप जिस समय मंत्री थे और अगर चिन्ता करते तो बीकानेर की स्थिति

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में बहुत सुधार हो जाता। आपने चिन्ता की नहीं। अब पुराने जो कुछ आपने किये हैं, उनमें सुधार हमसे कराना चाहो तो हमारी आपके साथ सहानुभूति है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दक्षिणी परिसर नहीं बनाया जाना चाहिये। आप भी उस समय विपक्ष के नेता थे और आपने स्पष्ट कहा था कि हम दक्षिणी परिसर किसी सूरत में नहीं बनायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की सहानुभूति थी आपके साथ। बिराजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, हमने विश्वविद्यालय बनाया उस समय फर्स्ट ईयर, सेकण्ड ईयर, थर्ड ईयर एग्रीकल्चर और बी. एस. सी. होम साइंस की कक्षाएं प्रारम्भ की थीं। अब पोस्ट-ग्रेजुएशन की कक्षाएं इस साल खुलने वाली थीं, वह आपको खोलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। प्रक्रिया और....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो यह बताइयें कि मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा उस समय की थी, वह गलत थी या सही थी ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : कौनसी घोषणा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1987-88 के बजट भाषण में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं अभी बताता हूं उसके बारे में दक्षिणी परिसर बनाये जाने का विरोध उस समय भी हमने किया था और उन्होंने केवल यह कहा था कि जो उदयपुर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर के जो पाठ्यक्रम चल रहे थे, वे वही चलते रहेंगे। इसमें हमें भी एतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो मुझे बता दो। मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा कि उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का दक्षिणी परिसर उदयपुर में होगा और वहां भी चालू प्रवृत्तियां बनी रहेंगी। इसके अनुसार काम करना चाहिये कि नहीं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, 1987 के बाद दो साल तक यह कांग्रेस का शासन चल रहा। वहां प्रो-वाइस चांसलर के पद या यह दक्षिणी परिसर फिर क्यों नहीं बनाया गया ? हमारा बराबर उसका विरोध रहा। मैं अभी भी इस बात को कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जो शैक्षणिक प्रवृतियां चल रही हैं, वे चलती रहें, उसका हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन देश के सारे कृषि विश्वविद्यालयों के विपरीत वहां प्रो-वाइस चांसलर का पद रखकर एक अलग कैम्पस बनाना यह प्रशासनिक तौर पर आपके और राजस्थान सरकार के लिये बड़ा सिरदर्दी का कारण बन जायेगा और सारे विद्यार्थी सड़कों पर आ जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वन मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं तो निवेदन करूंगा हाउस के नेता महोदय से कि इस तरह की बात

(श्री लाल चन्द डूडी)

कह के कल्ला साहब को क्यों उलझा रहे हो ? आप उन पर दया कीजिये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उन्होंने विश्व-विद्यालय के साथ दया नहीं की । विश्व-विद्यालय को ऐसा उलझा दिया कि वहां पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ ।

श्री लाल चन्द डूडी : तो कल्लाजी पर तो दया कीजिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वहां पर काम कैसे नहीं हुआ ? मुख्य मंत्रीजी वहां पर एग्रीकल्चर की क्लासेज शुरू हो गई । बी.एस.सी के पहले फर्स्ट ईयर खुला । सीधे फर्स्ट ईयर, सैकण्ड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों क्लासेज आ गई । इस साल उल्टा एम.एस.सी. एग्रीकल्चर की क्लासेज खोलनी चाहिये वह आपने नहीं खोली । बाकी हमारे वक्त तो क्लासेज शुरू हो गई थीं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जब वह सारा काम हो गया तो आपत्ति क्या है, वहां दक्षिण परिसर बनाया जाय तो ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : दक्षिणी परिसर देखिये, आई.सी.ए आर. की रूलिंग्स के खिलाफ है । इण्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो भावना है...... (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य, जरा जानकारी करके बोलेंगे तो ठीक रहेगा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं जानकारी करके बोल रहा हूं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तो फिर आपको करेक्ट कर रहा हूं ।

श्री लाल चन्द डूडी : इसके बारे में नहीं बोलें तो ज्यादा ठीक रहेगा । कल्लाजी, मैं आपको बता रहा हूं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 27 कृषि विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कोई परि-सर नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्लाजी, बिराजिये ।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अंतर्गत श्री लक्ष्मीनारायण दवे एवं श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर की नर्सरी में नवजात शिशुओं की देखभाल में बरती जाने वाली उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा मन्त्री का ध्यान आक-षित करेंगे ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, आसन व्यवस्था हुई थी, 2 मिनट मुझे बोलने की व्यवस्था दी थी लेकिन मैं गलती से थोड़ा बाहर था । 2 मिनट मैं बोलना चाहता हूं । स्थगन प्रस्ताव पर मुझे आसन से दो मिनट बोलने की व्यवस्था दी थी, एक स्थगन प्रस्ताव था करौली नगरपालिका के संबंध में ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जनार्दन सिंह जी गहलोत, वह स्थगन प्रस्ताव आया था, उसके बाद 295 की कार्यवाही हो गई, अब काल अटेंशन मोशन आ रहा है ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ 2 मिनट लूंगा इसमें आसन की व्यवस्था हुई है, यह सार्वजनिक हित का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : इस समय इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। आप अध्यक्ष जी से मिल करके और व्यवस्था करा लीजिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परम्परा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इस समय इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। स्थगन प्रस्ताव पहले हो गया, उसके बाद 295 का प्रोसिजर पूरा हो गया अब काल अटेंशन मोशन आ रहा है। आपको निश्चित तौर से अनुमति दे दी जायेगी। आप अध्यक्ष महोदय से मिल लें। अब नहीं दी जा सकती। (व्यवधान) A member should be vigilent; he should be here.

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक हित का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : सार्वजनिक है तो क्या है? आसन द्वारा समय दिया गया था लेकिन उस समय आप हाजिर नहीं थे, अब आप कृपया बिराजिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, उस समय मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। उपाध्यक्ष महोदय, यह सार्वजनिक मामला है। करौली की हालत ऐसी हो रही है कि वह गन्दगी के मारे सड़ रहा है। सरकार को केवल हस्तक्षेप करने की बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस समय इसको नही लिया जा सकता। कृपया बिराजिए। माननीय गहलोत जी, कृपया बिराजिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ऐसी परम्परा रही है, ऐसी कोई नई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : परम्परा ऐसी ही रही है इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अगर आसन से यह चाहते हैं कि करौली की जनता सड़ती रहे और सरकार को दो बात इस सार्वजनिक समस्या के लिए कहने के लिए आसन व्यवस्था नहीं दे तो कोई बात नहीं, अगर नेता महोदय यही चाहते हैं तालियां बजवाते हैं, करौली की जनता सड़ती रहे और वहां के कर्मचारियों की हड़ताल जो कि पिछले 4 महीने से चल रही है और नगरपालिका की सरकार वहां व्यवस्था नहीं कर रही है। अगर स्वयं सरकार यह चाहती है कि वहां पर व्यवस्था ऐसी ही बनी रहे, वहां गत 4 महीने से चल रही हड़ताल के अंदर सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है और आप भी व्यवस्था नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए। माननीय श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : आप समय पर उपस्थित भी नहीं रह सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर जी, कृपया बिराजें। माननीय दवे साहब।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

महिला चिकित्सा संघ, जयपुर में नवजात शिशुओं की देखभाल में उपेक्षा

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में राज्य के सबसे बड़े महिला चिकित्सालय में दिनांक 18–3–91 को सिजेरियन शल्य चिकित्सा से उत्पन्न नवजात शिशु के रोगग्रस्त होने पर उसके इलाज के प्रति उपेक्षा और अमानवीय व्यहार के संदर्भ में माननीय चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह अनुमति चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की प्रति विधान सभा सचिवालय को भेजी है और जिनकी एक प्रति मुझे भी दी है, उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा।

"महोदय, राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में राज्य के सबसे बड़े महिला चिकित्सालय में दिनांक 18–3–91 को सिजेरियन शल्य चिकित्सा से उत्पन्न नवजात शिशु के रोगग्रस्त होने पर उसके इलाज के प्रति घोर उपेक्षा और अमानवीय व्यवहार से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

नवजात शिशु की देखरेख इस चिकित्सालय की नर्सरी में की जाती है लेकिन इस शिशु को, ऊपर-नीचे किसी शिशु का नाम और उसके पिता का नाम आया नहीं, वार्ड नं. 1 में रखा गया। शिशु को ऊपर का दूध देने के लिए रात्रि के 11.00 बजे जब उबले पानी की मांग नर्सरी से उसकी अटेण्डेंट जो स्वयं एक सीनियर महिला चिकित्सक है द्वारा की गई तो नर्सरी की ड्यूटी नर्स से पानी देने से इंकार कर दिया। मानवीय आधार पर मांग की जाने पर भी पानी नहीं उपलब्ध करवाया और यहां तक धमकी दी गई कि महिला चिकित्सालय की अधीक्षका डा. टाली भी पानी की मांग आकर करती तो गर्म पानी उपलब्ध नहीं करवाया जाता। क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि अटेण्डेंट द्वारा अपना परिचय देने पर भी नर्स अभद्र व्यवहार करते हुए यही उत्तर दिया कि ऐसे बहुत डाक्टर फिरते हैं। परिणामतः बाहर भोजनालय से गर्म पानी लाकर दूध पिलाना पड़ा। 19–3–91 को नवजात शिशु के बीमार होने पर बार-बार आग्रह करने पर भी नर्सरी से कोई नहीं आया और बुखार नपवाने के लिए नवजात शिशु को नर्सरी में जाने के लिए कहा गया। नवजात शिशु को रोगग्रस्त होने की दशा में वार्ड से नर्सरी में ले जाना स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होता है यह सभी स्वीकार करेंगे लेकिन फिर भी बुखार नापने और सामान्य जांच करने के लिए नर्सरी से वार्ड में कोई नहीं आया। नर्सरी की प्रभारी डा. मिगलानी, जो यहां महिला चिकित्सालय में रहती हैं और उनका एक वार्ड है जिसमें डाक्टर भिजवाती हैं, से सम्पर्क कर सारी स्थिति से अवगत कराया गया तो उन्होंने नर्सरी से भी ज्यादा उपेक्षापूर्ण बर्ताव का प्रदर्शन किया और कहा कि वह अपनी नर्सरी के विपरीत कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों से सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है कि साधारण

(98)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

व्यक्ति के लिए राज्य के सबसे बड़े अस्पताल और उसकी नर्सरी में जितना अभद्र और अमानवीय व्यवहार किया जाता होगा। इससे यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार के डाक्टर व नर्स का व्यवहार जानवरों से भी बदतर है। उससे यही बू आती है कि पैसा लेकर ही डा. मिगलानी और उसका कार्य करने वाली भी वेतन के अलावा प्राप्त न हो तो किसी मरीज पर कोई ध्यान नहीं देतीं, चाहे वह बच्चा हो, महिला हो अथवा मृत्यु को प्राप्त होने वाली अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा हो। अतः उस अस्पताल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि डा. मिगलानी और ड्यूटी नर्स सुमन को अविलम्ब निलम्बित किया जाय और जांच कार्यवाही करके दण्डित किया जाय। अतः मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है। प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत चिकित्सा मंत्री का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करने की कृपा करें।"

मैंने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिए पढ़ा है कि न तो मरीज कौन है, मरीज का पिता कौन है, मां कौन है, कौन व्यक्ति गया, किससे कहा, किसकी बात हुई इसलिए बड़ा धर्मसंकट खड़ा हो गया कि इस बारे में जो बात मेरे सामने आई है और जो पत्र आया है उसमें किस प्रकार का उत्तर मैं दूं। फिर भी मैं आपके माध्यम से....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपने पत्र पढ़ा है यह प्रश्नकर्ता कौन है इसका भी मालूम पड़ जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह तो गड़बड़ थोड़ी सी यह हो गई थी, मैं सचिवालय के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, यह आता है, डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट का उत्तर आता है यहां और डिपार्टमेंट का उत्तर आने के बाद यह तय होता है कि यह लगेगा। किन्तु यह सीधा-सीधा कल प्रातः काल पत्र मिला। इस विषय में भी अब मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि उस दिन 13 महिलाओं का प्रसव वहां हुआ था, जिसमें 3 सिजेरियन थीं। अब यह आ गई कि सिजेरियन एक कौन तो जच्चा थी और कौन बच्चा था और उसकी अटेंडेंट कहां आई और किससे कहने आई, यह धर्मसंकट खड़ा हो गया। फिर भी मैं आपके....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मंत्रीजी आपने जो ध्यानाकर्षण पढ़ा है जो माननीय सदस्य ने रखा उसमें यह शब्द आया था कि बहुत डाक्टर घूमते हैं। यानि कोई डाक्टर है, जो मां है। उसका बच्चा सिद्ध हुआ तो वे भी समझते थे किसी न किसी डाक्टर का बच्चा है वह।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह भी निवेदन करना चाहता हूं। मैं इसलिए चाहता था कि माननीय सदस्य इस बात की जानकारी, इस घटना के साथ स्पेसिफिक बच्चा और जच्चा और जाने वाले व्यक्ति की जानकारी दे देते तो जांच करने में फायदा होता। फिर भी जो जांच मैंने वहां तीनों के बारे में की, जिनकी सिजेरियन हुई है, प्रसव हुआ है उसमें किस प्रकार की स्थिति किसके साथ आ सकती है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा या माननीय सदस्य मुझे स्पेसिफिक नाम बता दें, क्योंकि तीनों के बारे में मैंने कुछ जानकारी मंगाई है, कोई

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नाम बता दें तो मुझे तीनों के बारे में जो नोट हैं उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं और ध्यानाकर्षण के बारे में कुछ कह सकता हूं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको सब पता है कि किसका बच्चा था, कौन डाक्टर है कौन उसका अटेण्डेंड है, सब स्वास्थ्य मंत्रीजी को मालूम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जानकारी रखने का काम आपका है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 18–3–91 को सिजेरियन आपरेशन हो गया है तो उस नवजात बच्चे को नर्सरी के अंदर एडमिट किया जाता है। और यह 18.3.91 को जो सिजेरियन आपरेशन हुआ, इस बच्चे को नर्सरी के अन्दर एडमिट नहीं करवा कर जनरल वार्ड के अन्दर एड-मिट करवाया गया। यह जानकारी आपके लिए बहुत है कि 18.3.91 को सिजेरियन आपरेशन हुआ, उस दिन बच्ची को जनरल वार्ड में भर्ती करवाया था, नर्सरी में नहीं। जबकि कानून और प्रक्रिया के आधार पर उसको नर्सरी में भर्ती करवाया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : ताराजी।

(2.00 म.प.)

श्रीमती तारा भण्डारी : जैसा कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने बताया कि उस दिन केवल तीन सिजेरियन हुए थे, तारीख इसमें अंकित हैं। मेरे को जैसी जानकारी हैं, कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण लोगों ने अपने नाम नहीं दिये लेकिन बच्चे की मां स्वयं डाक्टर है, बच्चे के पिता स्वयं डॉक्टर हैं और बच्चे की अटेण्डेन्ट भी डाक्टर थी। सभी डाक्टर होने के कारण यह अपना नाम नहीं दे पाये लेकिन सवाल यह आता है कि इन चिकित्सालयों में जो लोग जाते हैं वह जीवन लेने के लिए जाते हैं या जीवन देने के लिए ? जो बच्चा सिजे-रियन से उत्पन्न हुआ उसे नर्सरी केयर में रखना था या स्पेशल केयर में रखा जाता है। उसके लिए गर्म पानी तक देने की उनको फुरसत नहीं मिली। ऊपर से वह यह कहती है कि ऐसे डाक्टर तो बहुत घूमते हैं। ऐसा उस नर्स का साहस हो गया और वह साहस किसके बलबूते पर हुआ ? उस डाक्टर मिगलानी के बलबूते पर हुआ जिनके वह +++ पैसे खाकर वह नर्स काम करती है। एक डाक्टर मां है, डाक्टर पिता है, डाक्टर अटेण्डेन्ट है उनके बच्चे को नर्सरी सुविधा नहीं दी गई और उसको गर्म पानी नहीं दिया। यह तथ्य बहुत है, तथ्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है जो स्वयं डाक्टर है उनके बच्चे को भी अगर सुविधा नहीं मिली तो आम आदमी के साथ आज चिकित्सालयों में क्या व्यवहार होता होगा ? इस बात पर गौर करने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी।

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अब तो मामला काफी साफ हो गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं आपके माध्यम से....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब बोल रहे हैं।

डा. हरिसिंह : सारा मामला, उपाध्यक्ष जी, डाक्टर भी मां, डाक्टर का बच्चा, डाक्टर अटेण्डेन्ट, अगर डाक्टर ही आपस में तालमेल नहीं रखेंगे, यह कमजोरी है, कहीं कोई आपसी रंजिश दिखती है मेरे को तो, डाक्टरों के झगड़े में काहे को यह सदन पड़ रहा है।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्षजी, यह गुमराह करने की बात है, वास्तव में इस तरह से होता है। हम भुक्तभोगी हैं, हम लोग अस्पतालों में जाते हैं और डाक्टर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसका नमूना हमारे चिकित्सा मंत्रीजी को दिखाना आवश्यक था क्योंकि हम भी उनके साथी हैं, हमारा फर्ज है कि राजस्थान के किसी भी चिकित्सालय में ऐसा बर्ताव होता है तो हमारी ड्यूटी है कि हम चिकित्सा मंत्रीजी को बतायें। यह हमारा फर्ज है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, मैं बता दूं। सूर्यकांताजी के यहां बच्ची के बच्चा हुआ पहला और उसका आपरेशन कर दिया, आगे बच्चा ही नहीं होगा। यह तो भुक्तभोगी बैठी हैं हम लोग....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं भी इस बात की भुक्तभोगी हूं, मेरे को इत्तला तक भी नहीं, फेमिली प्लानिंग का आपरेशन कर दिया मेरी लड़की के, उससे एक ही लड़की है। तो अस्पतालों का तो यह हाल है....

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं साथ गई थी, स्वयं बता सकती हूं, कहां क्या हाल है, कहां-कहां की बतायें आपको ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कब किया है। यह आपरेशन कब किया ?

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : यह इमरजेंसी के टाइम 77 में....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इमरजेंसी के समय, ताली बजाइये, ताली।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं तो यह बता रही हूं कि अस्पतालों का यह हाल है।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्षजी, यही डाक्टर मिगलानी, एक उदाहरण मैं और देती हूं। मेरी स्वयं की बच्ची पाली से अपनी बेटी को लेकर यहां आयी, उसकी स्थिति बहुत खराब थी। मैं इनके प्रिंसीपल डाक्टर भण्डारी के पास गई थी एक पर्ची लिखवाने कि किसी अच्छे डाक्टर के नाम आप पर्ची लिख दीजिए, उन्होंने इसी मिगलानी के नाम पर्ची लिखी। मेरी बच्ची और दामाद मिगलानी को दिखाने गये। उस डाक्टरनी ने सिर ऊंचा नहीं किया और कहती है कि ऐसा कोई सीरियस मामला नहीं है, कल आओ। उस बच्ची को हमने उसी टाइम संतोकबा दुर्लभजी में भर्ती कराया, उसका ट्रीटमेंट करवाया। यह तो इनका आचरण हो गया है। हम जन प्रतिनिधि हैं, हमारी ड्यूटी है कि हम इस तरह

(श्रीमती तारा भण्डारी)

की बातों को माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को बतायें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सूर्यकांताजी ।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर डाक्टर के लड़की हुई और डाक्टर पिता हो, अटेण्डेन्ट भी डाक्टर हो उसके साथ यह व्यवहार है तो जनता के साथ क्या मालूम यह डाक्टर लोग क्या व्यवहार करते होंगे । चिकित्सा मंत्रीजी बहुत जागरूक हैं इसलिए इनको सारी बातें बताना अति आवश्यक है कि यह अस्पताल एक जन्मदाता है, इसके बारे में अगर स्वास्थ्य मंत्रीजी ध्यान नहीं देंगे तो इस अस्पताल का कैसे सुधार होगा । यह तो कांग्रेस प्रशासन ने ऐसा कर दिया था, पूर्व सरकार ने, सत्यानाश, अब भैरोंसिंहजी की सरकार है, इसके बारे में जरूर सोचेगी कि महिलाओं के साथ न्याय हो। आप यह समझें कि एक अटेण्डेन्ट डाक्टर, एक डाक्टर तो ख्याल करता है, इनके तो वह कहता है कि जानकारी दो कि आप कौन है ? कमाल हो गया, जानकारी देने की क्या जरूरत है, डाक्टर की ड्यूटी है कि बच्चे को आकर संभाले, बच्चे को देखे । अगर इस दरम्यान बच्चे को कुछ हो जाता तो उसके मां-बाप को कितनी ठेस पहुंचेगी । इसलिए इसकी जानकारी बहुत जरूरी है । अगर यह डाक्टर और नर्स ऐसे हैं, अभी जैसे माननीय सदस्या खुद बता रही हैं कि यह स्थिति है, तो डाक्टर व नर्स को अविलम्ब सस्पैण्ड करना चाहिए । मेरी पुरजोर शब्दों में मांग है मंत्री महोदय से कि ऐसे डाक्टर को सस्पैण्ड करिये ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें ।

डा. हरिसिंह : उपाध्यक्षजी, महिलाओं का मामला है, मरीज भी महिला है, इलाज करवाने वाली भी महिला, नर्स भी महिला....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं-नहीं, आपको दया करने की जरूरत नहीं है । दया के भिखारी नहीं है, हम हमारा हक ले सकते हैं । हम दया नहीं चाहते हैं....

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय सदस्य सदन को गुमराह करना चाहते हैं क्योंकि यह कारनामे इनके समय से चले आ रहे हैं । यह जो डाक्टरों की आदत बिगड़ी है वह कांग्रेस के जमाने से बिगड़ी हुई है । इसलिए सदन को गुमराह करना चाहते हैं ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप दया की बात करते हैं, हमारी सहानुभूति इनके प्रति नहीं है, हम तो सबके प्रति चाहते हैं ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अब आप भैरोंसिंहजी के जमाने में ठीक करा लो ।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह माननीय सदस्य सदन को गुमराह इसलिए कर रहे हैं कि सारे कारनामे इनके समय से चल रहे हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम आपसे नहीं कह रहे हैं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी ; सारे डाक्टरों की आदत कांग्रेस के कारण बिगड़ी हुई है....

डा. हरिसिंह : माननीय मंत्रीजी, आपकी पार्टी के लोग इस तरह चिल्लायें, यह तो अच्छी बात नहीं है। आप कुछ समाधान कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। डाक्टर साहब, बिराजिए।

डा. हरिसिंह : मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा हूं, आप सुनिये तो सही।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने सुधार तो करे नहीं, आपके बिगाड़े हुए काम को आप सुधारेंगे, आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप काहे को अटक रहे हैं बीच में, आपसे कह क्या रहे हैं ?

डा हरिसिंह : आप सुनिये तो सही। मैं यह नहीं कह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजलाजी, बिराजिए।

डा. हरिसिंह : मैं यह नहीं कहता कि व्यवस्था अस्पताल में अच्छी है, मैं यह नहीं कहता लेकिन सारा मामला....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप नहीं है वहां के स्पोक्समैन, हम जिनसे बात कर कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं।

डा. हरिसिंह : महिलाओं का मामला है, संवेदनशील है, माननीय मंत्रीजी, संवेदनशीलता से देख लीजिए की इसमें और क्या जरूरत है। महिलाएं ही महिलाएं इन्वाल्वड हैं यहां, और महिलाएं ही महिलाओं की खिलाफत कर रही हैं। यहां भी महिलाएं ही खिलाफत कर रही हैं, आप काहे को झगड़े में पड़ रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह महिलाओं की खिलाफत नहीं है, आप गलत कह रहे हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : व्यवस्था सुधार की बात कर रहे हैं, कोई महिला, महिला की खिलाफत की बात नहीं है, आप बीच में नहीं अटकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दवे साहब। कृपया शांत रहिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिजेरियन आपरेशन होने के पश्चात् बच्चे को नर्सरी वार्ड में भर्ती कराया जाता है, यह आम तौर से होता रहा है। मगर 18.3.91 को सम्बन्धित जो सिजेरियन आपरेशन हुआ, उस बच्चे, को जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया, वार्ड नं. एक के अन्दर, आपरेशन होने के तत्काल पश्चात् बच्चे को मां का दूध नहीं पिलाया जा सकता इसके कारण ऊपर के दूध पाउडर के दूध या अन्य दूध की व्यवस्था करनी पड़ती है तो उस वक्त जो अटेण्डेन्ट थी, जो उस नवजात शिशु के साथ में थी, उसने कार्यरत नर्स जो थी उससे गर्म पानी की व्यवस्था के बारे में बात की। उस नर्स ने इतने अमानवीय तरीके से, इतने अभद्र तरीके से....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दवे साहब, यह रिकार्ड में आ चुका है। आप अगर इसके अन्यथा उनके फादर–मदर के बारे में बोल रहे हैं तो बोलें, यह तो आप बता चुके हैं पहले।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आप ठहरिये, साहब....(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : क्या मालूम कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : परन्तु वह गर्म दूध नहीं ला सके तो वह महिला अटेण्डेन्ट रात के ग्यारह बजे सम्बन्धित अस्पताल से पांच सौ कदम दूर होटल गई और होटल में जाकर वहां से गर्म दूध लेकर आयी और उस बच्चे को दूध दिया गया। दूसरे दिन बच्चे को काटेज वार्ड में भर्ती कराया गया और सम्बन्धित डाक्टर व नर्स से कहा गया कि इसकी जांच की जाय, इसका टैम्परेचर नोट किया जाय तो कार्यरत नर्स ने टेम्परेचर नोट करने के लिए बिल्कुल इन्कार कर दिया। तो सम्बन्धित इंचार्ज, जो मिगलानी डॉक्टर थी, उसको टेलीफोन के द्वारा उस अटैण्डेन्ट ने सूचना दी तो उस मिगलानी डाक्टर ने यह कहा कि आप परिचय दीजिए तो उसने बताया कि संबंधित बच्चा जो सिजेरियन आपरेशन के तहत वार्ड नं. 1 में भर्ती है उसकी मैं अटेण्डेण्ट हूं, यही परिचय देना मेरे लिए काफी है। परन्तु उन्होंने कहा कि अभी तो जरूरी केस है, बात करके टेलीफोन रख दिया गया। बच्चा बीमार रहा और उसके साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया। अगर बच्चे की जान चली जाती तो उस मां, उस परिवार के साथ किस प्रकार की घटना घटित होती। मैं चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सिजेरियन आपरेशन होता है उसमें नर्सरी वार्ड में भर्ती किया जाता है उस बच्चे को साधारण वार्ड में भर्ती क्यों कराया गया।

दूसरी बात, जो अटेण्डेण्ट वहां पर कार्यरत है उसको पानी, दूध, दवाई के लिए आपके चिकित्सा विभाग द्वारा कोई ऐसे निर्देश नहीं दिये हुए हैं कि वह संबंधित मरीज के प्रति लापरवाही नहीं बरते और उनको आवश्यकतानुसार सुविधा उपलब्ध करवाई जाय। यह बड़ा लोक महत्व का प्रश्न है। संबंधित बच्चे के बारे में या उसके परिवार के बारे में यह बताना काफी नहीं है कि उस दिन उस बच्चे को जनरल वार्ड में भर्ती करवाया गया। सिजेरियन वार्ड में जो नवजात शिशु हुआ उसकी मां भी डाक्टर थी, अटेण्डेण्ट भी डाक्टर था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। ऐसा है स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर अपना स्टेटमेंट दे दें, उसके बाद में आप कुछ कहिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि एक तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। गर्म पानी जैसी चीज कोई नियमों में लिखी नहीं रहती यह विवेक पर आधारित रहता है। दूसरी मेरी बात यह है कि उस बच्चे को दूसरे दिन बराबर उसकी देखभाल नहीं होने के कारण, उसके प्रति लापरवाही बरतने के कारण बुखार आ गया और जब उसके अटेण्डेण्ट ने उसका बुखार नापने के लिए काटेज में आने के लिए बोला तो उन्होंने कहा कोई व्यक्ति काटेज में नहीं आयेगा आप इस बच्चे को अस्पताल में लाइयें तभी देखी जायेगा। उन लोगों ने और तो और बच्चे की जान बचाने की खातिर बाहर से डाक्टर को बुलाया और इलाज करवाया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष जी, इस प्रकार का मामला सदन में आया है जो काफी गम्भीर है। सही मायने में इस प्रकार का व्यवहार उस बच्चे और उस अटेण्डेण्ट के साथ किया गया। अगर उस डाक्टर को मालूम हो तो निश्चित तौर से इस सदन को आश्चर्य होगा और जान-बूझकर माननीय सदस्य ने उस अटेण्डेण्ट का नाम नहीं बताया, अगर वह अपना नाम बता देते तो शायद स्थिति दूसरी होती लेकिन प्रश्न इस बात का है कि ऐसी घटनाएं जो इन्फ्लूएंसिव नहीं हैं या उसके नाम से जानते नहीं हैं डाक्टर, उन लोगों के साथ क्या होता होगा ? प्रश्न इस बात का है। जैसा मुझे मालूम है उस अस्पताल में उस समय मिगलानी मौजूद नहीं थीं लेकिन मिगलानी डाक्टर को फोन करने के बाद ऐसा कभी राजस्थान में कम से कम औरों के साथ व्यवहार होता है लेकिन डाक्टर का डाक्टर के प्रति फोन जाने के बाद यह घटना हम पहली बार सुन रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो इस पर बड़ी गम्भीरता से एक्शन लेना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस अटेण्डेण्ट ने अपनी आइडेंटिफाई नहीं बताई, इसकी वजह से यह सारी घटना घटी है ऐसा मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सदस्याओं ने काफी महत्वपूर्ण मामला उठाया है। राजस्थान में ऐसे कितने लोग हैं जो अपना नाम बता सकते हैं। उन्होंने नाम नहीं बताया। आज राजस्थान भर में इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है उसके लिए क्या स्वास्थ्य मंत्री जी व्यवस्था करेंगे कि पानी और दूध सारे ही मरीजों को उपलब्ध हो और इस प्रकार की जो घटना घटी है उसे गम्भीरता से लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप एक सवाल पूछ लीजिए, पूछना चाहें तो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने फरमाया कि मरीज का नाम और पता नहीं था इसलिए पूरी जानकारी नहीं ले सके। मामला चूंकि मेडिकल से संबंधित है और हास्पिटल में होने वाली लापरवाही के ही संबंध में है इसलिए मैं, मंत्री महोदय, आपकी जानकारी में एक ऐसा नाम ला दूं और वह भी डाक्टर की लापरवाही से जिसकी हत्या हो गई, यह कहूंगा मैं, संजीव पारीक जिसका आपरेशन 15–1 को किया गया 11.1 को एक साधारण से आपरेशन में वह आदमी सिग्माफ्रेक्चर से (व्यवधान)

ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, जब मामला हास्पिटल में होने वाली लापरवाही से संबंधित है....(व्यवधान)

यह कह करके आप इस बात को नजरन्दाज नहीं करें, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, बड़ी गम्भीर बात है, आप इसे सुनें और उस परिवार को राहत दे सकें तो कृपया दिलवाने की कोशिश करिये। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं संजीव पारीक....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप मुझे लिख कर दे देना। पहले इसकी तो कर लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नाम ले चुके, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : नाम लेने मात्र से क्या हो गया, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : आपको एक सवाल के लिए अलाउ किया था, आपने पूछ लिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं सदन को डाक्टर की और सब की जानकारी दे रहा हूं, उस परिवार का नाम बता रहा हूं, मरीज का नाम बता रहा हूं आपको। संजीव पारीक का आपरेशन डा. कमला माथुर वहां पर अनेस्थेसिस्ट थी वहां पर, डा. छाजेड़ वहां पर डाक्टर थे, मात्र 15 मिनट में ही उसका कार्डिएक अरेस्ट हो गया....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप पहले नोटिस दे देते तो मैं कोई सूचना लाता।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप रोकिये इन्हें, जो कुछ अस्पतालों में हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : केवल एक सवाल पूछने के लिए अनुमति दी गई है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला काफी गम्भीर है। मैं समझता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी निश्चित तौर पर आज सदन को वक्तव्य देंगे या जो भी कार्यवाही होगी उसके बारे में कुछ कहेंगे। मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं कि इसी तरह से एक मामला बूंदी में हुआ था जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में है। उस पर तो कुछ रिपोर्ट आई होगी और मैंने भी 131 का इसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है उसके बारे क्या मुझे मौका दिया जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। आप जवाब सुन लीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण वर्मा : वह मामला इससे भी गम्भीर है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में है जिसमें फोर्ज्ड डाकूमेंट बनाये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप ले आइये। नोटिस दे दीजिए, आ जाएगा।

श्री रामनारायण वर्मा : दे रखा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दस दिन हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। वह नहीं है, आपका इसमें नहीं आ सकता, आप अलग से दे दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोजत से आते वाले माननीय सदस्य ने इस सूचना के जरिये जो मेरा ध्यानाकर्षण किया है। मेरे मन की इच्छा थी अगर कोई भी हिन्ट कर देते वह तो इस स्पेसिफिक घटना के बारे में मैं कुछ कह सकता किन्तु जब तीनों इस प्रकार के प्रसंगों की जो सूचना मैंने ली है वह आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि जो मुझे विभाग से जानकारी मिली है, प्रसव होने के बाद....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : डा. राधा व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : डा. राधा व्यास और पिता का नाम सी. के. व्यास।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह पहले दे देते तो आ जाती सब एकदम घटना।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अब क्या हुआ, नाम लो आप तो। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 3 घटनाएं मालूम हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : चिकित्सा मंत्री जी, आप शेखावत साहब की सीट से अलग हो जाओ। कर देसूं, हो जासी। आपसे तो हम यह उम्मीद करेंगे कि आप कठोर कार्य-वाही करेंगे इसलिए आपको उस घटना का भी मालूम है, जिस प्रकार की घटना या जिस प्रकार का व्यवहार है, उसका भी मालूम है, कौन लोग हैं यह भी मालूम है, क्यों नाम नहीं बताते, यह भी मालूम है इसलिए सीधे-सीधे इस घटना पर आइये और उस अस्पताल की व्यवस्था को सुधारिये।

श्री सम्पत सिंह : यह प्रसव का मामला है, आप क्या समझते हैं इसमें ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था, इस प्रकार के तीन प्रसव हुए थे और तीनों की सूचना मैं लेकर आया था। मैं सोजत से आने वाले माननीय सदस्य को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अब नाम यहां बता दिया। अच्छा होता कि यह नाम पहले मालूम पड़ जाता, वहां नहीं जाता तो भी इसके बारे विस्तृत सूचना मैं लाता इसके बावजूद काफी विस्तृत सूचना इस घटना के बारे में मेरे पास है जो कि मैं आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं।

दिनांक 18.3.91 को श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री सी. के. व्यास को सिजेरियन प्रसव में मध्याह्न 12.35 बजे कन्या उत्पन्न हुई। एक बजे किसी प्रकार की जोखिम से बचने के लिए शिशु को महिला चिकित्सालय की नर्सरी में भर्ती किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं यहां चर्चा की गई है कि नर्सरी में भर्ती नहीं किया गया है, बच्चा नर्सरी में भर्ती हुआ है और इसलिए यह कहना और लगातार चर्चा करना कि इस प्रकार की स्थिति बनी है, यह ठीक नहीं है। बच्चा नर्सरी में भर्ती किया गया था। उसी दिन मध्याह्न पश्चात 4.20 बजे, 12.35 बजे तो बच्चा पैदा हुआ, 12.45 पर नर्सरी में भर्ती हुआ और 4.20 बजे नर्सरी से डिस्चार्ज करके....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आपने कन्या बताई है और अब बच्चा बता रहे हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बच्चे में कन्या और बालक दोनों ही आते हैं। क्षमा करेंगे, इतनी भी वोकेबलरी खराब मत करिये। बहुत ही गजब है आपकी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि सिजेरियन से बच्चा होता है तो 3 दिन तक उसे नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनका जवाब सुन लीजिये पहले। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पहले पूरी बात कर लेने दें। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो माननीय सदस्य ने मान ली कि 12.40 बजे से 4.20 तक नर्सरी में रखा गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं बच्चे

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

को नर्सरी में रखने का प्रयोजन यह है कि यदि कोई जोखिम रहती है, जब तक डाक्टर्स इस बात से कन्विन्स हो जाते हैं कि जोखिम नहीं है, बच्चे को नर्सरी से वार्ड में भेज देते हैं। नर्सरी में केवल 15 बैड हैं। और नर्सरी में 15 बैड के हिसाब से यह चिन्ता करनी पड़ती है कि जिस-जिस बच्चे को जोखिम से बाहर समझा जाये, उसे निश्चित रूप से वार्ड में भेज दिया जाये। 4.20 बजे बच्चे को नर्सरी से डिस्चार्ज करके बच्चे की माता को सौंप दिया गया क्योंकि बच्चा स्वस्थ था और कोई जोखिम नहीं थी। सामान्यतया तथा नार्मल डिलीवरी केसेज में शिशुओं का माता को सौंप दिया जाता है और उन्हें नर्सरी में नहीं रखा जाता है। उसी दिन रात्रि में एक महिला नर्सरी में गई और बच्चे के लिए दूध मांगा। ड्यूटी पर उपस्थित डाक्टर द्वारा यह कहा गया कि वार्ड के नवजात शिशु बच्चों को दूध यहां से नहीं दिया जाता है और उस महिला ने नर्सिंग स्टाफ से फिर उबला हुआ पानी मांगा जिसके लिए नम्रतापूर्वक कहा गया कि इस प्रकार की सुविधा नर्सरी में वार्ड के मरीजों को नहीं दी जाती है। वार्ड के मरीजों को वार्ड में ही सुविधा देने का प्रावधान है। मैं आपके माध्यम से इस बात की जानकारी माननीय सदस्य को देना चाहता हूं कि नर्सरी में 15 बेड हैं, 15 झूले हैं जिसमें इस प्रकार के बच्चे होते हैं जिसकी जोखिम है और इसके दूर वार्ड हैं जहां वार्ड में रहने वाले बच्चों का पूरा ध्यान वार्ड के लोग करते हैं। नर्सरी में क्योंकि 15 बेड, लिमिटेड बेड के लिए करना पड़ता है। इसलिए जो बच्चे वार्ड में होते हैं, उसके बारे में नर्सरी ध्यान करें, इस प्रकार की व्यवस्था सामान्य रूप से नहीं है। (व्यवधान)

जी हां, सिजेरियन के बाद भी। जो बच्चा वार्ड में भेज दिया उसकी वार्ड में व्यवस्था और जो नर्सरी में रहेगा उसकी नर्सरी में व्यवस्था रहेगी। इस तरह की सुविधा नर्सरी में वार्ड के मरीजों को नहीं दी जाती है। रेजीडेन्ट डाक्टर जो उस समय ड्यूटी पर था, उसने भी उस महिला को समझाया कि इस प्रकार की सुविधा वार्ड के मरीजों को वार्ड में ही दी जाती है और नर्सरी स्टाफ द्वारा नहीं दी जाती है। फिर भी यदि गरम पानी चाहिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नर्सरी में नवजात शिशुओं के देखभाल की अधिक जिम्मेदारी रहती है और नर्सरी के बाहर के बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी नर्सरी का स्टाफ नहीं ले सकता। इसकी व्यवस्था वार्ड के स्टाफ को ही करनी होती है। जब नर्सरी के स्टाफ ने उक्त महिला को बताया कि उस महिला ने अपने आपको डाक्टर बताते हुए वहां के स्टाफ को चेतावनी दी कि उनको इसका बुरा इल्जाम भुगतना पड़ेगा।

अगले दिन 19.3.91 को डाक्टर द्वारा रूटीन राउण्ड लिया गया और वार्ड में बच्चा पूर्णतया स्वस्थ था। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि बच्चे को बुखार आया, बुखार नापना चाहिये था, मैं इसकी जांच करूंगा और अगर इसमें गड़बड़ पायी गई तो निश्चित रूप से एक्शन लिया जायेगा किन्तु रूटीन में वार्ड के जो केसेज है, वे वार्ड में करने के लिए होते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्सरी के किसी भी स्टाफ ने 18.3.91 को रात्रि में ड्यूटी पर था, डाक्टर मिगलानी से

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं किया क्योंकि आवश्यकता नहीं थी किन्तु जब मैंने जानकारी ली और रात में स्वयं गया और स्वयं ने कहा कि बच्चों की चिन्ता नहीं की जाती। डाक्टर मिगलानी रहती हैं मातृ एवं शिशु अस्पताल के प्रिमिसेज में। जनाना अस्पताल 4 किमी. दूर है। उससे यह पूछा कि आप कृपया यह बतावें कि किसके लिए चर्चा हो रही है और आप कौन बोल रही हैं। उसने कहा कि मैं अपनी आइडेन्टिटी नहीं देना चाहती। यह बात हो सकती है कि किन्हीं कारणों से अपनी आइडेन्टिटी नहीं देना चाहती हो, यह तो बता दें कि आइडेन्टिटी किस कारण से नहीं बताई, उसने कहा कि पहले मेरी बात सुनिये उसने कहा सुनाइये। सब बच्चों की चिन्ता नहीं की जाती। यह क्या तरीका है? किस बच्चे के लिए कह रही है और कौन बोल रही है। फिर भी आइडेन्टिटी नहीं बताई जैसी अभी मेरी स्थिति यहां हो गई थी, बाद में जाकर बताई और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि, सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या को डाक्टर मिगलानी से शिकायत हो सकती है किन्तु मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहां डाक्टर हरिसिंह जी बैठे हैं, और लोगों से भी सम्पर्क आया था। डाक्टर मिगलानी जैसी चतुर, कुशल और बिना पैसे लेने वाली डाक्टर महिला दूसरी यहां एक भी नहीं है....(व्यवधान)

इसलिए नहीं कहना चाहता हूं। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, देखिये, एक साल का सम्पर्क कायम हुआ है, नजदीक से देखने का मौका मिला है, उसके आधार पर मैं यह बता सकता हूं फिर भी मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैंने.... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा जो सूचना आपने दी है, जो विभाग से जानकारी आई, आपके माध्यम मैंने सदन में रखी और उन्होंने जो जानकारी दी कि बुखार हुआ तो इसकी निश्चित रूप से जांच होगी अगर इस प्रकार की स्थिति है। हां, यह बात मैं कहना चाहता हूं, यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि वार्ड के मरीजों की व्यवस्था नर्सरी में करने का उपक्रम नहीं है। यह सम्भव भी नहीं है। किसी गति से पासिबल भी नहीं है क्योंकि जोखिम भरे बच्चों को देखने में कन्सन्ट्रेट नहीं किया गया और वार्ड के बच्चों की चिन्ता की गई तो निश्चित रूप से उस वार्ड की तरह से सुश्रुषा नहीं हो सकेगी। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो कमियां उन्होंने बताई हैं, उसको देखेंगे, डाक्टर संवेदनशील बने, इस प्रकार की चिन्ता करेंगे। अगर नर्स के बारे में बातें बताई हैं, थोड़ी डिफरेंस आफ इन्फार्मेशन दोनों तरह से है। उसके बाद भी मेरे स्तर पर किसी और बड़े अच्छे डाक्टर को लगाकर इसकी जांच की जायेगी और अटेन्डेन्ट का व्यवहार खराब रहा तो निश्चित रूप से एक्शन लेने की प्रक्रिया को करेंगे।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के वक्तव्य पर एक सवाल करेंगे। (व्यवधान)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

वार्ड के बच्चों को सुविधा वार्ड में दी जाती हैं, नर्सरी के बच्चों को सुविधा नर्सरी में दी जाती हैं। पहला तो मंत्री महोदय ने बताया कि बच्चा बहुत स्वस्थ था इसलिए वार्ड में भेज दिया ठीक हैं, भेज दिया। दूसरी बात जो आपने बताई वार्ड के बच्चों की सुविधा वार्ड में है और नर्सरी के बच्चों की सुविधा नर्सरी में हैं, अगर वार्ड में उसको गरम पानी मिलने की सुविधा थी तो क्यों वह नर्सरी में लेने लाती ? इसका मतलब वार्ड में सुविधा नहीं थी इसलिए नर्सरी में गई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वार्ड में सुविधा नहीं दी गई, इसकी जांच करेंगे।

श्रीमती तारा भण्डारी : मंत्री महोदय ने पहले ही कह दिया कि वह महिला डाक्टर बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छी है। इस प्रकार से कार्य करने के बाद कोई जांच सम्भव है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किसी एक घटना की बात हो तो वह अलग है लेकिन मेरा एक वर्ष का अनुभव है....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जिस डाक्टर को आपने ईमानदार....

एक माननीय सदस्य : जब मंत्री महोदय ने यह बता दिया कि यह महिला डाक्टर ईमानदार है तो जांच किस की करवा रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : टेलीफोन के जरिये यह सूचना देना बहुत जरूरी थी कि (व्यवधान)

बोल रहे हैं, टेलीफोन से वार्ता कर रहे हैं वह उस बच्चे की अटेण्डेण्ट है, यह जानकारी उसके लिए बहुत थी। इसको अगर आप ईमानदारी का तगमा देते हैं जबकि उसकी यह लापरवाही थी, उसकी नेग्लीजेन्स थी, यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है....

श्री बिरधा राम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब महिला डाक्टर को सर्टिफिकेट दे दिया कि वह ईमानदार है तो फिर जांच किस की करवा रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं, कोई माननीय सदस्य यह कहने को तैयार है कि वह बेईमान है या पैसे खाती है ? (व्यवधान)

एक मिनट ठहरिये। बेईमान है या पैसे खाती है या किसी की शिकायत है ? अब रहा सवाल व्यवहार का। जब ईमानदार है तो क्या उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उसकी लापरवाही की बात है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : दूसरा क्वेश्चन आता है लापरवाही का। अगर माननीय सदस्य को इतनी चिन्ता थी तो नाम लिख कर देते कि अमुक पेशेन्ट था, अमुक बच्चा था और उसके साथ यह लापरवाही की गई तो निश्चित रूप से जांच करवायी जाती।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ईमानदार आदमी भी गलती कर सकता है, लापरवाही कर सकता है। उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है ?

श्रीमती विद्यापाठक (अबकारी मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी देर से इस इश्यू को सुना है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई कन्फयूजन है। जनाना हास्पिटल में बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद उसको कुछ घंटे रखा नर्सरी में और फिर काटेज वार्ड में शिफ्ट कर दिया। काटेज वार्ड में जो बच्चे हैं, मरीज हैं उनको न वार्ड से सुविधा मिलेगी न नर्सरी से सुविधा मिलेगी और न लेडी डाक्टर जो पेड्रिएटिक है उसका भी यह काम नहीं है कि वह वहां जाकर वार्ड की व्यवस्था करें। इसलिए तीन एंगल बिल्कुल डिफरेंट है। इनको अलग करके देखना पड़ेगा और इस फ्लोर को अनावश्यक रूप से एब्यूज करने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिये।

(2) भरतपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक में अनियमितताएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मीनारायण दवे, श्री राजेन्द्र गहलोत श्री टीकमचन्द कान्त, श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा, भरतपुर सेन्ट्रल को-अपरेटिव बैंक में पिछले दो दशक में हुए भारी गबन, घोटला, वित्तीय अनियमितता से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे। माननीय लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के अन्दर पिछले दो दशकों में जिस प्रकार का घपला, भ्रष्टाचार, अनियमितता हुई। सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, भरतपुर में तीन करोड़ के करीब घपला हुआ। यह घपला राजस्थान के उन काश्तकारों के साथ धोखा हुआ, उन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ धोखा और जबर्दस्त भ्रष्टाचार हुआ। मैं इस भ्रष्टाचार के बारे में माननीय सहकारिता मंत्रीजी श्री चतुर्भुजजी से निवेदन करूंगा कि वह इस सन्दर्भ में मेरे ध्यान आकर्षण के जरिये अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत सदस्यों ने भरतपुर केन्द्रीय सहकारिता बैंक में हुई गबन, घोटाले, धनराशि के दुरुपयोग व गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

उक्त बैंक की आडिट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1989–90 में इस बैंक की शुद्ध हानि 55 लाख 76 हजार रुपये थी। पूर्व वर्षों की संचित हानि 201 लाख रुपये थी। इस बैंक की वित्तीय स्थिति काफी खराब है। इस बैंक की अंश पूंजी 205 लाख रुपये थी। लेकिन जितनी हिस्सा पूंजी इस बैंक की थी वह सारी संचित घाटे में चली गयी। अत्यधिक प्रशासनिक खर्च एवम् वित्तीय अनियमितताओं के कारण यह बैंक बट्टे खाते व संदेहात्मक ऋण कोष व बट्टे खाते

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

ब्याज कोष में आवश्यक प्रावधान नहीं कर पा रहा है। बैंक द्वारा इस कोष में लगभग 970 लाख रुपये का प्रावधान करना चाहिए था लेकिन खराब वित्तीय स्थिति के कारण 147 लाख रुपये का ही प्रावधान किया गया। रिजर्व बैंक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत वांछित तरल साधन व कोष रिजर्व बैंक व नाबार्ड द्वारा धारा 11, बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधा नहीं मिल पा रही है इससे इस क्षेत्र के किसानों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वह शीर्ष बैंक से अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण नहीं ले पा रहे।

रिजर्व बैंक ने जून, 1976 के अपने अंकेक्षण पत्र में इस बैंक में ऋण वितरण वसूली व ऋण नीति के विरुद्ध ऋण देने आदि की कई अनियमितताएं होना बताई हैं। जान बूझकर क्षमता से अधिक ऋण वितरित करने की बात भी कही गई है। रिजर्व बैंक के अनुसार सदस्यों की क्षमता से अधिक ऋण वितरित किया गया। 1974-75 की आडिट रिपोर्ट के अनुसार सहकारी समितियों के ऐसे सदस्यों को भी ऋण दिया गया जो भूमि विकास बैंक के ऋणी थे।

इस बैंक में जरूरत से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं जिसके कारण इस बैंक का संस्थापन व्यय अन्य सहकारी बैंकों की अपेक्षा काफी अधिक है। संस्थापन व्यय कार्यशील पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये जो कि इस बैंक में कार्यशील पूंजी का लगभग चार प्रतिशत है।

1977-78 में जांच के आदेश देने के फलस्वरूप जो जांच हुई उसके आधार पर 82.86 लाख रुपये के गबन व ऋण दुरुपयोग के मामले सामने आये। इसके फलस्वरूप 37 समितियों की परीक्षण के रूप में जांच की गई, 28 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया, 54 मामले पुलिस में दर्ज कराये जिनमें से 22 मामलों में चालान पेश हुए हैं।

श्री जगतपाल सिंह, सहायक अधिशासी अधिकारी को 2.2.1979 को उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण निलम्बित किया गया। इनको तत्कालीन प्रशासक श्री सायरमल गांधी, भूतपूर्व संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारिता द्वारा निलम्बन से बहाल किया गया व आदेश दिये कि उन्हें निलम्बन अवधि के लिए निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त कोई राशि नहीं मिलेगी। इस आदेश के विरुद्ध तत्कालीन प्रशासक सहकारिता बैंक तथा तत्कालीन जिला कलक्टर श्री एस. अहमत के समक्ष रिवीजन प्रस्तुत की गई जिस पर यह निर्णय दिया गया कि श्री जगतपाल सिंह को निलम्बन अवधि की सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया जाये और इस प्रकार बैंक द्वारा उन्हें लगभग 45,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया। संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा दिनांक 4.12.1986 को प्रशासक के उपरोक्त आदेश को अपखण्डित कर दिया गया और श्री जगतपाल सिंह को हुई भुगतान राशि को वसूल करने के आदेश दिये। इन आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय ने जनवरी, 1987 में स्थगन आदेश दे दिया। अभी तक यह प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

वर्ष 1977 से 1979 के बीच में 28 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया। इनमें से 5 अधिकारियों को जांच के उपरांत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दण्डित किया गया और उन्हें सेवा पर वापस ले लिया गया। बैंक के इस निर्णय को भी संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा अपखण्डित कर दिया गया लेकिन प्रभावित अधिकारियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त उन्हें निलम्बन अवधि का कोई भुगतान नहीं किया गया।

जांच में समितियों के 60 व्यवस्थापक अनियमितताओं में दोषी पाये गये इनमें से 45 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, 10 पर कार्यवाही विचाराधीन है, 9 न्यायालय के निर्णय से बहाल हो गये।

इस बैंक में समितियों की ओर जो ऋण बकाया है तथा समितियों का सदस्यों में जो बकाया ऋण है उसमें 30 जून, 1989 को 3.87 करोड़ रुपयों का अन्तर था इसमें से 82.66 लाख रुपये की राशि गबन घोटाले की है जिसमें ब्याज भी शामिल है।

सरकार इस बैंक में हुई अव्यवस्था के प्रति चिन्तित है। राज्य सरकार इसके सुधार के लिए प्रयासरत है।

इस बैंक में हुई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तत्परता से की जावेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि भरतपुर बैंक में और आपके संयुक्त रजिस्ट्रार ने उच्च अधिकारियों को या आपके मि. राजगोपालन को एक पत्र लिखा था और यह चेतावनी दी थी कि भरतपुर में इस प्रकार की अनियमितताएं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो 4 मई को जो पत्र लिखा गया है उसमें आर. बी. आई के पैकेज आफिसर द्वारा जनवरी, 1977 में लिखा। निरीक्षकों के अनुसार बैंक में ऋण वितरण एवं वसूलियों में घोर अनियमितता हुई है, यह बात सामने आयी कि बैंक समिति सदस्यों से 1.5 करोड़ रुपये अधिक मांग रही है जबकि समिति अपने सदस्यों से 1.5 करोड़ रुपये कम मांगती थी। चूंकि इस पैसे को चुकाने वाला कोई नहीं है। इस दृष्टि से मैं अमानतदारों की अमानत को खतरे में मानता हूं। यह भी चेतावनी दी गयी थी यह भी कहा गया था कि इस जिले में कर्मचारी एवं गैर सरकारी प्रतिनिधियों का आचरणहीन गिरोह सक्रिय है जिसकी जड़ें निहित स्वार्थी तत्वों की छाया में गहरी हो चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य स्तर पर ही कोई कठोर एवं सक्रिय कार्यवाही किये जाने के बाद ही यह व्यवस्थित किया जा सकता है अन्यथा नहीं। भरतपुर जिले की अधिकांश सहकारी समितिया, गबन, दुरुपयोग एवं घोर अनियमितताओं से ग्रसित हैं। मुझे यह लिखने में उन्होंने अन्त में यह लिखा है क्योंकि मुझे यह लिखने में लेश मात्र भी संकोच नहीं है कि जिले में सहकारी आन्दोलन के रक्षक ही आन्दोलन के भक्षक बने हुए हैं। गरीब एवं निर्दोष कृषकों की सहकारिता के माध्यम से प्रगति करने के नाम पर जितना भयंकर

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

शोषण इस जिले में हुआ है उसकी मिसाल सम्भवतः राज्य में कहीं नहीं मिलेगी। अंत में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लिखा है कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हो पायी तो मेरे विचार से इस क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन राष्ट्र के सहकारी आन्दोलन को कलंकित करने में सबसे अग्रणी रहेगा।....

श्री मोतीलाल मीणा : आपने भरतपुर देखा है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : भरतपुर कई बार गया हूं और सवाई माधोपुर भी गया हूं। कई बार सवाई माधोपुर भी देखा है, और भी देखा है। मुझे पता है कि आप यही बोलेंगे। आपके हित इसमें निहित हैं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं यह रिकार्ड पर उपलब्ध है। एक जोइंट रजिस्ट्रार द्वारा यह चेतावनी देना, क्या आप नहीं चाहते हैं कि सहकारी आन्दोलन स्वच्छ चले। क्या आपका मतलब है जिस प्रकार सवाई माधोपुर में हुआ +++आप यही चाहते हैं कि +++आपने सवाई माधोपुर में भी जिस प्रकार से सहकारी आन्दोलन को +++करने की कोशिश की है। वह भी यह सदन जानता है और वह चाहें तो मैं बता सकता हूं।

श्री मोतीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जा रहा है कि मैं भी सवाई माधोपुर में +++ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोतीलाल जी....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उन्होंने आरोप लगाया है। क्यों नहीं बोलेंगे ?

श्री मोतीलाल मीणा : इसको वापस लें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ईमानदारी की दुहाई दे रहे हैं....(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इसको एक्सपंज कराइये। यह कोई तरीका है। प्रोसिडिंग्स में से इसको निकलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने का मौका मिलेगा। प्लीज सिट डाउन।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पाइंट आफ आर्डर। देखिये, बहस हो रही है भरतपुर, सवाई माधोपुर बैंक के मामले में। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि कोई सदस्य यदि उनसे सवाल पूछ लेता है तो उस पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाने की चेष्टा करते हैं। यह बहुत ही गलत परम्परा है।

श्री मोतीलाल मीणा : इसको कार्यवाही से निकालें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस तरह से कार्यवाही चली तो माननीय सदस्य भी कुछ बोलेंगे। सिलसिला यहां तक शुरू हो जायेगा कि लोग व्यक्तिगत आक्षेप पर बोलेंगे।....

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(114)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने किसी पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे बात कहने दीजिये। यह टौंक से आने वाले माननीय सदस्य की आदत पड़ चुकी है, कोई कुछ कहेगा, किसी ने प्रश्न किया, उस पर व्यक्तिगत आक्षेप लगा देंगे। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं आपके माध्यम निवेदन करना चाहूंगा कि इसका कोई अन्त नहीं होगा, लोग इनके ऊपर भी व्यक्तिगत आरोप चाहे अनर्गल हों, असत्य हो, गलत हो, लगाना शुरू हो जायेगा और सदन के अन्दर व्यवस्था कायम करने में आपको असुविधा होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कृपया व्यवस्था दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। स्थगन प्रस्ताव में जिनके नाम हैं पहले उनको बोलने दीजिए। उसके बाद आप भी बोल सकते हैं।

श्री मोतीलाल मीणा : मेरे पर आरोप लगाये हैं। मुझे बोलने का शौक नहीं है। मेरे को बोलने का बेफालतू में शौक नहीं है, मैं मतलब की बात बोलता हूं। मेरे पर आरोप लगाया है....

श्री उपाध्यक्ष : आप पर आरोप लगाये हैं....(व्यवधान)

श्री मोतीलाल मीणा : यह बिना सोचे समझे आरोप लगाते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको चान्स मिलेगा।

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय सभापति महोदय, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं इस दीर्घा में बैठा हूं और एक ऐसा जनहित का प्रश्न उठाया जा रहा था तो मुझे खेद है कि यह बात कहने में आयी, यहां एक ऐसी वार्ता हुई कि किसी ऐसे व्यक्तिगत इश्यू को उठा लीजिए ताकि यह मामला यहीं पर समाप्त हो जाय। लोगों ने जितने भी जनता दल के विधायक हैं....(व्यवधान)....आप सुन तो लें इसमें क्या भावना है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया। मदान साहब, आप बैठिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : किसी सदस्य पर आरोप लगा दें....(व्यवधान)

श्री मोतीलाल मीणा : मैंने पूछा था कि आप क्या भरतपुर देखने गये थे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : इस सम्बन्ध में प्रश्न करना हो तो उनके पश्चात् प्रश्न करें। आप अपनी व्यवस्था दीजिए कि बीच में हस्तक्षेप करना कोई उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको निश्चित चान्स मिलेगा। बिराजें।

श्री मोतीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह के अरोप लगाये हैं उनको रोकिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह के चार्ज लगाये हैं तो....आप बैठिए....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो फैक्ट्स थे और जो मेरे द्वारा निर्मित नहीं किये गये हैं। मैंने तो पत्र का उल्लेख किया है और उसकी तारीख देना चाहता हूं, उसके नाम बताना चाहता हूं और जो गम्भीर अनिय-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मितताएं हुई हैं, जो सहकारी बैंकों पर एक तरह से कलंकित करने वाली बात है, मैं उसके प्रति बता रहा था। माननीय सदस्य ने मुझे टोका। मैंने निश्चित रूप से उनका नाम लिया था क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की मंशा जाहिर की है, मैंने कहा था कि सवाई माधोपुर सहकारी बैंक में भी ऐसा हुआ था। व्यक्तिगत नहीं कहा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह कहा कि आप भी +++ (व्यवधान)

आपने यह भी कहा +++ आप अपनी बात को तोड़ मरोड़कर पेश कर रहे हैं। यह बात सही नहीं है जो बात कही वह आन रिकार्ड है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आप, अपनी व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई शब्द है +++ तो निकाल दीजिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अगर सही स्थिति है और कोई+++तो फिर किसी को भी सदन में कहने का अधिकार है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह गम्भीर चेतावनी दी गयी उसके बाद जांच हुई और जैसा मंत्री महोदय ने स्टेटमेण्ट दिया कि 8 करोड़ के लगभग गबन घोटाला है और उसमें कई व्यक्तियों को सस्पैण्ड किया गया, 8 करोड़ का और कितने लाख का उन्होंने स्वीकार किया है। रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी और आपके जोइंट रजिस्ट्रार महसूस करते हैं कि इसकी जड़ें गहरी हो चुकी हैं और इसमें वहां के राजनीतिज्ञ और वहां का प्रशासन मिला हुआ है, इसमें +++ हैं और यह भी चेतावनी दी है कि यहां के स्थानीय लोगों को यहां से ट्रान्सफर करिए और उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप आज 8 करोड़ का घाटा हुआ। माननीय सदस्यों की चिन्ता भी मैं समझ सकता हूं। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य की चिन्ता भी समझ सकता हूं। मैंने कभी आरोप नहीं लगाये। मेरे बहुत अच्छे उनके साथ सम्बन्ध रहे हैं। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य टौंक भी आते रहे हैं और मीठे खरबूजे भी खाते रहे हैं और उनके साथ इस प्रकार की घटना हो गयी उस पर भी मैंने चर्चा नहीं की। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर में जिस प्रकार की गम्भीर अनियमितताएं हुई और उसके ऊपर पूर्व में चेतावनी दी गयी, जोइंट रजिस्ट्रार के द्वारा और समय–समय पर वहां जनलेखा समिति गयी और जनलेखा समिति ने 20/11/81 को विचार विमर्श के अनुसार जिन विषयों पर कार्यवाही की जाती है, उनकी सूची तय की है। उपाध्यक्ष महोदय, दी भरतपुर सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड भरतपुर के बारे में जनलेखा समिति की बैठक दिनांक 20.11.81 को विचार विमर्श जिन विषयों पर कार्यवाही की जानी है, उसकी सूची पेश की।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ईश्वरलाल सैनी : जब यह मंत्रिमंडल में आये तो आपने आक्षेप क्यों नहीं किया ? मना नहीं किया, इनको मत लो मंत्रिमंडल में। अब आपको एक साल बाद याद आ रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : श्रीमान्, मैं तो भरतपुर सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की चर्चा कर रहा हूं। +++ मैं नहीं समझता।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप चर्चा ही इनकी कर रहे हैं। भरतपुर की नहीं, इन्हीं की चर्चा कर रहे हैं आप। मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहिये था और अब आपको एक साल के बाद होश आया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप क्या करते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वैसे अब आप आगरा से आये हो, इसलिए मुझे आपके ऊपर....

श्री ईश्वरलाल सैनी : वहां तो आप चले जाओगे।

श्री यदुनाथ सिंह : आपने ज्यादा इनसे बातचीत की तो आपको भी जाना पड़ेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : संभालने तो जाऊंगा। आखिर हमारे सदन के माननीय सदस्य वहां रहे हैं और मैं नहीं जाऊं, यह कैसे हो सकता है। यह कभी नहीं होगा, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं संभाल लूंगा।

(2.51 म. प.)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति पदासीन)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, क्या यह सही है कि जनलेखा समिति को 21.11.81 को उन्होंने कुछ पाइण्ट्स दिये हैं। बैंक और समितियों के स्तर पर जिनकी सदस्यता स्वीकार किये हुए ऋण दिया गया क्या उनकी जांच हुई है और उनकी जांच के उपरान्त कौन कौन लोग हैं, वहां का जो कार्यरत स्टाफ है, जिस पर संशय किया गया, क्या आपने यह स्वीकार किया है कि जो सस्पैण्ड किये गये हैं उनको वापस बहाल किया गया, उनको 15 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किया गया है ? क्या यह सही है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन अधिकारियों को नाजायज लाभ पहुंचाया और संरक्षण भी दिया गया जो इस बात की पुष्टि करता है जो 77–78 में चेतावनी दी गई थी कि वहां पर इस प्रकार का गिरोह सक्रिय है और उसकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि राज्य स्तर पर ही ठीक तरह से ठोस कार्यवाही और नियंत्रण नहीं किया गया, प्रति महीने उसकी जांच नहीं की गई और इसकी ओर निगाह नहीं रखी गई। आज नाजायज रूप से आपके यहां से कोई कर्मचारी सस्पैण्ड होता है तो वहां से बहाल हो जाता है। उसके बाद भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि वह उच्चतम न्यायालय और न्यायालयों में

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

जाकर स्थगन ला सके। इस प्रकार की सक्षम कार्यवाही की गई तो मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह सारी गंभीर अनियमितताएं जनलेखा समिति, जो इस सदन की सर्वोच्च समिति है, द्वारा ध्यान में लाने के बाद आपके विभाग के उच्चाधिकारी यह महसूस करते हैं कि वहां पर प्रशासन असहाय हो रहा है और ऐसे लोग सक्रिय हैं कि वहां पर कार्यवाही करना बिल्कुल संभव नहीं है, उसके बाद क्या आज आप यह महसूस करते हैं, यह विचार रखते हैं जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, 8 करोड़ रुपये का घाटा और वहां पर 82 लाख का जो इस प्रकार का घाटा है...

श्री नत्थी सिंह : 8 करोड़ मंत्रीजी ने कहा, इसको 82 लाख क्यों कर रहे हो। आठ करोड़ का घाटा बताओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 8 करोड़ का गबन हुआ है, 82 लाख रुपये का घाटा है। वहां पर अभी तो ऋण मुक्ति हुई है उसके कारण यह घाटा कम हुआ। आठ करोड़ का गबन है। घाटे का अलग सवाल है और स्थिति यह हो गई है रिजर्व बैंक ने नोटिस दे दिया है, नाबार्ड ने नोटिस दे दिया है। वहां पर कृषकों को लाभान्वित नहीं किया जा सकता। आपने यह कह दिया कि प्राइवेट बैंकों से सम्पर्क करिये। जो सहकारिता का मूल उद्देश्य है, सिद्धान्त है, वह आज समाप्त हो गया और हमारे माननीय सदस्य, ज्यादातर इस सदन के, मैं तो व्यापारी हूं, मेरे ऊपर तो यह कहा जा सकता है कि आप व्यापारी हो, कृषकों की बहुत ज्यादा चिन्ता करते हैं, इस सदन में कई बार यह भी बात उठाई गई है कि किसानों का मामला है। मुझे बड़ा अफसोस है कि एक ओर तो किसानों को लूटा जा रहा है, किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई, चालबाजी की गई, किसानों को लूटा गया है और उसके बाद वहां के माननीय सदस्य निहित स्वार्थों में या अपने नेताओं को बचाने के लिए किसान की बात कहकर लूटने की कार्यवाही में अपना योगदान दे रहे हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से और हमारे कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब से और केवल सहकारी मंत्री जी से नहीं क्योंकि मेरी यह मान्यता है कि केवल सहकारी मंत्रीजी इस पर कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हैं, जहां इतना बड़ा गिरोह है, जहां उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं, वहां पर स्वयं सक्षम हैं....

श्री हीरालाल इन्दौरा : असक्षम मंत्री को हटा दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन क्योंकि यह गिरोह इतना सक्रिय और सक्षम है कि उस पर उसी रूप में चोट नहीं पहुंचायी जाये तब तक आप इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या वह इस प्रकार से अन्वेषण ब्यूरो से यह कहा गया है कि एक विशेष अधिकारी वहां पर प्रशासक नियुक्त किया जाये। क्या वह इस बात की व्यवस्था करेंगे ? क्या वह इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि उच्चाधिकारी इस सारी कार्यवाही पर निगरानी रखकर इनके बचने का रास्ता नहीं छोड़े ? तब तो हम यह समझेंगे कि आप बहुत सक्षम कार्यवाही कर

118

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

रहे हैं और यदि आप यह उदाहरण प्रस्तुत कर पाये, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील है, मुख्य मंत्रीजी ने यह भी कहा है कि हम गरीब को गणेश मानते हैं और यह भी संकल्प दोहराया है कि कोई भी बड़ी शक्ति हमारे ऊपर यह प्रभाव नहीं डाल सकती, तो मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो बोल रहे हैं, इनकी चिन्ता करे बिना ही, यह तो केवल राजनीतिक लाभ के लिए इधर आते हैं, उधर जाते हैं स्वयं पं. रामकिशन जी ने आरोप लगाया है और स्वयं ने प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार से गड़बड़ और घोटाले हो रहे हैं, इसके बाद यह सफाई दी गई है कि किन कारणों से अदला-बदली हुई है आज यह राज–नीतिक खेल केवल गरीब और किसानों को लूटने का माध्यम बन गया है, उसको रोकने की आवश्यकता है और इन बातों की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन किधर जाता है। अभी आने वाले समय में राजनीतिक परिवर्तन और होंगे। वह स्वार्थों के कारण होंगे। किसानों की चिन्ता से नहीं होंगे कि हम कैसे बचें, इस चिन्ता से राजनीतिक परिवर्तन होने वाले हैं। कुछ लोग कांग्रेस में जायेंगे, कुछ लोग जनता दल छोड़कर जायेंगे। आज बड़ी चिन्ता हो रही है। मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया है लेकिन कह रहे हैं, आरोप लगाया है। यदि आरोप भी लगाता हूं तो मुझे लगाने में कोई संकोच नहीं होगा। लेकिन यह स्पष्ट है सारी जांच में, सब लोगों के नाम सामने आये हैं, उन सबको उजागर करें, श्वेत पत्र जारी करें और इस प्रकार के उच्चाधिकारियों को भेजकर एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम के जरिये आज यह घोषणा करें कि इतने समय में इन सबको सामने लाया जायेगा, कौन कौन व्यक्ति इसमें दोषी हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। और भी माननीय सदस्य हैं, वह कहेंगे।

श्री कालीचरण सराफ : मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इतनी गंभीर अनियमितताएं....

श्री सभापति : आप विराजिये। आपने कोई काल अटेन्शन नहीं दिया है।

श्री कालीचरण सराफ : मेरा भी नाम है।

श्री सभापति : नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : है।

श्री सभापति : माननीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत। (अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, मेरा नाम है। सभापति महोदय, आप पहले देखो तो सही। साइन मैंने भी किये हैं।

श्री सभापति : आप अध्यक्षजी से बात कर लें। जिनका नाम है, मैं सबको बुलाऊंगा।

(3.00 म. प.)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : सभापति महोदय, जिस भरतपुर सैण्ट्रल कोआपरेटिव

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

बैंक का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया गया है, भरतपुर सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक की स्थापना सन् 51 में हुई थी। 51 से 65 तक इस बैंक का चेयरमैन जिलाधीश हुआ करता था। सन् 1966 के अन्दर इसके निर्वाचन की व्यवस्था की गई और इसके पश्चात् सन् 1969 में नरेन्द्र सिंह अग्रवाल जी, जो बैंक का चेयरमैन था, राजनीतिक दबाव के कारण, राजनीतिक प्रभाव के कारण उस ईमानदार व्यक्ति को वहां से हटा दिया गया और उसके स्थान पर नरोत्तम शर्मा को राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह कालिंग अटेंशन मोशन में प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण भी अलाउड है ? कोई कन्वर्ट हो गया क्या ?

श्री सभापति : ऐसा है, माननीय सदस्य, जो आप क्वेश्चन पूछना चाहें, पूछ लें। ध्यानाकर्षण महावीर प्रसाद जी ने कर दिया है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : भरतपुर सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन ने राजनीतिक प्रभाव के कारण अपने परिवार के सदस्यों को जो उत्तर प्रदेश या अन्यत्र रह रहे थे, जो सरकारी सेवा में थे, सैण्ट्रल को आपरेटिव बैंक में निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया। उन लोगों के नाम भी इस सदन में मैं आज बताना चाहता हूं। वे नाम हैं : रामेश्वर सिंह, वृषभान सिंह, वीरेन्द्र सिंह, केशव देव और जगपाल सिंह। माननीय सभापति महोदय, इनकी योग्यता कम से कम मैट्रिक पास होनी चाहिए। परन्तु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रिश्तेदार होने के कारण....

एक माननीय सदस्य : किसके ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : तत्कालीन चेयरमैन के रिश्तेदार होने के कारण, तत्कालीन राजनीतिक प्रभाव के कारण इन लोगों को मैट्रिक फेल होने के पश्चात् भी निरीक्षक के पद पर लगाया गया। माननीय सभापति महोदय, उसके पश्चात् इन लोगों के लिए प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये गये। जो आवेदन पत्र आये उनमें उनकी उम्र तक का ध्यान नहीं रखा गया। प्रार्थना पत्र में अपने हिसाब से एप्लीकेण्ट ने अपनी जो भी उम्र बता दी उसी को आधार मान लिया गया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : चेयरमैन और इनका क्या रिश्ता है, यह बताओ ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अभी सब बता दूंगा ठहर जाओ।

1970 से 1976 के बीच भारी गबन-घोटाले हुए। यहां तक कि मध्यकालीन ऋण बांटने के लिए बैंक संचालक और मैनेजर ने कम से कम 20 दुकानें तक खोल दीं। ....एजेंसी भुसावर, जगदम्बा कृषि यंत्रालय, भरतपुर, देहाती मशीनरी स्टोर, डीग और मथुरा गेट पर दुकानें खोली गयीं। इनमें कमालपुरा ग्राम सहकारी समिति के 6 सदस्यों के नाम फर्जी पम्प सैट देना दिखाकर पम्प सैट के आधार पर 6 हजार रुपए के हिसाब से 36 हजार रुपए डकार गये। माननीय सभापति महोदय, इसके पश्चात् एक और घटना हुई।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

सन् 1970 से 1976 के बीच में पंचायत समितियों में सबसे ज्यादा गबन और घोटाले कामां पंचायत समिति, डीग पंचायत समिति, नगर पंचायत समिति, कुम्हेर पंचायत समिति, सेवकबाडी, बसेड़ी और बयाना आदि पंचायत समितियों के अन्दर....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह क्या है ? पंचायत समितियों के गबन का पूछ रहे हैं या बैंक के गबन का ?

श्री हेमराज : सभापति महोदय, इसमें बार बार चेयरमैन का नाम आया है....

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, आप बिराजें ।

श्री हेमराज : सभापति महोदय, इसमें बारबार चेयरमैन के नाम का उल्लेख हुआ है, चेयरमैन कौन थे उनका नाम स्पष्ट किया जाना चाहिए । वे तत्कालीन चेयरमैन कौन थे, किसने गबन-घोटाला किया है ?

श्री सभापति : ऐसा है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कालिंग अटेंशन मोशन पर जब यहां चर्चा होती है तो सबसे पहले माननीय सदस्य कुछ मुद्दों को उठाते हैं....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : सभापति महोदय, मैं प्रश्न और मुद्दों के ही फैक्ट्स पेश कर रहा हूं । उसके बाद में मेरे प्रश्न करूंगा ।

श्री सभापति : कुछ मुद्दे रह गये हैं तो उठा लें प्रश्न के रूप में ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : कामां पंचायत समिति में 9 करोड़ के ऋण दिये गये । इसमें से 60 प्रतिशत ऋण के अन्दर घोटाला किया गया । माननीय सभापति महोदय, बैंक के भूतपूर्व संचालक अमर सिंह ने 9.10.1978 को विदेश यात्रा पर इस बैंक के दस लाख रुपए उठाये ।

श्री नत्थी सिंह : 10 लाख ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : दस हजार । जिसकी परमिशन रजिस्ट्रार से नहीं ली गयी । 10 हजार, माननीय सभापति महोदय ।

श्री निर्भयलाल : 10 हजार का आठ करोड़ किया गया है, यह स्पष्ट होता है ।

श्री हेमराज : माननीय सभापति महोदय, बारबार सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, भरतपुर के चेयरमैन का नाम आ रहा है, कृपया माननीय सदस्य यह बतायें कि वह चेयरमैन कौन था ? उस चेयरमैन का नाम स्पष्ट किया जाना चाहिए ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें । आप जारी रखें ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, 1974–75 में तत्कालीन चेयरमैन, जिसका नाम सुनने के लिए माननीय सदस्य बेसब्री से इन्तजार कर रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : उनका नाम बताने में कठिनाई क्या है ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मैं उनका नाम सुनाना चाहता हूं । वे नत्थी सिंहजी थे, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष ।

श्री नत्थी सिंह : यह बिलकुल + + + है, मैं बता दूंगा।

श्री सभापति : + + + शब्द एक्सपंज किया जाय।

एक माननीय सदस्य : आपके समय में घोटाला हुआ है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, भरतपुर भूमि विकास बैंक के संस्थापक के प्रतिनिधि नत्थी सिंहजी थे। भूमि विकास बैंक, भरतपुर 30.9.1974 को 10 लाख रुपए से डिफाल्टर हो रही थी, नत्थी सिंहजी की अध्यक्षता में खत्म हो रही थी....

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : इस डिफाल्टर को बचाने के लिए 10.5.1974 को 10 लाख रुपए इस बैंक के खरीफ फसल बांटने के नाम पर, जबकि यह मांग वास्तविकता पर आधारित नहीं थी, खरीफ फसल ऋण वितरण का समय उस समय नहीं था, 10 लाख रुपए का समायोजन किया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बैंक आडिट की रिपोर्ट 1974–75 और 1975–76 में बरोली चौथ कांड नाम से एक घटना घटित हुई।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उसमें 4 लाख रुपए के समायोजन के लिए बुक से कागज फाड़ लिये गये और नकली कागजों को वहां पर डाल दिया गया।

श्री सभापति : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : 1973–74 और 1974–75 की आडिट रिपोर्ट में 81 जीपों के दुरुपयोग की घटना हुई। 32 अधिकारी और भूतपूर्व संचालक उसमें थे। 1979–80 की आडिट रिपोर्ट में बुक और समिति की मांग में एक करोड़ 80 लाख का फर्क है। यह अन्तर बढ़कर ढाई करोड़ तक पहुंच गया। मामले की शीघ्र भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच नहीं किये जाने के कारण भारी घोटाला हुआ और भारी अनियमितताएं हुई। माननीय सभापति महोदय, भरतपुर में विभिन्न सहकारी विभागों के कार्यालयों में 94 लाख रुपए के गबन के केस राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम की धारा 74 के तहत पैण्डिग पड़े हैं। अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से चाहूंगा कि जो ऐसे गबन और घोटाले के मामले हैं....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : कितने पेज पढ़ने की इजाजत दी है ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : जो पैण्डिग पड़े हैं उनकी तत्कालीन राजनीतिक दबाव के कारण, वहां के अध्यक्ष और चेयरमैन के अपने राजनीतिक प्रभाव के प्रयोग के कारण जांच नहीं हुई। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे गबन और घोटालों

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

की अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जाय, दोषी व्यक्तियों को कटघरे में खड़ा किया जाय। जो मिड टर्म लोन 5–6–10 हजार तक के बैंकों द्वारा गरीब और काश्तकार उठाते हैं उन लोगों को उससे महरूम होना पड़ा। भरतपुर कोग्रापरेटिव बैंक में 3–4 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वह घोटाला करने वाले लोगों को पर्दाफाश किया जाय। उन लोगों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करके उनको गिरफ्तार किया जाय, यह मेरी मांग है, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि दो माननीय सदस्यों ने कालिंग अटेंशन पर बोल दिया है। मैं माननीय मंत्रीजी का उत्तर कराने के बाद....

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, दो मिनट।

श्री सभापति : एक मिनट, व्यवस्था तो सुन लें। उसके बाद जिन-जिन ने कालिंग अटेंशन मोशन दिया हुआ है, मैं उनको दो-दो, चार-चार क्वेश्चन पूछने का मौका दे दूंगा। माननीय मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ : वक्तव्य हो गया मंत्रीजी का।

अनेक माननीय सदस्य : मंत्रीजी ने तो दे दिया बयान।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, यह करोड़ों रुपए के घोटाले का प्रश्न है। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया है उसमें माननीय कालीचरण जी सराफ ने भी हस्ताक्षर किये थे।

श्री सभापति : मुझे मालूम है, आप विराजें। माननीय श्री गुलाब सिंहजी। (अनुपस्थित)

माननीय श्री टीकमचन्द जी कान्त। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तैयार करके ही इन्होंने दिया है।

श्री सम्पत सिंह (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, बहुत वरिष्ठ सदस्या हैं उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने तैयार करके दिया है, अव्वल तो मेरी इतनी काबलियत नहीं है। अगर मैंने तैयार करके भी दिया है तो इस पर अपने तरीके से स्पष्ट कर दें और चाहें मुझे बोलने के लिये आप आदेश करेंगे या वह आदेश करेगी तो मैं बोलने के लिये तैयार हूं।

श्री सभापति : इतनी ही तो बात है कि आपने तैयार किया है या नहीं किया है।

श्री सुमित्रा सिंह : मेरे आदेश से तो कैसे बोलेंगे? मेरे आदेश से तो कैसे बोलेंगे आप?

श्री सभापति : श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री सम्पत सिंह : नहीं, बिना आदेश के बोलता हूं तब भी मुश्किल है और आदेश से बोलता हूं तो तब भी मुश्किल है....

श्री हेतराम बेनीवाल : गलत जगह जो फंस गये हो।

श्री सम्पत सिंह : नहीं, तो इन जगहों पर बैठने के लिये इस देश में आन्दोलन हुए

(श्री सम्पत सिंह)

हैं महात्मा गांधी से लेकर आज तक लम्बी फहरिस्त है। ईमानदार लोगों को इन जगह पर बैठने के लिए आन्दोलन हुए थे और होते ही रहेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : उस आन्दोलन में रहे हैं क्या आप ? इस वजह से बैठे आप कि उस आन्दोलन में थे आप ?

श्री सम्पत सिंह : न सिर्फ उस आन्दोलन में रहे, कुर्बान हुए और फिर दुबारा जिन्दा हुए और फिर काम कर रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप उस कुर्बानी से नहीं बैठे हैं आप पासा बदलने से बैठे हैं ? आप तो पासा बदलने से वहां बैठे हैं।

श्री किशनाराम : बेनीवाल साहब जी जगह थी उसी पर बैठे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : अगर आप पहले बैठ जाते तो हम आपकी बात मान लेते।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

माननीय श्री टीकमचन्दजी कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय सभापति महोदय, क्या यह सच है कि इस भरतपुर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक की जांच पूर्व जनता सरकार ने प्रारम्भ की थी और उस जांच से जो भी तथ्य सामने आये, उसके कारण से जिन अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया या जिनको सेवानिवृत्त कर दिया गया था क्या उन अधिकारियों को पूर्ण वेतन ब्याज सहित देकर के वापस लिया गया और यदि उनको लिया गया तो कितना वेतन उन लोगों को दिया गया ? और यदि उनके सम्बन्ध में कुछ मामले न्यायालय और पुलिस के अन्दर विचाराधीन थे तो उनको किस प्रकार से पुनः सेवा में लिया गया ? नम्बर एक।

सभापति महोदय, क्या इस सम्बन्ध में इस विधान सभा में भी बार-बार प्रश्न उठे हैं और तत्कालीन सहकारिता मंत्री ने वहां जाकर के, जांच करके कुछ लोगों को निलम्बित भी किया उसके पश्चात् भी उन्हीं लोगों को वापस ले लिया गया ? नम्बर तीन ?

सभापति महोदय, क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक, साथ में जोड़ रहा हूं मैं, क्या भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष किसी विदेशी यात्रा पर गए थे और गए थे तो उसके लिये उठाया हुआ धन, क्या वह रजिस्ट्रार की बिना स्वीकृति के उठाया और उस धन का वापस भुगतान हुआ या नहीं हुआ ? और यदि नहीं हुआ तो उस बकाया भुगतान का क्या किया जा रहा है ?

सभापति महोदय, बहुत सारे मुद्दे हैं जो जांच के विषय के हैं हम विशेषकर के यह चाहते हैं कि राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो से इसकी जांच करवाई जाय तो बहुत से तथ्यों के सामने आने की सम्भावनाएं हैं, पर पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर आ जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, मैं तो केवल

(श्री कालीचरण सराफ)

एक दो प्रश्न ही पूछना चाहूंगा। सरकार ने अपने जवाब में यह माना है कि बैंक में भयंकर घोटाले हुए हैं, गबन हुआ और अनियमितताएं हुई तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि ऐसा कौनसा प्रभावशाली व्यक्ति इसमें इन्वाल्वड है कि इतने गबन और घोटाले होने के बाद भी इसकी अभी तक जांच नहीं हुई और जांच के आदेश नहीं हुए और ऐसे व्यक्ति आज सदन में किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र का रिप्रजेन्टेशन कर रहे हैं। क्या सरकार इस प्रकार के भ्रष्ट व्यक्ति को बेनकाब करने के लिये कदम उठायेगी ? क्या उसका नाम यहां विधान सभा में उजागर करेगी ? और क्या इसकी जांच कराने के लिये कोई एजेन्सी नियुक्त करेगी ? मैं इन बातों का जवाब चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री मदनलाल सैनी।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय सभापतिजी, पिछले सैशन में मैंने, माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं, मैं चाहता था कि इस समय वह यहां होते, वह बात कही थी कि माननीय नत्थीसिंहजी जब वहां बैठे हुए थे तब तो भ्रष्टाचार गायब हो गया और यहां आकर बैठ गये तो भ्रष्टाचार पनप गया, यही मतलब है ना आपका।

श्री कालीचरण सराफ : यह तो कागजों में है डा. हरिसिंहजी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वहां पर जाकर बैठ गये तो भ्रष्टाचारी नहीं रहे और जब वह यहां बैठते थे तो आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।

डा. हरिसिंह : वहां बैठ गये तो भ्रष्टाचार का आरोप....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने आरोप लगाया था ना ?

डा. हरिसिंह : आप सुनिये तो सही....

श्री कालीचरण सराफ : भ्रष्टाचारी तो पहले भी थे लेकिन सरकार आपकी थी, आपने कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि ये विपक्ष में होते हुए भी आप लोगों से मिले हुए थे।

डा. हरिसिंह : पिछले एक साल से तो नहीं था भ्रष्टाचार, जिन दिनों में इनके खिलाफ में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के नजदीक आ जाते हैं तो भ्रष्टाचार खतम हो जाता है और जब वह दूर चले जाते हैं तो भ्रष्ट हो जाते हैं, कहने का मतलब यह है कि जितना संरक्षण इस वक्त इस सरकार को दिया है उतना आजादी के बाद कभी नहीं दिया गया और न कभी दिया जायेगा। (व्यवधान)

तो यह भ्रष्ट सरकार किससे क्या पूछ लेगी कि कौन भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार पनपा रहे हैं और खुद माननीय मुख्य मंत्रीजी भ्रष्टाचार पनपा रहे हैं। मेरा स्पष्ट मत है....

श्री सभापति : माननीय श्री मदनलाल सैनी। (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : मेरा यह आरोप है मुख्य मंत्री पर कि वह भ्रष्ट आदमियों को

(डा. हरिसिंह)

जब मौका मिलता है तब संरक्षण दे देते है और जब मौका लगता है तब खिलाफ कर लेते हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थों के अलावा उनको भ्रष्टाचार पनपाने का मेरा उन पर आरोप है....(व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : माननीय सभापतिजी, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी एक प्रश्न उठाया है....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आपने किसी भी आरोप को निराधार नहीं बताया और जो आपने बात कही वह बिलकुल मनगढ़न्त और बेबुनियाद है।.(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : भ्रष्टाचार का मामला है और आपके मंत्री महोदय बयान देना चाहते हैं। आप बयान दिलवाइये सदन में उनसे।

डा. हरिसिंह : इससे बड़ा आरोप क्या है मंत्रीजी जब वहां बैठे थे तब तो भ्रष्टाचार की बात बन्द कर दी, इससे बड़ा आरोप और क्या हो सकता है ? मंत्रीजी जिस समय उस सीट पर बैठे थे तब तो पाक दामन थे और यहां आ गये तो भ्रष्टाचारी हो गये तो क्या इस प्रकार से सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करवायेगी ? (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। एक मिनट।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सभापति महोदय, एक कालिंग अटेंशन मोशन आया है उस कालिंग अटेंशन मोशन के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है सरकार ने अपनी तरफ से उसका जवाब दिया है, उस पर चर्चा चल रही है। सरकार ने किसको संरक्षण दिया और किसको संरक्षण नहीं दिया यह चर्चा कहां से आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्यों ने जिन्होंने इस सवाल को उठाया है वही जानबूझकर जिनके वह हितैषी बनना चाहते हैं उनके ही हितों की सुरक्षा न करके उन पर आघात और प्रहार कर रहे हैं। और किसने भ्रष्टाचार ज्यादा किये हैं यह तो आने वाला इतिहास लिखेगा कि भ्रष्टाचारी कौन ज्यादा थे।

श्री सभापति : माननीय श्री मदनलाल जी सैनी।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में एक इस प्रकार की भावना की हत्या हुई है, ऐसा लगता है। इस देश में गरीब किसान, गांव का गरीब आदमी किस प्रकार से अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे सरकार से या बोहरे से अब कर्ज नहीं मिलता है इसलिये कुछ लोग मिलकर अपनी कुछ योजनाये बनायें, सरकार उसमें मदद करे। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार की योजना जो सहकारिता के आधार पर, सहयोग के आधार पर कुछ लोग मिल कर योजनायें बनाये वह जो भावना थी भरतपुर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक का सारा लेखा जोखा किया गया है और जो सहायक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट है और जो जन लेखा समिति का अपना रिजल्ट है उसके आधार पर क्या सरकार को यह लगता है कि वह भावना जिस भावना से को-आपरेटिव बैंकों

(श्री मदनलाल सैनी)

का निर्माण या सहकारी दूसरी संस्थाओं का निर्माण हुआ था वह पूरी हो रही है। यदि वह पूरी नहीं हो रही है तो सरकार की क्या यह इच्छा है कि इस प्रकार की भावना को लेकर को–आपरेटिव संस्थाओं का निर्माण देश में हुआ था। वह आगे बढ़नी चाहिए या इसके सारे विकास के मार्ग बन्द हो गए हैं क्या सरकार इस प्रकार की मानवता को बढ़ावा देना चाहती है या यहीं रखना चाहती है तो इसका उपाय क्या करना चाहती है सरकार। किस प्रकार से वह रुकेगी। वहां एक सवाल और उठाया गया कि 58 कर्मचारी इस प्रकार के माने गए जो कहीं भी व्यवस्था में दोषी पाए गए जिनके दोष के कारण बैंक को इतने बड़े घाटे का सामना करना पड़ा। मैं सरकार से एक बात जानना चाहूंगा कि क्या इसमें एक व्यक्ति का दायित्व है ? क्या यह एक बड़ा समूह है जो इसमें इन्वाल्व है और जो कर्मचारी, जिनको चार्जशीट दी गई, जिनको आरोप पत्र देकर निलम्बित किया, सेवा मुक्त किया गया, मैं सरकार से एक जानकारी करना चाहता हूं कि क्या जो चार्जशीट दी गई उसमें जान बूझकर इस प्रकार की कमियां नहीं छोड़ी गई, मिली भगत के कारण कमियां नहीं छोड़ी गई ? लोक दिखावे के लिए चार्जशीट दे दी गई, लोगों का आक्रोश ठंडा करने के लिए ताकि अदालत से जीतकर वह वापिस नहीं आ जाए और बिना काम किए हुए 2–4–5 वर्ष जब तक भी वह मुकदमा चले, विद फुल बैंक वेजेज री–इंस्टेड हो जाए। क्या इस प्रकार की योजना बैंक के प्रमुख अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी रहे होंगे या चुने हुए अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने इस प्रकार का नहीं किया ? क्या सरकार के पास इस प्रकार की जांच है कि कौन कर्मचारी, जिसको पहले तो सेवामुक्त किया ही क्यों गया और यदि सेवा मुक्त किया गया तो जान बूझकर इस प्रकार की चार्जशीट किसने दी ? और जिसने चार्जशीट दी क्यों उनको नामजद किया गया और नामजद किया गया है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? गलत चार्जशीट के कारण से हजारों रुपए लेकर कर्मचारी वापस आया।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं जनलेखा समिति की चर्चा करना चाहूंगा जिसमें जनलेखा समिति ने कुछ प्रश्न उठाए हैं। मैं जनलेखा समिति ने जो प्रश्न उठाए हैं इस बैंक के बारे में वह आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। 1981 में जो इस सम्बन्ध में तय हुआ विचार करने के लिए उसमें क्या बैंक और समितियों के स्तर पर बिना सदस्यता स्वीकृत किए ऋण दे दिए गए ? केसेज पुलिस विभाग में इन्वेस्टीगेशन में पैंडिग हैं उनके अफसरों की नियुक्ति की जानी है। ऐसे केसेज जिनमें चालान पेश हो चुका, उनकी सूचना तैयार है या नहीं ? निलम्बित कर्मचारियों को जो जीवन बीमा भत्ता दिया जाता है उसका पुनः परीक्षण किया गया या नहीं ? ऐसे कई प्रश्न जनलेखा समिति ने जो हमारी समिति है, उसने तय किए थे। मैं सारे प्रश्न पढ़ूंगा उससे अच्छा यह है कि माननीय मन्त्री जी के पास में भी यह कापी होगी, मुझे दुबारा मौका मिलेगा... (व्यवधान)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं

(श्री मदनलाल सैनी)

यह भी जानना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी से कि जिन लोगों के खिलाफ इस प्रकार का आरोप लगा और जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिए थी ? उनके अपराध की गुरुता के आधार पर क्या इस प्रकार की कार्यवाही की गई ? मेरी मांग है कि यह एक प्रकार से एक व्यक्ति इसमें इन्वाल्व नहीं है। एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर ले। इसमें कई लोग फंसे हैं, जांच हो, ठीक ढंग से सही जांच हो इसके लिए कोई एक अलग से व्यवस्था करके कोई अन्वेषण ब्यूरो जांच करें।

श्री नत्थी सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैंने लिखकर दिया है स्पीकर साहब को, उनसे इजाजत ली है और मेरे खिलाफ नामजद आरोप लगाए गये। पहले मैं अपनी बात कहूंगा सभापति महोदय, बड़े स्वच्छ चरित्र के माननीय सदस्यों ने मुझ पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया है। वह तो अपने गिरेबान में नकेल डालकर देख लेंगे....(व्यवधान)

मैं यह पूछना चाहता हूं कि दो तरह के सवाल इस प्रश्न में निहित हुए हैं। एक तो सहकारी मूवमेंट और एक भरतपुर को-आपरेटिव बैंक आज जिस स्थिति में बताया जाता है वह क्यों आया ? कौन जिम्मेदार है इसके लिए, संचालक मण्डल या कोई और ? मैं पहली दफा इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, बिना जानकारी के लोग चाहे जो कह दें, उनको मैं कहना चाहता हूं। 1970 से 1976 तक की जो बात करते हैं, नत्थीसिंह नाम का कोई व्यक्ति भरतपुर को-आपरेटिव बैंक का चेयरमैन नहीं था।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और मुझे उस बात पर अफसोस हो रहा था। उन्होंने कुछ कर्मचारियों के नाम लिए और नाम लेते हुए यह कहा कि यह मैट्रिक फेल है, मैट्रिक पास भी नहीं हैं। कई के गिनाए, रामेश्वर और दूसरे नाम। उन्हें मालूम होना चाहिए कि रामेश्वर सिंह भरतपुर के एम. एस. कालेज की यूनियन का अध्यक्ष रहा हुआ है, ग्रेजुएट है। इस तरह बात कह देने से कुछ होता नहीं है। सभापति महोदय, आप कहते हो 1976 तक की बात, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं हमारे माननीय सहकारिता मन्त्री भी तथ्यों को देखेंगे 8 करोड़ उन्होंने कहा, बाद में 82 लाख पर कहा, वह जानें। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं यह बैंक की 1973–74, 75–76 की आडिट रिपोर्ट और बैलेन्स शीट मेरे पास है, यह तीन वर्ष और 1976 से लेकर आज सदन में सबको मालूम है 6 जनवरी, 88 तक पूरे 12 साल कोई चुना हुआ संचालक मण्डल नहीं था, 12 साल सरकारी प्रशासन था, सारे राजस्थान के बोर्ड भंग थे और कलक्टर प्रशासक था (व्यवधान)

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सही नहीं है कि 1973–74 में इस बैंक में 75.5 प्रतिशत वसूली हुई थी, 74–75 और 75–76 में 60.2 और 61 प्रतिशत वसूली हुई थी ? क्या यह सही बात नहीं है कि इन तीनों वर्षों में क्रमशः यह बैंक 18.08 लाख,

(श्री नत्थी सिंह)

1.55 लाख के मुनाफे में था ? क्या यह सही बात नहीं है कि इन तीन वर्षों में जब बोर्ड था तब ऋण वितरण जो हुआ वह 7 करोड़ 66 लाख तक का हुआ ? और क्या यह सही नहीं है कि जब संचालक मण्डल भंग कर दिये गये और सारे कर्मचारी सरकारी थे, भंग किये गये कांग्रेस के राज में, 1976 में कांग्रेस का राज था और उसके बाद वह चलते रहें जनता पार्टी के राज में और जारी रहे फिर कांग्रेस के राज में ? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, क्या यह सही नहीं कि जो उन्होंने घाटा बताया दो करोड़ और इतने का यह सारे का सारा घाटा इन 12 साल के अन्दर जब सरकारी नियंत्रण में यह बैंक था, कलक्टर जिसका प्रशासक और आपने कहा है कि 27 कर्मचारी जो बैंक के थे वह निलम्बित कर दिये, हटा दिये, उन सबकी जगह सरकारी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर को–आपरेटिव बैंक में भेजा गया और उस वक्त हालत यह हुई, आप तो कहते हो दो करोड़ का, पता नहीं.... (व्यवधान)

आपने कहा है कि 2 करोड़ का कितने का घाटा, उनको मालूम होगा लेकिन जो बैलेन्स शीट 1986–87 की है....

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय,....

श्री नत्थी सिंह : आप कहां से आ गये ?

श्री सम्पत सिंह : मैं आपके पड़ोस से ही आया हूं....(व्यवधान)

माननीय सुमित्रा सिंह जी जो कह रही हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा। आज पता नहीं क्यों माननीय नत्थी सिंह जी के पीछे बिराजे हुए सभी सदस्य बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, इसकी जानकारी दें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप प्रसन्न हो रहे हैं, आपको सब प्रसन्न नजर आ रहे हैं।

श्री सम्पत सिंह : मैं चाहूंगा सारी उम्र बहुत प्रसन्न रहें। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : बैलेन्स शीट के अनुसार 1986–87 के बैलेन्स शीट के अनुसार 67 लाख 99 हजार था जिस पर 7–1–88 को संचालक मण्डल नया चुना गया जिसका अध्यक्ष नत्थीसिंह चुना गया उस वक्त बोर्ड के सामने जो तफसील पेश हुई उसमें 92 लाख के घाटे में बैंक था यह बताया गया। क्या हुआ, सभापति महोदय, 12 वर्ष में 75 प्रतिशत होने वाली वसूली 6 प्रतिशत रह गयी और एक साल एक प्रतिशत जो 7 करोड़ 66 लाख ऋण का निस्तारण होता था वह 35 लाख 88 हजार रह गया और, सभापति महोदय, खर्चे तीन गुना हो गये ? मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इन 12 वर्ष में जो सरकारीकरण रहा, वसूली घटी, मुनाफा कम हुआ और खर्चे बढ़े, वसूली कम हुई साथ ही लोगों को कर्जा नहीं मिला, इसके सम्बन्ध में क्या एक बार भी किसी भी सरकार ने जांच करायी है ? 12 वर्ष के घाटे के कारण क्या थे ? इसलिए अगर को-आपरेटिव पर सचमुच हमदर्दी है, सहानुभूति है, ख्याल है कि को-आपरेटिव कैसे सही बने तो मूल कारणों में जाने की कोशिश करिये। राजनैतिक धुआंधार बनाने से कुछ होने वाला नहीं है।

(श्री नत्थी सिंह)

नत्थीसिंह के खिलाफ, जब 77 में यहां नहीं था तब से ही कहा गया 6 करोड़ का घोटाला किया गया उसके बाद इस जन लेखा समिति की बात कर रहे हो, रिपोर्ट तो कहीं नहीं, क्वेरीज कह रहे हो। क्वेरीज जन लेखा समिति की कह रहे हो इससे क्या। मैं कहना चाहता हूं, आप कह रहे हो फलां सोसायटी में यह हुआ, अमुक में लेकिन 27 कर्मचारी, अधिकारी जो बैंक के हैं जिनको निलम्बित किया गया, जिनको बरखास्त किया गया, आप गलतफहमी में हैं शायद कि संचालक मण्डल उनको सेवा में ले लिया। हाई कोर्ट और दूसरे कोर्टों से निर्दोष साबित होकर, आये उनमें जो कार्यवाही की गयी यह कह कर, उनको मय पिछले एरियर्स देने के आदेश थे। इस बैंक द्वारा बर्खास्त भी किया गया, निलम्बित भी किया गया, जो उस जमाने में सरकारीकरण था और जीते भी मुकदमे सिर्फ पांच अब तक हैं। तभी से फिर उनको मय एरियर्स के, करीब 18 लाख रुपये का भार हाई कोर्ट और और कोर्टस ने दिया कि गलती पर निलम्बित किया गया, बर्खास्त किया गया, 18 लाख रुपये उनको वापस देने के आदेश कोर्ट ने दिये। जिन पांच को देने की बात कही गयी है उन पांच के सम्बन्ध में हाई कोर्ट का फैसला हो गया है वह भी निर्दोष पाये गये हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : सभापति महोदय, उत्तर देना चाहिए, उत्तर वह दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : संसदीय परम्पराओं के अनुसार और विधान सभा की परम्परा के अनुसार यदि किसी माननीय सदस्य के ऊपर आरोप लगाये जाते हैं, तो उनको व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अधिकार है उसी के तहत यह बोल रहे हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : गुमराह कर रहे हैं या सफाई दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि क्या मंत्रीजी यह बतायेंगे कि यह बात सही कि 14 अगस्त, 81 को जब प्रशासक थे और राजकीय लोग वह काम कर रहे थे तब 104 व्यवस्थापकों को एक कलम से बर्खास्त कर दिया गया। हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द किया और उसके कारण भरतपुर बैंक ने 25 लाख रुपये एरियर्स के दिये विभिन्न मुकदमों में। आज भी उनके एम. डी. आदि में कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट के मुकदमे चल रहे हैं आदेश, होंगे, देने पड़ेंगे।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। उसके बाद नत्थी सिंह के बारे में बात कहते हो तो पूछना अपने अधिकारियों को। सभापति महोदय, यह हालत जब बैंक की हो गयी तब हम चुनाव लड़े, ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने चुनाव नहीं कराया, हाई कोर्ट में गये हम। हाई कोर्ट ने फैसला दिया। और हम तो बड़े भ्रष्टाचारी थे, बड़े घोटालेबाज थे, हमारी तो भरतपुर की जनता हमारे बड़े खिलाफ थी, आप बड़े सज्जन थे, उस वक्त जो सरकार थी कांग्रेस की उन्होंने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ाया, तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री पूरे हफ्ते तक भरतपुर में रहे और नतीजा हुआ 12 में से 11 हमारे लोग जीते और हम अध्यक्ष बने। उनका एक जीता और वह भी 15 वोट से,

(श्री नत्थी सिंह)

हम 200 और तीन सौ वोटों से जीते। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आपस में बात नहीं करें। आपके बारे में जो कहा गया है उसी का स्पष्टीकरण दें आप और संक्षिप्त करें।

श्री नत्थी सिंह : यह बैंक लड़खड़ा गया। यह जो राज्य के सरकारीकरण के दौरान हुआ और आपने जो कहा कि जांच कराओ। माननीय सदस्यों को पता नहीं, जांच हुई है और उसके बाद लोगों पर एक्शन लिया है उसके बाद कोर्ट से जीत कर आये हैं। और कोई गड़बडी करता है, कोई बेईमानी करता है खूब जांच कराइये। मैं तो इस बात का हामी हूं कि कोई गबन घोटाला करे तो जांच में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मालूम करो, यह जो राजनीति का आप आरोप लगा रहे हो, आप कहते हो हमने कवेरी की लेकिन हरिदेवजी जोशी माननीय मुख्य मंत्री थे और वे उस आश्वासन समिति के चेयरमैन थे और जब इन्होंने भरतपुर बैंक के सम्बन्ध में 1977 से लेकर यह चेयरमैन बने तब तक जितने भी मामले उठे थे सबको एकजुट किया और उसके जवाब मंगवाये। राजनीति के कारण गड़बड़ी करने की बात बिल्कुल गलत, असत्य, निराधार है। इसलिए यह बात कहने वाले लोग, आप थोड़ा देखा करिये।

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री नत्थी सिंह : एक बात और कह कर समाप्त कर दूंगा। ये कहते हैं बैंक का कारोबार। मैं कहना चाहता हूं हम बैंक में चेयरमैन बन कर आयें सन् 1988 में 7 जनवरी को, उसके बाद 6 प्रतिशत जो वसूली की, जो घाटे में जा रहा था, भरतपुर बैंक के संचालक मण्डल ने अपनी सारी ताकत लगाकर राजस्थान में सबसे ज्यादा चार करोड़ की कैश रिकवरी राजस्थान में भरतपुर में सबसे ज्यादा की। और जो आप 11 ए की बात कहते हो, ठीक है रिजर्व बैंक ने 11 ए का नोटिस दिया इस बैंक को। वह दिया गया सरकार काम में जो सरलीकरण था तब। और हमारे प्रयास के बाद नाबार्ड के हमारे जो रीजनल मैनेजर हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी रिजर्व बैंक को कि इस बैंक ने बहुत अच्छा कार्य किया है। संचालक मण्डल बैंक को अच्छी स्थिति में लाया है इसलिए यह हटा दी जानी चाहिये। आपके सचिवालय में पूछिये, उन्होंने खुद ने कहा कि भरतपुर में बड़ा एप्रीशियेबल काम किया है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : सभापति महोदय, इसके पश्चात हमारा लगा हुआ है इसलिए समय के बारे में आप पाबन्दी नहीं लगायेंगे ....

श्री नत्थी सिंह : नत्थी सिंह यह चुनौती देता है, चुनौती है मेरी, नत्थी सिंह के राजनैतिक जीवन में मेरी पूंजी है कोई एक नये पैसे का दाग लगा दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले सकता हूं। लेकिन केवल असत्य बातें कहकर यहां पर जो वातावरण बना रखा है और गलत जो बात करते हो उसका मुझे दुःख भी होता है। गलत, असत्य, निराधार....(व्यवधान)

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर पर बोलना चाहते हैं ? क्या है पाइन्ट आफ आर्डर ? (व्यवधान)

श्री हेमराज : समिति ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दी थी उसका स्पष्टीकरण क्या है ? उसको स्पष्ट तो करें ।

श्री सभापति : बिना इजाजत के कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोलेगा । (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : सभापति महोदय, यह जो बात कही गई है कि भूमि विकास बैंक के लोगों को कर्जा दे दिया और कोई बाहर गया, बिना इजाजत के कोई नहीं जाता, पासपोर्ट भी नहीं बनता और इसलिए ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित होकर गलत नीयत से लगाये गये हैं । जहां तक बैंक को सफल बनाने की बात है, मैं कहना चाहता हूं, मैं एक बात कहकर खत्म करूंगा, माननीय मंत्री महोदय ने कहा, ठीक बात है, कुछ सदस्यों ने भी कहा कि इंबैलेंसेज है । 87 लाख के इंबैलेंसेज में फंसाया । यह बात सही है कि भरतपुर बैंक में इंबैलेंसेज इतने ज्यादा हैं किन्तु कारण क्या है वह आप अपने मंत्रालय से पूछिये । कारण इसलिए है कि सोसायटी तो मूलधन को जमा कर देती है, विभाग और जो अपेक्स बैंक हैं ये सारे के सारे पैसे को ब्याज में जमा करते हैं इसलिए मूलधन बकाया रहता है और ब्याज मिल जाता है इसलिए सहकारी समिति में तो किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिखता, मूलधन का जरूर यहां इंबैलेंस है । और इसलिये जब कमेटी राज्य सरकार की बनी तो उसमें कहा गया कि इसको दूर करने के लिए 20 दूसरे सहकारी बैंक काम करें और इसलिए इस 1 करोड़ रुपये को बैंक में इसलिए थोपा गया कि वे जो व्यवस्थापकों की तनख्वाह देते हैं वह देनी चाहिये और साढ़े सोलह पर्सेन्ट ब्याज देते हैं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री नत्थी सिंह : इसलिए जो हवा बनाई गई, संचालक मण्डल ने जब मैं था, हिम्मत के साथ रुपया जमा किया और नत्थी सिंह ने को-आपरेटिव को दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं ।

श्री सभापति : माननीय सहकारिता मंत्री जी । (व्यवधान) ऐसा है जो बिना इजाजत बोलें उनका अंकित मत कीजिए ।

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री हेमराज : × × ×

श्री टीकमचन्द कान्त : × × ×

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : × × ×

श्री सभापति : आप बोल चुके हैं, माननीय सदस्य । मैंने किसी को इजाजत नहीं दी है । माननीय सहकारिता मंत्री जी ।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : सभापति महोदय, भरतपुर सहकारी समितियों और बैंक के बारे में समय-समय पर काफी मामले उठाये गये हैं, इसमें कोई शंका नहीं है सन् 1966 से 1991 तक हमेशा अखबारों में कहीं न कहीं आता रहा है । माननीय नत्थी सिंह जी के ऊपर किसी ने आक्षेप नहीं लगाये, मैं भी नहीं लगा रहा हूं । आप दो बार चेयरमैन रहे हैं सन्

× × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

1970-71 में और 1988 से 90 तक । इस बीच में जो सोसायटियों का निरीक्षण किया गया, आडिट किया गया, जांच अधिकारियों ने जो जांचें कीं उनकी रिपोर्टों के आधार पर, सभापति महोदय, इसके घोटाले जब उच्चाधिकारियों के सामने आये.... (व्यवधान) इनकी रिपोर्ट के आधार पर गबन घोटाले, अनियमितताएं सामने आयीं उनके संदर्भ में सन् 77 के अन्दर कुल 37 सहकारी समितियों की जांच की थी । 25 सहकारी समितियां धौलपुर की थीं । केवल इनकी जांच की गई । इन समितियों में 26 या 29 कर्मचारी दोषी पाये गये । इनके ऊपर सहकारिता सचिव ने रजिस्ट्रार को एक लैटर लिखा कि मैं इस बात से शिकायत करता हूं, मांग करता हूं आडिट के आधार पर इन सहकारी समितियों में काफी घोटाले दिखाई देते हैं, इसकी जांच कराई जाय । रजिस्ट्रार महोदय ने इसकी जांच करवाई । जितना सम्भव हुआ, मुझे ध्यान है, जांच कराने के समय जब रिकार्ड मांगा गया तो अधिकांश सोसायटियों ने इसका रिकार्ड नहीं दिया, रिकार्ड उपलब्ध नहीं था और उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो तो उनके ऊपर कोई ज्यादा विशेष कार्यवाही नहीं होती । लेकिन इन बैंकों के अन्दर और जिला भर के अन्दर ज्यादा सोसायटियों की जांच नहीं हुई और इस बीच में यह भी सही है कि सन् 76 से 12 साल तक प्रशासक लगा रहा और यह भी सही है कि बाद में 88 में जाकर चेयरमैन बने थे यह भी बिल्कुल सही बात है इसमें कोई आरोप नहीं है । लेकिन, सभापति महोदय, मैं एक बात कहता हूं कि इस घोटाले के कारण टोटल जो 2 करोड़ के ऊपर घाटा हुआ है, सहकारी समितियों की जांच के आधार पर आया है और आज बैंक की स्थिति यह है कि कोई घाटा आपूर्ति इम्बैलेंस होता है उसके अन्दर 8 करोड़ रुपये की राशि होनी चाहिये लेकिन घाटा आपूर्ति बैलेंस आज की तारीख में केवल 1 करोड़ रुपया है । मेरे कहने का मतलब यह है कि लोगों की अमानतों के ऊपर, लोगों की फिक्स्ड डिपोजिट के अन्दर शंका हो गई है । इस बैंक के अंदर हमारी क्या स्थिति बनेगी ? और ऐसी स्थिति में बैंक की काफी स्थिति बिगड़ गई है । इसलिए अब आज यह ध्यानाकर्षण आया है तो स्थिति को स्पष्ट करता हूं । प्रशासक इस बीच में रहा है और जो आप बात करते हैं कि प्रशासक लगा दिया, 12 साल तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 12 साल तक तो प्रशासक रहा, कोई जन प्रतिनिधि नहीं रहा । इस बीच में एक जोइंट रजिस्ट्रार श्री देवसहाय शर्मा लगाया गया था । जोइंट रजिस्ट्रार को कलक्टर की जगह दो साल के लिए प्रशासक लगाया गया । उसके 15 दिन रिटायरमेण्ट में थे लेकिन 15 दिन रिटायरमेण्ट में भी भरतपुर में जोइंट रजिस्ट्रार को प्रशासक लगाया गया यह किसी के ऊपर आरोप नहीं है । 15 दिन समाप्त होने के बाद इस जोइंट रजिस्ट्रार की अवधि एक साल और बढ़ाई गई प्रशासक के रूप में और जब साल भर भी समाप्त हो गया, सभापति महोदय, तो उसकी 6 महीने की मियाद और बढ़ाई गई । इस प्रकार डेढ़ साल की अवधि देवसहाय शर्मा की बढ़ाई गई । जोइंट रजिस्ट्रार था

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

लेकिन इसको प्रशासक भरतपुर लगाया गया। नतीजा यह हुआ कि इस बैंक की कोई भी गतिविधि सामने नहीं आयी। कियों नहीं आयी, क्या बात हुई इसकी जांच हम करवा सकते थे उसमें ऐसी व्यवस्था थी। 2 करोड़ रुपये के उस बैंक के घोटाले हमारे सामने आये, अनियमितताएं सामने आयी हैं।

(3.48 म.प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं जो देवसहाय शर्मा की बात कह रहा था, डेढ़ साल इसकी अवधि बढ़ाई गई एज ए प्रशासक। जोइंट रजिस्ट्रार था लेकिन कलक्टर को प्रशासक से हटाया गया, किसी भी कारण से हो, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन आगे चलकर भयंकर रूप से बैंक की स्थिति बिगड़ने लगी तो जो इसकी जांच करने वाली समिति गई थी उसने भी इसकी जांच की लेकिन परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे सारे मामले, कोर्ट्स के अंदर चलते गये। पुलिस में 26 में से 12 केस तो दर्ज हुए धौलपुर सहकारी समिति के खिलाफ और 27 मामले दर्ज हुए भरतपुर सहकारी समिति के खिलाफ। वे वहां सी.आई.डी. में परिवर्तित हो गये उसकी जांच जारी है। लेकिन जो अदालत में यहां तक कि हाई कोर्ट में मामले गये, अब इस बीच में क्या हुआ कि उसमें राजनीति कोई भी हो, चेयरमैन हो या प्रशासक हो लेकिन वस्तुत: बैंक के प्रति कोई भी चिन्तित नहीं रहा 90 तक, इस बैंक के बारे में कोई चिन्तित नहीं रहा। यहां तक कि हाई कोर्ट में जो केस गये, पुलिस में जो केस गये, जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई तो रिकार्ड मांगने पर रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं कराया। पुलिस ने रिकार्ड मांगा तो पुलिस को भी रिकार्ड उपलब्ध नही कराया। यानी सहकारी समिति के बारे में एकतरफा कार्यवाही हुई और रिकार्ड उपलब्ध न कराने के बारे में न्यायालय ने निर्णय बिलकुल ठीक किया। उच्चाधिकारियों को इसमें प्लीड करना चाहिए था। भरतपुर बैंक को अपने उच्चाधिकारियों के माध्यम से या अपनी सरकार के माध्यम से उच्चाधिकारियों को पैरवी के लिए लगाना चाहिए था लेकिन हैडक्वार्टर्स के अंदर चाहे कोई ए.ओ. हो, बैंक का एम.डी. हो या कोई रजिस्ट्रार हो किसी ने भी इस केस की पैरवी नहीं की। और क्यों नहीं की इसमें मैं नहीं जाना चाहता कि राजनीतिक दबाव से नहीं की या किस कारण से नहीं की यह मामला तो अलग है। इसका नतीजा यह हुआ कि सारे जितने बैंक घोटाले सामने आये थे, जितनी अनियमितताएं थीं उन सबके ऊपर पानी फिर गया और कोर्ट ने एकतरफा कार्यवाही दे दी, इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। चाहे कितने भी कर्मचारी थे उन सबको एक्स-पार्टी कर दिया क्योंकि कोई पैरवी के लिए गया ही नहीं और अंत में नतीजा यह हुआ कि सारे कर्मचारियों को बैंक ने सारा पैसा चुकाया। तो घाटे के ऊपर घाटा चलता गया। इसलिए मैंने यह पहले कहा था कि यह घाटा आपूर्ति, जो आठ करोड़ रुपये था, आज तक की तारीख में वहां पर हमारी राशि केवल एक करोड़ रुपये के ऊपर रह गई। आज बैंक में राशि जमा कराने वालों को भी शंका हो गई है, फिक्स डिपाजिट कराने वालों को भी शंका हो गई है कि इस

(134)

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

बैंक में हमारी अमानतें सुरक्षित रहेंगी या नहीं रहेंगी, हमारे फिक्स डिपाजिट सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। मामला इतना लम्बा-चौड़ा है आज की तारीख में, कुल मिलाकर आगे से सतर्क रहें, इस बैंक की या तो स्थिति सुधरनी बहुत मुश्किल है, अगर हम जांच भी करायें तो हम जानते हैं कि जांच में कितने महीने और कितने साल लगते हैं। लेकिन सही बात तो यह है, आज सदन के सामने मैं केवल एक बात कहता हूं कि उच्च अधिकारियों की एक बड़ी उच्च स्तर की समिति इन सारे घोटालों की, सन् 1965 से 1990 तक की जांच के लिए मैं यह निश्चित करता हूं कि दो महीने के अन्दर-अन्दर इस समिति का गठन करके सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराना ही मेरा लक्ष्य होगा। मुझे आपका सहयोग चाहिए उसके बारे में, पुलिस इन्वेस्टीगेशन में जो केस देना पड़ेगा, उसको देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और सारा मैटर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री सुनील कुमार विश्नोई। आधा घंटे से ज्यादा इस पर चर्चा नहीं होगी, यह आपको बता देता हूं मैं, मैक्सिमम। (व्यवधान)

ध्यान आकर्षित करिये, आप बिराजिए। आप बिराजिए, बिराजिए। बहुत टाइम हो गया है, बैठिये आप। हां, बोलिए।

श्री सुनिल कुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी....

श्री अध्यक्ष : आप ध्यान आकर्षित कर दीजिए, फिर सवाल पूछिये। आप मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करिये।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपये का घोटाला है, जनलेखा समिति के सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो एक घंटे से चल रहा है, बैठिये आप।

श्री किशनाराम नाई : बोलना चाहते हैं, जिनके प्रश्न थे। (व्यवधान)

श्री सुनील कुमार विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : भरतपुर सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक का करोड़ों रुपये का घोटाला है, माननीय मुख्य मंत्री यहां विराजमान हैं और माननीय मंत्री महोदय ने इस प्रकार के घोटाले के बारे में अपना उत्तर दिया है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा....

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है कि विधान सभा की प्रवर समिति, जनलेखा समिति....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : कि इसकी जांच इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो से कराने का आश्वासन दिया जाय... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपये का घोटाला तो राजस्थान रोडवेज में है। इसको आप ध्यान रखें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसके बारे में अपना वक्तव्य दें और सदस्यों को आश्वासन भी दें कि इस घोटाले के बारे में इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो के द्वारा इसकी जांच कराई जायेगी।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रवर समिति, जन लेखा समिति ने भरतपुर सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के खिलाफ जो रिपोर्ट दी थी....

श्री अध्यक्ष : चलिए, आपने कर दिया, माननीय मंत्रीजी, दूसरा काल अटेंशन....

सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार की कथित अवैध कार्यवाही

श्री सुनील विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान इस प्रस्ताव के जरिये आकर्षित करना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग में....

श्री हेमराज मीणा : जन लेखा समिति की रिपोर्ट क्या थी ? उसको सदन में स्पष्ट करें।

श्री सुनील विश्नोई : 10.9.89 से 31.12.90 तक की अवधि में कार्यरत रजिस्ट्रार ने अपने भ्रष्ट कारनामों से जालौर एवं जयपुर की जनता को भयंकर कष्ट दिया है, इनके जिलाध्यक्ष कार्यकाल में जिस कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति का गठन हुआ उसे लाभ पहुंचाने के इरादे से आपने रजिस्ट्रार....

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्षजी, मेरा एक पाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : पूरा तो कर लें। हो गया आपका ? बोलिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, अभी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भरतपुर के बैंक के घोटाले का था उस पर चर्चा हुई साढ़े तीन, चार घंटे, वह संबंधित था जनता दल के एक पूर्व नेता से....

श्री कालीचरण सराफ : कौन नेता थे ?

श्री हेतराम बेनीवाल : वह नत्थी सिंह जी थे। आपने उनका नाम भी लिया है, उन पर चर्चा भी की है। उस पर हाउस ने साढ़े तीन घंटे चर्चा की....

श्री अध्यक्ष : ज्यादा कर ली आपने, मेरी अनुपस्थिति में कर ली, मैं इतनी छूट नहीं देता।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे अर्ज करता हूं, मेरी सुन लीजिए न। यह हाउस ने किया है और आपके निर्देशन में हुआ है। मैं समझता हूं कि आप चाहे वहां बैठें, यहां बैठें, हमारे लिए उसी रूप में हैं। उन्हें साढ़े तीन घंटे....

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं, यह बताइये न ? Now what do you want ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि अब जो घोटाला है वह नयी सरकार का घोटाला है और उनसे संबंधित है इसलिए इसको आपने रखा है आधा घंटा....

श्री अध्यक्ष : इसलिए आधा घंटे ही चर्चा होगी। बैठिये आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं....

श्री अध्यक्ष : इसलिए चर्चा आधा घंटे ही होगी, बिराजिए आप ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरी प्रार्थना यह है कि कृपया इस मामले में आप न्याय करें।

श्री अध्यक्ष : अब आप प्लीज, पाइंट आफ आर्डर रिजेक्टेड, There cannot be a point of order on a point of order.

श्री हेतराम बेनीवाल : आप हमारे साथ न्याय करें....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपने रूलिंग दे दी इस पर तो, आपने व्यवस्था दे दी।

श्री अध्यक्ष : कहां दे दी, वह बैठ ही नहीं रहे हैं अभी ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपने दे दी ।

श्री अध्यक्ष : अब बताइये, आपका पाइंट ऑफ ऑर्डर क्या है ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है, चूंकि सदन में सहकारी बैंक, भरतपुर का मामला चला जिसके लिए तो साढ़े तीन घंटे आपने व्यवस्था दे दी क्योंकि वह....

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था नहीं दी । सदन ने टाइम ले लिया है, सदन सर्वोपरि है, ले लेता है, मैंने व्यवस्था नहीं दी है ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आसन पर आप हैं तो आपसे ज्यादा सर्वोपरि कोई नहीं, और हम तो अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : तो मेरी अनुपस्थिति में सदन ने टाइम ले लिया, ले लिया, अब मैं क्या करूं ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : चूंकि अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ जब नत्थी सिंहजी बैठते थे जब तो यह मामले के लिए....

श्री अध्यक्ष : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है आपका ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अब चूंकि नत्थी सिंहजी इधर बैठे हैं, साढ़े तीन घंटे की व्यवस्था दी है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। मंत्रीजी । आप बिराजिए ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा मामला आ रहा है वह मीठालालजी के मामले का है जो कि भैरोंसिंह जी खुद व्यवस्था देते....

श्री अध्यक्ष : आप शुरू तो होने दीजिए। आप आधा घंटे में पांच....आप बिराजिए, बिराजिए । बैठिए आप । मंत्रीजी, बोलिये ।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : सहकारी विभाग में 10.9.89 से 31.12.90 की अवधि में कार्यरत रजिस्ट्रार

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

द्वारा कल्याण गृह निर्माण समिति तथा नेहरू सहकारी समिति के रिकार्ड को बदल कर नियम विरूद्ध करोड़ों का, 29 हजार वर्ग भूमि 51 लाख रुपये में बेच कर शीर्ष संस्था को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाने के बारे में श्री सुनील विश्नोई तथा अन्य सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा माननीय सदस्यों ने 10.9.89 और 31.12.90 की अवधि में कार्यरत रजिस्ट्रार द्वारा कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति तथा नेहरू सहकारी भवन समिति के रिकार्ड को बदलने तथा नियम विरूद्ध भुगतान कर सहकारी शीर्ष संस्था को नुकसान पहुंचाने के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। माननीय सदस्यों ने अपने प्रस्ताव में यह भी कहा कि जयपुर में लगने वाले गृह निर्माण समिति के शिविरों में सदस्यों से प्राप्त शिकायतों का समाधान नहीं किया है और यह शिकायतें पदाधिकारियों को लौटा दी गई ताकि शिकायतकर्ता समिति के चंगुल में पुन: आ जावें। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति इस प्रकार है :....

सहकारी विभाग में 10.9.89 और 31.12.90 तक की अवधि में कार्यरत रजिस्ट्रार के विरूद्ध किसी प्रकार का भ्रष्ट आचरण या जनता को परेशान करने की कोई शिकायत नहीं मिली है। तत्कालीन रजिस्ट्रार ने विशेष प्रयास करके 9 अप्रेल से 6 जून तक जयपुर की 206 गृह निर्माण सहकारी समितियों के लिए 240 शिविरों का आयोजन किया। इन खुले शिविरों में सदस्यों की शिकायतों को सुना गया। इस समिति का रिकार्ड देखा गया और जहां तक हो सका है इनकी शिकायतों का निराकरण किया गया, निस्तारण भी किया। शिविरों के दौरान प्राप्त 3500 शिकायतों में से 2400 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही शिविर प्रभारी अधिकारी द्वारा करवा दिया गया। कुछ शिकायतें इस समिति को इस निर्देश के साथ भेजी गई कि इसका निस्तारण स्वयं करें। शिविरों में आने वाली शिकायतों के फलस्वरूप रजिस्ट्रार ने बाकी गृह निर्माण समितियों की जांच धारा 70, राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत कराने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किये। इसके अतिरिक्त 27 गृह निर्माण समितियों के 80 व्यक्तियों और चार राज्य कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस में कार्यवाही की गई। चार अधिकारी एवं दस निरीक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई जिनमें से छह निरीक्षक निलम्बित किये गये। विभागीय स्तर पर सदस्यों की शिकायतें सुनने, उनका निस्तारण करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तत्कालीन रजिस्ट्रार ने पूरी मेहनत और निष्ठा से इस कार्य का सम्पादन किया। यह आरोप कि उन्होंने समिति के पदाधिकारियों से मिल कर उनकी शिकायतें समिति को लौटा दीं ताकि शिकायतकर्ता उनके चंगुल में आ जायें, आधारहीन है। कल्याण गृह निर्माण समिति का पंजीयन सहायक रजिस्ट्रार, जालौर द्वारा किया गया था। इस समिति के 51 लाख रुपये से राजस्थान आवासन संघ द्वारा भूमि खरीदने का कोई आदेश तत्कालीन रजिस्ट्रार ने नहीं दिया था। इस भूमि की खरीद करने के समय आवासन संघ के मनोनीत अध्यक्ष श्री चन्द्रराज सिंघवी थे।

138

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

इनके अवधिकाल में इस भूमि की खरीद के लिए 16 लाख रुपये का आंशिक भुगतान उस समय कर दिया गया। रजिस्ट्रार ने इस समिति की धारा 70 में जांच करने के आदेश भी दिये थे। चूंकि इस भूमि की खरीद में प्रथम दृष्टया आवासन संघ के पदाधिकारियों द्वारा अनियमितताएं की गई हैं, अतः तत्कालीन रजिस्ट्रार तथा राज्य सचिव की राय के आधार पर सरकार ने इस मामले को अक्टूबर, 90 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपने का निर्णय किया। सरकार इस मामले की खरीद को निरस्त करने के कानूनी पहलुओं पर भी विचार कर रही है। इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन रजिस्ट्रार का कोई हाथ नहीं है। जहां तक नेहरू सहकारी भवन समिति का सवाल है, इस भवन का निर्माण राजस्थान राज्य पुल निगम के माध्यम से हुआ है जो एक राजकीय उपक्रम है। चूंकि सहकारी भवन का निर्माण सहकारी विभाग, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं व राजकीय उपक्रमों आदि के लिए किया गया था अतः इन सभी से इस भवन के निर्माण हेतु राशि ली गई और इसके लिए नेहरू सहकारी भवन समिति का गठन किया गया था, इसके पदेन अध्यक्ष रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां थे।

तत्कालीन रजिस्ट्रार द्वारा नियमानुसार भवन निर्माण के लिए भुगतान राजस्थान राज्य पुल निगम को किया गया था। सहकारी समिति का 1989 और 1990 का आडिट भी पूरा हो गया और समिति की 1990 में हुई आम सभा में यह भी निर्णय लिया गया कि सदस्य संस्था द्वारा भवन निर्माण के लिए कराई गई राशि का भुगतान, इससे पूर्व जो ब्याज मिला है, उस समिति की आय में नहीं माना जा सकता और संस्थाओं द्वारा जमा कराई गई राशि के अनुपात में अर्जित ब्याज की राशि उनकी ओर से उनके खातों में जमा कराई हुई मानी जावे। तत्कालीन रजिस्ट्रार के विरूद्ध नेहरू सहकार भवन के निर्माण में लगाया गया करोड़ों रुपयों का आरोप निराधार है क्योंकि आम सभा में ब्याज की राशि नेहरू भवन सहकारी समिति की आमदनी नहीं मान कर सदस्यों को देकर उनके खातों में जमा कराने का निर्णय सहकारिता के सिद्धान्त के अनुकूल है। अतः इस प्रकार यह आरोप भी मनगढ़न्त लगाया गया है। तत्कालीन रजिस्ट्रार ने अपने कार्यकाल में सहकारी विभाग के कार्य को आगे बढ़ाने की चेष्टा की थी। उन्होंने किसानों, बुनकर, दस्तकारों के लिए सरकार द्वारा लागू की गई राहत योजना का तेजी से क्रियान्वयन किया और इसके अतिरिक्त सभी सदस्य संस्थाओं के कार्य को बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री सुनील विश्नोई। सवाल पूछिये।

(4.00 म. प.)

श्री सुनील विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी सफाई से तथ्यों को घुमाने की कोशिश की। इसी सन्दर्भ में मैंने पहले विधान सभा में प्रश्न भी पूछा था। उसका भी जवाब मेरे पास है जो मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं, "क्या जालौर जिले में कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति मौजूद है?" इन्होंने लिखा–

(श्री सुनील विश्नोई)

जी हां। "क्या यह सही है कि कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति का पंजीयन तत्कालीन जिलाधीश ने किया था ?" इन्होंने बताया है कि "जिलाधीश ने सिफारिश की थी।" मैंने पूछा था कि 'क्या सरकार उपरोक्त भूमि सौदे के संबंध में रजिस्ट्रार की भूमिका के संबंध में जांच कराने का इरादा रखती है ?" इन्होंने लिखा है कि "जब तक प्रथम दृष्टि से इस मामले में रजिस्ट्रार की भूमिका संदिग्ध न हो जाय तब तक जांच कराने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।" मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि जब इस समिति का पंजीयन हुआ था वह इन्हीं रजिस्ट्रार, जब जालौर में कलक्टर थे, ने सिफारिश की थी और जो यह जमीन का सौदा हुआ उस समय भी यह यहां के रजिस्ट्रार थे जयपुर में और इनको सारे तथ्यों की जानकारी थी कि वहां जालौर में क्या रेट्स हैं। श्री सी. आर. वर्मा वहां रजिस्ट्रार थे, बाद में वह जयपुर रजिस्ट्रार लगे। उनको सबकी जानकारी थी कि जालौर में जमीनों के क्या रेट्स हैं, क्या भाव वहां चल रहे हैं। वहां से उन्होंने कलक्टर से भी इसकी मांग की थी कि वहां के रेट्स बताइये, जिस पर उनका जवाब आया कि कृषि भूमि की दर 11 से 13 हजार रुपये, विकसित की दर 30 हजार रुपये और अर्ध विकसित की 15 हजार रुपये थी। यह दरें कलक्टर के वहां से इनको मालूम थीं। यह सारी जानकारी सी. आर. वर्मा रजिस्ट्रार के पास थी। इसमें चाहे डायरेक्ट नहीं, लेकिन मेहता साहब की भी सुपरवाइजरी नेग्लीजेंस तो है ही। पर ज्यादा जिम्मेवारी रजिस्ट्रार की बनती है क्योंकि रजिस्ट्रार को सारी स्थिति से अवगत कराना चाहिए था कि साहब, यह इससे ज्यादा सौदा दे रहे हैं, ज्यादा पेमेन्ट कर रहे हैं। नियम 25 के तहत वह कार्यवाही करके इनको रोक सकते थे। वैसे कलक्टर जानते थे कि इसकी क्या रेट्स चल रही हैं पर उन्होंने सौदे को रोकने की कोई कोशिश नहीं की बल्कि सौदे को कामयाब कराने में पूरा पूरा योगदान दिया और यह 29 हजार गज जमीन 51 लाख में इन्होंने खरीदी। इससे संस्था को बहुत बड़ा घाटा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आपने अभी जो रेट बताई है कलक्टर की उससे आपने केलकूलेट किया है कि रेट क्या पड़ती है ?

श्री सुनील विश्नोई : पांच लाख से कम की जमीन बनती है और 51 लाख में ली है। इतना ज्यादा फर्क है इस जमीन में। बाकी डवलप्ड का इन्होंने लिखा है कि जहां सड़कें बनी हुई हों, पोल्स लगे हुए हों, इलेक्ट्रिफाइड हो, उसकी रेट्स अलग हैं। उस रेट में जमीन आती नहीं और, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जवाब चाहूंगा, इन्होंने उस रजिस्ट्रार को पूरा का पूरा संरक्षण दे रखा था और इनके संरक्षण में उन्होंने वहां पर शिविर लगाये, शिविरों में जिस तरह कल्याण गृह निर्माण समिति से जो इन्होंने खरीदी उसमें इन्होंने यहां जमीन और खरीदी जोधपुर में उसके कागज.... (व्यवधान)

आप सुनिये पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां आपके झालामान में, जोधपुर में कुछ किसानों ने बैंक से ऋण लिया था

(श्री सुनील विश्नोई)

फिर उसे वह वापिस नहीं दे पाये। 1976 में वह जमीन बैंक के नाम हो गई, उसकी जमाबन्दी बैंक के नाम हो गई, उसका नामान्तरण भी बैंक के नाम हो गया और उसको विभाग ने भी स्वीकृति दे दी। अब कुछ सेठ लोग उस जमीन में इच्छुक हुए, बैंक को नुकसान पहुंचाने के लिए सेठों ने वह जमीन ले ली। उन्होंने बैंक में पैसे जमा कराने चाहे और वह मंत्री जी से भी मिले और रजिस्ट्रार से भी मिले। इन्होंने एक आदेश किया कि जमीन वापिस काश्तकारों को दे दी जाय क्योंकि जब नामांकन हो गया है, जमाबन्दी भी बैंक के नाम हो गई है, या तो खुली नीलामी होती, नीलामी के आदेश नहीं दिये, इन्होंने उस सेठ को फायदा पहुंचाने के लिए वापिस जमीन उनको देने के आदेश दिये। उस पर बैंक के सचिव ने लिखा है दिनांक 25.2.91 को कि मंत्री महोदय ने जो निर्देश जारी किये हैं वे विधि सम्मत नहीं हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज सहकारिता विभाग चल रहा है, मैं तो कहूंगा इसको आप करप्शन विभाग भी कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां शिविर लगे, उसमें कई शिकायतें आयीं। बहुत बड़ा इसका प्रचार किया गया कि शिविर लगा रहे हैं, पट्टाधारियों को हम राहत पहुंचायेंगे, जिनको सोसायटीज ने तंग कर रखा है उनको हम राहत देंगे बल्कि यह प्रचार किया गया था कि हम विकास शुल्क भी कम करेंगे। उन शिविरों की हालत क्या हुई ? ना तो उनके खिलाफ कार्यवाही की गई, जितने मामले आये, सोसायटी वालों के और पट्टाधारियों के बीच में जो विवाद होता है वह नियम 75, 74 के तहत हल करना चाहिए था जिससे सोसायटी वालों से पट्टाधरियों को रिलीफ मिलती। पर वह नहीं किया, कुछ मामलों में, जिनमें इन्ट्रेस्टेड थे उनमें वह किया गया, बाकी मामले वापिस सोसायटी को लौटा दिये गये और सोसायटी वाले अब पट्टाधारियों को उनकी शिकायत दिखाते हैं कि तुमने शिकायत की थी, पहले तो तुम्हें 400 गज का प्लाट दे देते, अब 300 का ही मिलेगा क्योंकि 100 गज तो हमने एडजस्टमेंट में ही दे दिया। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में कुल कितनी हाउसिंग सोसायटीज हैं जिनके आडिट कई वर्षों से नहीं हुए ? कैम्प तो यहां भी किया होगा, कैम्प के दौरान कितने मामले रजिस्टर हुए और अभी तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है और कितने फैसले किये गये हैं ? ऐसी कितनी सोसायटीज हैं जो लिक्विडेशन में है फिर भी कार्य कर रही हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं जो एक भूखण्ड के एक से ज्यादा पट्टे जारी कर दिये और इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण के लिए आज विश्व में बहुत बड़ी चिन्ता है। एक नियम है कि 40% ओपन स्पेश छोड़ा करते हैं वह नहीं छोड़ के 90% जमीन के पट्टे काट दिये गये इसके लिए सरकार ने क्या निश्चित किया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी चर्चा की कि

(श्री जुबेर खान)

कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति का 1983 में रजिस्ट्रेशन हुआ था उस समय पाली में कलक्टर थे उन्होंने जो पत्र लिखा सहायक रजिस्ट्रार को उससे ऐसा लगता है कि उनका कोई न कोई संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उस गृह निर्माण सहकारी समिति से था। जबकि कलक्टर को इस तरह की चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिये। इन्होंने लिखा है अगर आप इस गृह निर्माण सहकारी समिति को पंजीकृत कर देते हैं तो उसके बाद में जो जमीन खरीदी गई, उसको हम आबादी में कन्वर्ट कर देंगे। यह इनडायरेक्टली एक इन्फ्लूएंस था कि किसी तरह से इनको कर दें। वह हो गई। उसके बाद में यह 3–4 सोसायटियां थीं जिन्होंने जोधपुर में, जालौर में जमीन खरीद कर एक दो आवासीय योजना बनाई। जोधपुर और आबू रोड में तो विभाग द्वारा यह आपत्ति लगा दी गई थी कि वहां पर जमीन महंगी समझ रहे हैं, इसलिए नहीं दी गई। यह एक श्री जी. सी. शर्मा हैं, शासन उप सचिव, इन्होंने लिखा है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में निर्देशानुसार लेख है कि जोधपुर योजना के लिए आप द्वारा प्रस्तावित भूमि की दर बहुत अधिक है। जिलाधीश जयपुर का पत्र आने पर उसके अनुमोदन पर विचार किया जायेगा। उसमें दूसरा लिखा है कि उपरोक्त खरीदी जाने वाली जमीन में अगर सड़क आदि हैं तो 150 से 170 रुपये प्रति वर्ग गज से ज्यादा इसकी कीमत नहीं होनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जालौर में सायला रोड पर जमीन एक शीर्ष संस्था राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी की दिलाई गई, इन गृह निर्माण समिति के माध्यम से 29 हजार वर्ग गज जमीन 51 लाख रुपये में दिलाई गई। आप थोड़ा सा सोचिये, कहां जोधपुर और माउन्ट आबू की जमीन और कहां इस सायला रोड की जालौर की जमीन, जिसके बारे में इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत दुःख की बात है इस सरकार के मंत्री और खासकर मुख्य मंत्री एक ग्रीन चिट दे देते हैं किसी भी अधिकारी को कि इनसे अच्छा और ईमानदार और कर्मठ अधिकारी है ही नहीं। यह +++ बात है। सरकार का यह दायित्व नहीं है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सदन में यह प्रमाण पत्र बांटे कि वह ईमानदार हैं....

श्री अध्यक्ष : अब आप भाषण देने लग गये हैं।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये, भाषण मत दीजिये। 'यह +++ शब्द हटाओ। माननीय सदस्य, एक मिनट। मैं आपको बार–बार निवेदन कर चुका हूं कि यहां पर जो असंसदीय शब्दों का बार–बार प्रयोग होता है उससे राजस्थान विधान सभा का रिकार्ड सारे हिन्दुस्तान में बिगड़ रहा है। इसलिए बोलते समय इस बात का ध्यान रखें कि असंसदीय शब्दों का प्रयोग न हो।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : इसमें सत्ता पक्ष का हाथ है।

श्री अध्यक्ष : मैं सब सदस्यों को कह रहा हूं। मैं केवल आपको ही नहीं कह रहा हूं। सम्पूर्ण सदस्यों को कह रहा हूं। (व्यवधान)

अब आप बैठिये। बहस की बात नहीं है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश महोदय, जालौर ने साफ लिखा है कि जमीन के खसरा नम्बर सहकारी विभाग द्वारा दिये गये हैं, उसके जवाब में उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि....

श्री डूंगरराम पंवार : "जिलाधीश" खुशामद का शब्द है। वह "आधीश" नहीं हो सकते जनता के। जिला कलक्टर है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मंत्रीजी।

श्री डूंगरराम पंवार : जिलाधीश, द्वारकाधीश। आप कर रहे हैं खुशामद।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका।

श्री जुबेर खान : यह कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश महोदय ने जो खसरा नम्बर की जमीन प्रस्तावित की गई थी इस सहकारी समिति द्वारा, उसके सम्बन्ध में लिखा है कि उपरोक्त आराजी की कृषि भूमि की विक्रय दर 11 हजार से 13 हजार रुपये बीघा तथा आवासीय कार्य हेतु विकसित क्षेत्र की दर 30 हजार रुपये प्रति बीघा है और अर्द्ध विकसित क्षेत्र की भूमि की दर 15 हजार रुपये प्रति बीघा है। यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : रिपीट मत कीजिये। यह तो आप बोल चुके हैं। और कोई नई बात बताइये।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय ने आदेश दिये जबकि मंत्री महोदय न्यायिक आदेश नहीं दे सकते। उन्होंने आदेश दिया है, मेरी जानकारी में आया है कि कल्याण गृह निर्माण समिति जालौर काफी समय से काम नहीं कर रही है इसलिए उक्त समिति को तत्काल लिक्विडेशन में लेकर 7 दिन में सूचित करें। यह जुडिशियल रिपोर्ट है, इसे कोई अधिकारी ही कर सकता है। उसके बाद में मालूम नहीं क्या सांठ-गांठ हुई मंत्री महोदय और समिति के बीच। मंत्री महोदय दुबारा लिखते हैं कि उक्त समिति को मैंने लिक्विडेशन करने के आदेश दिये थे। इस सन्दर्भ में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 के नियम 78 तहत दिनांक 14.5.90 तक का समय दिया गया था। यदि समय पर जवाब नहीं आया तो नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए लिखा जायेगा। लेकिन दिनांक 7.5.90 को कल्याण गृह निर्माण समिति लिमिटेड ने वर्णित आदेश के लिए जवाब पेश किया जिसमें रिकार्ड, आडिट रिपोर्टिंग इत्यादि पेश की गई है। इन तथ्यों को देखने में समय लगेगा, इसलिए इसको लिक्विडेशन में नहीं लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि दुबारा आपने जुडिशियल आर्डर किया इसके अंदर आप लिखते हैं, आगामी तारीख तक कल्याण गृह निर्माण समिति लिमिटेड, बाकरा रोड, जिला जालौर को लिक्विडेशन में नहीं लिया जाय और इस

(श्री जुबेर खान)

समिति की पूरी रिपोर्ट मेरे समक्ष पेश की जाय। मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह जो रिपोर्ट आयी है, इसे आप सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप बिराजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह महुआ (अनुपस्थित)

श्री प्रद्युम्न सिंह जी। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी आज्ञा हो तो मैं यहां से बोल लूं।

श्री अध्यक्ष : हां, हां, सब बोलते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी आज्ञा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से 3 सवाल पूछना चाहता हूं जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कल्याण गृह निर्माण समिति के बारे में (व्यवधान)

श्रीमान्, आप तो यह बतावें कि इस योजना से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बताइये, क्या इस हाउस में 3-5 चलने दूं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने ऐसा कहां कहा है ? आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप जितने प्रश्न अलाउ करेंगे, उतने ही पूछूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान आवासन संघ की किस मीटिंग के अन्दर इस गृह निर्माण सहकारी समिति की जमीन खरीदने का फैसला लिया गया था ? नम्बर एक, और उस सहकारी समिति की मीटिंग के अन्दर सहकारिता सचिव, तत्कालीन रजिस्ट्रार और सहकारी विभाग के कौन-कौन अधिकारी मौजूद थे ? यह बता दें आप, सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

अब एक प्रश्न और, जब 51 लाख रुपये का सौदा हो गया, अध्यक्ष महोदय, 16 लाख रुपये का एडवांस पेमेन्ट किया गया तो यह किस अधिकारी द्वारा किसके आदेश से किया गया ? और तीसरी बात, क्या राज्य सरकार से राजस्थान आवासन संघ ने जमीन खरीदने के लिए कोई इजाजत मांगी थी या नहीं मांगी थी ? यदि मांगी थी तो कब मांगी थी और किस चीज की इजाजत मांगी थी ? अगर ये इन तीन मुद्दों को साफ करदें तो इसके अन्दर कौन कौन अधिकारी लिप्त थे और उसमें किस किस अधिकारी का क्या क्या रहा, यह सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। आवासन संघ के लिए अध्यक्ष तो आपने कह दिया कि चन्द्रराज सिंघवी थे चलिये, चन्द्रराज सिंघवी थे। हमारी सरकार ने बनाया था, यह भी मैं समझ रहा हूं आज किसलिए कह रहे हैं लेकिन उसमें आपके कौन कौन अधिकारी थे, यह भी बतावें जिन्होंने यह निर्णय लिया इनका उत्तर आ जाये, श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : हो गये आपके तीन सवाल।

श्री परसादी लाल मीणा।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जालौर और जयपुर के सम्बन्ध में गृह निर्माण समिति के सम्बन्ध में यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है....

श्री अध्यक्ष : नये सवाल पूछिये । रिपीट नहीं करिये ।

श्री परसादी लाल मीणा : बिल्कुल नये पूछूंगा । मैं जयपुर के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करके कुछ सवाल पूछना चाहता हूं । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जयपुर में बड़े बड़े कैम्प लगाये और करीब एक महीने से अधिक समय तक आपने हर सोसायटी में और हर मौहल्ले में जाकर कैम्प लगाये । मेरा पहला सवाल है, आपने कितने ऐसे मामले इसमें पाये जो बिल्कुल गलत थे । जिन सोसायटियों में भारी अनियमितताएं पायी गई थीं, कितनी सोसायटियों के खिलाफ आपने यह पाया जिनका आडिट बहुत लम्बे समय से नहीं हो पा रहा है । दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो अनियमितताएं मिलीं और आपकी सरकार ने महसूस किया कि इसमें वास्तव में गड़बड़ियां हुई हैं आपने कितनी सोसायटियों के कितने आडिटर्स के ट्रांसफर जयपुर जिले से बाहर किये ? नम्बर, तीन मेरा सवाल है कि आपने उन आडिटर्स का ट्रान्सफर वापस जहां से उनको हटाया था वहीं पर कर दिया । इसके क्या कारण थे ?

नम्बर चार, सवाल यह है, मंत्री महोदय ने यह कहा था, आपको याद होगा, कि राजस्थान के सहकारिता विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको और अनियमितता को समाप्त कर देंगे । वह भ्रष्टाचार तो अभी, जैसा कि आप खुद समझ रहे हैं, समाप्त हुआ नहीं और आप पता कब तक.... (व्यवधान)

जहां गड़बड़ी पायी गयी है, आपने यह भी कहा था, मुख्य मंत्रीजी, कि उनके खिलाफ कार्यवाही करके एफ.आई.आर. दर्ज करवायी जायेगी । आपने कैम्प लगाये, इतना हल्ला किया, सारी मशीनरी को लगाया । तो कितने लोगों के खिलाफ आपने एफ.आई. आर दर्ज करवायी, कितने लोगों के आपने चालान किये । अगर यह सारी नाटकबाजी थी तो, अध्यक्ष महोदय, यह माना जायेगा कि सरकार ने सोसायटियों को दबाने के लिए या उनसे पैसा ऐंठने के लिये आडिटर्स को (व्यवधान)

उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की, उनके रेकार्ड जब्त किये और सारा मामला आपने चौपट कर दिया । इस का अर्थ है कि मंत्रीजी आपने बहुत बड़ा घोटाला किया है या आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक प्रेशर था इसलिए आपने इन सारी कार्यवाहियों को ड्राप कर दिया । आप स्पष्ट करें कि कितने लोगों के आपने चालान किये....

श्री अध्यक्ष : रिपीट कर रहे हैं आप । तीन बार रिपीट कर चुके हैं । मैं कह रहा हूं कि रिपीट मत करिये । आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कितने लोगों के चालान, कितनी एफ.आई.आर. दर्ज करवायी, कितने लोगों के चालान किये । इससे क्या मतलब हुआ ? नया सवाल पूछें ।

श्री परसादी लाल मीणा : नया मेरा सवाल है कि आपने कितनी सोसायटियों के प्रशासक बनायें, कितनी सोसायटियों के चुनाव हुए और कितनी सोसाइटियां ऐसी हैं जिनका आपको यह पता नहीं । सारी जानकारी आप बतायें कि आपको कितने लोगों की शिकायतें मिली थी और उसमें से

(श्री परसादी लाल मीणा)

कितने लोगों की शिकायत का आपने निस्तारण किया ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेम सिंह दहिया । सिर्फ नये सवाल ही करेंगे ।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, जालौर सोसायटी के बारे में पहले सदस्यों ने जो सवाल किये उनसे हट कर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा । जालौर के विधायक जोगेश्वर गर्ग जो राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने एक व्यक्तिगत पत्र लिखा है । क्या यह सही है कि आपके विभाग को ऐसा कोई पत्र लिखा गया है ? पत्र दिनांक 11.2.1991 का है । जिसमें इन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर सायला रोड की जालौर आवासन योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश प्रदान करवाये, ऐसी इन्होंने इसमें सिफारिश की है । जबकि उनको खुद को मालूम था कि यह ढाई लाख की, तीन लाख की जमीन है और 51 लाख में बिक रही है और इतना बड़ा घोटाला है । उसमें उनकी रुचि लेने का और इस तरह से आपके विभाग को पत्र लिख कर गुमराह करने का और गलत काम करने के लिए उत्साहित करने का क्या कारण है ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है, अध्यक्ष महोदय, कि जयपुर के अन्दर ढाई सौ सोसायटियों का कैम्प चला था और उसके अन्दर शिकायतें आमन्त्रित की गयी थीं । उसमें करीब साढ़े तीन हजार शिकायतें आयीं । उन शिकायतों का निपटारा करने, के दो रास्ते थे । सहकारिता अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अगर उसका निपटारा किया जाता तो आवेदकों को उसका फायदा होता । इसमें यह होता कि सरकार तो बैठ जाती, और आवेदनकर्ता और सोसायटी दोनों के बीच में एग्रीमेण्ट हुआ होता तो एक जुडिशियल आर्डर होता और सोसाइटी उस कार्य को करने के लिए बाध्य होती और उनको राहत मिलती । ऐसा नहीं करके इन्होंने धारा 30 के तहत जिनकी मूल शिकायतें थीं वापस सोसायटी को लौटा दी । एक एक सोसायटी ने पूल बना कर चार-चार, पांच-पांच लाख रुपये इकट्ठे किये । इस तरह से ढाई सौ सोसायटी का साढ़े बारह करोड़ रुपये पूल का इकट्ठा हुआ और यह पैसा कहां गया यह तो मंत्रीजी अपने उत्तर में बतावें । इतनी बड़ी गोलमाल राजस्थान के अन्दर हुई और धारा 30 के अन्तर्गत कार्यवाही निपटाने के लिए वापस सोसायटियों को क्यूं दे दिया ? यह जो मेरे सवाल हैं, जवाब दे दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है, मेरे पास पांच पड़े हैं, मैंने देख लिया है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे अर्ज करु, मेरा इस सिलसिले में 295 का मोशन था उसका जवाब माननीय मंत्रीजी ने पिछले साल दिया है । इस सोसाइटी के सम्बन्ध में मैं कुछ स्पष्टीकरण पूछना चाहूंगा ।....

श्री अध्यक्ष : पूछिये, लेकिन भाषण नहीं देंगे, केवल सवाल पूछेंगे ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं भाषण नहीं दूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा, मुझे उत्तर दिया गया था कि उसकी जांच चल रही है। वह + + + वह सोसायटी बनी हुई थी। क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे....

श्री अध्यक्ष : जरूरी है नाम लें, सोसायटी आ ही रही....

श्री हेतराम बेनीवाल : एक सोसायटी, एक ही परिवार की।

श्री अध्यक्ष : फिर वही सवाल खड़ा होगा।....आप काट दीजिये, + + + नाम काट दीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मान लीजिये परिवार की सोसायटी बनी हुई थी और एक परिवार की सोसायटी ने वह जमीन खरीदी। क्या उस एक परिवार की सोसायटी ने जिस तारीख को दरख्वास्त दी उसके बाद जिस एम.डी. को उन्होंने दरख्वास्त दी, उसने जालौर कलक्टर से उस जमीन की कीमत पूछी ? क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि जिस एम.डी. ने उस जमीन की कीमत पूछी उस एम.डी. ने एप्लीकेशन को शासन सचिव के सामने रखा, उसको मन्जूर करवाने के लिए, उसमें कितनी कीमत लिखी ? माननीय अध्यक्षजी, उसने उसमें कितनी कीमती लिखी ? क्या उस तथ्य को उसमें लिख कर दिया जो जालौर के कलक्टर को उसने लिखा था ?

दूसरी बात, इस सिलसिले में जब जालौर के कलक्टर ने यह लिख दिया और एम.डी. के पास लेटर पहुंच गया कि जमीन की कीमत इतनी है, तो 16 लाख का एडवांस कैसे हुआ। मेरे को यह उत्तर दिया गया कि 16 लाख एडवांस होने के बाद और कार्यवाही बन्द कर दी गयी। तो आपने पत्र कैसे लिखा ? क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि उसके बाद 16 लाख एडवांस आपने दे दिया और एडवांस के बाद कार्यवाही रोक दी ? फिर आपने पत्र लिखा कि उसको चालू करेंगे....

श्री अध्यक्ष : दो बार तो रिपीट हो गया है, कोई तीसरा पाइंट पूछें।

श्री हेतराम बेनीवाल : एक सवाल ही पूछना चाहूंगा कि 11.2.1991 को एक और तथ्य सामने आया कि आवासन मण्डल अभी तक लोगों से एडवांस ले रहा है। क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि 51 लाख का सौदा करने वाले लोग हैं, उनके बीच में, और 16 लाख एडवांस देने के बीच में आपको जब पता लग गया और आपने इस पर जो कार्यवाही की क्या उसके तथ्य हाउस के सामने रखेंगे ? क्या क्या आदेश आपने दिये ? माननीय मंत्रीजी, मैं एक प्रश्न केवल आपसे पूछना चाहूंगा कि उस सोसायटी के बारे में सब कुछ कहा गया है। एक ही सवाल आप बता दीजिये कि आपके पास एक मंत्री का पत्र आता है और आप उस पत्र का जवाब मंत्री को नहीं देते और एक महीने तक आपने तक आप विचार करते हैं। दो, चार, पांच दिन नहीं एक महीने तक आप विचार करके और दुबारा यह फैसला करते हैं कि मैं इसको लेऊंगा और मैं इसका सारा विचार करूंगा और सारा रिकार्ड मंगवाऊंगा। क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि

+ + + नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

सारा रिकार्ड मंगाया ? इतनी बड़ी जांच के बाद मेरे को जो आपने जवाब दिया 295 का, उसका मतलब यह जवाब फर्जी था, गलत था। आपने कोई जांच की नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी और आप अभी तक जांच को खोले बैठे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी, निश्चित तौर से यह बड़ा मामला है। आपको चाहिये कि इस मामले को एक ऐसी एजेन्सी को सौंपे....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। अब सवाल हो गये आपके।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : दो मिनट, मैं भी इस मामले में सवाल पूछना चाहूंगा। मंत्रीजी से मैं यह पूछना चाहूंगा कि समय-समय पर माननीय मंत्रीजी ने ऐसे आदेश दिये (व्यवधान)

माननीय मंत्री ऐसे आदेश करने के आदी हो गये हैं। वह समझते हैं कि जैसे पुराने जमाने में जागीरदार होते थे (व्यवधान).... उसी हिसाब से उन्होंने काम किया है। एक आदेश उन्होंने किया है, श्री पुखराज सोनी, व्यवस्थापक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जोधपुर को लिखा है। प्रबंध संचालक को लिखा है, "ग्राम सेवा सहकारी समिति–दुबारा पद स्थापित करके आदेश जारी करें और मुझे सूचित करें।" आटोनोमस बाडी को इस तरह के आदेश देते हैं। दूसरा उदाहरण बताऊं ? ऐसे उलटे सीधे आदेश दिया हैं जोधपुर बैंक को और वह आदेश आपका है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित है नहीं।

डा. हरिसिंह : कृषि भूमि का मालिकाना कब्जा वापस दिलाने के सम्बन्ध में। इसका जवाब एम. डी. ने दिया है "मेरे द्वारा बैंक हित में निष्पादन किये गये कार्य में आप सहयोग प्रदान करिये।"

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैंक का मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल एक हुआ कि मंत्रीजी जो आदेश देते हैं वह किस आधार पर देते हैं। अब सुनिए। मंत्रीजी बोलिए।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जुबेर खान जी, प्रद्युम्नसिंह जी, डाक्टर साहब और हेतरामजी ने प्रश्न किये। मैंने उस रोज भी उत्तर दिया था, आज भी स्पष्ट उत्तर दे रहा हूं। 295 का जिस रोज उत्तर दिया, मैंने कहा अन्वेषण ब्यूरो को केस भेज दिया गया है। मैंने टालमटोल नहीं लगायी। केस भेज दिया, तारीख तो मेरे पास नहीं है। प्रद्युम्न सिंह जी ने पूछा कितने आदमी थे....

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने जिस तारीख को दिया है उसके बाद लैटर नहीं लिखा है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई तथ्य ही गलत बताये तो....

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिए। अभी तो शुरू ही हुआ है। पेशन्सली सुन लीजिए, फिर कोई बात होगी तो देख लेंगे।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गर्ग साहब ने मुझे कोई पत्र नहीं लिखा, न मैंने लैटर लिखा, उनके पास कोई पत्र हो तो सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। जहां तक प्रद्युम्न सिंह जी ने सवाल किया है उसकी बैठक कब हुई, वह बैठक हुई है 20 जनवरी, 90 को। भूमि खरीदने का निर्णय उसके अन्दर लिया गया। उसके अन्दर, बैठक के अन्दर चेयरमैन उस समय चन्द्रराज सिंघवी साहब थे जो आजकल कांग्रेस में हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय भी आपके साथ थे।

डा. हरिसिंह : वह तो सबके साथ हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : डाक्टर साहब गम्भीरता से। आप आरोप लगाना जानते हैं तो सुनिए भी सही....(व्यवधान)

डा. हरिसिंह : मंत्रीजी, बौखलाइये मत।

श्री अध्यक्ष : ईजी लीजिए।

श्री चतुर्भुज वर्मा : उस बैठक के अन्दर रजिस्ट्रार थे, सचिव उस बैठक में नहीं थे, एक वहां के सैक्रेटरी उसके अन्दर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में निर्णय हुआ। उन्होंने पूछा पेमेण्ट कब हुआ। पेमेण्ट राज्य सरकार को पता नहीं है....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह क्या, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : अब आप एक एक शब्द पर....

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकोष से 16 लाख रुपया चला गया और मंत्री महोदय को पता ही नहीं है। यह गम्भीर बात है।

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी तो आप दे चुके हैं। यह काल अटेंशन ही इसलिए लगा कि इसमें घोटाले हुए हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : यह बात सही है.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 20.2.90 को फैसला हुआ और उसी दिन भुगतान हुआ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसके दूसरे दिन हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 20.2.90 को बैठक हुई और दूसरे दिन भुगतान हुआ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से परमिशन नहीं ली गयी और डायरेक्ट भुगतान हुआ है। जहां तक सदस्य महोदय ने जोधपुर के बारे में कहा मैंने किसानों के पक्ष में फैसला करके कौनसा किसानों का नुकसान कर दिया ? क्या मैं सेठों की पैरवी करता ? आज चार करोड़ सेठ दे रहे हैं भूमि विकास बैंक को और किसान भी चार करोड़ देने वाले हैं। मुझे यह जमीन किस को देनी चाहिए ?

डा. हरिसिंह : किसानों का नाम लेकर इसमें साजिश थी। यह जमीन बैंक ने ले ली थी। बैंक के नाम नामांतरण खोला गया था। वह जमीन वहां कुछ लोगों ने ली और व जमीन उनको दिलाना चाहते थे।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, किसान चाहते है तो री–ओपन हो सकती है। मंत्रीजी को अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो निर्णय किया गया था वह इसलिए किया गया था कि बैंक वहां बिजनेस करने के लिए नहीं हैं, या पैसे कमाने के लिए नहीं है। उनकी पूंजी की हम सुरक्षा रखें यह बात ठीक है। बैंक के बिजनेस को देखें यह ठीक है लेकिन किसानों को भूमि लौटाने में बैंक को नुकसान नहीं है और बैंक की रकम मय ब्याज के आती है तो बैंक को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैंने यह जुडिशियल निर्णय किया।

डा. हरिसिंह : यह भूमि काश्तकारों की नहीं है। इस भूमि का सौदा हो चुका था।

श्री परसादी लाल मीणा : जयपुर का भी था।

श्री अध्यक्ष : जयपुर का नहीं है।

डा. हरिसिंह : एक मिनट स्पष्ट कर दूं। यह काश्तकार को लौटायी जाती तो बहुत खुशी होती, लेकिन वह जमीन काश्तकारों से तो खरीद ली गयी थी, काश्तकारों को माध्यम बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष : यह बाद में तय कर लेना।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि
प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री रामनारायण विश्नोई (उर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय–व्ययक अनुमान वर्ष 1989–90 एवं आय–व्ययक अनुमान वर्ष 1990–91 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : दूसरा भी है। विद्युत मण्डल का लेखा।

श्री रामनारायण विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1988–89 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, विद्युत मण्डल बहुत बड़ा उपक्रम है, इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कब ?

श्री अध्यक्ष : जब हाउस बैठेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हाउस कब बैठेगा ?

श्री अध्यक्ष : हाउस बैठेगा तब ही करेंगे ना। बिना हाउस के कैसे कर लेंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : घण्टे दो घण्टे की कर लें।

श्री अध्यक्ष : साढ़े तीन घण्टे कर लेंगे। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

समिति का प्रतिवेदन

याचिका समिति का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन

श्री कालीचरण सराफ (सभापति, याचिका समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, याचिका समिति, 1990-91, समिति का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य

वापिस लिया गया विधेयक

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री शांतीलाल चपलोत (राज्य मंत्री, विधि एवं न्याय) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को वापस लेने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक वापस लेंगे।

श्री शांतीलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को वापस लेता हूं।

श्री केदारनाथ शर्मा : कारण तो बतायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब तो अनुमति दे दी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री शांतीलाल चपलोत (राज्य मंत्री, विधि एवं न्याय) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

व्यवस्था का प्रश्न

धन विधेयक पर विनियोग विधेयक के प्रस्तुत होने से पूर्व विचार

श्री केदारनाथ शर्मा : पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, यह बिल फाइनेंस बिल की तारीफ में आता है। जिससे भी आमदनी बढ़े वह फाइनेंस बिल की तारीफ में आता है। वन टाइम टैक्स कार्मशियल बिल्डिंग्स पर नहीं थे लेकिन अब आप कार्मशियल बिल्डिंग्स पर ऐड कर रहे हैं तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि एप्रोप्रिएशन बिल के पहले यह बिल पेश नहीं होना चाहिए। यह नयी परम्परा डाल रहे हैं। यह मेरा टेक्निकल आब्जेक्शन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य, यह फाइनेंस बिल नहीं है। यह तो बजट स्पीच के अन्दर जो संशोधन करने थे विभिन्न अधिनियमों में, उनमे संशोधन करे हैं। यह टैक्स नहीं है, बिज में ही संशोधन किया है इसलिए यह फाइनेंस बिल की परिभाषा में नहीं आता।

श्री नत्थी सिंह : बी. ए. सी. में बात हुई थी आपके सामने और उसमें मुख्य मंत्री जी ने यह बात मानी थी कि एप्रोप्रिएशन बिल के बाद इसको लायेंगे, आपने उलटा कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है। उस समय मैंने पूछा था कि सैल्स टैक्स के कुछ मामले हैं अब तक फाइनेंस बिल के बाद आते हैं, उसी समय देवपुरा साहब बैठे थे, उन्होंने कहा इसमें आपत्ति नहीं है। और भी कई माननीय सदस्य बैठे थे। जो फाइनेंस बिल की श्रेणी में आता है वह एप्रोप्रिएशन बिल के बाद पेश करना चाहिए यह बात सही है, इसको मैं मानता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह इस बिल के बारे में आपने किया है लेकिन विक्रय कर सम्बन्धी....

श्री अध्यक्ष : आप एक एक बोलें। वह आये तब बोल लीजिये। अभी बैठिये। पाइण्ट आफ आर्डर हुआ है, उसका डिसीजन दे दूं मैं।

ऐसा है, इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कानून को गहराई से देखा गया है। फाइनेंस बिल होते हैं जो बजट पेश होते ही तत्काल लागू हो जाते हैं। इमीजिएटली। जो बिल तत्काल लागू नहीं होते, जिनका इन्फोर्समेंट आफ्टर सिगनेचर आफ गवर्नर होगा, वे फाइनेंस बिल के टाइप में नहीं आते, वे आर्डिनरी बिल ही होते हैं और वे जब पास होते हैं, तभी लागू होते हैं। बजट भाषण में केवल इनका उल्लेख मात्र किया गया था। वह इसके पार्ट नहीं हैं। इसलिये इसको आर्डिनरी बिल समझकर के ही पहले लगाया गया है।

श्री प्रेमसिंह दहिया। (अनुपस्थित)

श्री हेतराम बेनीवाल (अनुपस्थित)

विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रस्ताव अपने आप ही समाप्त हो जाता है।

क्योंकि दोनों ही इसमें प्रस्तावक अनुपस्थित हैं, इसलिये आप प्रस्ताव करिये। आप विचारार्थ का प्रस्ताव करिये।

विधेयक पर विचार एवं पारण

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री शांति लाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991 जो व्यावसायिक भवन है, उनके लिए एक मुश्त कर लगाने के बारे में और कुछ अन्य संशोधन लगाकर यह जो विधेयक लाया जा रहा है इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि आज राजस्थान में एक ही भवन पर 2–3

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रकार के कर लगते हैं । राजस्थान भूमि एवं भवन कर, म्यूनिसिपैलिटी हाउस टैक्स अलग लेती है, यू.आई.टी. और जे.डी.ए. लीज मनी अलग से लेती है । तो इस संबंध बन्ध में राज्य सरकार को चहिये कि एक ही चीज के ऊपर 3-3 स्थानों से अलग प्रकार का जो कर लगाया जा रहा है, वह निश्चित रूप से सही निर्णय नहीं है ।

अब आप यह कहेंगे कि आपके जमाने में भी लगता था ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं कहेंगे । आपके जमाने से हम प्रेरणा नहीं लेना चाहते ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी यह जनरल....

श्री अध्यक्ष : आप काहे को एण्टीसिपेट करते हो ऐसी बात । एण्टीसिपेट ही मत करिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह होता आ रहा है । इनकी ओर से दलील ही यही है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इनकी कांशस गिल्टी है, इसलिए बोल रहे हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कई बार जब चीजें सामने आती हैं तो उसके सम्बन्ध में....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको तो कहना चाहिए । बिल्कुल फ्रैंकली कहना चाहिये । यह चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि पहले क्या किया, नहीं किया ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मकान के बारे में 3-3 प्रकार के कर लेना उचित नहीं है । खास तौर से अल्प या मध्यम आय वर्ग के जो लोग हैं, इनके आर्थिक शक्ति के परे की बात है । इसलिये इनके ऊपर विचार करके एक ही मकान पर 3-3 प्रकार के जो कर लग रहे हैं, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि एक जगह वह कर वसूल किया जाय । इसके लिए भी इस बिल में प्रावधान करके यदि यह बिल लाया जाता तो उचित रहता । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : प्रद्युम्न सिंहजी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि भूमि एवं भवन कर को समाप्त ही कर दिया जाय । जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, वह तो उचित ही है । एक भवन के ऊपर 3-3 प्रकार के कर लिये जाते हैं । इससे लोगों को आर्थिक कठिनाई के साथ-साथ परेशानी भी बहुत होती है । अगर सरकार आमदनी को ध्यान में रख कर इसको समाप्त नहीं करना चाहती है तो इसका सरलीकरण कर देना चाहिये ।

मैं आपको निवेदन करूंगा कि पहले यह जो कर था, इसका काफी विस्तृत दायरा था । लेकिन इसके बाद में कठिनाइयां सामने आयीं तो इसका दायरा कम करके कुछ शहर तक ही सीमित किया गया था । यह भी वित्त मंत्री जी के ध्यान में होगा । तो इसमें क्या सरलीकरण किया जाय ? मेरा सुझाव यह है कि कीमत के आधार को हटाकर इसका सरलीकरण करो । भ्रष्टाचार होता है इसके अन्दर जब आप कीमत की बात करते हैं । अगर इसका एक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एरिया बना लिया जाय, एरिया कर दिया जाय कि इतना एरिया तो आपका रिहायशी एरिया है, जैसे इनकम टैक्स के अन्दर है कि इतना रिहायशी एरिया है। एग्जम्प्शन जो आपको देना है, एक एरिया कर दिया जाय कि इस एरिया के ऊपर आपके कर की रेट यह होगी। तो इसके अन्दर मान लीजिये किसी का हजार गज का मकान है, दो हजार स्क्वायर फीट का मकान है, चार हजार स्क्वायर फीट का मकान है, तो जो भी मुनासिब रेट सरकार चाहे, तय कर दें। जो एग्जम्पशन देना है, वह क्लीयर कट कर दे कि यह एग्जम्प्शन इसके अन्दर देंगे और उसके बाद एरिया अपने आप लोग नपवाकर अपना दे देंगे। डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पंचायत करने का मौका इसके अन्दर नहीं रहेगा और जो भ्रष्टाचार की इसके अन्दर गुंजाइश है, वह स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। यह मेरा सरकार को सुझाव है। इसके ऊपर अगर विचार कर सकें, इसके ऊपर कोई निर्णय सरकार ले सके तो उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पूर्व में भी मैंने सरकार को सलाह दी थी कि यह भूमि एवं भवन कर समाप्त करना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो लगाया है टैक्स, कांग्रेस गवर्नमेंट ने लगाया था कि जो मकान हैं, उसके पास अगर थोड़ी भूमि खाली होती है, उस पर इतने पर इतना टैक्स इस तरह से इसे व्याख्यायित किया गया था। अब एक ओर तो हम हाउस टैक्स लेते हैं, एक ओर लीज मनी लेते हैं। लीज मनी के लिये तो मैं बधाई देना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी सरकार को कि उन्होंने सलाह मानकर 10 वर्ष का एक बार में लेने का निश्चय कर लिया जब कि पूर्व में 99 साल का था। जो मकान खरीदता था तो उसके पोते के समय में कभी जुड़ती थी, पोते या प्रपौत्र के समय में। तो वह आपने जो एक मुश्त एक बार में 10 साल का लेने के लिये कर दिया उसके लिये तो मैं धन्यवाद देती हूं, लेकिन यह जो हाउस टैक्स की वसूली है, लीज मनी की वसूली है और यह भूमि व भवन कर की है, यह इस प्रकार से नहीं लिया जाकर, अगर लेना ही है तो सैल्स-टैक्स की भांति आप इसको लें। यह तो माना जा सकता है लेकिन, भूमि एवं भवन कर के नाम से यह टैक्स समाप्त होना चाहिये। यह मेरी राय है, मैं सलाह देती हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह टैक्स तभी से चल रहा है, हमारी सरकार ने इसमें कोई नवीनता नहीं रखी है। हमने मात्र असेसीज को सहूलियत देने के लिये 10 साल का प्रोविजन रखा है कि 10 साल का इकट्ठा दिला दें तो जिन्दगी में उसे आराम हो जाय, किसी तरह का टैक्स उसे बाद में नहीं देना पड़ेगा। मात्र इतना ही अमेंडमेंट लेकर के आये हैं। इसी प्रकार का हमने बिल रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभी कह रहे हैं कि टैक्स खत्म कर दिया जाय। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि इस माध्यम

(श्री शांतिलाल चपलोत)

से सरकार को आठ करोड़ रुपये की आय होती है और 77–78 लाख रुपये का व्यय प्रति वर्ष होता है। इस प्रकार के टैक्सेज को, सभी प्रकार के टैक्सेज को यदि हमने खत्म कर दिया तो राजस्थान सरकार को चलाने के लिये, गरीब जनता की भलाई करने के लिए संसाधन कहां से उपलब्ध होंगे, यह विचारणीय विषय है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को आप पारित करवायें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्यसूची में जो विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक हैं, उनका पारण होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है इसमें ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री अध्यक्ष : राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991.

श्री शांति लाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह दहिया।

व्यवस्था का प्रश्न

वित्त विधेयक का विनियोग विधियोग से पूर्व पारण

श्री बुलाकीदास कल्ला : On a point of order sir. अध्यक्ष महोदय, मेरी यह आपत्ति है कि विक्रय कर अधिनियम में जो प्रावधान किया जा रहा है, एप्रोप्रियेशन बिल जो कल पास हो रहा है और बजट में जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने घोषणाएं की हैं कि हम इसमें छूट दे रहे हैं, यह एप्रोप्रियेशन बिल का एक पार्ट है। एप्रोप्रियेशन बिल से पहले विक्रय कर अधिनियम में यह जो प्रावधान लाया जा रहा है, यह उचित नहीं है। इस बिल को एप्रोप्रियेशन बिल के बाद में पारित किया जाना चाहिये।

जैसे नोट–बुक के ऊपर आज कोई भी टैक्स नहीं लगता है लेकिन विक्रय कर अधिनियम में जो टैक्स शिड्यूल्ड है, उसमें नोट बुक को निकाला जा रहा है। निकालने के बाद सैल्स टैक्स कमिश्नर कभी भी नोटिफिकेशन के आधार पर टैक्स लगा सकेगा, ऐसा प्रावधान इस विक्रय कर अधिनियम के पास होने के बाद हो जायेगा। तो मैं समझता हूं कि अभी तो दिखने में यह लगता है कि राज्य सरकार इसको छूट दे रही है और किसी भी प्रकार का कोई इससे वित्तीय भार राजस्थान की जनता

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पर नहीं पड़ेगा लेकिन विक्रय कर अधिनियम में टैन्थ शिड्यूल्ड में नोट-बुक को निकालने के बाद कभी भी एक अधिसूचना जारी कर के कागज के ऊपर, जिन कागजों की नोट-बुक बनेगी, उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकेगा और राजस्थान के इतिहास में यह सबसे दुखद घटना होगी।

श्री अध्यक्ष : आप पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि जो विक्रय कर अधिनियम में....

श्री अध्यक्ष : हां, तो वह हो गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नोट बुक निकालने के बाद....

श्री अध्यक्ष : पाइण्ड आफ आर्डर समझ में आ गया, मेरे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां तो मुझे कम्पलीट तो करने दीजिये। लेट मी कम्पलीट....

श्री अध्यक्ष : आपका पाइण्ट आफ आर्डर समझ में आ गया। पाइण्ट आफ आर्डर से और ज्यादा कह रहे हो ? आपका पाइण्ट आफ आर्डर तो गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, मैं अभी कम्पलीट नहीं कर पाया हूं।

श्री अध्यक्ष : बाकी क्या रहा है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि इसके फाइनेन्शियल काम्पली केशन्स हैं, इसलिए इस बिल को आज पारित नहीं करें एप्रोप्रिएशन बिल के बाद पारित करें और जो विक्रय कर अधिनियम के माध्यम से छूट देने की बात की गई है, विद्यार्थी जो कम से कम 15 हजार से अधिक की नोट बुक इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर दूसरे रास्ते से राज्य सरकार कर लगाने का प्रावधान कर रही है, जिसका मैं विरोध करता हूं और इसलिए इस विक्रय कर अधिनियम को एप्रोप्रियेशन बिल के बाद लिया जाय।

व्यवस्था

वित्त विधेयक एवं साधारण विधेयक में अन्तर

श्री अध्यक्ष : मैं इस सम्बन्ध में आपको पहले भी निवेदन कर चुका हूं। फिर कहना चाहता हूं कि फाइनेन्शियल बिल और आर्डिनरी बिल में एक ही अन्तर है कि फाइनेन्शियल बिल में मीमो होता है और तभी वह फाइनेन्शियल बिल होता है। Otherwise it is as good as an ordinary Bill.

सवाल यह है कि फाइनेन्शियल बिल वही बिल होता है कि जो इमीजियेटली लागू हो जाता है। यदि फाइनेन्स मिनिस्टर इसका उल्लेख एप्रोप्रियेशन बिल के साथ करते, तो उसी दिन से लागू हो जाता है और उसको एप्रोप्रियेशन बिल के बाद लाना पड़ता है। परन्तु चूंकि इस बिल का एनफोर्समेंट इमीजियेटली नहीं हुआ है, पास होने के बाद महामहिम राज्यपाल की अनुमति होने के बाद ही इसका एनफोर्समेंट होगा, इसलिए यह एप्रोप्रियेशन बिल का पार्ट ही नहीं है और इसलिए यह पाइण्ट आफ आर्डर मैं रिजेक्ट करता हूं।

आपने मूव कर दिया ?

विधेयक पर विचार

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री शांतिलाल चपलोत (प्रभारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह दहिया।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990-91 की जो पहली धारा इन्होंने रखी है 5(ग) उसमें कच्चे माल के लिए कर की रियायती दरों के बारे में इन्होंने बताया है। कच्चे माल के अन्तर्गत जीरा, घोड़ाजीरा आता है या नहीं। यह घोड़ाजीरा है जिसके ईसबगोल बनती है, उसमें यह रियायती दर लागू हुई या नहीं। जीरा और घोड़ा जीरा राजस्थान से गुजरात प्रान्त की ऊंझा मण्डी तक सब चला जाता है और राज्य सरकार का एक मानस था कि पश्चिमी राजस्थान में चूंकि जीरा और घोड़ाजीरा अधिक मात्रा में पैदा होता है इसलिए भीनमाल कृषि उपज मण्डी को अन्तर्राज्यीय मण्डी बनाया जाये और उस अन्तर्राज्यीय मण्डी बनाने की एवज में नगरपालिका का टैक्स इस जीरे और घोड़ेजीरे पर माफ कर दिया गया। इसी तरह मण्डी टैक्स भी 10 पैसे कर दिया गया। सैल्स टैक्स भी इन्होंने आधा किया है और यह आधा इसलिए किया है कि ऊंझा की मण्डी का मुकाबला भीनमाल की मण्डी कर सके, किसानों को उसका फायदा मिले, किसान यहां पर अपनी फसलें बेचें और उससे राज्य सरकार को इनकम हो। मेरा इस संशोधन बिल के तहत अनुरोध है कि यह जीरे और घोड़ेजीरे पर जो टैक्स लगाया जाता है, उसको माफ कर दिया जाये। तीन या पांच साल तक इसका सैल्स टैक्स जीरो कर दिया जाये, जिससे राजस्थान की मण्डियों का माल गुजरात की मण्डियों में नहीं जाये और उससे किसानों को जो परेशानी हो रही है, वह दूर हो और राजस्थान की जो इनकम कम हो रही है, वह इनकम पूरी हो सके। इसलिए मैं इस बिल को जनमत जानने के लिए रखने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतरामजी।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो सैल्स टैक्स अमेण्डमेण्ट के सिलसिले में बिल लाया गया है, मैं यह समझता हूं जिस उत्पादन पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है और हमारे पड़ोसी प्रान्तों में उस पर टैक्स नहीं है, उस वजह से बहुत ज्यादा माल हमारी मण्डियों से पड़ौस के प्रान्तों में चला जाता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : व्यापारियों का फेवर कर रहे हो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : महावीरजी बहुत खुश हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : हमारी मण्डियों का जो कच्चा माल है, हमारे किसानों को मजबूर होकर पड़ोस की मण्डियों में ले जाना पड़ता है। हमको उसके लिए परेशानी होती है। अगर यहां आप टैक्स छोड़ दें तो यही माल यहां बिकने लगे, इसलिए मैं इस मामले पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना करता हूं कि राज्य सरकार इस पर पूरी जांच करने के बाद विशेष तौर से ऐसे कच्चे माल पर टैक्स की दर एकसी करें, जिससे कि हमारे प्रान्त में ही यह माल रह सके।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खंडश: विचार

खण्ड 2 व 3 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 4, श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सैल्स टैक्स अमेण्डमेण्ट बिल 90–91 के क्लाज 4 में जो प्रोविजो जोड़ा जा रहा है, उसमें मैं प्रस्ताव करता हूं कि फरदर प्रोविजो जोड़ा जाये। सैक्शन 11 में है :—

"The tax shall be payable by a dealer on the basis of assessment." अब यह प्रोविजो जोड़ रहे हैं।

"Provided that notwithstanding anything contained in section 11B, the Commissioner may, in pursuance of any recommendation of the State Government, defer the recovery of tax in respect of an industrial unit declared as sick by the Board of Industrial and Financial Reconstruction constituted under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (Central Act No. 1 of 1986) to such extent, for such period and on such conditions, with record to the payment or rate of interest as may be specified in such recommendation."

अध्यक्ष महोदय, इसकी मूल भावना बहुत अच्छी है कि कोई सिक इण्डस्ट्री हो तो उसको जितनी मदद मिल सकती है, मिलनी चाहिये। टैक्सेज, पैनल्टी या कोई रिकवरी डेफर कर सकें तो उसको डेफर कर सकते हैं। यह एनेबलिंग क्लाज है, मैं इसमें जो प्रोविजो जोड़ना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय,

"Provided further that the benefit in regard to deferment of recovery of tax and in the matter of reduction of rate of interest as contemplated in the preceding proviso, would not be available to any industrial unit as may have been declared sick under the Act of 1985, when it is found that such an unit has been held to be guilty of evasion of tax and/or

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

against which the authorities under Rajasthan Sales Tax Act, 1954, may have ordered penalties and or prosecution."

प्लेन एण्ड सिम्पल, अध्यक्ष महोदय, यदि कोई सिक यूनिट करार दे देवे क्योंकि सिक यूनिट से तो कई फायदे होते हैं। बेसिकली वह फायदे और लाभ इसलिए बनाये जाते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि वह यूनिट बन्द नहीं हो, लोग अनएम्प्लायड नहीं हों और प्रोडक्शन भी चलता रहे। उनका निजी फायदा अगर कोई इण्डस्ट्रियल यूनिट उठाना चाहे उसको रोकने के लिए गवर्नमैण्ट ने एनेबलिंग क्लाज देकर पावर दी है कामर्शियल टैक्सेशन आफिसर कमिश्नर को। उसके डिस्क्रिशन का बेजा फायदा नहीं उठाया जाये, बदइन्तजामी नहीं हो उसके लिए प्रोविजो किया है।

(5.00 सायं)

श्री अध्यक्ष : फेक सिक इण्डस्ट्रीज को रोकने के लिए ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, सिकनेस के नाम से, चलाकर सिक किया हो।

श्री अध्यक्ष : गलत तरीके से जो सिक हो गयी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जिनके ऊपर पैनल्टीज लगी हों।

अध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास एक एग्जाम्पल है प्रीमियर वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड का। जाजू का मैनेजमैण्ट चेंज हुआ 1987 में, उसके बाद तक यह हैल्दी यूनिट थी, अच्छे इक्विपमेण्ट्स थे। अभी पिछले तीन साल के अन्दर इसको सिक भी कर दिया। 2.9.1989 को यहां रेड लगायी, इनक्रिमिनेटरी डाकुमेण्ट्स मिले और उन इनक्रिमिनेटरी डाकुमेण्ट्स के आधार पर करीब 18 लाख की पैनल्टी पन्द्रह दिन बाद जाकर इम्पोज की गयी। विदाउट ए व्हिस्पर उन्होंने जमा करा दी, कोई प्रोटेस्ट उन्होंने नहीं किया। उनका पार्ट ट्रांटेक्शन पकड़ा गया था, अध्यक्ष महोदय। अब वाइल्ड एलिगेशन वाली बात नहीं है लेकिन शुबहा पैदा होता है, वाजिब तरीके से होता है क्योंकि इण्डस्ट्रियल मैनेजमेण्ट ने और भी कई जगह से लोन ले रखा है। लोन का रीपेमेण्ट नहीं करते हैं और निजी फायदा उठाते हैं। आज राजस्थान में जो सिक यूनिट्स हैं उनमें सम्भवतया यही एक सिक यूनिट है जिस पर इतना टैक्सेशन बाकी है और जिसको इसका इमीजिएट लाभ मिलने वाला है। इमीजिएट लाभ मिलने वाला है इससे सन्देह निश्चित रूप से पैदा होता है कि कहीं यह असलियत तो नहीं रही है, कारण तो नहीं रहा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : Which one ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रीमियर वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड। इसको भी जाने दीजिए, विवाद का इश्यू यह नहीं है। मेरा आग्रह तो सिर्फ यह है There is nothing wrong with the proviso that I am suggesting to be added as a further proviso to the one suggested by the Government.

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

इसको रखने से डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, इसलिए इसको आप स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी। आप इण्टरवीन करना चाहते हैं ? बोलिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रखा गया है उसका माननीय सदस्य स्वयं ने स्वागत किया है। जब कोई यूनिट सिक होती है या सिक होने जाती है तो कानूनी बाध्यता है कि उसको अपना केस बी. आई. एफ. आर. के सामने रैफर करना चाहिए। जब केस बी. आई. एफ. आर. के सामने जाता है तो बी. आई. एफ. आर. सारे केस को देखकर, उसके अकाउण्ट्स वगैरह को देखकर कन्क्लूजन पर आती है कि यूनिट, जिसके बारे में यह एप्लीकेशन आयी है, सिक है या नहीं। जिस समय एक बार वह डिक्लेयर कर देती है कि यह यूनिट सिक है तो सिक यूनिट होने के बाद वह एक आपरेटिंग एजेंसी तय करती है। आपरेटिंग एजेंसी सारी चीजों को देखने के बाद अपनी एक रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट के आधार पर जितने भी फाइनेंशल डिस्प्यूट्स हैं, उसमें अपनी राजस्थान गवर्नमेण्ट भी रिप्रजेण्ट करती है, अपने फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन चाहे रीको हो, चाहे आर. एफ. सी. हो, चाहे दूसरी बैंक्स हो, उनसे वह सैक्रिफाइस एक्सपेक्ट करती है कि इस एक्सटेण्ट तक आप अपना सैक्रिफाइस कीजिए। उस सैक्रिफाइस में सेल्स टैक्स वाला इलाज भी होता है। उसके बाद उसको ऐसा मान लिया जाता है फार दी टाइम बिइंग जैसे मान लीजिए कोई नयी यूनिट आ रही है जिसको जिन्दा करना जरूरी है, जो जिन्दा करने लायक है। उसको अधिक सुविधा देने के लिए वैसे ही सुझाव दिया जाता है कि इतने साल के लिए आप सेल्स टैक्स छोड़ेंगे, इतने साल के लिए आप इसका डेफरमेण्ट रखेंगे, इतने साल तक इसका जो सेल्स टैक्स माफ किया जायेगा वह एज ए लोन ट्रीट किया जायेगा। सच एण्ड सच, सच एण्ड सच। इसलिए कोई चांसेज नहीं हैं इस प्रकार के कि एक बार बी. आई. एफ. आर. से उसको जो एडवाण्टेज मिलना है और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एक्सटेण्ट तक जिस सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट कर लिया है उसके बाद वह मिसयूज कर सके। इसके कोई चांसेज हैं ही नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : विचारार्थ की स्टेज पर चल रहा है, अब आगे के सैक्शंस में तो अमेण्डमेण्ट हैं नहीं। इसके बाद तो पारित करने की स्टेज आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष : थर्ड रीडिंग आयेगी उस पर बोलेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं पूछ सकता हूं या नहीं क्योंकि बिलकुल लीगल मामला है। आपके इस प्रोविजो का परिणाम एक तो यह हो सकता है कि जो भी इण्डस्ट्री सिक बनने के लिए आयेगी तो उसकी जांच तो वैसे ही पहले हो जाती है, जांच होने के बाद ही सिक होती है। एक बार जब सिक इण्डस्ट्री घोषित हो गयी तो उसको फिर बार-बार इस प्रोविजो के आधार पर रीओपन करना पड़ेगा कि यह वह सिक इण्डस्ट्री तो नहीं है जिसने किसी तरह से गलत तरीके से अपने आपको सिक घोषित करवा लिया है। सरकार सिक इण्डस्ट्री घोषित करेगी और यह उसमें गुंजाइश

(श्री अध्यक्ष)

रखेगी कि इसमें गलतियां होंगी । यह मानकर फिर जो भी आयेगा उसकी जांच करनी पड़ेगी कि यह जो नेक्स्ट प्रोविजो है उसका फायदा इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए । यह और जांच का विषय हो जायेगा । जो भी इण्डस्ट्री जैनुइनली सिक होगी उसको भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, फिर क्वेरीज खड़ी होंगी । सरकार उन सिक इण्डस्ट्रीज को जो फायदा देना चाहती है वह डिले होगा । इसलिए परिणामस्वरूप यह भी रहेगा सरकार पर कि आप कानून बनाने के साथ गुंजाइश भी रख रहे हैं कि गलत सिक इण्डस्ट्री नहीं होने वाली है । मैं समझता हूं कि कोई भी कानून बनाने वाला ऐसी गुंजाइश नहीं रखता । कानून तो यही बनाया जाता है कि सिक इण्डस्ट्री जैनुइन होगी और जो जैनुइन सिक इण्डस्ट्री है उसको लाभ मिलेगा । यदि कोई गलत तरीके से होगा तो उसकी अलग प्रक्रिया होगी मेरे ख्याल से ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका ।

श्री अध्यक्ष : आपने जो कहा सिद्धान्ततः बिलकुल ठीक है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वही कह रहा हूं मैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया उसको । सिक इण्डस्ट्री पर पैसा बकाया है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है । सिक जैनुइननैस का क्वेश्चन नहीं है । क्वेश्चन इतना सा है कि he has been held guilty of evasion of tax.

कण्डक्ट का सवाल है । यह स्पेसिफिक एग्जाम्पल है प्रीमियर वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड का । यह जो आप बता रहे हैं कि बी. आई. एफ. आर. से बाकायदा सिक डिक्लेयर हुई है, आपने रेड की है, इनक्रिमिनेटरी कागज मिले हैं उस आधार पर इवेजन आफ टैक्स को मानते हुए 18 लाख की पैनल्टी लगा दी गयी । यह मेरे सामने स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, जिस आधार पर मैंने यह अमेण्डमेंट मूव किया है । इसका जवाब चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । मंत्रीजी ।

श्री शांतिलाल चपलोत : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कोई बात नहीं है । बी. आई. एफ. आर. में जो इण्डस्ट्री जाती है, सिक होती है वह बाकायदा स्क्रूटिनाइज होती है उसमें कितना किस प्रकार का रुपया लगाया है और आज क्या गुंजाइश है । यदि हमने उनको किसी प्रकार की राहत नहीं दी बी. आई. एफ. आर. के हिसाब से तो सारी सिक इण्डस्ट्री में गवर्नमेण्ट का जो पैसा लगा हुआ है वह डूबने का खतरा रहता है । उस हिसाब से आप जो अमेण्डमेण्ट लाना चाहते हैं वह किसी प्रकार अलाउ नहीं किया जा सकता । जो छोटी इण्डस्ट्रीज हैं उनको बाकायदा देखा जायेगा, किसी प्रकार का किसी के साथ अन्याय नहीं हो, इसका पूरा प्रोटेक्शन इसमें किया गया है । मैं नहीं समझता कि आपका अमेण्डमेण्ट या आपने जो बातें रखी हैं वे कोई वजनदार हैं ।

श्री नत्थी सिंह : एक सवाल उद्योग मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं । क्या यह तरीका नहीं करते कि सिक इण्डस्ट्री तो घोषित करायी इस प्रोसिजर से और फिर दूसरा नाम बदल लिया । ऐसे सारे के सारे बेनिफिट्स ये ले जाना चाहते हैं । यह जो केस आपने कहा है इसी तरह का केस है, जिसने पहले सिक कराया अपने आपको और फिर ओनरशिप बदलकर, नाम बदलकर बेनिफिट लेना चाहते हैं । इसमें दो बातें हैं कि जिनको टैक्स इवेजन के लिए गिल्टी माना गया हो और पैनल्टी कायम की गयी हो उनको भी सिक यूनिट का फायदा आप देना चाहेंगे ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : वे क्लाज बिलकुल अलग हैं । इसका उनको एडवाण्टेज नहीं मिलेगा और न मिल सकता । सेल्स टैक्स के जो दूसरे क्लाजेज हैं, दूसरे सैक्शंस के तहत वह पैनलाइज़ होगा । ये तो केवल वे यूनिट हैं जो सिक डिक्लेयर हो गयी हैं, बी. आई. एफ. आर. ने अपनी जगह सिक डिक्लेयर किया है और उसके लिए स्टेट गवर्नमेण्ट से उन्होंने सैक्रिफाइस एक्सपेक्ट किये हैं । हमेशा यह प्राब्लम आती थी । हर केस के लिए, केस टू केस हमको तय करना पड़ेगा, बार बार सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता था, बी. एफ. आई. आर. हमसे एस्पेक्ट करती थी फाइनेन्स पर, यह पैकेज सामने आ जायेगा और उस पैकेज के आधार पर यह हमेशा के लिये तय हो जाता है उसके आधार पर....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री सुरेन्द्र व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 5 कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 6 श्री लक्ष्मीनारायण दवे ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991 में संशोधन का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं :—

In clause (n) of sub-section (3) of section 16 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Rajasthan Act No. 29 of 1954), as sought to be substituted by sub-clause (a) of clause 6 of the Bill—

(a) for the word "or' as occurring between the words 'which may extend to two years" and the expression "with fine not exceeding rupees one thousand", the word "and" shall be substituted,

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

(b) the words "or both" as occuring between the words "not exceeding rupees one thousand" and the words "and for the offences" shall be omitted.

माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 मार्च, 1991 को बजट सत्र के उपरान्त सदन की अनुमति से राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित किया गया है और राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये गए है। उक्त विधेयक के खण्ड 6 के उप खण्ड (क) में यह प्रस्तावित किया गया है—

"(ढ) यथा पूर्वोक्त किसी भी अपराध के किये जाने में किसी भी व्यक्ति की सहायता या दुष्प्रेरण करता है, तो वह किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा सिद्ध दोष ठहराये जाने पर, इतनी अवधि के सादा कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या एक हजार रुपए से अनधिक के जुर्माने से, या दोनों से, और खण्ड (छ) या (ट) या (ड) के अधीन के अपराधों के लिए एक साल के सादा कारावास के न्यूनतम दण्डादेश से, दण्डनीय होगा।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में सेन्टेन्स और जुर्माना दोनों का प्रावधान रखा गया है और इसके कारण विक्रय कर की चोरी करने वाले जो अपराधी हैं, मात्र जुर्माना होने से इस विक्रय कर की चोरी के ऊपर किसी प्रकार से अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। इसलिये विधेयक के अन्दर सेन्टेन्स और पैनल्टी दोनों का प्रावधान होना चाहिये। "और" शब्द रखना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विक्रय कर की चोरी या उससे सम्बन्धित अन्य अपराध गम्भीर अपराध की श्रेणी में आते हैं तथा समाज, प्रदेश और देश के लिये घातक है ऐसे अपराधियों के लिये कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान होना चाहिये। अतः राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 में सजा के प्रावधान को अधिक प्रभावी बनाने के लिये पुरःस्थापित विधेयक की धारा 6 के खण्ड (क) में अभिव्यक्ति "दो वर्ष तक की हो सकेगी" के पश्चात् अभिव्यक्ति "एक हजार रुपए से अधिक जुर्माने से पूर्व शब्द "या" के स्थान पर शब्द "एवं" स्थापित किये जाने के संशोधन का प्रस्ताव करता हूं।

इस प्रकार के संशोधन के कारण जिस प्रकार के विक्रय कर की चोरी करने वाले अपराधी हैं, उन पर अंकुश लगेगा और इस प्रकार की चोरी करने वाले देश और प्रान्त के अन्दर अंकुश लगेगा, राज्य सरकार को आर्थिक फायदा होगा, प्रदेश को आर्थिक फायदा होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस संशोधन को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी। (व्यवधान)

आप बोल रहे हैं ? आपका संशोधन थोड़े ही है।....आप थर्ड रीडिंग पर बोल लेना। .... आप थर्ड रीड़िग पर बोल लीजिये।.... इसी पर बोल रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार इसी पर व्यक्त करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह कैसे बोल सकते हैं ? He cannot speak. He has no right to speak.

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक बात है। हां, इसका जवाब तो मंत्रीजी देंगे। माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में निवेदन है कि जो लोग कर वंचना करते हैं और कई बार "और" का प्रोविजन होता है इस वजह से उसका लाभ लेकर येन–केन–प्रकारेण मैनुपुलेशन करके छूट जाते हैं। यदि उसकी कड़ाई से पालना की गई तो सरकार की रेवेन्यू में वृद्धि होगी और जो करवंचना करते हैं, जिस प्रकार से आपा–धापी करते हैं, उसमें बहुत कमी हो जायेगी और डिफरेंट यदि पनिशमेंट रहे तो मैं समझता हूं कि हमारी रेवेन्यू में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस अमेंडमेंट को अलाउ किया जाय।

श्री अध्यक्ष : अलाउ किया जाय ?

श्री शांतिलाल चपलोत : इस अमेंडमेंट को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री लक्ष्मीनारायण दवे ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ? (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्रीजी स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : हां तो स्वीकार कर रहे है।

श्री परसराम मदेरणा : कहां कहा, साहब, उन्होंने नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : स्वीकार किया है।

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब यह है कि आपने मूव करवाया है क्या। कम से कम मिनिस्टर इन्चार्ज को बोलना चाहिये कि आई एक्सेप्ट।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 7 से 11 कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 से 11 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 से 11 स्वीकार किये गये गये।

खण्ड–1 अधिनियम सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जायें ?

(स्वीकृत)

अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये ।

प्रभारी मंत्रीजी ।

विधेयक का पारण

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातों की तरफ माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैंने पिछले साल भी बजट चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था कि सरकार की अदूरदर्शिता पूर्ण नीति के कारण राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान विक्रय कर के रूप में हो रहा है और रोड टैक्स के रूप में राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है । मध्य-प्रदेश के अन्दर आटोमोबाइल्स फेयर काफी बड़ी संख्या में लगने लगे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी वजह से उन मेलों के अन्दर वहां पर विक्रय कर की देय राशि आधी रह जाती है और आदि देय राशि होने के कारण हजारों की संख्या के अन्दर तरह तरह के वाहन राजस्थान के अन्दर आते हैं । खास तौर से आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे पड़ोसी जिले है धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और यहां तक की अब तो मैंने जयपुर के अन्दर मध्य-प्रदेश की गाड़ियां देखी हैं ।

अध्यक्ष महोदय, एक व्हीकल के ऊपर कम से कम 5 हजार रुपये से लेकर 8 हजार तक की ग्राहक को बचत होती है ।....10 हजार रुपए तक की बचत होती है बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है । वहां पर लोग जाते हैं, किसी रिश्तेदार का पता लिखा देते हैं, किसी का पता लिखवाया और रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं ।....

रिश्तेदार भी मिल जाते हैं, दोस्त भी मिल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन होकर गाड़ी यहां आती है । सैल्स टैक्स का तो नुकसान हुआ ही लेकिन इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी वहां कराते हैं । जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो रोड टैक्स के रूप में जो राशि राज्य सरकार को प्राप्त होती वह भी प्राप्त नहीं होती है । साथ साथ यहां आटोमोबाइल्स का व्यापार भी चौपट हो रहा है । खास तौर से जो पड़ौसी जिले हैं मध्यप्रदेश से लगे हुए वहां के डीलर्स का तो व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया है । कोई वहां के ग्राहक खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं । स्कूटर के ऊपर 600-700 रुपए का फर्क है, मोपेड़ के ऊपर 300-400 रुपए का फर्क है । लोग पचास मील, चालीस मील गये और वहां से खरीद लाये । कार के ऊपर, और तो और वहां ट्रेक्टर और बिकने लगे हैं । तो ऐसी सूरत में जब सैल्स टैक्स की रेट वहां हाफ कर रही है गवर्नमेंट और आपको मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि अगर आप यहां पर आटोमोबाइल फेयर लगाने लगें तो यहां का व्यापार भी बढ़ेगा और राज्य सरकार को सैल्स टैक्स के रूप में जो हानि हो रही है और रोड टैक्स के रूप में जो हानि हो रही है, वह सरकार को रजिस्ट्रेशन से प्राप्त होगी । उससे सरकार

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

को लाभ मिलेगा। तब माननीय वित्तमन्त्री जी ने कहा था कि वह इसके ऊपर विचार करेंगे तो आज अगर यहां इसके ऊपर अलाऊ कर दें तो क्या दिक्कत है। आपने कोई कैलकुलेशन किया है जिससे आपको महसूस होता है हमने यह रिलीफ दिया है इस किस्म का, इस किस्म के मेलों का आयोजन किया तो यहां पर हम को सैल्स टैक्स के रूप में जो कुछ प्राप्त हो रहा है इन आइटम्स के ऊपर उनसे हमको कम प्राप्त होगा। तब तो बात समझ में आती है लेकिन अभी आपने इस पर एक्सरसाइज कराई क्या ? क्या एक्सरसाइज का नतीजा रहा ? अध्यक्ष महोदय, इस बारे में आपको व्यापार तथा अपने टैक्स दोनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। एक मेरा सुझाव यह है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं हमारे जिले के लोगों को जिस वजह से बेहद तकलीफ हो रही है, आज जो निजी इस्तेमाल की चीजें, जैसे आज धौलपुर जिले के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे एक ईंट का भट्टा नहीं है। सब लोग उत्तर प्रदेश से ईंटें लेकर आते हैं वहां पर किसान लेकर आता है, 'घरेलू उपयोग के लिए और लोग भी जो मकान निर्माण करते हैं लेकर आते हैं लेकिन सबको सैल्स टैक्स वहां पे करना पड़ता है। पूर्व में यह व्यवस्था थी कि अगर सैल्स टैक्स आफीसर के यहां किसी ने प्रार्थना पत्र दिया तो प्रार्थना पत्र देने के उपरान्त वहां से उसको सर्टिफिकेट दिया जाता था कि अमुक अमुक आदमी अमुक अमुक मात्रा के अन्दर ईंटे लेना चाहता है लेकिन आज आपने थोड़ी सी धन प्राप्ति के लिए, थोड़े से रुपयों के लिए वहां के हजारों लोगों को तकलीफ में डाल दिया है। यही की यही स्थिति और जगह भी हो सकती है।

मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस प्रक्रिया के अन्दर भी आपको एग्जम्पशन देने की जो प्रक्रिया पहले चल रही थी उसको आपको चालू रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं आपसे और कह रहा था, राजस्थान के जो बार्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उनका व्यापार इस कारण से भी चौपट हो रहा है आज की तारीख में कि पड़ौसी राज्यों के अन्दर बहुत से आइटम्स के ऊपर सैल्स टैक्स की रेट कम है खास तौर से जो कन्जूमर आइटम्स हैं जैसे कास्मेटिक्स के मामले में वहां रेट कम हैं तो आज कल नई प्रथा चली है कि लड़के बड़ी संख्या में जो बेरोजगार लड़के हैं वह जाते हैं और वहां से माल लेकर आते हैं, उसमें मैं बुराई नहीं मानता, मेहनत करते हैं लेकिन सैल्स टैक्स की चोरी होती है। कई जगह झगड़े, टंटे आदि भी होते हैं तो आपको सैल्स टैक्स की दर उन 'आइटम्स के ऊपर भी पड़ौसी राज्यों के समान करनी चाहिए। अन्यथा छोटे दुकनदारों को बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से एक मेरा निवेदन यह है।

अध्यक्ष महोदय, इन तीनों बातों पर सरकार का क्या विचार है इससे अवगत करा दें इस अवसर पर तो राजस्थान का हित और जनता का हित ही होगा इससे।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरधा राम।

श्री बिरधा राम चौधरी (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री

(श्री बिरधा राम चौधरी)

महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मकराना मार्बल के लिहाज से एक औद्योगिक नगरी है और मकराना विक्रय कर के हिसाब से साल में करोड़ों रुपए देता है। लेकिन जो मकराना के मार्बल पर टैक्स लगता है, विक्रय कर लगता है वह असामान्य है और उसकी जो प्रक्रिया है वह सही नहीं होने से कई जो छोटे व्यापारी हैं उन पर भार ज्यादा पड़ता है और जो बड़े व्यापारी हैं वह टैक्स की चोरी भी कर लेते हैं। मकराना में जो मार्बल निकलता है वह मार्बल एक टाइप का मार्बल नहीं है। कई तो ऐसी खानें हैं जिनका मार्बल 300 रुपए फीट तक है और कई ऐसी खानें हैं जिनका पांच रुपए फीट का, दस रुपए फीट का मार्बल ही निकलता है। जो मार्बल बाहर जाता है और जो मार्बल के सैल्स टैक्स की रेट तय की है, जो प्रक्रिया तय की है, उसमें व्यापारियों को शामिल नहीं करके अधिकारी गण बैठकर कर लेते हैं और अपनी मनमर्जी से सैल्स टैक्स वसूल करते हैं। जैसे सैल्स टैक्स का बिल गया और उन्होंने बताया कि यह पांच हजार का मार्बल है लेकिन वह उसको नहीं मानेंगे और वह कहेंगे कि यह फलां खान का है यह सफेद खान का है और यूं करके जिसको छोड़ना हो उसको तो दस रुपए फीट का बताकर छोड़ देंगे और जिससे ज्यादा पैसे लेने हों उसका माल 100 रुपए फीट का बताकर पैसे ले लेंगे।

इस सम्बन्ध में कई बार व्यापारियों ने निवेदन भी किया है कि जो भी सैल्स टैक्स लगाया जाए उसके लिए पहले हर खान के माल को देख लिया जाए और खान के हिसाब से जिस क्वालिटी का माल है उस हिसाब से सैल्स टैक्स लागू किया जाए।

दूसरी बात यह कि जैसे मार्बल बाहर निकलता है और एक ही खान के दो पत्थर हैं और दो पत्थर चार-चार फीट के हैं और एक पत्थर थोड़ा सा टूटा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है उसको नापने से दो फीट बड़ा निकल जाता है तो उस पर सैल्स टैक्स बढ़ जाता है जबकि वह जो सीधा पाटिया है वह कम पैसे का है। इस प्रकार मैं यह चाहूंगा कि जो यह मार्बल पर सैल्स टैक्स लगता है इसके लिए व्यापारी वर्ग को, वहां के जन प्रतिनिधि को और सबको इकट्ठा करके तय किया जाए कि इस प्रकार इस मार्बल पर इतना टैक्स लगना चाहिए ताकि न तो इसकी चोरी हो सके और न ही कोई सैल्स टैक्स देने से बचे और आमदनी बढ़े।

एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे परबतसर का पशु मेला भरता है तो मेरा भी निवेदन है कि आज पशुओं के लिए, काश्तकारों के लिए, पशुपालकों के लिए बहुत भारी समस्या है और जो सैल्स टैक्स लगता है पशु मेले पर वह नहीं लगे। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी एयर इण्डिया के विरुद्ध जो फैसला था उस सन्दर्भ में संशोधन आप लाए हैं। मेरा निवेदन है कि कच्चे माल पर अगर प्रोवीजो डालकर तीन पर्सेण्ट लगाया जा सकता है तो उसमें कोई अन्तर नहीं था। लेकिन यह इस प्रकार से जो टैक्स लेने का तरीका अपनाया जा रहा है यह बिलकुल गलत है। जो माल राज्य के बाहर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जाता है, राज्य के अन्दर आता है इस पर कर निर्धारण का अधिकार हमें नहीं है। मेरा निवेदन है कि जब कर निर्धारण का अधिकार हमें नहीं है तो जुर्माना वसूल करने की बात कहीं आती ही नहीं है। इस पर मंत्री महोदय विचार करेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि इनकम टैक्स का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो केस पकड़ता है वह कर निर्धारण नहीं करता और इस प्रकार से वहां इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता। सूचना मिलने पर उस पर जुर्माना और कर निर्धारण हो सकता है, वह दूसरा व्यक्ति करे। मौके पर जो इस प्रकार लगाया जाता है तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगी जिस प्रकार से यहां क्रय करने वाले व्यक्ति को पता देने की बात कही गई यह तो उचित नहीं होगा। कोई गलत भी देगा, सही भी देगा और फिर वह जो दण्डित होगा दुकानदार, यह कहां से बात आ गई यह मेरी समझ में नहीं आती। पर जब आप यह कह रहे हैं कि पेशगी जमा करेगा तीस पर्सेण्ट तो तीस पर्सेण्ट जुर्माना हो सकता है तो सौ प्रतिशत उसको जमा कराने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो और कार्य किये जाने चाहिए थे, जो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किए, उसमें हम देरी कर रहे हैं बराबर।

ट्रिब्यूनल की स्थापना जयपुर में स्थाई बैंच की की जानी चाहिए थी वह हुई नहीं। मैं निवेदन करूंगी कि जो न्यायिक मैम्बर की नियुक्ति थी वह भी अभी तक नहीं हुई है। इस तरह जिस प्रकार से हमारा ढांचा चल रहा है चार दिन यहां बैंच के लोग रहते हैं, उनके घर यहां पर हैं तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि एक स्थाई बैंच स्थापित हो जाती तो यहां के मामले जो आस पास के रीजन के यहां आते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक मामला कांग्रेस सरकार लटकाकर छोड़ गई। मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी आप उसको पूरा करें। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था कि अगर अपन इस तरह से सैल्स टैक्स की वसूली करेंगे तो दूसरे राज्यों से माल आयेगा। आप देखेंगे कि यहां पर जितने वाहन हैं, गोआ से लोग ला रहे हैं, यहां कर की चोरी बराबर हो रही है और रजिस्ट्रेशन यहां पर हो रहे हैं। अन्य प्रान्तों से यहां आ रहे हैं इसको हमें देखना चाहिए।

एक बात और थी जो पिछली बार भी मैंने आपसे कही थी और आपने 1977–80 के बीच में रेडीमेड गारमेण्ट्स पर कम किया था लेकिन आप पड़ौसी राज्यों को देखें, उत्तर प्रदेश को, वहां पर इस पर कोई टैक्स नहीं है। हमने अभी 6 प्रतिशत रेडीमेड गारमेण्ट्स पर किया हुआ है। जो हमारी इसमें छोटी छोटी यूनिट्स थीं वह पड़ौसी राज्यों में चली गई और वहां से माल आता है लेकिन हम यहां पर उस पर इस तरह से सैल्स टैक्स लगाते हैं मेरा आपसे निवेदन है परित्यक्तायें ये काम करती हैं, छोटी छोटी यूनिट डाल लेती हैं कई विधवायें ये काम करती हैं....

मैं आपसे निवेदन करूं, आप सहृदय हैं, और मैं समझती हूं आप इस पर टैक्स

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हटवायेंगे। होजरी पर, कच्छा बनियान पर भी 4 प्रतिशत टैक्स लगा हुआ है। यह मामूली और गरीब से गरीब आदमी भी पहनता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी आप लेना ही चाहें तो एक प्रतिशत इसमें कर सकते हैं। अभी धारा 10 में, आपने यहां जो कापियां छोटे-छोटे इलाकों में बच्चे पढ़ते हैं उनके काम आती हैं उसमें एक ओर तो हम लोगों को साक्षर करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी ओर उनके काम में आने वाली कापियां जिनको अभी भी खरीद नहीं पा रहे हैं, मंहगाई इतनी है, कहीं-कहीं से लेकर पैसा जुटा कर पढ़ते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाय, मैं समझती हूं उचित नहीं होगा। आप इसको समाप्त करें। इस तरह से इस प्रावधान को न लायें। बहुत से क्लाज ऐसे हैं केवल इनकम टैक्स की दरों से वसूली में उसी सैल्स टैक्स में लागू किया जाये तो भ्रष्टाचार कम होगा। मैं समझती हूं इस पर मंत्री महोदय विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतरामजी।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स के सिलसिले में तो इतना ही कहना है कि ईंट बहुत बड़ा उद्योग है जो पश्चिमी राजस्थान में है और उस पर जो सेल्स टैक्स लगता है वह निश्चित तौर से राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि वसूली उसमें 25 प्रतिशत भी नहीं है, या तो उसको किसी रूप में प्रोडक्शन टैक्स लगाया जाये और सेल्स टैक्स बिल्कुल हटा लिया जाय। राज्य सरकार यह नहीं कर सकती तो जितनी ईंटों का प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को नोट करके और जो उसकी मार्केट वेल्यू है उस पर लगाया जाय। निश्चित तौर से बिल्स पर टैक्स लगाया होता है, होता क्या है कि बाजार में उसके रेट साढ़े सात सौ, आठ सौ होते है और वह तीन सौ, चार सौ दिखा कर टैक्स देता है। सारे, पूर्वी, पश्चिमी राजस्थान में यह करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है उसमें कोई उपाय करें।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्लाजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, विक्रय कर संशोधन अधिनियम पर जो विचार चल रहा है मैं इसके सम्बन्ध में सुझाव देना चाहूंगा। इस सदन में कई बार मामला उठा है कि विक्रय कर का करोड़ों रुपया बकाया है उसकी बेहतर वसूली के लिए विभाग को कुछ कदम उठाने चाहिये और कर अपवंचना होती भी है, पुख्ता जब तक हम उपाय नहीं करेंगे तब तक जो टैक्स इवेजन हो रहा है उसको नहीं रोका जा सकेगा। इसके साथ साथ जो पड़ौसी राज्यों की बात की गई दिल्ली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात यह हमारे पड़ौसी प्रान्त हैं और उसमें खास तौर से किसानों के काम में आने वाली चीजें ट्रैक्टर, ट्रोली, मोटर, रेडीमेड गारमेन्ट यह चीजें तो सबके ध्यान में हैं लेकिन कई ऐसी अन्य वस्तुएं भी हैं, उनके विक्रय कर की दर को जब तक हम एक समान नहीं करते तब तक यह टैक्स इवेजन जारी रहेगा उसको कोई रोक नहीं सकेगा। इसके लिए विधान सभा की एक कमेटी बना कर मैं समझता हूं वित्त मंत्री जी, मुख्य मंत्रीजी इसके बारे में विचार करेंगे तो टैक्स इवेजन जरूर रुकेगा। अभी पिछले बजट सत्र में माननीय मुख्य

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मंत्री ने रत्न व्यवसाय के ऊपर कुछ टैक्स की माफी की। मैं समझता हूं कि इसी आधार पर खादी ग्रामोद्योग में जो साबुन बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है उसमें पांच लाख से ऊपर जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर सैल्स टैक्स देना पड़ता है। पांच लाख का उत्पादन करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो खादी ग्रामोद्योग को तो कम से कम जो महात्मा गांधीजी ने किसानों को कुटीर उद्योगों को खास तौर से वे लोग जो किसी न किसी रूप में हाथ से काम करके अपना रोजगार प्राप्त करते हैं उनको सैल्स टैक्स की परिधि से बाहर रखना चाहिये और खास तौर से जैसे भुजिया बनाने वाले, पापड़ बनाने वाले, साबुन बनाने वाले, फर्नीचर बनाने वाले, हाथ से कपड़ा बनाने वाले लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का विक्रय कर नहीं लगना चाहिये। क्योंकि रत्न व्यवसाय के ऊपर यदि हमने सैल्स टैक्स माफ कर दिया तो हाथ से काम करने वाले कारीगरों को भी इस विक्रय कर से मुक्ति दी जानी चाहिये। इसी के साथ-साथ इस बिल में जो उद्देश्य बताये गये हैं उसकी लास्ट लाइन पढ़ना चाहता हूं।

"यह प्रस्ताव है कि अनुसूची के प्रविष्टी 10 को उसमें से कापियां बाहर निकालने के प्रयोजनार्थ संशोधन किया जाय" अध्यक्ष महोदय इसके रियरकर्शन्स क्या होंगे इसके बारे में मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि आज राज्य में लगभग 15 करोड़ की कापियां विद्यार्थी उपयोग में लेते हैं उसको अलग निकालने के लिए कभी भी एक अधिसूचना जारी करने के बाद उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में विद्यार्थियों के काम में आने वाली चीजों पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगता इससे ऐसा अन्देशा है कि राज्य सरकार नोट-बुक के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगायेगी लेकिन नोटबुक बनाने वाले कागज के ऊपर टैक्स लग जायेगा और कापी विद्यार्थी को मंहगी मिलेगी। एक तरफ तो बजट में यह घोषणा की जाती है कि हम पेन्सिल, और विद्यार्थियों के काम में आने वाली चीजों पर टैक्स समाप्त कर रहे हैं और दूसरी ओर इस अनुसूची में से नोट बुक को निकाल कर गुप-चुप में टैक्स लगाने की कार्यवाही की गई, इसका हम विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि विद्यार्थियों के काम में आने वाली चीजों पर राज्य सरकार किसी भी प्रकार की अधिसूचना के माध्यम से विक्रय कर नहीं लगायेगी। पिछले दिनों में देखा है कि बसों के किराये में तीस प्रतिशत वृद्धि की गई। इसी प्रकार विद्युत बोर्ड ने कनेक्शन देने के ऊपर अलग-अलग प्रकार एक खम्बे पर 4250 रुपये लगा दिये। एक कुए के ऊपर कोई किसान कनेक्शन लेता है तो लगभग 40 हजार से ऊपर की राशि उसे खर्च करनी पड़ती हैं। इस प्रकार जो टैक्स लग रहे हैं उसका मैं विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस विक्रय कर पर संशोधन करके राज्य सरकार एक तरफ रिलीफ देने की बात कर रही है दूसरी तरफ विद्यार्थियों के ऊपर, हाथ से काम करने वाले कारीगरों के ऊपर कोई रिलीफ नहीं दे रही है। उसके ऊपर विचार करके उचित निर्णय लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनलाल सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढा) : अध्यक्ष महोदय, आज जो अखाद्य तेल है उससे कई प्रकार के साबुन या और चीजें बनती हैं उस पर देश में कहीं भी टैक्स वगैरह नहीं है । मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि टैक्स को माफ करने से छोटे छोटे उद्योग जो गांवों के उद्योग हैं और साबुन उद्योग जो हैं वह इससे बढ़ेंगे । वैसे तो स्थानीय उत्पादन है, उस स्थानीय उत्पादन पर भी टैक्स नहीं लगना चाहिये उससे स्थानीय लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, उनको प्रेरणा भी मिलेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार हमने सैल्स टैक्स के कई ऐसे आइटम्स पर छूट दी और इस बार भी दी है । जैसा बजट भाषण में कहा गया है कि उसके परिणाम भी अच्छे आये हैं और मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में स्वीकार किया है कि उसके कारण टैक्स बढ़ा है और टैक्स की चोरी की है और यह आम बात है सभी इस बात को जानते है कि ज्यादा टैक्स बढ़ेगा तो टैक्स की चोरी होगी और उसके रास्ते खोजने में लोग अपना समय बरबाद कर देते हैं । जहां तक इस एमेन्डमेंट जो अभी माननीय सदस्य ने रखा है और यह स्वीकार किया है जिसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्स की चोरी के उसमें किसी की दो राय नहीं है लेकिन उसके कारण से, प्रावधान रखने के कारण से चोरियां बढ़ें तो मैं समझता हूं इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए । सारे माननीय सदस्यों का यह अनुभव है कि जहां-जहां पर भी इस प्रकार के चाहे वह इनकम टैक्स में हो या सेल्स टैक्स में हो या और कोई भी हमने इस प्रकार के जुर्माने लगाये हैं, जहां पर हमने सजा का प्रावधान किया है वहां पर हम कोई टैक्स बढ़ायेंगे हमारी इनकम बढ़ायेंगे ऐसा अनुभव तो नहीं आता है । लेकिन इनकम जरूर बढ़ेगी इस बात का आप प्रबन्ध कर दें मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जितने भी ऐसे प्रावधान किये गए हैं यदि हम उठाकर देखेंगे तो उसमें पहले तो कई मामले सामने आ जाते लेकिन अब नहीं आयेंगे और कोई बोलेगा भी नहीं, शिकायत भी नहीं करेगा । वह यह जानता है यदि कोई आफिसर इससे नाराज हो जायेगा तो इस प्रकार से टैक्स चोरी का आरोप लगाकर सजा के लिए खड़ा कर देगा । मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम सब जानते हैं सारा राजस्थान जानता है किसान के नाम पर आज बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है वह इसलिए हो रहा कि जिन लोगों की टैक्स लगाने की जिम्मेदारी है या जो सारे बजट हैड्स देखते हैं किन बजट हैड्स में हमारे पास इनकम नहीं आ रही है उन टैक्सों को समाप्त करना चाहिए जहां पर ज्यादा टैक्स लग रहा है चोरियां हो रही हैं । आज खुले आम किसान के नाम पर हर जगह हर मण्डी में आप इस बात की जांच कर सकते हैं और जो राजस्थान से बाहर माल जाता है वह किसान के नाम पर माल जाता है और ऐसी भी एन्ट्रीज हम देखेंगे कि किसान के पास केवल 50 बीघा या 25 बीघा खेत है लेकिन यह 50 ट्रक माल सरसों के, जीरे के, रायड़े के

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

भेजता है आखिर इस बात को मानेंगे नहीं, टैक्स कम करेंगे नहीं, हमारे पड़ोसी राज्यों में टैक्स रेट क्या है यह देखेंगे नहीं तो लोग इस बात के लिए बाध्य हो रहे हैं कि किस प्रकार लोगों को और इसका लाभ राज्य सरकार को नहीं मिलता। या तो टैक्स चोरी करने वाले या जो अधिकारी इनसे मिले हुए हैं उनकी सांठ-गांठ से करोड़ों की हेराफेरी होती है सरसों, सरगड़ा, जीरा सारा माल राजस्थान से बाहर जाता है और किसानों के नाम से जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह कितना टैक्स चुकाकर या व्यापारी के नाम से बाहर जाता है। या आज जो मण्डी में बिकने वाला माल है, मण्डी टैक्स की चोरी करने के लिए या दूसरे टैक्स की चोरी करने के लिए आज हर व्यक्ति किसान के नाम से व्यापार कर रहा है। माल बेचने के लिए आता है क्योंकि बिक्री कर विक्रय पर लगता है और इसलिए कहीं से भी कोई माल आए किसान के नाम पर वह बिक्री के लिए कहीं भी जा सकता है टैक्स लागू नहीं है इसलिए यह बात सामने आती है। हर मंडी में और कुशलता के साथ किस प्रकार चोरी की जाय इस प्रकार का पाठ हम पढ़ा रहे हैं।

हम कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं पिछली सरकार यह सारा प्रावधान करती थी, उसकी नीयत में गड़बड़ थी, तो समझ में आता था लेकिन आज जब स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं और आज जब हम नियमों में स्वयं यह महसूस करते हैं; हमने स्वयं ने यह कहा है टैक्स ज्यादा बढ़ते हैं तो चोरी को कोई रोक नहीं सकता। आज बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े राजनेता लिप्त हैं वे अपने यहां फर्नीचर लाते हैं अपने यहां पर कई प्रकार की विलासिता की वस्तुएं खरीदते हैं, कोई टैक्स देकर नहीं आता। आज सबके घरों की जांच कर लीजिए कि कितने लोगों के पास टैक्स देकर बिल आते हैं कोई नहीं लाता। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब हमारे ध्यान में है तो इस पर विचार करना चाहिए और टैक्स का जुर्माने का और सजा का जो प्रावधान किया है मैं इसके माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि आप बन्दर के हाथ में चाकू दे रहे हैं जिससे आपका राज्य हित का तो फायदा नहीं होगा, आपकी आमदनी भी नहीं बढ़ेगी, टैक्स चोरी नहीं रुकेगी लेकिन उसमें भ्रष्टाचार बुरी तरह से बढ़ेगा जिसको आप रोकने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हमारी जो कल्याणकारी सरकार है और संवेदनशील मुख्यमंत्री है उनसे यह निवेदन करता हूं कि इस प्रावधान को आप हटायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लिमिटेड सिर्फ क्लाज फोर के ऊपर ही बोलना चाहूंगा। मेरा फरदर, प्रोविजो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया जबकि मेरा कहना यह है कि जो टैक्स इवेजन का गिल्टी हैं उसको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए और सीधा-सीधा अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल खड़े किए उनका जवाब भी नहीं दिया गया। मैं पाइन्टेडली पूछता हूं कि आज कितनी ऐसी सिक यूनिट्स हैं जिनके टैक्स बकाया हैं और जो पेमेण्ट करने की स्थिति में नहीं है जिनको

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आप इस अमेण्डमेंट के जरिए डेफर करना चाहते हैं और लिस्ट इस सदन की मेज पर रखी है आपको वही यूनिट मिलेगी जिनको 30 लाख का अब पेमेन्ट करना है। 15–1–91 को फैसला हुआ है 18 लाख का पेमेण्ट उन्होंने पहले चुकता कर दिया।

श्री अध्यक्ष : सिक यूनिट से क्या मतलब है आपका, कौनसी यूनिट सिक होती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सिक यूनिट जो बोर्ड ऑफ इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक इण्डस्ट्रियल कम्पनीज एक्ट के तहत जो डिक्लेयर होती हैं वे सिक यूनिट होती हैं You should try to appreciate that सिक यूनिट भी हो सकती है और सिक यूनिट का मैनेजमेंट ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो सकता है जो डेलेबरेटली सिक करके और सिक के रिक्वायरमेंट सब वहां भरवा भी देगा और सिक भी करवा लेगा और फिर तमाम टैक्स को इवेड करके कागजों में तो चलायेगा उसको सिक और खुद फायदा उठायेगा और ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल हैं इसलिए आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं मुझे यह कहा गया है लेकिन अब यह गवर्नमेंट की बोनाफाइड डाउटफुल होती है कि कोई भी सिक यूनिट जिसका टैक्सेशन बकाया है जिसका क्लाज 4 के तहत जो अमेण्डमेंट प्रोवाइजो किया जा रहा है उसका फायदा कितनी यूनिट को मिल रहा है वह मंत्री जी बताने का कष्ट करें। एक यूनिट है यह प्रीमियर वेजिटेबल जिसको फायदा मिलने वाला है और एक सिक यूनिट को फायदा देने के लिए आप बाकायदा इतना लम्बा–चौड़ा बिल ला करके आज यह प्रोवाइजो एक्ट कर रहे हैं, आज कह रहे हैं एक्सेंसबिली कि हम इस टैक्स इवेजन को रोकने के लिए कह रहे हैं और आप टैक्स एविडेंस को मदद करने के लिए यह प्रोवाइजो एक्ट कर रहे हैं यह मेरा आपके खिलाफ चार्ज है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। आप बोल रहे हैं ? हां बोलिए।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, जहां से टैक्स इवेजन होता है और लाखों रुपये का इवेजन होता है और उस इवेजन का कारण क्या है पूर्व सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी जो ए. सी. टी. ओ. यहाँ रहा हुआ है वह घूमकर चाहे तो एण्टी इवेजन के माध्यम से आओ, चाहे वह सी. टी. ओ. के माध्यम से आओ और चैक पोस्टों पर यह होता है। उदाहरण के तौर पर गए साल क्या हुआ कि सरकार ने बाजरा खरीदा और बाजरे पर ढाई पर्सेन्ट टैक्स था। उस ढाई पर्सेन्ट टैक्स से बचने के लिए उन्होंने उस बाजरे को पशु आहार के नाम से लाना शुरू किया और पशु आहार के नाम से वहां एक ऑफिसर ने गाड़ियां रोक दी सब सांचौर के अंदर वह गुजरात से आ रहा था क्योंकि 300 रुपए क्वि. में राजस्थान की सरकार को बाजरा दे रहे थे जबकि शहर के अंदर सांचौर में 150 रुपए बिक रहा था और पूर्व सरकार ने 300 रु. क्वि. में बाजरा खरीदा और उधर बाजरे का टैक्स भी नहीं देना और पशु आहार के नाम से बाजरा गुजरात से लाया गया और लाया बाजरी। बाजरी लिखकर लाते तो ढाई पर्सेन्ट टैक्स राजस्थान की गवर्नमेंट को देना पड़ता और

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

बाजरा नहीं लिखकर पशु आहार के नाम से गाड़ी कुछ तो पास कर दी और कुछ चैक पोस्ट पर रोक दी। ए. सी. टी. ओ. और उनमें कुछ देने–लेने में झगड़ा हुआ। देना नहीं चाहते थे, पावरफुल आदमी थे उन्होंने अपना जोर बताया तो ए. सी. टी. ओ. ने उन गाड़ियों को रोक दिया। जब वे कमिश्नर के पास आए तो उन्होंने कहा कि यह क्या है? इन्होंने कहा कि यह बाजरा है। बाजरा पर टैक्स है यह पशु आहार नहीं है आपने बिल्टी में पशु आहार लिखा है इसलिए मैं 20 पर्सेन्ट पैनल्टी वसूल करूंगा। उस टाइम में श्री भण्डारी कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि बैंक गारन्टी दे दीजिए और आपको नोटिस मिलेगा उसका जवाब दे दीजिए अगर यह बाजरी पशु आहार है तो आपको फ्री हो जायेगा। इस प्रकार से टैक्स का एविजन होता है और एविजन होने के बाद यह विग है मिली हुई होती है। मैं खुद टैक्सेशन में प्रेक्टिस करता हूं और बोर्डर पर रहता हूं। मुझे मालूम है आप कहते हैं कि किसान को छूट दी जाय, किसान को छूट देने में कोई रोकता नहीं है पर किसान के बैक डोर के अंदर व्यापारी जो चोरी करते हैं 40 साल तक फायदा उठा लिया हमारी सरकार उस चोरी को बन्द करके राजकोष में पैसा जमा करवाना चाहती है इसलिए इस पर आपने जो अमेण्डमेंट पेश किया है वह बिल्कुल वाजिब है और इसलिए मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आज जो भी चैकपोस्ट पर रहा हुआ अधिकारी, चपरासी है पुनः उनको वहां लगाया जाय क्योंकि उनका व्यापारियों से मेलजोल हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं एण्टी एविजन ऑफिसर आए, चैक पोस्ट ने गाड़ी निकाल दी उस वक्त में बी. बी. एल. माथुर थे उन्होंने उसको पकड़ने के लिए बताया कि गुजरात की तरफ से आदमी भेजिए। गुजरात से आए इधर चैक पोस्ट से गाड़ी निकल गई गुजरात की तरफ 2 किलोमीटर, गाड़ी उन्होंने रोक दी। ऑफिसर एक था उल्टे उसकी पिटाई हुई। डिपार्टमेंट ने हैल्प नहीं की, मुकदमा हुआ और उन्होंने बताया कि हम यह माल गुजरात के लिए ले जा रहे थे अगर चैक पोस्ट का बताते तो उसके खिलाफ एक्शन होता और उस टाइम में बी. बी. एल. माथुर ने 8 ऑफिसरों को कन्टीन्यू सांचौर की चैक पोस्ट से ए. सी. टी. ओ., सी. टी. ओ. इमीजिएट ऑफिसर इन सबको सस्पेण्ड किया और साल भर बाद में परिणाम यह हुआ कि माथुर साहब कमिश्नर बदल गए दूसरे आए और मामला रफा–दफा कर दिया। इस प्रकार से टैक्स की चोरी होती है किसान के नाम पर गाड़ी में बैठकर किसान को छूट दी है आपने जीरा और रायड़ा की। ठीक है, पर अब व्यापारी ने क्या किया, गाड़ी के अन्दर किसानों को बैठा दिया। माल व्यापारी का, गाड़ी के अन्दर किसानों को बैठा दिया। जो पकड़ लिया तो हमारा माल है। इस प्रकार से सात गाड़ियां पकड़ी, पिटाई हुई, ऑफिसरों से लड़ाई हुई। ऑफिसरों ने रानीबाड़ा में चैक पोस्ट ऑफिसर को पीटा, इसका मुकदमा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन है कि आप लोग इसको सख्ती से अमल में लावें ताकि चोरी रुके।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी।

श्री रतनाराम चौधरी : पहले बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया।

श्री अध्यक्ष : देखिये, यही काम है कि जो लेजिस्लेचर्स को करना चाहिए, इसलिए जितने बोलें, अच्छा है। बोलिए।

श्री रतनाराम चौधरी : चूंकि मेरी कांस्टीट्यूएंसी गुजरात से लगती हुई है और गुजरात से करीब 9 किलोमीटर पर मेरा मूल वतन गांव आया हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मण्डाड़ी चैक पोस्ट लगी हुई है और जिस तरह से भाई लक्ष्मीचन्दजी कह रहे हैं, सांचौर में एक चैक पोस्ट लगी हुई है उसमें जैसे आपने कहा, कई इसमें धांधलेबाजी हो रही हैं। काश्तकार, जो अपना खुद का माल उत्पादन करते हैं जैसे रायड़ा, जीरा, ईसबगोल वगैरह जालौर, बाड़मेर, पाली वगैरह से सारे काश्तकार अपना माल ऊंझा ले जाते हैं, ऊंझा मंडी में उनका माल बिकता है क्योंकि राजस्थान की मंडी से ऊंझा की मंडी में उनको भाव बहुत ही अच्छे मिलते हैं, वह एक इण्डिया लेबल की मंडी है इसलिए किसान अपनी 15–15, 20–20 बोरियां ले जाने के लिए एक ट्रक में डालते हैं और बीस–पच्चीस काश्तकार मिलने पर एक गाड़ी माल बनता है दो सौ के करीब बोरी हैं, बीस–पच्चीस काश्तकार उसमें साथ में बैठते हैं जैसे आप कहते हो कि किसानों के नाम से व्यापारी, हां, असली किसान कभी नहीं जाता, वह बिकाऊ कभी नहीं होता है, वह अपना खुद का माल ले जाकर बेचता है और ए. सी. टी. ओ. और चौकी वाले उनको इतना परेशान करते हैं, उनको पटवारी से लिखवाना पड़ता है गिरदावरी में, उनको ए. सी. टी. ओ. से प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है, पटवारी से जाकर के मिलना पड़ता है, तब जाकर उनको माल ले जाने की छूट मिलती है। ऐसे कई मुकदमे हमारे क्षेत्र में असत्य बना दिये गये हैं, किसानों का माल था, ए. सी. टी. ओ. ने जाकर रोक दिया अन्दर, गुजरात की बाउण्ड्री से करीब बीस किलोमीटर अन्दर उनको रोका और रोक कर वह ए. सी. टी. ओ., सी. टी. ओ. साहब उनसे पेश आये। काश्तकारों ने कहा कि हमारा खुद का माल है, खुद मालिक हैं और हमको ले जाने में आप इतनी दखलन्दाजी क्यों कर रहे हो, हम तो अभी गुजरात से बीस किलोमीटर अन्दर हैं, कहा–सुनी हुई, मुकदमा बना, वह मुकदमा बिल्कुल असत्य है, काश्तकारों को फंसाया गया है और मुकदमें में असत्य फंसाया गया और काश्तकारों की गाड़ी दो महीने तक वहां खड़ी रही और काश्तकारों का असत्य चालान कोर्ट में हुआ। इस तरह से असली काश्तकारों का तो चालान हो रहा है और व्यापारियों का माल ले जाने देते हैं, बड़ी भारी रिश्वत दे देते हैं, उनका न चालान होता है, न और कुछ होता है। वहां बहुत ही भ्रष्टाचार चल रहा है, उसमें मैं सहमत हूं। वहां रात को व्यापारियों की गाड़ियां की गाड़ियां निकलती हैं परन्तु काश्तकार की गाड़ी एक भी निकलने नहीं देते वह लोग। इसलिए मैं आपके द्वारा हमारे मुख्य मंत्री जी से भी यह कहना चाहूंगा कि अभी जो है काश्तकार का माल निकला है, अब गुजरात में बेचने के लिए जायेंगे, कृपया सिर्फ एक सरपंच के प्रमाण–पत्र पर, वहां अपना जन प्रतिनिधि बैठा है, सरपंच से प्रमाणित करवा कर काश्तकारों का माल गुजरात

(श्री रतनाराम चौधरी)

में बेचने के लिए जाने के लिए आपको छूट देनी चाहिए और व्यापारी यदि कोई माल ले जाये तो बाकायदा आप उसका चालान करो, टैक्स वसूल करो परन्तु व्यापारियों के बहाने काश्तकारों को मत लूटो। काश्तकार लूटे जा रहे हैं, काश्तकारों को परेशान किया जा रहा है, काश्तकारों के ऊपर असत्य मुकदमे बनाये जा रहे हैं इसलिए काश्तकार बड़ा दुखी है। उधर तो दो-तीन साल काश्तकार अकाल से गुजरा, अभी तो इस वर्ष अच्छी बरसात बरसी, थोड़ा-बहुत माल उन्होंने पैदा किया और उसमें भी यदि अधिकारी इस तरह से लूट–खसोट करेंगे, जेब काट लेंगे तो उनके पास में क्या बचेगा। इसलिए कृपा कर सरपंच के प्रमाण-पत्र पर काश्तकारों को माल ले जाने दीजिए और किसी प्रकार की यह हैरान गति न हो, ऐसा आप इन्तजाम करिये। व्यापारी से टैक्स आप जरूर वसूल कीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिलाल चपलोत : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कई उपयोगी सुझाव टैक्स इवेजन के बारे में माननीय सदस्यों ने दिये हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। इस बिल में 16 में यह स्पष्ट किया गया है कि जो टैक्स इवेजन करेगा, करवायेगा, या टैक्स वालों को रोकेगा अधिकारियों को, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी, छह महीने से बढ़ा कर दो वर्ष का दण्ड प्रस्तावित किया है। इससे अपने आप सारे के सारे लोग जिस तरीके से लक्ष्मीचन्दजी विधायक ने फरमाया कि इस तरीके से उनको तंग किया गया, अधिकारियों को मारा गया तो मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार के प्रोविजन इसीलिए किये गये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी बताया कि कागज पर टैक्स लग रहा है या कापियों पर लग जायेगा, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के बाहर से जो कापियां लाई जाती हैं या कागज जो लाया जाता है, ऐसा का ऐसा ब्लैक मार्केटिंग में बेचा जाता है और उन सब बातों को रोकने के लिए कि वे लोग राजस्थान में गृह उद्योग लगायें और यहीं पर कापियां बनायें, उसके लिए तीन प्रतिशत का हमने प्रावधान किया हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो पेपर पर टैक्स दस प्रतिशत था उसको छह प्रतिशत करने का इस सदन को आश्वासन दिया है। माननीय सदस्यों ने यह बात भी उठाई कि जीरा और रायड़ा पर टैक्स लगता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जीरा और रायड़ा पर यह जो टैक्स लग रहा है, यह कच्चे माल पर, सब पर हमारे यहां तीन प्रतिशत का ही टैक्स लग रहा है और यह जो कच्चा माल है उसके बाद यदि पक्का माल होगा, उसकी बात अलग है। कच्चे माल पर तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, वर्षों से चला आ रहा है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उजला अरोड़ा ने भी कहा कि यह टैक्स खत्म कर दिये जायं, और भी कई सदस्यों ने कहा कि यह टैक्स खत्म कर दिये जायं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की आमदनी का बहुत बड़ा भाग सैल्स टैक्स की कमाई का है, प्रस्तावित है और कुल मिला करके आमद का बहुत बड़ा स्रोत है, 750 करोड़ के आस-पास यह टैक्स वसूल होता है, मैं माननीय सदस्यों से निवे-

(श्री शांतिलाल चपलोत)

दन करना चाहता हूं, वे बैठ जायं और यह बतायें कि किस-किस को कम करना है, तब पता लग जायेगा कि जीरो पर हम आ जायेंगे। इसमें भी माफ कर दो, उसमें भी माफ कर दो, भूखे पेट भजन नहीं होगा, मुंह में तो रोटी डालनी पड़ेगी, इंजन में यदि पैट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चल नहीं सकेगी। सरकार का एक्सल तभी चलेगा जब सरकार में टैक्स का कोई प्रोविजन हो। हमने इस वर्ष और गत वर्ष टैक्सों में बहुत रियायतें दी हैं, कोई यह नहीं कह सकता कि इस साल हमने कोई नया टैक्स प्रस्तावित किया है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रकार की कोई एट्रोसिटीज किसी के खिलाफ नहीं होगी। जो कर बंचना करने वाले हैं, जो लोग जान-बूझ कर राज्य कोष को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, धोखाधड़ी करना चाहते हैं उनके लिए दण्ड का प्रावधान, जैसा कि चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है, कठोरतम होना चाहिए। इसलिए यह सब प्रावधान हमने किये हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने जो अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं उन बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करते हुए यह निवेदन करूंगा कि आप सब लोग इसको पारित करवाने में पूरी मदद करें। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : साहब, उन्होंने एक सुझाव दिया था। अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव यह आया था कि यह सजा बढ़ने से और इसका कानून इतना कड़क होने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैल्स टैक्स अधिकारी....

श्री अध्यक्ष : वह आ गया है....

श्री टीकम चन्द कांत : ज्यादा हावी हो जायेंगे। नम्बर एक, और कहीं भ्रष्टाचार ज्यादा नहीं बढ़ जाय इसकी रोक-थाम के लिए हमने क्या किया है क्योंकि भयभीत होगा व्यापारी इस मामले के अन्दर और किसी भी प्रकार से ज्यादा केस बनेंगे तो कहीं भ्रष्टाचार ज्यादा नहीं बढ़ जाय, वह मशीनरी कहीं ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाय और ज्यादा शोषण और ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं न बढ़ जाय, उसका जवाब माननीय मंत्रीजी ने नहीं दिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी, मान्यवर मंत्री महोदय ने जो यहां कहा, मैंने तो एक बात का सुझाव दिया था कि कर वसूली में जो चोरी हो रही है उसको आप रोकिये....

श्री अध्यक्ष : अब देखिये, आप बिराजिए। मैंने सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया है....

श्री अध्यक्ष : अब मैं सवाल करने का मौका नहीं दूंगा। मैंने सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक 1991, को संशोधित रूप में पारित किया गया।

राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक।

(6.00 सायं)

विधेयक पर विचार

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1991

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेम सिंह दहिया ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 91 की धारा 30 (क) में संशोधन रखा गया है उसका मूल उद्देश्य यह है कि लाइसेंसधारी अनुज्ञापत्र की जो फीस है वह समय पर जमा करावे परन्तु पहले तो यह एक और डेढ पर्सेण्ट थी उसको बढ़ा कर डेढ़ और दो पर्सेण्ट कर दिया गया है। साहूकारी ब्याज अगर कोई रकम लेने जाय तो दो और तीन पर्सेण्ट पर मिलता है। इससे आपका जो संशोधन है उससे इसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। आपने एक से डेढ़ पर्सेण्ट किया है इससे भी आपका पैसा वापिस जमा कराने के लिए लाइसेंसधारी तैयार नहीं होगा। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि एक पर्सेण्ट की जगह दो पर्सेण्ट और डेढ़ पर्सेण्ट की जगह तीन पर्सेण्ट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित करने का संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया । श्रीमती विद्या पाठक ।

विधेयक का पारण

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इन्होंने राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक की धारा 30 (क) में एक प्रतिशत के स्थान पर डेढ़ प्रतिशत राशि लेने की बात की है इसके बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है लेकिन खासतौर से मैं हमारी भू.पू. प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिराजी ने 12 पाइंट टेंपरांस प्रोग्राम किया था उसका हनन हो रहा है। आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, शिक्षण संस्थाएं, इनके बिल्कुल पास में जो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं जिसका कई माननीय सदस्यों ने विरोध किया है इसका मैं खास तौर से आपके माध्यम से आबकारी मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उस 12 पाइंट टेंपरांस प्रोग्राम का पूरी तरह क्रियान्वयन किया जाय नहीं तो शिक्षण संस्थाओं के बिल्कुल पास में शराब के ठेके खुलेंगे ।

श्री सम्पत सिंह : आप वह जगह बताइये जहां भगवान और खुदा नहीं हो मंदिर और मस्जिद के अलावा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सब जगह हैं। भगवान आप में भी हैं और खुदा आप में भी है....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पीते हैं तो भगवान रह जाता है या चला जाता है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सम्पतसिंह जी को आपने टोकाटोकी का विभाग दे रखा है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके और सम्पतसिंह जी के बीच में क्या संगत है मुझे पता नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, खास तौर से मुझे एतराज इस बात का है कि जो शिक्षण संस्थाएं स्कूल और कालेजों के पास में जो शराब के ठेके खुल रहे हैं उनको अविलम्ब तुरन्त प्रभाव से बन्द किया जाना चाहिए और कम से कम जो एक निर्धारिन दूरी है वह एक समयबद्ध कार्यक्रम बना कर उन शराब के ठेकों को वहां से हटा देना चाहिए, निरस्त कर देना चाहिए।

दूसरा राजस्थान में हमारे स्कूल और कालेजों में ड्रग्स का प्रभाव नहीं था। ड्रग एडिक्ट लोग आज बहुत हो रहे हैं। बड़े बड़े कालेज मेडिकल के, इंजीनियरिंग कालेज, हमारी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलें और कालेजेज में जो ड्रग्स तस्करी से सप्लाई की जा रही है उसकी रोकथाम करने के लिए राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कालेजेज के इंजीनियर्स और डाक्टर्स को बदनाम नहीं करें यह कह कर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कहां बदनाम कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह रहे हैं ना कि ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो विद्यार्थी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं विद्यार्थियों की ही तो कह रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विद्यार्थियों में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही उसको रोका जाना चाहिए। जब सप्लाई हो रही है तो ड्रग एडिक्ट होंगे ही होंगे। मैं अड़ने वाला नहीं हूं, मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी जो किशोरावस्था में होते हैं, उचित और अनुचित को समझते नहीं हैं। आज स्कूलों और कालेजों के आगे ड्रग्स की तस्करी हो रही है और उसको सेवन करके न तो पढ़ाई पूरी कर पाते हैं और न ही देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज में आपका भाषण भिजवा देंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप प्रसारित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चिन्ता तो सरकार को यह करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप बिल्कुल घबराइये, चिन्ता करेंगे पूरी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ड्रग की तस्करी हो रही है उसको रोकने के उपाय करने चाहिये और जैसे मैंने बताया भू. पू. प्रधान मंत्री इंदिरा जी ने जो 12 पाइंट टेंपरांस प्रोग्राम की बात की है जिसको राज्य सरकार ने भी माना है उसकी क्रियान्विति की जानी चाहिए। सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं कई बार शराबबन्दी की बात किया करते थे, अफीम का लोग सेवन न करें, इसके लिए आपने क्या उपाय किये, इन चीजों के बारे में लोगों को मास एजूकेशन का प्रोग्राम दिया जाना चाहिए और इसके माध्यम से नशा मुक्ति कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा चलाना चाहिये और जो स्वयं सेवी संस्थाएं इसके लिए काम करना चाहती हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक रखा गया है इसमें कुछ बातें और जोड़ी जानी चाहिये। जो ठेकेदार मिलावटी शराब बेचते हैं और आम गरीबों का शोषण करते हैं और जो देशी शराब है उसमें साफ पानी नहीं मिलता है तो गन्दा पानी मिलाते हैं इसके लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं रखा है। इसी प्रकार नकली शराब, जो इंग्लिश वाइन है वह रिफाइन्ड स्प्रिट से बनती है, ऐसा मामला जालौर जिले में पकड़ा गया था। रिफान्ड स्प्रिट 3–4 रुपये लीटर में मिलती है उसमें कई लाइसेंसधारियों द्वारा इंगलिश वाइन बना दी जाती है और सौ रुपये में बिकती है।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जो दुकानें हैं वाइन की वह बिल नहीं देते। सैल्स टैक्स की तो कोई बात नहीं लेकिन उनकी जो इन्कम होती है उनकी जानकारी तो सरकार को होनी चाहिये। वह केन्द्र सरकार की लूट है। इसलिए उपभोक्ता अगर बिल मांगता है तो उसको बिल दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या पता बिल नहीं देते।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मेरी कांस्टीट्यूएन्सी के कई लोगों ने शिकायतें की है कि हमको बिल नहीं दिया जाता और मनमानी कीमतें वसूल करते हैं। कभी सौ रुपये ले लेते हैं कभी, एक सौ दस भी ले लेते हैं इस तरह का माफिया ग्रुप जो सरसब्ज है पैसे के मामले में उनको इन्कम टैक्स की चोरी का फायदा देकर और मजबूत बना रही है सरकार, इसलिए मेरा निवेदन है कि यह इन्कम टैक्स दें ऐसी व्यवस्था जरूर की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आबकारी वैसे तो शराब बंदी है। 1977 में माननीय भैरोंसिंह जी के जमाने में शराबबंदी की गई थी और उसमें जो कठिनाई आई....

श्री अध्यक्ष : आप बैठे बैठे बोल रहे हैं या खड़े होकर ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आपकी आज्ञा से मैं खड़े होकर ही बोल रहा हूं।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था वैसे तो शराब की वजह से सारे देश में और सारे राजस्थान में क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। यदि हम इस क्राइम के आंकड़े उठाकर देखें तो निश्चित रूप से यह दृष्टिगोचर होगा कि क्राइम बढाने में शराब बहुत बड़ा काम कर रही है। आज जिस तरीके से हमने ट्यूरिज्म के नाम पर जहां जहां ट्यूरिज्म बंगले हैं, जहां–जहां हमारी ट्यूरिस्ट की दुकानें हैं और वहां पर जिस तरीके से उनको शराब उपलब्ध हो रही है मै खास तौर से गुजरात में जहां नशाबंदी है इसलिये हमारा उदयपुर डिस्ट्रिक जो कि गुजरात के बहुत नजदीक पड़ता है, जिस प्रकार के हमारे ट्यूरिस्ट सेन्टर हैं और वहां पर जिस तरीके से शराब उपलब्ध हो रही है वहां उसकी वजह से तस्करी भी होती है, बेईमानियां भी होती हैं और यहां का जो आबकारी डिपार्टमेंट है मैं आबकारी मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो वनवासी क्षेत्र हैं, उन वनवासी अंचलों के अन्दर, ये महुआ से शराब बनाते हैं अपने काम के लिए और वहां पर आपके लोग और सिपाही जाते हैं यदि किसी के यहां शराब की दो बोतल मिल जाय या किसी के बर्तन भी मिल जाये और जिस तरह का व्यवहार वहां की महिलाओं के साथ करते हैं क्योंकि उनके साथ कोई महिला पुलिस नहीं होती। उन महिलाओं को उठा करके बंद कर देते हैं, उठा करके जीप में ले जाते हैं और इस प्रकार का दुर्व्यवहार वनवासी क्षेत्र के लोगों के साथ करते हैं तो आप कोई एक्सपर्ट बैठा करके क्योंकि उनका जीवन महुआ के ऊपर निर्भर करता है। ये सारे के सारे हमारे यहां शहरों के अन्दर और शहरों के आस-पास जिस तरीके से नाजायज शराब बनाई जाती है आबकारी के लोग उनको तो नहीं देखते हैं लेकिन यहां जाकर एक बोतल दो बोतल शराब पकड़ेंगे। तो आदिवासी क्षेत्रों में इसके लिए कम से कम छूट होनी चाहिए कि वे अपने लिये थोड़ी बहुत शराब निकालते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि इसका निषेद्ध होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विनायकम् प्रचुरवाणो रचियाम मात्र भानरम्, आप विरोध करते करते पक्ष में आ गये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं केवल उन लोगों के लिए पक्ष की बात कर रहा हूं, जहां पर उनको इसकी वजह से संकट है। अगर बिल्कुल मद्य निषेद्ध हो जाय और इस तरीके से इसके सेन्टर्स, जो नशा करने वाले लोग हैं, इनके लिए जैसे जैसलमेर में उन्होंने अफीम छुड़ाने का प्रयोग किया है, इस तरह के प्रयोग सारे राजस्थान में इन हास्पिटल्स के माध्यम से किये जाने चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन महाविद्यालयों के पास में, जिन विद्यालयों के पास में हमने होटल खोलने की परमिशन दी है और उन होटलों के माध्यम से चाहे हमारी तरफ से कितना भी प्रतिबंध हो, लेकिन निश्चित रूप से उन होटलों में शराब बिकती है, उन होटलों में शराब सप्लाई की जाती है। इस तरह के महाविद्यालय और विद्यालय हैं, इनके पास में होटल नहीं खुलने चाहिये, ऐसे रेस्टोरेन्ट नहीं खुलने चाहिये जिनमें लोग बैठ कर शराब पीयें। इससे, जैसा कि बीकानेर से आने वाले

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

माननीय सदस्य ने कहा था, निश्चित रूप से अनाचार फैलता चला जा रहा है और यह अनाचार यदि फैलता चला गया तो आने वाली पीढ़ी पर इसका जो असर होने वाला है, वह असर आप सब, हमको दिखाई पड़ता है। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि कल्ला जी को थोड़ी बुद्धि आई है। कल्लाजी जब इधर बैठते थे तब उनको हमारी बात सुनाई नहीं देती थी, समझ में भी नहीं आती थी। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि....

श्री अध्यक्ष : यह तो सही है कि सुनाई नहीं देती थी। मगर यह सही नहीं है कि समझ में नहीं आती थी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : समझ में नहीं आती थी। जिसके समझ में आ जाये वह कर गुजरता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी समझ में आ जाये वह कर ना गुजरे। हमारी सरकार के मस्तिष्क में यह बात आ गई थी....

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनकी पार्टी की सरकार है, इनकी बात समझवा दो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह तो समझा देंगे पर आपकी बुद्धि में नहीं आयी वह बात तो कहेंगे ना। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारी सरकार की बुद्धि में तो आयी थी। जब 80 के थोड़े से समय में जो 13 जिले पहले बंद थे, 13 जिलों में शराब बंदी लागू थी सुखाड़िया जी के समय में और ढाई साल के समय में 13 जिलों में बंद कर दी गई थी। माननीय कल्ला साहब, शायद भूल गये और आज इन्हें इंदिरा गांधी की बात याद आई 12 सूत्री कार्यक्रम की। जब हम मीसा में जेल में बंद थे तब उन्होंने सौगन्ध उठाई थी कि 20 सूत्री कार्यक्रम, 12 सूत्री कार्यक्रम और एक लिया था 5 सूत्री कार्यक्रम। आपको आज सारे सूत्र याद हैं और तब याद नहीं थे। 80 से 90 तक आपको सूत्र याद नहीं रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय पहाड़िया जी के समय में उनको धन्यवाद देना चाहती हूं जो पिछड़ी जाति से आये थे, उन्होंने डेढ़ साल शराब नहीं खोली और जिस समय शिवचरण जी माथुर आये, अपनी जाति के आधार पर या आप सबकी सलाह के आधार पर उन्होंने आते ही शराब खोली। आपको +++ आनी चाहिये यह बात कहते हुए कि उस समय आपने ध्यान नहीं किया। मुझे अफसोस है, मैं कहना चाहूंगी....(व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : +++ तो आपको आनी चाहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वो तो मालूम है उनको कि बंद करनी है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, दहिया साहब, आप समझते नहीं। आप भरतपुर से आये हैं, वहां पर लोग हाय दैया कहते हैं। बार–बार आपके नाम की याद आ जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगी शराब की आय को हमारे सभी महापुरुषों ने पाप की आय कहा है और ये सामाजिक अपराधों को और दण्ड-

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नीय अपराधों को जन्म देने वाली है। अब कितने ड्राइवर ऐसे है जो रोजना दारू पीकर एक्सीडेंट करके भागते हैं ? उनके लाइसेंस जब्त करने चाहिये। अब आप कहते हैं कि अपराध कम नहीं होते हैं तो सारे थाने बंद करने चाहिये। अब चोरी, डकेती, राहजनी सब कुछ होता है, मर्डर होते हैं और थाने खोल रखे हैं सारे थाने बद कर देने चाहिये। अगर शराब पीने की आदत नहीं छूटती तो क्या इसलिए शराब बंद नहीं करनी चाहिये। अगर किसी को जहर पिलाना हो और सरकार शराब पिलाए तो एक ही बात है क्योंकि मैं उसको जहर ही मानती हूं। मैं समझती हूं यह बहुत निंदनीय है। शराब की आय पाप की आय है, ऐसा हमारे पुरखों ने कहा। मैं कहना चाहूंगी....

श्री हेतराम बेनीवाल : इन नेताओं को तो बंद कर देना चाहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं हेतराम जी, आपको बंद करके 12 साल नहीं खोलूंगी। आप जरा चुप रहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह बात सच है कि हमारे संविधान में भी यह क्लाज है कि हम धीरे धीरे इसको बंद करेंगे और महात्मा गांधी ने यह कह दिया था कि मुझे यदि एक घंटे भी राज करने का मौका मिले तो मैं बिना कम्पन्शेसन दिये सारी शराब की दुकानें बंद कर दूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बिराजमान हैं। गोकुल भाई भट्ट को जो हमारे जेल के साथी रहे और हमारे श्रद्धास्पद रहे, उनसे हमने वायदा किया था कि शराब बंद करेंगे, इसके लिए कमेटी बनाई जानी थी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपकी सरकार वादा खिलाफी करती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : देखिये, आप मेरे बीच में ना बोलें वरना मैं आपको उलट कर जवाब दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी सुनें। मुझे बात कहने दें, इन्हें रोके।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि यह विषय आपका बहुत प्रिय विषय है। आप बहुत ज्यादा आगे नहीं जायें। थोड़े से में समाप्त कर दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई गई थी, उसका समय समाप्त हो रहा था तो मुझे कहा गया था हम इसका समय और बढ़ायेंगे, आप हमें यह राय दें कि शराब कैसे बंद की जा सकती है और क्या किया जाय ? यह आपकी सरकार के समय की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और आबकारी मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि उस कमेटी को पुनर्जीवित करें और समाज में अपराध फैलाने वाली जो चीज है, समाज को नीचे की ओर ले जाने वाली चीज है, इसको बंद करने के लिए आप कोई समुचित कदम उठायेंगे। मैं इस आशा से मेरा संशोधन रख रही हूं और माननीय कल्ला साहब और कांग्रेस के पक्ष को यह पक्ष रखने का अधिकार ही नहीं है कि वो अब हमें 12 सूत्री कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम याद दिलायें जिन सूत्रों को आपने खुद ने नहीं माना, मैं पूछना चाहती हूं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : कैसे नहीं माना, टेम्प्रेंस प्रोग्राम लागू किया था हमने, आपको तो केवल विरोध के लिए विरोध करना है। अभी क्या होना है, इसके बारे में तो आप बोल ही नहीं रही हैं। पता नहीं आपका दृष्टिकोण ही पूर्वाग्रह से भरा हुआ हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो छोटा सा संशोधन है मैं आपसे इसी के माध्यम से कहना चाहूंगी कि स्कूलों के पास, कच्ची बस्तियों के पास या ऐसी जगहों पर शराब की दुकानें हैं, उनको तत्काल बंद करें। आज सुबह ही रींगस के बारे में बात हो रही थी। एक ओर तो यह क्लाज रखा हुआ है कि जहां लोग, नागरिक कहेंगे कि शराब की दुकानें नहीं खोली जांय तो वहां बन्द कर देंगे। जहां झगड़े हों, बार बार कई शिष्टमण्डल मिले लेकिन वहां पर भी शराब की दुकानें बन्द न करना, मैं सोचती हूं यह गलत तरीका है। आप इस तरीके को सुधारेंगी। मैं वह निवेदन करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्षजी बड़ी विचित्र स्थिति है कि सरकार एक तरफ समाज कल्याण मंत्रालय के माध्यम से नशामुक्ति अभियान चलाती है और लोगों को नशा मुक्त करने का काम करती है। दूसरी तरफ एक्साइज और ट्यूरिज्म डिपार्टमेण्ट के माध्यम से शराब बेच कर लोगों को नशा करने की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह दोनों विभाग एक्साइज और ट्यूरिज्म दोनों विभाग महिलाओं को दे रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई सदस्यों ने अपनी बात कही कि हमको एक्साइज से काफी रेवेन्यू हासिल होता है। (व्यवधान)

माननीय उजलाजी, जब आप बोलती हैं और कोई बीच में बोलता है तो आपको आपत्ति होती है और आप अब बीच बीच में बोल रही हैं। जो फाइनेन्शियल क्राइसेस की बात है, यह गलत है। इसके दोनों आस्पेक्ट्स को सोचा ही नहीं गया। अगर हम शराब बन्दी लागू कर देंगे प्रदेश में तो कोई फाइनेन्शियल क्राइसेस नहीं होगा। वही पैसा जो एक्सीडेण्ट हो जाता है शराब पीकर गाड़ी चलाने से, उसके ऊपर चिकित्सा विभाग के माध्यम से खर्च किया जा रहा है। जैसा कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हर बुराई की जड़ और हर अपराध की जड़ शराब है। शराब पीने से अपराध बढ़ते हैं। जिन क्षेत्रों में आज ज्यादा क्राइम हैं चाहे गंगानगर हो, चाहे दूसरी जगह हो वहां शराब की बिक्री भी अधिक है और क्राइम भी वहां पर ज्यादा हैं। यह इस बात का प्रमाण है। तो आप चाहे पुलिस के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे आप न्यायालय के माध्यम से खर्च कर रहे हैं, चाहे दुर्घटना या आपस में लड़ने झगड़ने से लोगों को चोट पहुंचती है उसका इलाज करने के लिए चिकित्सा विभाग के माध्यम से खर्च कर रहे हैं। इन सारे विभागों में खर्च में कटौती करनी है तो एक्साइज डिपार्टमेण्ट के माध्यम से जो आय प्राप्त हो रही है, मैं

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

समझता हूं अगर राजस्थान में पूर्ण रूप से नशा बन्दी लागू कर दी जाय तो सरकार को आर्थिक रूप से कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे कहते यह बड़ा दुःख है कि माननीय शेखावत साहब ने 1977 में जब मुख्य मंत्री रहे तब चाहे बालकिशनजी थानवी के अनशन के कारण, चाहे भारत सरकार के प्रधान मंत्री माननीय मोरारजी भाई के निर्देशों के आधार पर नशा बन्दी लागू की होगी। +++माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 7 फरवरी की बात आपको बताना चाहता हूं (व्यवधान) मैं नाम बता रहा हूं। (व्यवधान)

आप बैठिये। सुनिये तो सही। जो खड़े हुए हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह असत्य बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 तारीख को ठण्ड पड़ी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :+++

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक शब्द है इसको एक्सपंज किया जाय।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर दीजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं अभी नाम बता रहा हूं, आप बैठ जाइये, आपके लिए कौन कह रहा है। मुझको अपनी बात कहने दीजिये।

श्री डूंगरराम पंवार अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष : वह मैंने एक्सपंज करवा दिया है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद :+++ आपको तो खड़े होने का अधिकार ही नहीं है आप तो बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : यह शब्द एक्सपंज कर दीजिये। आप बोलिये अब। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं ऐसा नहीं है जो नहीं पीते हों उनको भी डांटता हूं। जो पीते हैं उनको डांटता हूं।....

श्री डूंगरराम पंवार : आपने दो बोतलें लाकर दी थीं....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपको रोज देखता हूं।....(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार :+++

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपको तो बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। +++(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी बैठिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे मेरी बात कहने दीजिये। माननीय अध्यक्ष

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

महोदय, मंत्रिमण्डल तो राजस्थान में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब कौन शराब पीता है कौन नहीं पीता है, यह मत....(व्यवधान)

आप बोलिये इस विषय पर।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं इस पवित्र सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक प्रस्ताव पारित करके और राजस्थान में सम्पूर्ण नशाबन्दी लागू करने का प्रस्ताव रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार इस विधान सभा में पहले भी और जब से नयी विधान सभा का गठन हुआ है उस समय से मैंने हर बार विधान सभा के इस प्रांगण में यह मामला उठाया और यह भी कहा कि जहां मन्दिर, मस्जिद, स्कूल और जो सार्वजनिक स्थान हैं। वहां से तुरन्त प्रभाव से एक ही आदेश जारी करके पूरे राजस्थान में शराब की दुकानें दूर हटा दी जायें। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज दिन तक हमारे सामने आबकारी मंत्रीजी विराजमान हैं उन्होंने आश्वासन दिया परन्तु असर कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक जो दुकानें थी वह वहीं की वहीं दुकानें खुली हुई हैं। इसलिए कृपा कर, आज मुझे ऐसा लग रहा है, आप मूड में दिख रहे हैं कि आज कुछ न कुछ आदेश करने जा रहे हैं। कृपया आप यह आदेश करें कि जो मन्दिर, मस्जिद, स्कूल और सार्वजनिक स्थान हैं वहां से एक किलोमीटर दूर...

श्री अध्यक्ष : जायल से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री रतनाराम चौधरी : एक निवेदन है। जो ड्राइवर जैसा कि आपने कहा कि उसका ज्यादा एक्सीडेण्ट ड्राइवरों के दारू पीने से होते हैं। यह भी बात सही है अगर कहीं भी ड्राइवर दारू पीया हुआ पाया जाता है उसका तुरन्त प्रभाव से लाइसेंस रद्द कर दिया जाय। इसके लिए एक कानून बना देना चाहिये। इसलिए मंत्रीगण... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ड्राइवर चाहे किसी का हो।

श्री रतनाराम चौधरी : हां, किसी का हो। इसलिए कृपा कर आज इस पर एक्साइज डिपार्टमेण्ट है उस पर कार्यवाही करिये यही मेरी गुजारिश है।

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करता हूं, एक कोई कविता सुनाता हूं।

श्री अध्यक्ष : सुनाइये लेकिन ज्यादा लम्बी न हो।

श्री मोहनलाल बारूपाल : हां, कविजी क्या कह रहे हैं "दारू बारू जगत में दुर्णा लागे दाम, पैसा न आवे किसी के काम, कोई ना आवे काम दोष काया के लागे और बहन भाणजी, माता, मांसी दूरी करके भागे, रामधन सांची कहें सभी बतावे कारु, और जमसीर जूता मारसी क्यों न छोड़े दारू दारू पीवे मानवी हाथा लगावें जोश, भ्रष्टा

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

मूत्र की गलियों में पड्या रहे बेहोश, पडया रहे बेहोश फेर मूंडो कुत्ता चाटे, और मन में आवे ज्यूं बकें लोग सिर मारे साटे, रामधन साची कहे थारे सिर पर धूल मारु, जमसीर जूता मारंसी क्यों न छोड़े दारू।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरे बोले बिना समापन भी कैसे होगा। (व्यवधान) +++

श्री अध्यक्ष : यह बात यहां क्यू बता रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : दोस्त लोग पूछ रहे हैं इसलिए मैंने बता दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व साथियों ने मन्दिर और मस्जिद के पास शराब की दुकानें न खोलने बाबत जो कहा उसका तो मैं समर्थन करता ही हूं। इसके साथ ही मैं एक निवेदन माननीय मंत्री महोदया से करना चाहूंगा कि....(व्यवधान)

आप तो इसके नाम से वोट मांग रहे हैं, मैं तो बात ही कह रहा हूं। आप तो मन्दिर, मस्जिद के नाम से वोट मांग रहे हैं। जो मन्दिर और मस्जिद के पास नहीं, हो उसका तो मैं समर्थन करता ही हूं। साथ में एक निवेदन यह और करना चाहूंगा कि विशेष रूप से हरिजन बस्तियों में और पिछड़ी हुई बस्तियों में शराब की दुकानें यदि कहीं हों तो उन्हें भी हटाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। एक तो हरिजनों में, पिछड़ी बस्तियों में आमदनी कम होती है साथ ही यह देखा जाता है कि इन लोगों में शराब की आदत कुछ विशेष होती है और घर के बाहर ही यदि शराब मिलती रहेगी तो बड़े आराम से घर से बाहर निकलेंगे और अपनी आमदनी का अधिक खर्च घर के बाहर ही शराब पर कर देंगे। इसके लिए आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि ऐसी पिछड़ी बस्तियों में, हरिजन बस्तियों में विशेष रूप से पाबन्दी लगायी जानी चाहिये। (व्यवधान)

अब यह तो सरकार तय करे। इसके साथ ही एक मैं निवेदन और करना चाहूंगा कि विशेष पर्व के दिन, राजस्थान में कई तरह के पर्व होते हैं, हिन्दुओं में और मुसलमानों में सभी तरह के पर्व होते हैं, मेरा निवेदन होगा कि ऐसे पर्व विशेष पर विशेष रूप से शराब बिक्री पर पाबन्दी होनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : गणगौर, तीज पर क्या ?

श्री राजेन्द्र पारीक : गणगौर, तीज पर तो हो ही। साथ ही सारे ऐसे त्यौहारों पर जिन पर शराब पीकर लोग उद्यम-बाजी करते हैं, कई बार विशेष रूप से महज झगड़े इसलिए होते हैं कि लोग शराब पीकर आतंक मचाते हैं और उनके झगड़े होते हैं। मैं पर्व विशेष की घटना आपके सामने ध्यान कर रहा हूं, यह विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूं कि कुछ दिनों पहले खाटू श्यामजी के मेले में जो व्यवस्था थी उसमें हमारे वहां के प्रशासन ने ऐसी

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

व्यवस्था दी कि हम शराबबन्दी नहीं करेंगे। उसको लेकर के वहां मेले में कई तरह की अव्यवस्था फैली। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना करना चाहूंगा कि ऐसे पर्व विशेष पर, जिस तरह से आप 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो करते ही हैं, ऐसे पर्व विशेष पर लोगों को कुछ खर्च करने की उमंग होती है, इन पर विशेष रूप से पाबन्दी लगाई जानी चाहिये। यदि सरकार को इन छोटी मोटी पाबन्दियों से कोई नुकसान भी होता है तो दूसरी तरफ हजार तरह के और भी खर्चे होते हैं। सामाजिक सुधार के चलते, अनायास ही जो दंगे फैलते हैं उनको रोकने के लिए सरकार यदि छोटे मोटे खर्च वहन भी कर लेगी तो इससे सरकार को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान, वैसे बात तो बड़ी साधरण सी है लेकिन उसके परिणाम कई बार बड़े घातक होते हैं। कई बार होता क्या है गांवों में शराब के ठेकेदार और कच्ची शराब निकालने वाले लोग दूसरे लोगों की जमीन में अपनी शराब की बोतल वगैरह उसको छुपा कर रख देते हैं शराब के ठेकेदार और एक्साइज के आफिसर वगैरह जब अपनी फौज के साथ वहां जाते हैं तो उस दूसरे व्यक्ति की जमीन में से जो शराब बरामद करते हैं। तो केवल महज इसलिए कि वह जमीन उसकी है, उसकी जमीन में यह शराब मिली है इसलिए उसके मालिक को पकड़कर उसके खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं। जबकि, उस शराब से उस मालिक का कोई लेना देना ही नहीं होता है तो इस मामले में आप अपने विभाग को विशेष रूप से निर्दिष्ट करिए कि कम से कम उस आदमी की आप आइडेंटिटी तो चैक करें कि जिसके यहां से वह शराब मिली है वह आदमी किस तरह का है, उसका सोशल स्टेट्स क्या है ? क्या वह इस तरह के धंधों में लिप्त है ? बिना इसके अगर उस पर इस तरह के चार्जेज लगाकर के केस बना दिया जाता है जैसे अभी थोड़े दिनों पहले सीकर में लक्ष्मणसिंह नाम का एक आदमी था। उसके लड़के पर एक केस बना। मैं पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को जानता हूं उसके परिवार को जानता हूं। उसका आइडेंटिटी कतई डाउटफुल नहीं है लेकिन महज इसलिए कि उस व्यक्ति विशेष की जमीन में शराब की कुछ बोतल मिल गयी उसको थाने में बंद कर दिया और उस पर केस बना दिया जबकि वह विद्यार्थी है। मतलब किसी भी तरह से वह इन बातों में लिप्त नहीं है तो माननीय मंत्री महोदय आप यह जो छोटी मोटी बातें हैं, जिससे किसी आदमी के व्यक्तित्व पर बड़ी भारी चोट पहुंचती है तो आप अपने विभाग को निर्दिष्ट करिये इन मामलों में कि कम से कम कि जिस व्यक्ति विशेष की जमीन पर आप यह केस बनाने जा रहे हैं उस व्यक्ति का इन सब कामों से लेना देना हैं या नहीं। इन बातों में कोई परेशानी नहीं होती हैं आदमी का सोशल स्टेटस छुपता नहीं है। आप विशेष रूप से निर्दिष्ट करें।

श्री सभापति : सुमित्राजी बोल रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहती

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

थी कि विद्याजी जैसी विदुषी को आपने दारूवाली बनाकर छोड़ दिया। यह महकमा हिन्दुस्तान में कहीं भी किसी महिला के पास नहीं है। इतनी सक्षम इतनी विदुषी महिला को दारूवाली बनाकर छोड़ दिया, यह महकमा किसी और को दे दो कम से कम इनके पास तो मत रखो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय, अपने उत्तर में एक बात बता दें कि यह दुकानें शाप एक्ट के तहत....

श्री अध्यक्ष : श्री झामनानी जी। उजलाजी, आप बैठिए।

श्री हरीश झामनानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किस तरह से सरकार का....

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं दारु वाले महकमे के लिए श्री मिगलानीजी का नाम प्रपोज़ करता हूं।

श्री हरीश झामनानी : आभार व्यक्त करूं कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों के भाव किस तरह से बढ़ रहे हैं, गेहूं और अन्य चीजों के भाव किस तरह से बढ़ रहे हैं। उन पर अंकुश पाने की जगह, उन पर रोक लगाने की जगह, राज्य सरकार जिसको नशाबंदी करनी चाहिए उसकी जगह शराब के जो भाव आये वर्ष में इतने निम्न करके राजस्थान की जनता को क्या देना चाहती हैं इसको जानकर मुझे ताज्जुब हो रहा है। केसर कस्तूरी का भाव जो वर्तमान में 30 रु. 40 पैसे है उसको 20 रुपए से घटाकर के केवल 11 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। मुझे इस बात का दुख है। मुझे एक बात और देखकर ताज्जुब हो रहा है कि राजस्थान में कोका कोला और थम्स अप जो साधारण पेय हैं उनके भाव साढ़े तीन और चार रुपए हैं। राज्य सरकार ने, आबकारी विभाग ने जो आने वाला वर्ष है 91–92 उसमें उससे भी कम दर पर शराब 3.30 रु. और सांठिया 2.60 पैसे प्रति बोतल बेचने का प्रस्ताव ठेकेदार को किया हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार राज्य की जनता को क्या देना चाहती है। जहां एक ओर सदन में इस प्रकार की मांग उठ रही है कि शराबबंदी होनी चाहिए वहां सस्ती दर पर शराब करके राज्य में और नशाबदी करने की स्थिति हो रही है। एक और बात।

श्री राजेन्द्र पारीक : सस्ती इसलिए कर रहे हैं कि दारू पीयो और दंगे करो।

श्री हरीश झामनानी : एक बात और समझ में नहीं आती है कि 91–92 में आबकारी विभाग ने देशी मदिरा की दुकानें 17 और नयी खोलने की व्यवस्था की है और विदेशी मदिरा की 47 दुकानें। राज्य में वैसे ही बहुत दुकानें हैं। इस प्रकार से नयी दुकानें खोलकर के जहां सदन में इस प्रकार की मांग हो रही है कि दुकानें बंद की जाय नशाबंदी की जाय वहां नयी दुकानें और खोलकर राज्य की जनता को क्या देना चाहते हैं, यह समझ से बाहर है। इस प्रकार की रीति-नीति के लिए मैं आबकारी मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि वह शराबबंदी को करने के लिए व्यवस्था करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय

(श्रीमती विद्या पाठक)

सुमित्रा जी की बात का सबसे पहले जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने यह कहा, अच्छी भली महिला को दारुवाली बना दिया...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विदुषी।

श्रीमती विद्या पाठक : धन्यवाद। मैं यह कहना चाहूंगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विभाग है सरकार का विभाग है और आब्जेक्टिवली उसमें बिना खुद इंडल्ज किये, बिना खुद पिये या बिना खुद प्रोवाइड किये अगर इसको रेगुलेट करना है तो आब्जेक्टिवली कोई काम करने में कहीं कोई बुराई नहीं है।

साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर यही बात रिपीट करना चाहूंगी कि लिकर ट्रेड कोई सोशल सैंक्शन्ड ट्रेड नहीं है और शराब पीना भी सोशली सैंक्शन्ड नहीं है। इसलिए जो लोग पीते हैं वह लोग भी बिल तक के लिए जोर नहीं देंगे अगर ठेके से शराब ले भी जायेंगे तो ठेके से खुली शराब शराब ले जाने में आपत्ति करेंगे यह बड़ी अच्छी बात है कि अगर सरकार बंद करे, यह बिल/अध्यादेश भी पारित कर दे तो शराब पीने वाले कम नहीं होंगे, वह पीने से बाज नहीं आयेंगे। इसलिए जरूरी है कि इसके लिए एजूकेशन, सोशल एजूकेशन सामाजिक वातावरण, घरों में संस्कार और इस तरह के संस्कारों को पनपाया जाये। जिसका दायित्व समाज पर विशेष रूप से है पर हम लोग जो समाज के मूल अंग हैं उन लोगों का राजनीति के अतिरिक्त यह एक्जीक्यूटिव रोल भी होना चाहिये। तब ही हमारी राजनीति सार्थक होगी।

अभी बहुत सारे विषयों पर आपत्ति की है, माननीय सदस्यों की चिन्ता बाजिव है। श्रीमती गांधी की बात और उनके टेम्परेस्ट प्रोग्राम की भी बात की है। अजीब पेराडाक्स है। जब शराबबंदी थी उसको तो खोला और उसके बाद टेम्परेस्ट प्रोग्राम की उस पर टोपी लगा दी जिसमें कोई चीज नहीं है, जिसका कोई अर्थ भी नहीं है परन्तु सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हुए माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। शिक्षण संस्थाओं के पास, मंदिर और मस्जिद के पास और इस तरह के स्थानों के पास, हरिजन बस्तियों के पास शराब की दुकानें होने संबंधी कठिनाई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो वर्ष पूर्व दो वर्ष के लिए ठेके हुए थे। उस वक्त तत्कालीन नियम जो थे उन नियमों में अनुपालना न हुई हो तो यह हो सकता है पर इस बार जो नियम बनाये गये हैं जिनकी कापी मैं माननीय सदस्यों को 1 अप्रेल के बाद तुरन्त ही वह नियम सर्कूलेट करने की इच्छा रखती हूं जिनमें इन संस्थाओं से संबंधित दूरी कितनी होगी, कहां कहां शराब के ठेके हो सकते हैं, आदि की जानकारी होगी ताकि माननीय सदस्य भी उस पर निगरानी रख सकें।

माननीय सदस्य जो उदयपुर से पधारे हैं उन्होंने यह भी कहा है कि आबकारी विभाग से वन वासियों को दिक्कत आती है। इसको रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। आदिवासी समस्या और इसी को देखने के लिए एक कमेटी बनायी गयी है कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों का एक्सप्लायटेशन भी न हो, ठेकेदारों या विभाग के द्वारा ज्यादती न हो।

(श्रीमती विद्या पाठक)

और उसके लिए क्या नीति बनायी जानी चाहिये इस समिति के प्रस्ताव आने पर उस पर विचार किया जायेगा।

माननीय सदस्य रतनारामजी ने कहा है कि ड्राइवर पिये हुए हो तो उस बस का और उस ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए। सरकारी ड्राइवर, चाहे गैरेज के हों या यातायात विभाग के हों या कोई भी व्यक्ति जो ड्यूटी पर पिया हुआ पाया जाय उस पर अनुशासनात्मक कार्य–वही हो, यह तो नियमों में है ही। उसको थोड़ा एनफोर्स करने की आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्यों को भी यह निवेदन करूंगी कि जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो उसमें एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति होने के नाते रिपोर्ट को और उसको थोड़ा फालोअप करें।

अजमेर से पधारने वाले माननीय सदस्य का आज एक प्रश्न था। उस प्रश्न का उत्तर आया है और उस उत्तर के आधार पर शराब को और सस्ती कर दिया गया है, ऐसा उन्होंने बताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो माननीय सदस्य को एक अप्रेल के बाद जब कभी खरीदेंगे तो ही पता लगेगा कि शराब के दाम कम हुए हैं कि नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करती हूं कि आज यह जो बिल रखा गया है, राजस्थान एक्साइज एक्ट, 1958 के सैक्शन 30 (ए) के अन्तर्गत विभाग की ठेकेदारों में आने वाली कोई भी ड्यूटी, राशि, फीस या दूसरी कोई भी डिमाण्ड अगर वे निर्धारित समय में चुकाते नहीं हैं तो यह पैनल्टी प्रोविजन है जो पहले 3 महीने के लिए उस राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज हुआ करता था, उसको अब बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया है और उसके बाद भी यदि राशि नहीं दी जाती है, भुगतान नहीं किया जाता है तो 24 प्रतिशत उनको पैनल्टी प्रोविजन के अन्तर्गत भुगतान करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी श्योरिटी, सोलवेंसी, और भी बहुत सारे प्रोविजन्स हैं उन ठेकेदारों इस चीज के लिये पाबन्द करने के लिए ताकि वे समय से भुगतान कर दिया करें। इससे कुछ बकाया कम होगी। ठेकेदार बैंक-आउट करने से पहले कुछ सोचेंगे क्योंकि उनकी काफी राशि विभाग में फंसी हुई होगी और पैनल्टी भी भारी होगी। दूसरे और बन्धन भी उन पर जो लगाये गये हैं, इससे रिकवरी चुस्त होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बकाया संबंधी पिछली बार भी सदन में एक प्रश्न आया था, अबकी बार भी एक प्रश्न आया है। पिछले 1982–83 में जितनी भारी रकम बकाया है इस तरह की रकम बकाया नहीं रहे, इसके लिए यह प्रोविजन इस साल और सख्त किये गये हैं ताकि पेमेंट उनके पास से आ सके।

विधेयक का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक 1991 पारित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

समिति का गठन

वित्तीय समितियों का निर्वाचन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना करना है कि राजस्थान विधान सभा की वित्तीय समितियों अर्थात् राजकीय उपक्रम समिति, 1991–92, प्राक्कलन समिति (क), 1991-92 के लिए निम्नांकित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

राजकीय उपक्रम समिति 1991–92

1. श्री कुंजीलाल (20)
2. ,, गुलाम मुस्तुफा खान (31)
3. ,, गोविन्द सहाय (35)
4. ,, गोविन्द सिंह गुर्जर (36)
5. डा. जितेन्द्र सिंह (54)
6. श्री नन्दकिशोर शर्मा (200)
7. ,, प्रद्युम्न सिंह (81)
8. ,, श्री रघुवीर सिंह कौशल (125)
9. ,, राजेन्द्र गहलोत (133)
10. ,, रामकरण चौधरी (135)
11. ,, रामनारायण बैरवा (141)
12. ,, रामसिंह विश्नोई (148)
13. श्रीमती सुमित्रा सिंह (177)
14. श्री सुरेन्द्र व्यास (179)
15. ,, हजारी लाल (182)

प्राक्कलन समिति (क) 1991–92

1. श्री कन्हैयालाल मीणा (13)
2. ,, खंगारसिंह चौधरी (26)
3. ,, चन्दन मल वैद (40)
4. ,, चुन्नीलाल खण्डार (45)
5. ,, जगजीत सिंह (49)
6. ,, परसादीलाल मीणा (77)
7. ,, पूनमचन्द विश्नोई (79)
8. ,, बंशीलाल पटवा (88)
9. ,, मनोहर सिंह (108)
10. ,, रामेश्वर दयाल यादव (150)
11. ,, लक्ष्मी नारायण दवे (155)
12. ,, शम्भूदयाल बड़गूजर (161)
13. ,, शिवकिशोर सनाढ्य (164)
14. श्रीमती सुचित्रा आर्य (175)
15. डा. हरि सिंह (189)

सदन की कार्यवाही दिनांक 27–3–1991 के प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 6.43 बजे बुधवार, दिनांक 27 मार्च, 1991 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट— 1

तारांकित प्रश्न संख्या 143 का विवरण

श्री वीर तेजाजी पशु मेले के लिये प्रसाद के ठेके से प्राप्त आय का विवरण।

वर्ष 1970 से 1990 तक

क्रम संख्या	वर्ष	राशि
1.	1970	6521/–
2.	1971	7001/–
3.	1972	7321/–
4.	1973	6500/–
5.	1974	5100/–
6.	1975	7251/–
7.	1976	9061/–
8.	1977	8400/–
9.	1978	7901/–
10.	1979	7025/–
11.	1980	8001/–
12.	1981	7615/–
13.	1982	9001/–
14.	1983	9501/–
15.	1984	8501/–
16.	1985	11011/–
17.	1986	10021/–
18.	1987	10501/–
19.	1988	11001/–
20.	1989	11501/–
21.	1990	14801/–

(193)

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 145 की सूची

पंचायत समिति सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन (पंचायत समिति खारची) की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की जनवरी, 1990 से अब तक (23–2–1991) स्वीकृत हरिजन बस्ती योजनाओं में सम्मिलित हरिजन बस्तियों की सूची :—

क्र. सं. ग्राम का नाम	कोड संख्या	पंचायत समिति	हरिजन बस्ती का नाम	स्वीकृत रोड लाइटों की संख्या
1. (अ) चंडावल	15–2–81	सोजत	1. रैगर) 2. सरगरा)	10
2. (ब) चंडावल	15–2–81	सोजत	1. बगरी बस्ती) 2. कोली बस्ती) 3. हरिजन बस्ती)	11
3. गुढ़ा सूरसिंह	15–5–84	खारची (मारवाड़ जंक्शन)	1. मीणों का बांस) 2. मेघवालों का बास)	9
	योग	7 बस्तियां		30

(194)

परिशिष्ट—3

अल्प सूचना प्रश्न.की.प्रति

From

H.H. The Maharaja of Alwar.

To

Seith Amoluk Chand and Seith Nathi Mal proprietors of the Kothes of Lala Harmookh Rao Gobind Ram, Sahukars Bulandshahr.

Trustee Well Wishers,

I am exceedingly pleased to learn that you have erected a Steam-Cotton Press as Alwar at yonr own expense, as it will, beyond question, prove beneficial to the interests of the State. As a mark of my approval of your public spirit, I have determined to cinfer on you a "Khillut" of seven pieces, and to intimate that the State will be prepared to recognise your future exertions by assisting your efforts. It is advisable you should maintain this industry and retain this document as your authority.

Sd/–

Ex–1 (Sri Ram),

12th, September, 1984. Dewan.

True Copy

Sd/–Chhotu Singh

Advocate

195

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

पेन्शन, ग्रेचुएटी व जी. पी. एफ. के विचाराधीन मामले

152. **श्री हुकमाराम** (सिवाना) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रान्त में ऐसे कुल कितने प्रकरण पेंशन, ग्रेचुएटी एवं जी. पी. एफ. के विचाराधीन हैं जिनका भुगतान करना शेष है ? किन कारणों से इनका अब तक निपटारा नहीं किया गया ?

(2) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी पेंशन, ग्रेचुएटी एवं जी. पी. एफ. की राशि के तुरन्त भुगतान की वर्तमान में क्या व्यवस्था है ?

(3) क्या सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन ग्रेचुएटी एवं जी.पी.एफ. के शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) प्रान्त के विभिन्न विभागों से पेंशन विभाग में प्राप्त पेंशन, ग्रेचुएटी प्रकरणों में 465 प्रकरण विचाराधीन है। इन प्रकरणों का विभागीय जांच, न्यायालयों में वाद चलने एवं सेवा संबंधित कमियों के अभाव में निपटारा नहीं किया जा सका है। प्रावधायी निधि विभाग में जी.पी.एफ. के 1610 मामलों का भुगतान करना शेष है जो संबंधित विभागों से स्वत्व प्रपत्र एवं वांछित सूचनाएं प्राप्त नहीं होने तथा संबंधित जिला कार्यालयों में अन्य जिलों से कर्मचारियों के खाते स्थानान्तरण होकर प्राप्त नहीं होने से लम्बित है।

(2) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी ग्रेच्युटी एवं जी.पी.एफ. का भुगतान सेवानिवृति के तुरन्त पश्चात् किये जाने का प्रावधान है तथा पेंशन भुगतान सेवानिवृत्ति की दिनांक से एक माह पश्चात् आरम्भ किये जाने का प्रावधान है।

(3) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेचुएटी एवं जी.पी.एफ. के शीघ्र भुगतान की व्यवस्था निरन्तर जारी है।

बाड़मेर के कृषकों के जीरे की फसल

153. **श्रीमती मदन कौर** (गुढ़ामालानी) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में बाड़मेर के जिले के किसानों को अपना जीरा ऊंझा मंडी (गुजरात) ले जाते समय सरकार की तरफ से विभिन्न रुकावटें डाली गई और इसके फलस्वरूप गांधव पुल पर किसानों को आन्दोलन करना पड़ा था ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों से उनकी फसल को उचित कीमत पर क्रय करने का विचार रखती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आगामी जीरे की फसल आने पर किसानों को उनका जीरा निर्विघ्न ऊंझा ले जाने की छूट देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वाणिज्यिक कर जांच चौकी गांधव के स्थापना दिनांक 18.5.1989 के बाद 28.6.1989 को क्षेत्र के किसानों ने विभिन्न निर्मूल आशंकाओं से ग्रस्त होकर, बकरे के व्यापारियों के सहयोग में एकत्र होकर प्रदर्शन किया। मौके पर ही वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों एवं चैक पोस्ट प्रभारी द्वारा किसानों की समस्याओं आशंकाओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया। निर्मूल आशंकाओं के निवारण के पश्चात किसानों ने प्रदर्शन बंद कर दिया।

(2) जी नहीं। मौजूदा स्थिति में कृषकों का माल मण्डी समितियों द्वारा क्रय करने का कोई प्रावधान नहीं है। अपनी उपज को किसी भी मण्डी समिति में बेचने हेतु कृषक स्वतन्त्र है, इसलिये मण्डी समिति द्वारा विघ्न पैदा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गडरा रोड (बाड़मेर) के छात्रावास की व्यवस्था

154. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम गडरा रोड जिला बाड़मेर में छात्रावास में कितने छात्र रहते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गडरा रोड छात्रावास में लाइट व पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी व्यवस्था करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक करेगी ?

उत्तर

(1) राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, गडरा रोड जिला बाड़मेर में 70 छात्र रहते हैं।

(2) भवन का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया गया था जिसमें बिजली फिटिंग एवं पाइप लाइन की व्यवस्था नहीं की गई थी। छात्रावास भवन में पानी व बिजली की व्यवस्था हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से तख्मीना मांगा गया है। संसाधन उपलब्ध होने पर व्यवस्था कर दी जावेगी।

राज्य में नये जिलों का गठन

155. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार राज्य में निकट भविष्य में नये जिले बनाने का विचार रखती है ? यदि हां तो क्या ब्यावर का नाम उस सूची में शामिल है ?

उत्तर

वर्तमान बजट सत्र में राज्य में तीन नये जिले स्थापित करने की घोषणा मा. मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा की गई है। ब्यावर को जिला अभी बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

घी व दूध की विक्रय दर

156. **श्री मनीराम सियाग** (लूनकरणसर) एवं **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मनीराम सियाग)

(1) राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन ने पिछले दो वर्षों में घी व दूध की कीमत कब–कब व कितनी–कितनी बढ़ाई व अभी सरस घी व दूध की बाजार में बेचने की दर क्या है ?

(2) दूध उत्पादकों से जो दूध ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां लेती हैं उसकी दर फेट सहित प्रति किलो. ग्राम क्या है व दो वर्षों में कितनी–कितनी दरें बढ़ाई गई हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कृषकों से जो दूध लिया जाता है उन्हें प्रति किलो पांच किलो फेट के आगे कीमत नहीं दी जाती है जबकि पूर्व में 10 किलो फेट तक कीमत दी जाती थी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य में चारे, बिनौले, तिलहन, खल, गंवार व पशुओं के चरने के काम आने वाली समस्त चीजों के भाव तीन गुना बढ़ गये हैं और उसके अनुपात में दूध के भाव नहीं बढ़ाने से दूध उत्पादकों को दूध के धंधे में भारी हानि हो रही है, मवेशियों के पालन-पोषण में कठिनाई हो रही है ? क्या फैडरेशन दूध की बढ़ती कीमत के अनुसार दुग्ध उत्पादकों को लाभ देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना व कब से ?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) सूचना परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) डेयरी फैडरेशन द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 91 से गाय के दूध की खरीद दर 34 पैसे तथा भैंस के दूध की खरीद दर में 49 पैसे प्रति किलो की वृद्धि की गई है।

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा पिछले दो वर्षों में "सरस" दुग्ध एवं घी की कीमतों में की गई वृद्धि का विवरण :

(अ) घी की कीमतें :

क्र. सं.	दिनांक	कीमत (रुपये में) (एक किलो पॉलीपैक में)
1.	11 अप्रेल 1989	57.00
2.	16 मई, 1989	60.00
3.	17 जनवरी, 1990	56.00
4.	01 सितम्बर, 1990	60.000
5.	10 अक्टूबर, 1990	64.00
6.	15 दिसम्बर, 1990	66.00
7.	19 जनवरी, 1991	72.00

नोट : वर्तमान में भी घी की कीमतें 72/– प्रति किलो कायम है।

(ब) दुग्ध की कीमतें :—

क्र. सं.	माह एवं वर्ष	खुला दुग्ध	होल मिल्क	टोण्ड मिल्क	गाय का दूध
1.	अप्रैल, 1988	—	5.00	4.00	3 50
2.	मई, 1988	4.00	5.50	4.50	4.70

22 फरवरी, 1989 से दुग्ध कीमतों में की गई वृद्धि का विवरण :

क्र. सं.	शहर का नाम	टोण्ड दुग्ध (पॉलीपैक में)	टोण्ड दुग्ध (खुला)	होल दुग्ध (पॉलीपैक में)	गाय का दुग्ध (पॉलीपैक में)
1.	बीकानेर	5.00	—	6.00	5.20
2.	जयपुर	5.20	4.80	6.20	—
3.	कोटा	5.20	—	6.20	—
4.	उदयपुर	5.20	—	6.20	—
5.	अजमेर	5.00	—	6.00	—
6.	भीलवाड़ा	5.00	—	6.00	—
7.	अलवर	5.00	—	6.00	—
8.	जोधपुर	5.00	—	6.00	—
9.	रानीबाड़ा	5.00	—	6.00	—
10.	हनुमानगढ़	5.00	—	6.00	—

15 दिसम्बर, 1989 से दूध की कीमतों में की गई वृद्धि का विवरण :

1.	जयपुर	5.00	4.40	5.80	—
2.	अलवर	4.80	—	5.80	—
3.	बीकानेर	—	—	—	5.00
4.	उदयपुर	4.80	—	5.80	—
5.	कोटा	4.80	—	5.80	—

199

क्र. सं.	शहर का नाम	टोण्ड दुग्ध (पॉली पैक में)	टोण्ड दुग्ध (खुला)	होल दुग्ध (पॉलीपैक में)	गाय का दुग्ध (पॉलीपैक में)
6.	भीलवाड़ा	4.80	—	5.80	—
7.	जोधपुर	4.80	—	5.80	—
8.	रानीवाड़ा	4.80	—	5.80	—
9.	हनुमानगढ़	4.80	—	5.80	5.00
10.	अजमेर	4.80	—	5.80	—

25 अप्रेल, 1990 से दुग्ध कीमतों में की गई वृद्धि :

1.	अजमेर	5.00	—	—	5.20
2.	अलवर	5.00	—	6.00	—
3.	रानीवाड़ा	5.00	—	6.00	—
4.	कोटा	5.20	—	6.20	—
5.	भीलवाड़ा	5.00	—	6.00	—
6.	उदयपुर	5.20	—	6.20	—
7.	जयपुर	5.30	4.80	6.20	—
8.	बीकानेर	—	—	—	5.20
9.	गंगानगर	—	—	—	5.20
10.	जोधपुर	5.20	—	—	5.20

दुग्ध उत्पादकों से ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा लिये जाने वाले दूध की कीमत तथा पिछले 2 वर्षों में दूध की क्रय कीमतों में की गई वृद्धि का विवरण :

दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां अपने दुग्ध उत्पादकों को निम्न दरों पर दूध की कीमते मुहैया करा रही हैं :—

क्र. सं.	दूध का प्रकार	कीमत
1.	गाय दूध (4 प्रतिशत फैट एवं 8.4 प्रतिशत एस. एन एफ)	3.65 प्रति लीटर
2.	मिक्सड दूध (6.5 प्रतिशत फैट एवं 8.8 प्रतिशत एस. एन. एफ.	4.60 प्रति लीटर

गत दो वर्षों की अवधि में डेयरी फैडरेशन द्वारा दुग्ध दरों में निम्नानुसार वृद्धि की गई है।

दिनांक 1.6.89 से 31.8.89 तक दूध की कम आवक के समय (लीयन सीजन) में निम्न प्रकार दरों पर प्रोत्साहन राशि दी गई :—

क्र. सं.	दूध संकलन की मात्रा	प्रोत्साहन राशि प्रति लीटर पैसे में
1.	शून्य लक्ष्य से 70 प्रतिशत तक दुग्ध संकलन पर	10 अतिरिक्त
2.	71 प्रतिशत से 84 प्रतिशत तक दुग्ध संकलन पर	30 अतिरिक्त
3.	85 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक दुग्ध संकलन पर	20 अतिरिक्त

दिनांक 1-2-91 से निम्नानुसार दूध की क्रय कीमतों में वृद्धि की गई :—

क्र. सं.	दूध का प्रकार	वृद्धि प्रति लीटर पैसे में
1.	गाय दूध	25
2.	मिक्सड दूध	40

सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के चुनाव

157. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के चुनाव कराने के आदेश कब दिये गये ? कितने उपभोक्ता भण्डार के चुनाव सम्पन्न हुए एवं विभाग ने कितने चुनावों को किन कारणों से रोका ?

(2) क्या यह सही है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता ? यदि हां, तो बीकानेर जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार के चुनाव किस आधार पर रोके गये ? क्या यह भी सही है कि प्राथमिक इकाइयों का चुनाव निर्विरोध हो चुका है ? यदि हां, तो निर्विरोध चुनाव कब हुआ एवं चुनाव स्थगित कब किये गये ? क्या इन चुनावों को स्थगित करना न्यायसंगत था ? यदि नहीं तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या दोषी व्यक्तियों का उत्तर-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

दायित्व तय किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण विभाग एवं मंत्री जी की जानकारी में यथा समय आ गया था ? यदि हां तो उस पर सहकारिता विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(4) बीकानेर जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार के द्वितीय चरण के चुनाव एवं अध्यक्ष का चुनाव कब तक करा दिया जायेगा ?

(5) क्या यह सही है कि बीकानेर जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार के प्राथमिक सदस्यों के बनने की राशि 25 से 100 रु. रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति से की गई थी । यदि हां, तो उस स्वीकृति से संबंधित पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें । राज्य में सहकारी संस्थाओं में प्राथमिक सदस्यता शुल्क 25 से 100 रु. और कहां-कहां किया गया ?

उत्तर

(1) राज्य में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों के निर्वाचन कराने हेतु सहकारी विभाग द्वारा दि. 3.9.90 को आदेश प्रसारित किये गये । अब तक कुल 7 सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के निर्वाचन सम्पन्न हो चुके हैं । पांच उपभोक्ता भण्डारों के चुनाव स्थगित किये गये हैं । भण्डारों के चुनाव स्थगित करने के मुख्य कारण प्राथमिक स्तर पर वार्डों का गठन नहीं होने से प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होना, कानून व व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होना, हिस्सों की कीमत बाबत आपत्ति होना रहे हैं ।

(2) जी हां । किन्तु बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु प्रक्रिया जो दिनांक 15.10.90 को प्रारंभ होनी थी, उसे ही संयुक्त रजिस्ट्रार, स. स. बीकानेर ने आदेश दिनांक 11.10.90 से स्थगित किया गया है । प्राथमिक इकाई के रूप में प्रतिनिधियों के निर्विरोध निर्वाचन दि. 6.10.90 को भण्डार स्तर पर घोषित किये गये जबकि प्राथमिक स्तर के दि. 13.10.90 को होने वाले मतदान रोकने बाबत रजिस्ट्रार सहकारी विभाग के आदेश दि. 4.10.90 के अनुसरण में संयुक्त रजिस्ट्रार बीकानेर द्वारा दि. 11.10.90 को आदेश प्रसारित हुए हैं । हिस्सा राशि 25 रु. प्रति हिस्से से 100 रु. प्रति हिस्से करने सम्बन्धी संयुक्त रजिस्ट्रार, बीकानेर के धारा 4(2) में उपनियम संशोधन बाबत आदेश दि. 2. 1. 90 को उपनियम की धारा 128 में निगरानी में स्थगित किया जाने बाबत आदेश राज्य सरकार के स्तर से 6.10.90 को जारी हुए हैं । भण्डार को हिस्सा की कीमत पर आपत्ति होने के कारण सामान्य न्याय की दृष्टि से संचालक मंडल का निर्वाचन कराने हेतु प्रक्रिया जारी ही नहीं करना उचित था । प्रकरण अभी विचाराधीन है ।

(3) जी, हां । कार्यवाही विचाराधीन है ।

(4) इस निर्वाचन के संदर्भ में 2 प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन हैं, जिन पर स्थगन आदेश भी दिये हैं । एक प्रकरण में राज्य सरकार के स्तर पर फैसला होना है तथा रिट याचिका क्रमांक 4219/90 में

(सहकारिता मंत्री)

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा फैसला होना है । इन फैसलों के पश्चात निर्वाचन कराना सम्भव हो सकेगा ।

(5) जी, हां। अनुमति सम्बन्धी पत्र दिनांक 7.8.89 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। किन्तु सहकारी विभाग के निर्देशान्तर्गत जारी संयुक्त रजिस्ट्रार बीकानेर के आदेश को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 6.10.90 को स्थगित किया गया है। राज्य के अन्य जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डारों में हिस्सा राशि बढ़ाने का संशोधन नहीं किया गया है ।

ग्राम पंचायत मलार (जोधपुर) के क्षेत्र में कृषि भूमि का आवंटन

158. **श्री पूनमचन्द विश्नोई(फलौदी):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत मलार पंचायत समिति बाप जिला जोधपुर के क्षेत्र में तहसील फलौदी की भूमि अलाटमेंट कमेटी ने वर्ष 1990 में कृषि हेतु भूमि का आवंटन किया था ?

(2) इस समिति ने किन किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या समिति ने उस भूमि को जहां नमक पैदा होता है और जो नमक विभाग को हस्तांतरित हो चुकी थी उसको भी गलत ढ़ंग से आवंटित कर दी ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी भूमि दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सूची (परिशिष्ट 'क') सदन की मेज पर रख दी है।

(3) जी नहीं । समिति ने नमक विभाग को हस्तान्तरित भूमि में कोई आवंटन नहीं किया ।

सहकारी विभाग
राजस्थान–जयपुर।

क्रमांक– फा. 4(16) सविरा/उप/2/7 दिनांक 7.8.89

जनरल मैनेजर,
बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लि.
बीकानेर।

विषय —सदस्यों की हिस्सा राशि का मूल्य बढ़ाने के लिए उपनियमों में संशोधन करने हेतु।

प्रसंग— आपका पत्र क्रमांक 695 दिनांक 4.8.89

203

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके प्रासंगिक पत्र में अंकित सुझाव पर विचार करने के बाद विभाग की ओर से आपको यह अवगत कराना उपयुक्त होगा कि भंडार के हित में यदि व्यक्तिगत सदस्यों की हिस्सा राशि 25 रु. से बढ़ाकर 100 रुपये करना आप उपयुक्त समझते हैं तो इस संशोधन में यह व्यवस्था भी रखना उचित रहेगा कि जो सदस्य अपनी हिस्सा राशि 100 रुपये एक मुश्त जमा कराने की स्थिति में न हो उनसे उक्त राशि 50-50 रुपये की दो किश्तों में भी ली जा सकती है।

आपने सदस्यों को जो रिबेट 5 प्रतिशत कपड़े, दवाओं आदि पर देने का पत्र में उल्लेख किया है उसके विषय में भी मेरा सुझाव है कि नियंत्रित उपभोक्ता वस्तुओं पर इस प्रकार की छूट नहीं देनी चाहिए चाहे वह कपड़ा हो या अन्य सामान हो। छूट की सीमा निर्धारित करते समय कृपया उक्त आइटम पर भंडार को लाभ का क्या मार्जिन मिलता है और उस पर प्रशासनिक व्यय आदि कितना आता है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए ताकि दी जाने वाली छूट शुद्ध लाभ के एक निश्चित सीमा में ही रहे।

इस पत्र की प्रति संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां बीकानेर को भी पृष्ठांकित की जा रही हैं।

भवदीय
ह./
(एन. के. माथुर)
उप–रजिस्ट्रार (उपभोक्ता)
सहकारी समितियां, राज. जयपुर।

प्रतिलिपि —

संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर को भंडार के प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में पृष्ठांकित की जाती हैं।

ह.

उप–रजिस्ट्रार (उपभोक्ता)

क्र. सं. नाम आवंटित मय पिता का नाम व		ग्राम	आवंटित ख. नं	भूमि का विवरण रकबा एकड़ में	किस्म	पूर्व में धारित भूमि एकड़ में	चयनित नंबर व वर्ष
1. नूर खां पुत्र आदमखां मुसलमान सा.	चारणासी	रिण	10	12.0	बा.चा.	6.0	250/82–83
2. मुबारक पुत्र अलादीन खां ,,	,,	,,	10	20.0	,,	8.0	2743/86–87
3. गाजीखां पुत्र सुमार खां ,,	हिन्डालगोल	,,	10	24.0	,,	—	3/80–81
4. रहीम बग्स कमरदीन ,,	रिण	,,	7	24.0	,,	—	1293/86–87
5. नेकेखां पुत्र फकीरखां ,,	जोड	,,	10	24.0	,,	—	1027/83–84
6. नसरदीन पुत्र कादरबग्स ,,	हिन्डालगोल	,,	10	24.0	,,	2.0	949/83–84
7. ताज मोहम्मद पुत्र अता मो.,,	रिण	,,	13	24.0	,,	—	1015/83–84
8. मीर मो. पुत्र रज्या मो. ,,	जोड	,,	13	24.0	,,	—	1010/84–85
9. गुलजार पुत्र मोहम्मद ,,	जोड	,,	13	24.0	,,	—	1021/84–85
10. आकुखां पुत्र शेरखां ,,	जोड	,,	7	24.0	,,	—	1028/84–85
11. सफी मो. पुत्र छोटूखां ,,	जोड	,,	13	24.0	,,	—	944/84–85
12. बसे खां पुत्र खैर मो. ,,	जोड	,,	10	24.0	,,	—	1013/83–84
13. लालदीन पुत्र अब्दुलकरीब ,,	रिण	,,	13	22.0	,,	06.0	1026/84–85
14. हाफज पुत्र मीर मोहम्मद ,,	रिण	,,	13	20.0	,,	—	1007/82–83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	आलम खां. पुत्र मोबीनखां मुलसमान सा. रिण		रिण	41	24.0	बा.चा.	—	1053/86–87
16.	बवीसोदेवी पत्नी जैकिसन ब्राह्मण		,,	16	25.9	,,	—	932/83–84
17.	भैराराम पुत्र लूणाराम भील मलार		,,	15, 19	24.1+11.4	,,	—	673/85–86
18.	बकताराम पुत्र महेशाराम भील मलार		,,	17	16.4	,,	—	594/01–82
19.	हनीफ पुत्र रमजखां मुसलमान सा. जोड		,,	7	24.0	,,	—	1006/84–85
20.	नूर मो. पुत्र मीर मो. मुस. सा.	रिण	गोदरली	12	24.0	,,	—	1035/83–84
21.	इब्राहिम पुत्र कायमदीन ,,	,,	,,	12	24.0	,,	—	612/81–82
22.	रहीमबग्स पुत्र अब्दुल करीम मुसलमान ,,		,,	12	24.0	,,	—	1056/83–84
23.	अमीन पुत्र सोमीरखां मुसलमान	रिण	रिणगोदरली	12, 67	16+8=24	,,	—	1058/83–84
24.	सफी मो. अब्दुल गफूर ,,	हिन्डालगोल	जोड	43	2.01	,,	9.0	966/83–84
25.	नियालदीन पुत्र मेहरदीन ,,	,,	जोड	7	15.0	,,	—	951/84–95
26.	निहालदीन पुत्र रजामो. ,,	जोड	जोड	293,32	4.8+10.1	,,	—	1012/84–85
27.	मेगराज पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्राहमण मलार		गोदरली	63	16.0	,,	12.0	994/82–83
28.	भाउ खां पुत्र समसदीन मुसलमान	रिण	रिण	64	13.0	,,	—	1244/86–87

इन्दिरा गांधी नहर में सीमेन्ट घोटाला

159. **श्री ईश्वर लाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी नहर में हुए सीमेन्ट खरीद घोटाले की जांच का काम बेरी समिति को सौंपा था ?

(2) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ? क्या समिति ने वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी राजेन्द्र जैन और मुख्य लेखाधिकारी बी.आर. डालमिया को दोषी करार देते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की सिफारिश की है ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार ने इन दोनों अधिकारियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) व (3) बेरी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार के विचाराधीन है।

लाखेरी में न्यायालय की स्थापना

160. **श्री मांगीलाल मेधवाल** (कशोरायपाटन) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले में कहां-कहां, किस-किस स्तर के कितने न्यायालय हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कई वर्षों से लाखेरी में कोर्ट खोले जाने की मांग जनता एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार लाखेरी में कोर्ट खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बूंदी, जिले में निम्न स्थानों पर विभिन्न स्तरीय न्यायालय हैं :—

बूंदी—जिला एवं सत्र न्यायालय	1
बूंदी—अपर जिला एवं सत्र न्यायालय	1
बूंदी—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्याय	1
बूंदी—अपर मुख्य न्यायिक म. न्याय	1
बूंदी—मुंसिफ एवं न्यायिक मजि. न्याय	4
नैनवा—मुंसिफ एवं न्यायिक मजि. न्याय	1

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। धनाभाव के कारण लाखेरी में अभी न्यायालय खोला जाना सम्भव नहीं हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग सवाईमाधोपुर के अधीन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

161. **श्री मोती लाल मीणा** (सवाईमाधोपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग

(श्री मोतीलाल मीणा)

सवाईमाधोपुर के अधीन कुल कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कब से कार्यरत हैं ?

(2) क्या सरकार इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार को किसी कर्मचारी को स्थायी करने के सम्बन्ध में न्यायालय से आदेश प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार व विभाग ने न्यायालय के आदेशों की पालना अब तक क्यों नहीं की ? क्या सरकार निकट भविष्य में न्यायालय के आदेशों की पालना करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? न्यायालय के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग, सवाईमाधोपुर के अधीन कुल 9 दैनिक भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। उनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) इन 9 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से 6 कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी चौकीदार के पदों पर नियुक्त हैं क्योंकि ये पद केन्द्रीय सरकार ने दैनिक वेतन पर ही स्वीकार किये हैं। अतः इन्हें स्थायी करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कनिष्ठ लिपिक है। कनिष्ठ लिपिक की स्थाई नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन के पश्चात ही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति या तो नियोजन कार्यालय से नाम प्राप्त करके या सूचना प्रकाशित करके ही कर सकती है। अब यदि इन कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाता है तो उपरोक्त प्रक्रिया का उल्लंघन हो जायेगा। अतः सरकार वर्तमान स्थिति में इन कर्मचारियों को स्थाई करने का इरादा नहीं रखती है। इसके अतिरिक्त ये सारे पद केन्द्रीय सरकार के खर्चे, पर अस्थाई हैं। यदि इनकी नियुक्ति स्थाई करदी जाती है और केन्द्रीय सरकार योजना समाप्त कर देती है तो इनके समायोजन की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आ जायेगी।

(3) जी नहीं। न्यायालय से इसमें से किसी कर्मचारी को स्थायी करने के लिये कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कर्मचारी का नाम	पद	संख्या
1.	बाल विकास परियोजना, टोडाभीम	श्री गिरधारी मीना	कनिष्ठ लिपिक	1
2.	बाल विकास परियोजना टोडाभीम	श्री सीताराम शर्मा	वा. चालक	1
3.	बाल विकास परियोजना, टोडाभीम	श्री राजेन्द्रकुमार पटवा	चौकीदार	1
4.	बाल विकास परियोजना, खण्डार	श्री मुरारीलाल कोली	,,	1
5.	बाल विकास परियोजना, गंगापुरसिटी	श्री रमेशचंद दुबे	,,	1

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कर्मचारी का नाम	पद	संख्या
6.	बाल विकास परियोजना, हिण्डौन	श्री राजेन्द्र सिंह	चौकीदार	1
7.	बाल विकास परियोजना, नादौती	श्री राधेश्याम शर्मा	,,	1
8.	बाल विकास परियोजना, करौली	श्री ओम प्रकाश	,,	1
9.	क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालय सवाईमाधोपुर।	श्री रमेश चंद सैन	च. श्रे. क.	1
			कुल योग	9

परिवहन मुख्यालय की स्थानान्तरण नीति

162. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर परिवहन मुख्यालय, प्रादेशिक परिवहन प्रथम एवं द्वितीय में ऐसे कितने परिवहन निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक हैं जो तीन से 10 वर्ष तक व उनसे भी अधिक समय तक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या परिवहन मुख्यालय विभाग में मैन्युअल बनाया हुआ है ? यदि हां, तो स्थानान्तरण नीति के अनुसार परिवहन निरीक्षक कार्यालय अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक व कनिष्ठ लिपिक को एक ही स्थान पर कितने वर्ष तक रखा जा सकता है ? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें निश्चित सीमा से अधिक रखा गया है ?

(3) क्या राज्य सरकार स्थानान्तरण नीति की पालना करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) विभाग में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन पर गबन एवं भ्रष्टाचार के आरोप हैं ? सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) परिवहन विभाग का मैन्युअल बना हुआ नहीं है लेकिन राज्य सरकार द्वारा घोषित स्थानान्तरण नीति विभाग में भी लागू है। कोई कर्मचारी/अधिकारी एक स्थान पर कितनी अवधि तक पद स्थापित रहेगा इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए निश्चित सीमा से अधिक रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां।

(4) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची एवं उनके विरूद्ध की जा रही कार्यवाही की सूचना के साथ सदन के पटल पर रखदी गई है।

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर–प्रथम

क्र. सं.	नाम व पद	पदस्थापन तिथि
1.	श्री मूलदत्त, कार्यालय अधीक्षक	2-5-81
2.	श्री हरीबल्लभ गोस्वामी, वरिष्ठ लिपिक	10-5-86
3.	श्री गोपाल कृष्ण भार्गव, कनिष्ठ लिपिक	12-5-87
4.	श्री शंभू व्यास, वरिष्ठ लिपिक	20-8-87
5.	श्री ओम प्रकाश शर्मा, कनिष्ठ लिपिक,	5-1-81
6.	श्री कल्याण सहाय बंजारा, कनिष्ठ लिपिक	20-7-83
7.	श्री गुलाम मोहम्मद, कनिष्ठ लिपिक	21-7-83
8.	श्री दशरथ सिंह, कनिष्ठ लिपिक	6-7-84
9.	श्री राधाकृष्ण गर्ग, कनिष्ठ लिपिक	9-7-85
10.	श्री भंवरलाल मीणा, कनिष्ठ लिपिक	9-7-85
11.	श्री भगवती प्रसाद, कनिष्ठ लिपिक	10-7-85
12.	श्री नरेन्द्र कुमार जैन, कनिष्ठ लिपिक	25-1-86
13.	श्री रमेशचंद गुप्ता, कनिष्ठ लिपिक	4-2-86
14.	श्री प्रदीप कुमार भारद्वाज, कनिष्ठ लिपिक	25-4-86
15.	श्री कमल किशोर शर्मा, क. लिपिक	30-4-86
16.	श्री नन्दलाल, कनिष्ठ लिपिक	9-5-86
17.	श्री सतीश कुमार जैन, कनिष्ठ लिपिक	28-1-87
18.	श्री रूपनारायण चन्देल, कनिष्ठ लिपिक	12-5-87
19.	श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा, कनिष्ठ लिपिक	4-6-84
20.	श्री सुरेश कुमार कानूनगो, कनिष्ठ लिपिक	11-5-87

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर द्वितीय

1.	श्री अरुण मेहता, कनिष्ठ लिपिक	6-6-83

प्रधान कार्यालय, जयपुर

क्रमांक	नाम व पद	पद स्थापन की तिथि
1.	श्री टीकम चंद जैन, कार्यालय अधीक्षक	5–4–86
2.	श्री मुकर्रम अली, वरिष्ठ लिपिक	31–12–80
3.	श्री अशोक कुमार गुप्ता, व. लि.	25–2–81
4.	श्री वीरु मल, व. लि.	7–6–82
5.	श्री माधोबिहारी शर्मा, व. लि.	3–7–84
6.	श्री अशोक कुमार अरोड़ा, व. लि.	16–11–84
7.	श्री सोहन प्रकाश पुरोहित, व. लि.	28–12–85
8.	श्री वहीदुज्जुमा खां, क. लि.	29–4–86
9.	श्री रामेश्वर सैन, क. लि.	16–5–87
10.	श्री भूपेन्द्र कुमार तंवर क. लि.	16–5–87
11.	श्री रामसहाय छीपा, क. लि.	20–5–87
12.	श्री कैलाश नाथ श्रीवास्तव, क. लि.	21–5–87

क. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
भ्रष्टाचार के मामले			
1.	श्री हीरालाल जोशी	परिवहन निरीक्षक	मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में अन्वेषणाधीन है।
2.	श्री नरोत्तनमल अग्रवाल	,,	,, ,,
3.	श्री हाशिम अली	,,	,, ,,
4.	श्री महेश नारायण लढ्डा	,,	,, ,,
5.	श्री प्रकाश जैन	परि. उप निरीक्षक	,, ,,
6.	श्री रोशन सिंह	परिवहन निरीक्षक	,, ,,
7.	श्री गिर्राज कुमार गुप्ता	,,	,, ,,
8.	श्री रणवीर सिंह राठौड़	परि. उप निरीक्षक	,, ,,

1	2	3	4
9.	श्री राजेन्द्र स्वामी	कनिष्ठ लिपिक	मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में अन्वेषणाधीन है।
10.	श्री जयचन्द सोनी	परि. उप निरीक्षक	विभागीय कार्यवाही हेतु भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से अभिलेख मांगा गया है।
11.	श्री सीताराम	कनिष्ठ लिपिक	,, ,,
12.	श्री बाबूलाल	वरिष्ठ लिपिक	,, ,,
13.	श्री मुजफ्फर हुसैन	परिवहन निरीक्षक	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को जांच से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन करने हेतु रिकार्ड मंगवाने की कार्यवाही की जा रही है ताकि मामले पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
14.	श्री जुझार सिंह	परि. उप निरीक्षक	,, ,,
15.	श्री रमेश कुमार	,,	,, ,,
16.	श्री रणवीर सिंह	ड्राइवर	,, ,,
17.	श्री जगन्नाथ प्रसाद	कनिष्ठ लिपिक	,, ,,
18.	श्री जितेन्द्र माथुर	,,	,, ,,
19.	श्री हरीकिशन मीणा	,,	विभागीय कार्यवाही हेतु विचाधीन है।
20.	श्री योगेन्द्रपाल सिंह	परि. उप निरीक्षक	विभागीय कार्यवाही हेतु विचाराधीन है।
21.	श्री महेश कटारिया	कनिष्ठ लिपिक	,, ,,
22.	श्री दुर्गासिंह	परिवहन निरीक्षक	मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में अन्वेषणाधीन है।
23.	श्री नेमीचंद आर्य	कनिष्ठ लिपिक	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
24.	श्री रामखिलोना	कनिष्ठ लिपिक	,, ,,
25.	श्री महेन्द्र सिंह गोड़	,,	,, ,,
26.	श्री हरिनारायण शर्मा	,,	,, ,,

1	2	3	4
गबन के मामले			
27.	श्री दिनेश मीणा	कनिष्ठ लिपिक	गबन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
28.	श्री अरुण सोरल	कनिष्ठ लिपिक	समस्त गबन राशि जमा हो चुकी है। मामला न्यायलय में विचाराधीन है।
29.	श्री राजेन्द्र माथुर	,,	समस्त गबन राशि जमा हो चुकी है। उच्च न्यायालय ने दि. 28–11–90 को निर्णय दिया है जिसके अन्तर्गत इन्हें बहाल कर दिया गया है। विभागीय कार्यवाही की जा रही है।
30.	श्री नानगराम लखेरा	वरिष्ठ लिपिक	वसूली की विगत प्रा. प. अधिकारी बीकानेर से प्राप्त की जा रही है। विभागीय एवं पुलिस कार्यवाही की जा रही है।
31.	श्री ऋषिराज जैमन	कनिष्ठ लिपिक	7326/- रु. गबन की राशि में से 6882/- रु. जमा हो चुके हैं। शेष राशि वसूल करने की कार्यवाही जारी है। विभागीय कार्यवाही की जा रही है।
32.	श्री रजनीकान्त सक्सैना	,,	(as above)
33.	श्री अर्जुनसिंह भाटी	भू. पू. कैशियर कलक्टर कोटा	न्यायालय द्वारा सजा होने पर कलक्टर कोटा ने आदेश दि. 19–3–88 के द्वारा राज्य सेवा से पृथक कर दिया गया है। गबन राशि 17311/– वसूल हो चुकी है शेष 24865.05 की वसूली जिला कलक्टर कोटा के माध्यम से की जा रही है।

1	2	3	4
34.	श्री पी. सी. बोस	भू. पू. परिवहन उप निरीक्षक, बीकानेर	मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका है।

प्रभारी अधिकारी, ग्राम आधार योजना, बांसवाड़ा के विरुद्ध जांच

163. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम आधार योजना कार्यालय बांसवाड़ा किस वर्ष में प्रारम्भ किया गया तथा इसके अन्तर्गत पशुओं सम्बन्धी क्या-क्या कार्य संचालित हैं ?

(2) क्या ग्राम आधार योजना बांसवाड़ा के वर्तमान प्रभारी अधिकारी डा. बसंतलाल गांधी के विरुद्ध भ्रष्टाचारों की जांच जिला कलक्टर बांसवाड़ा द्वारा करवाई जाकर निदेशक पशुपालन विभाग को अग्रतर कार्यवाही करने हेतु अर्द्धशासकीय पत्र भिजवाया गया था ? यदि हां, तो कब व इस पत्र पर निदेशक द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

(3) क्या ग्राम आधार योजना बांसवाड़ा को केन्द्रीय सरकार द्वारा भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ? यदि हां, तो किन-किन कार्यों के लिए व अब तक इस योजना में कितना रुपया दिया गया व कितना रुपया किन-किन कार्यों में कब-कब खर्च किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम आधार योजना, बांसवाड़ा की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। इस योजना द्वारा कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, बांझपन उपचार एवं पशुओं की नस्ल सुधार, चारा प्रदर्शन सम्बन्धी मुख्य कार्य किये जाते हैं।

(2) जी हां। दिसम्बर, 90 में जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा भेजा गया पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है, किन्तु उसके साथ जांच सम्बन्धी पूर्ण अभिलेख प्राप्त नहीं होने के कारण जिला कलक्टर से पूर्ण अभिलेख प्राप्त करने सम्बन्धी कार्यवाही की गई है।

(3) जी नहीं।

तारांकित प्रश्न संख्या 164

(स्थगित)

सांचौर (जालौर) का अनुसूचित जाति का छात्रावास

165. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचौर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले के सांचौर कस्बे में

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

अनुसूचित जाति का छात्रावास विभाग द्वारा कब से चलाया जा रहा है तथा उस पर प्रति वर्ष कितना खर्च किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि सांचौर का छात्रावास जिस भवन में चल रहा है, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसे उपयोग में न लेने का प्रमाण-पत्र दिया है ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1988 में विभाग द्वारा छात्रावास भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकार की गई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(4) क्या यह भी सही है बिना छात्रावास भवन बने स्वीकृत राशि विभाग द्वारा रद्द कर दी गई ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(5) क्या सरकार अब अनुसूचित जाति के छात्रावास हेतु सांचौर भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सांचौर में अनुसूचित जाति का छात्रावास दिसम्बर, 1985 से विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इस पर प्रति वर्ष 72702/– रुपये खर्चा किया जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। सांचौर में छात्रावास भवन निर्माण हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम, जयपुर द्वारा 14,60 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी।

(4) जी हां। समाज कल्याण अधिकारी, जालौर द्वारा यह सूचित करने पर कि सांचौर में जिला शिक्षा अधिकारी जालौर द्वारा प्रदत्त भवन में छात्रावास संचालित है, छात्रावस भवन निर्माण हेतु जारी की गई स्वीकृति निरस्त कर दी गयी।

(5) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोटा जिले में शराब की दुकानें

166. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में शराब की दुकानें हरिजन बस्तियों, कच्ची बस्तियों व स्कूलों तथा मन्दिरों के आस-पास हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन शराब की दुकानों को वहां से हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके दिये कौन अधिकारी दोषी है ? उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) प्रचलित नियमों के अनुसार कोई स्थान आपत्तिजनक नहीं है। अतः कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

सूची मदिरा दुकानात जिनके पास में मंदिर स्कूल आदि स्थित हैं।

क्र. सं. 1	दुकान का लोकेशन 2	दुकान के पास स्कूल मंदिर आदि की स्थिति 3
1.	तलवड़ी (कोटा शहर)	इस दुकान के पास जैन मंदिर करीब 300 मीटर की दूरी पर है।
2.	पुरोहित जी की टापरी (कोटा शहर)	इस दुकान के पास हनुमान जी का मंदिर करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित है।
3.	खेड़ली पुरोहित (को. श.)	इस दुकान के पास कालीमाताजी का मंदिर करीब 100 मीटर की दूरी पर है।
4.	मोखापाड़ा (को. श.)	इस दुकान के पास सत्यनारायण जी का बड़ा मंदिर, संतोषी माताजी का मंदिर तथा पट्टा-बुर्ज के हनुमानजी का मंदिर एवं कहारों का मंदिर तथा मस्जिद है जो 100 मीटर से अधिक दूरी पर है साथ ही इस दुकान के पास मिडिल स्कूल (स्तर) तक की स्कूल करीब 100 मीटर की दूरी पर है।
5.	रंगबाड़ी (कोटा शहर)	इस दुकान के पास खड़ गणेश जी का मंदिर करीब 400 मीटर की दूरी पर है।
6.	कोटड़ी (को. शहर)	इस दुकान के पास अनु. जा. के लोग रहते हैं परन्तु इस वार्ड की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनु. जाति की नहीं है।
7.	विज्ञान नगर (कोटा शहर)	उपरोक्तानुसार
8.	महावीर नगर–III	उपरोक्तानुसार
9.	छबड़ा	इस दुकान के पास सिनीयर हायर सैकेण्डरी स्तर की शैक्षणिक संस्था है परन्तु नियम 75 में कालेज स्तर की शैक्षणिक संस्थान के पास शराब की दुकान न होने का प्रावधान है। इसी दुकान के पास हरिजनों की एक बस्ती है परन्तु इस वार्ड की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनु. जा. की नहीं है, अतः इसे हरिजन बस्ती नहीं माना जा सकता है।

216

राजफैड सरस परियोजना, जालौर द्वारा क्रय-विक्रय सुपरवाइजर हेतु साक्षात्कार

167. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजफैड सरस परियोजना, जालौर की ओर से दिसम्बर, 1990 में क्रय-विक्रय सुपरवाइजर के पद के लिये प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए एवं साक्षात्कार में कब व कितने प्रार्थियों को बुलाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस पद पर किसका चयन हुआ साक्षात्कार किस-किस ने लिया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि राजफैड सरसों परियोजना जालौर हेतु राजस्थान पत्रिका दिनांक 17-12-90 के द्वारा क्रय विक्रय सुपरवाइजर के पद के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गए थे। जिस हेतु 60 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए एवं पात्रताधारी 24 आवेदनकर्ताओं को साक्षात्कार हेतु दिनांक 24-1-91 को बुलाया गया था। सूची परिशिष्ट "क" के रूप में रख दी गई है।

(2) इस पद पर श्री देवेन्द्र राज को साक्षात्कार कमेटी द्वारा चयन किया गया। साक्षात्कार कमेटी के निम्न सदस्यों द्वारा लिया गया :—

1. श्री वी. के. जैन, महाप्रबन्धक, राजफैड, जालौर।

2. श्री आर. सी. सोलंकी, एस. डी. एम. जालौर।

3. श्री एन. आर. सकलेचा, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जालौर।

4. श्री वी. के. नोटियाल, महाप्रबन्धक, राजफैड गंगापुर सिटी।

5. श्री एस. सी. बोहरा, प्रशासनिक अधिकारी राजफैड जालौर।

सरसों परियोजना जालौर में क्रय विक्रय सुपरवाइजर के एक पद के लिए दिनांक 24-1-91 को साक्षत्कार हेतु बुलाये गये प्रत्याशियों की सूची

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	पता
1	2	3
1.	श्री देवेन्द्रराज मेहता/श्री दौलतराम मेहता	ए–3, शिवाजी नगर, जालौर
2.	श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा/श्री कंवरप्रसाद शर्मा	द्वारा शीतला गली, बून्दी गांव व
3.	श्री मन्तीराम राना/श्री मोजीराम	पोस्ट–भटावली वाया नदबई, जिला भरतपुर

1	2	3
4.	श्री अशोककुमार अवस्थी/श्री अंबालाल	द्वारा पुरा मोहल्ला, जालौर
5.	श्री असीमकुमार चटर्जी/श्री पी. के. चटर्जी	द्वारा होटल संगम, आर. बी. स्टेण्ड, झुंझुनू
6.	श्री रघुवीरसिंह/श्री प्रेमसिंह	द्वारा माखर की ढाणी, पो. इस्लामपुर, तह. व जिला झुंझुनू
7.	श्री श्यामलाल शर्मा/श्री मामराज शर्मा	ग्राम जस्सी कावांली, पोस्ट गोविन्दपुरा जिला सीकर
8.	श्री छैलसिंह/श्री छीतरसिंह	मु. डकातरा, पो. बाकरारोड वाया बागरा, जिला जालौर
9.	श्री रमेशचन्द्र गुप्ता/श्री राधेश्याम गुप्ता	बी–3, नई अनाज मंडी, टौंक
10.	श्री अनिरूद्ध सिंह/श्री प्रतापसिंह	द्वारा श्री दलपतसिंह गांव डकातरा, पो. बाकरारोड, जालौर
11.	श्री प्रताप सिंह शेखावत/श्री कानसिंह	पु पा. नेवरी जिला झुंझुनू
12.	श्री वासुदेवसिंह नांदू/श्री ईश्वरदान नांदू	बासुदेव सिंह नांदु, द्वारा अनूपगढ़ क्र. विस. स. अनूपगढ़
13.	श्री जगदीश सुथार	द्वारा अशोक जांगिड एडवोकेट, प्लाट प्लाट नं. 179, राम भवन, पालरोड, मसुरिया, जोधपुर,
14.	श्री गिरधारीसिंह/श्री शंभूसिंह जी राजपूत	ग्राम सामजा, तह. आहोर जिला, जालौर
15.	श्री अशोककुमार दवे/श्री मांगीलाल दवे	सूरजपोल के अन्दर, होम्योपैथिक औषधालय के सामने, जालौर
16.	श्री बाबूलाल गुप्ता/मांगीलाल गुप्ता	मांगीलाल महेशचन्द्र, पुरानी अनाज मण्डी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
17.	श्री हरिओम गुप्ता/श्री विशम्भरदयाल गुप्ता	मैसर्स विश्म्भर दयाल, दाऊदयाल कमीशन एजेन्ट नई मण्डी, भरतपुर
18.	श्री अशोक कुमार चारण/श्री दुर्गादान चारण चारण	श्री दुर्गादान चारण, उपखण्ड अधिकारी, पोकरण

1	2	3
19.	श्री अरविन्दकुमार शर्मा/श्री सांवरमल शर्मा	राजफैड सरसौ परि., जालौर
20.	श्री दिनेशकुमार/श्री सुरेन्द्रकुमार	द्वारा श्री एस. के. सिंघल, 209 गली नं. 8, सुभाष नगर, मेरठ (यू. पी.)
21.	श्री राकेशकुमार शर्मा/श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा	11 बी. द्वारिकापुरी, बी. एस. ए. डिग्री कालेज के पास, मथुरा (यू.पी.)
22.	श्री उमेशसिंह सोलंकी/श्री कंचनसिंह सोलंकी	17 डी. सी. कालोनी, पोस्ट मोडल टाऊन
23.	श्री राजकमल सिंह/श्री जी. एस. सोलंकी	17 डी. सी. कालोनी, हिसार (हरियाणा)
24.	श्री रामेश्वरदयाल माथुर/स्व. भवानी शंकर माथुर	10/387 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्कीम जोधपुर

बारानी भूमि के लगान की माफी

168. **श्री हजारी लाल (खेतडी) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार किसानों की बारानी भूमि का लगान माफ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

बजट भाषण में बारानी भूमि के लगान की माफी करने की घोषणा कर दी गई है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के दूसरे चरण से सिंचाई

169. **श्री केदार नाथ शर्मा (गंगानगर)**: क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना दूसरे चरण में अब तक कितने क्षेत्र पर सिंचाई हो रही है ?

(2) राज्य सरकार द्वारा कितने काश्तकारों को खातेदारी हक दिये गये ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 में जनवरी, 91 तक 34,177 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की गई है।

(2) कुल 16, 117 काश्तकारों को खातेदारी हकूक दिये गये हैं।

219

जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था

170. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में यातायात की सुविधा हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कितनी बसें संचालित की हुई हैं ?

(2) क्या जयपुर शहर की आबादी के हिसाब से रोडवेज द्वारा संचालित बसें पर्याप्त हैं ?

(3) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा अधिक बसें लगाने हेतु की गई मांग पर राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कभी छात्रों द्वारा आन्दोलन भी किया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(4) क्या सरकार भविष्य में निजी बसों को बन्द कर रोडवेज की बसें चलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में यातायात की सुविधा हेतु राजस्थान राज्य परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में 30 बसें संचालित की हुई हैं।

(2) जी नहीं। जयपुर में कतिपय परमिट लेकर, निगम, जयपुर नगर में चल रही परिवहन सेवा में केवल योगदान कर रही है। मुख्यतया जयपुर नगर में परिवहन सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा दी जा रही हैं।

(3) छात्रों द्वारा माह दिसम्बर, 90 में मिनी बसों द्वारा आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं के कारण विश्वविद्यालय होकर जाने वाली विभिन्न मार्गों पर निगम की बसें संचालित किये जाने की मांग को लेकर आन्दोलन किया गया था। परिवहन निगम ने इसके बाद विभिन्न मार्गों पर 18 बसें संचालित की हैं।

(4) फिलहाल कोई विचार नहीं है।

डग तथा गंगधार पशु चिकित्सालय

171. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है, कि डग तथा गंगधार कस्बों के पशु चिकित्सालयों में पशुओं की चिकित्सा हेतु दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि पशुपालक पशुओं की चिकित्सा करवाने हेतु पशु–चिकित्सालय जाते हैं तो उनसे रिश्वत मांगी जाती है ?

(3) क्या इस संबंध में जिला प्रशासन को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रभारी पशु चिकित्सालय, डग के

(पशुपालन मंत्री)

विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच जिला पशु पालन अधिकारी झालावाड़ से करवाई जा रही है। जांच पूर्ण होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।

सलूम्बर में महाविद्यालय की स्थापना

172. **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) : क्या महाविद्यालय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सलूम्बर में राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

(2) अब कब तक इस आदिवासी बाहुल्य खैरवाड़ा, सराड़ा, लसाड़िया के केन्द्र मुख्यालय सलूम्बर में महाविद्यालय खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) राजकीय महाविद्यालय खोलने के क्या नियम व मापदण्ड हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर ही एवं निर्धारित मानदण्डों व गुण अवगुण के आधार पर विचार किया जावेगा।

(2) वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर ही एवं निर्धारित मानदण्डों व गुण-अवगुण के आधार पर विचार किया जावेगा।

(3) राज्य में नये महाविद्यालय खोलने के निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित हैं :—

(अ) प्रस्तावित स्थान पर उपयुक्त भवन हो।

(ब) प्रस्तावित स्थान के आसपास कम से कम 4 हायर सैकण्डरी स्कूल हों।

(स) प्रस्तावित स्थान के 30 किलो मीटर की परधि में कोई महाविद्यालय नहीं हो।

(द) क्षेत्रीय दृष्टि से प्रस्तावित स्थान उपयुक्त हो।

वृद्धावस्था पेंशन

173. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में इस समय 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध स्त्री पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए 2 अक्टूबर, 1990 के बाद सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किये गये हैं ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वृद्धावस्था पेंशन देने में खातेदारी भूमि व बालिग पुत्र होने की रुकावट आज भी है ? यदि हां, तो कितनी वार्षिक पारिवारिक आमदनी पर ऐसे वृद्ध लोगों को पेंशन से वंचित रखा जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) 15 फरवरी, 1991 को जारी आदेशों के अतिरिक्त पूर्व में लागू नियम

(समाज कल्याण मंत्री)

यथावत हैं। जिनकी प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जयपुर शहर के राजकीय आवासों का प्रकरण

174. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन विभाग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में किन–किन व्यक्तियों ने जिन्हें पूर्व में मंत्री के रूप में राजकीय आवास आवंटित किये गये थे, अब मंत्री नहीं होने के बावजूद भी उनके द्वारा उन आवासों पर कब्जा किया हुआ है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे आवास खाली कराने की कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) ऐसे व्यक्तियों में किन–किन को राज्य सरकार ने आवास अपने पास रखने की विशेष अनुमति प्रदान की है ? यदि की है, तो इसके क्या कारण हैं व यह अनुमति कब तक के लिए प्रदान की है ?

उत्तर

(1) इस प्रकार के व्यक्तियों की सूची निम्न प्रकार है :—

1. श्री हीरालाल देवपुरा (बंगला नं 1, अस्पताल रोड)

2. श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बंगला नं. 9, अस्पताल रोड)

3. श्री नत्थी सिंह (बंगला नं.-13, सिविल लाइन्स)

4. नाथूराम मिर्धा (18, सिविल लाइन्स)

(2) श्री नाथूराम मिर्धा एवं श्री नत्थीसिंह, भूतपूर्व मंत्रीगण के विरुद्ध आवास खाली कराने की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। श्री हीरालाल देवपुरा एवं श्री जगन्नाथ पहाड़िया से आवास खाली कराने की कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि उन्हें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते यही आवास आवंटन करने का मामला विचाराधीन है।

(3) श्री जगन्नाथ पहाड़िया एवं श्री हीरालाल देवपुरा को भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें पूर्व में आवंटित आवास ही आवंटित किये जाने का मामला विचाराधीन है। इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जा रहा है।

देशी शराब की प्रस्तावित दर

175. श्री हरीश झामनानी (अजमेर-पश्चिम) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार राज्य में देशी शराब की दर प्रति बोतल, गत वर्ष की अपेक्षा कम करने जा रही है ? वर्ष 1991-92 की प्रस्तावित दर क्या होगी ? उसमें गत वर्ष की दर से कितना अन्तर होगा ?

(2) क्या राज्य सरकार यह मानती है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ? यदि हां, तो क्या इसके सस्ते होने पर

(श्री हरीश भामनानी)

शराब पीने वालों की संख्या में वृद्धि होगी ?

(3) क्या राज्य सरकार शराब बन्दी करने के लिए कोई आबकारी नीति घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

(4) राज्य में कुल कितने शराब पीने वाले व्यक्ति हैं ? शराब पीने वालों का प्रतिशत राज्य की जनता की जनसंख्या के अनुपात में कितना है ?

(5) क्या राज्य सरकार राज्य में लिम्का, थम्सअप एवं गोल्ड स्पॉट जैसे शीतल पेय से भी सस्ती दर पर ठेकेदारों को शराब बेचने का विचार रखती है ।

(6) राज्य में वर्ष 1990–91 की अपेक्षा 91-92 में शराब की कितनी अधिक दुकानें खोलने का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । 1.4,91 से पूर्व तथा 1.4.91 से देशी मदिरा की विभिन्न किस्मों की इश्यू प्राइस व उनका अन्तर निम्नानुसार है

किस्म	1.4.91 से पूर्व (रु./ब.ल)	1.4.91 से (रु./ब.ल.	अन्तर रु./ब.ल
केसरकस्तूरी	30.40	11.40	20.00
1	2	3	4
गुलाब	13.65	3.90	9.75
सादा	11.55	3.30	8.25
साठीया	7.20	2.40	4.8

(2) विशेषज्ञों की राय में सीमा से अधिक मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है । शराब के सस्ते होने से मदिरापान करने वालों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला । अलबत्ता देशी मदिरा की नाजायज कशीदगी में कमी अवश्य आवेगी ।

(3) जी नहीं । यह नीतिगत प्रकरण अभी विचाराधीन नहीं है ।

(4) चुंकी सामाजिक मान्यताओं के कारण मदिरापान करने वाले व्यक्ति खुले-आम यह स्वीकार नहीं करते हैं कि वे मदिरापान करते हैं, अतः इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करवाना संभव नहीं है ।

(5) जी नहीं ।

(6) वर्ष 1990–91 की अपेक्षा वर्ष 1991-92 में राज्य में देशी मदिरा की 17 नई उप दुकानें तथा विदेशी मदिरा की 47 नई उप दुकानें स्वीकृत की गई है । सूची संलग्न है ।

वर्ष 90–91 व 91–93 के बन्दोबस्त में स्वीकृत की गई मुख्य दुकानें एवं उप दुकानों की आबकारी जिलेवार संख्या (देशी मदिरा व भी. नि. वि. मदिरा)

क्र. सं.	नाम आबकारी जिला	वर्ष 90–91				वर्ष 91–93				वर्ष 91–93 में अतिरिक्त स्वीकृत की गई दुकानों की संख्या			
		देशी मदिरा		विदेशी म.		देशी मदिरा		विदेशी म.		देशी मदिरा		विदेशी मदिरा	
		मुख्य दुकान	उप दुकान	मुख्य दुकान	उप दुकान	मुख्य दुकान	उप दुकान	मुख्य दुकान	उप दुकान	मुख्य दुकान	उप दुकान	मुख्य दुकान	उप दुकान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	जयपुर नगर	134	55	98	11	101	56	92	18	—	10	—	8
2.	जयपुर ग्रामीण	112	93	25	4	127	50	13	5	—	12	—	2
3.	सीकर	—	—	—	—	112	104	25	7	—	11	—	3
4.	अजमेर	133	46	33	3	134	59	33	6	—	13	—	3
5.	भरतपुर	35	27	18	6	35	31	18	8	—	4	—	2
6.	सवाई माधोपुर	161	54	20	5	67	32	13	4	—	7	—	1
7.	अलवर	45	36	11	6	45	41	11	7	—	5	—	1
8.	जोधपुर	109	115	47	8	36	63	28	8	—	3	—	3
9.	पाली	—	—	—	—	72	63	19	5	—	8	—	2

223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	बीकानेर	79	98	41	6	24	76	35	7	—	4	—	3
11.	नागौर	—	—	—	—	55	30	6	3	—	4	—	1
12.	श्रीगंगानगर	155	144	55	6	155	160	55	11	—	16	—	5
13	जालौर	81	140	24	5	81	148	24	8	—	8	—	3
14.	उदयपुर व जनजाति क्षेत्र	169	52	32	10	169	69	32	13	—	17	—	3
15.	चित्तौडगढ़	145	28	12	3	145	42	12	4	—	14	—	1
16.	कोटा	157	128	39	4	157	143	39	9	—	15	—	5
17.	भीलवाड़ा	192	44	13	2	192	63	13	3	—	19	—	1
	योग	1707	1060	468	79	1707	1230	468	126	—	170	—	47

इस प्रकार वर्ष 90–91 में जहां देशी मदिरा की 1707 मुख्य दुकानें व 1060 उप दुकानें तथा विदेशी मदिरा की 468 मुख्य दुकानें व 79 उप दुकानें थीं। आगामी बन्दोबस्त (जो कि 1.4.91 से चालू होगा) में मुख्य दुकानों की संख्या तो वही रहेगी पर उप दुकानों की संख्या बढ़ा दी गई है। देशी मदिरा की 170 नई उप दुकानें स्वीकृत की गई हैं जिससे कि कुल देशी मदिरा उप दुकानों की संख्या 1230 हो गई है। विदेशी मदिरा की 47 नई उप दुकानें स्वीकृत की गई हैं जिससे कि विदेशी मदिरा उप दुकानों की कुल संख्या 126 हो गई है।

उदयपुर डेयरी हेतु निर्धारित लक्ष्य

176. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर डेयरी में दूध से घी, पनीर और पाउडर बनाने के कोई लक्ष्य निर्धारित हैं ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें सुविधानुसार तैयार किया जाता है ? यदि हां, तो लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर प्रबंध संचालक की कार द्वारा अक्टूबर, 1990 में 260 किलोमीटर फफूंद युक्त मक्खन लाया गया था जो मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त था ? यदि हां, तो उस 260 किलो ग्राम मक्खन का क्या किया गया ?

(3) उदयपुर डेयरी में दूध की पूर्ति का दैनिक औसत क्या है ? गत 6 माह के दूध की पूर्ति का मासिक औसत क्या रहा ?

(4) क्या यह सही है कि अक्टूबर माह में जो दूध पूर्ति 14,000 लीटर प्रतिदिन पहुंच गई थी वह अब घटकर 10,000 लीटर प्रतिदिन पर आ गई है ? यदि हां, तो इस घाटे के लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि उदयपुर डेयरी में दूध पैक करने के लिए जो प्लास्टिक फिल्म रोल मंगाया जाता है वह घटिया है ? यदि हां, तो क्या क्वालिटी कन्ट्रोल आफिसर से इसे प्रमाणित कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि उदयपुर डेयरी के प्रबन्ध संचालक उदयपुर डेयरी के गेस्ट हाऊस में लगभग 1 माह तक ठहरे थे ? यदि हां, तो क्या उनसे किराया वसूल किया गया ?

(7) क्या यह सही है कि उदयपुर की एक फर्म को जो होलसेल एजेन्ट नहीं होने पर भी लगभग 6,000 किलोग्राम घी गत 3 माह में पुरानी दरों पर दिया गया और उससे डेयरी को लगभग 24,000/–रुपये की हानि हुई ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । उदयपुर डेयरी में दूध से केवल घी व पनीर बनाने के लक्ष्य निर्धारित किये हुये हैं, पाउडर बनाने का संयंत्र उदयपुर डेयरी संयंत्र में नहीं है । लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) माह अक्टूबर में नहीं, माह नवम्बर, 90 में 208 किलो अच्छा टेबिल बटर अजमेर से उदयपुर डेयरी लाया गया था । 197.400 किलो बटर विक्रय किया गया शेष 10.600 किलो का घी बनाया गया ।

(3) उदयपुर डेयरी में दूध संकलन का दैनिक औसत 12875 लीटर प्रतिदिन है । गत छः माह में अगस्त से जनवरी तक दूध संकलन की मासिक औसत 3,43,380 लीटर है ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं । केवल 27.269 मै. टन प्लास्टिक फिल्म रोल गुणवत्ता के अनुसार नहीं था ।

(दुग्ध विकास मंत्री)

(6) उदयपुर डेयरी संयंत्र में कोई नियमित गेस्ट हाऊस नहीं है। दुग्ध संघ/समितियों के प्रतिनिधियों के ठहरने के लिए एक कमरा निर्धारित है, प्रबन्ध संचालक ट्रान्सफर पर उसमें लगभग 15 दिन ठहरे थे। कोई किराया वसूल नहीं किया गया।

(7) गत तीन माह में पुरानी दर पर कोई घी नहीं बेचा गया।

घी एवं पनीर के निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण

वर्ष	घी		पनीर	
	लक्ष्य किग्रा.	उत्पादन किग्रा.	लक्ष्य किग्रा.	उत्पादन किग्रा.
1	2	3	4	5
1990–91	65,000	49,334	16.5	220.5

कोटा एवं बूंदी जिले में कैचमेंट

177. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा एवं बूंदी जिले में हुए कैचमेंट कार्य की राशि माफ करने की सरकार ने घोषणा की थी ?

(2) क्या यह सही है कि कैचमेंट की राशि माफ करने हेतु वहां पर कई आन्दोलन हुए तथा बार-बार जनता द्वारा मांग की जाती रही ? यदि हां, तो उक्त राशि के अभी तक माफ नहीं करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार जनहित में उक्त राशि को अविलम्ब माफ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने दिनांक 6.3.91 को (बजट-भाषण में) कमाण्ड सिंचित क्षेत्र में बनाये गये खालों/भूमि विकास के लिए किसानों को दिये गये ऋणों को वसूल न करने का निर्णय लिया है।

(2) जी हां। माफ कर दिया गया है।

परिशिष्ट—5

तारांकित प्रश्न संख्या 147 की सूची

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के गांवों में गठित
दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की सूची :

1	2	1	2
1.	कैमला	14.	धवान
2.	मेहस्वा	15.	डोरावली
3.	केमरी	16.	राजौली
4.	राजपुरा	17.	गानोज
5.	भैंसा	18.	करीरी
6.	अजीजपुरा	19.	रोंसी
7.	जिन्ती का पुरा	20,	बालाखेड़ा
8.	माचड़ी	21.	तिमावा
9.	खेड़ी	22.	नांगललाट
10.	दादनपुर	23.	मोरडा
11.	राजौर	24.	नांगल पहाड़ी
12.	पदमपुरा	25.	बालघाट
13.	गौरड़ा	26.	सादपुरा

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 249 का विवरण

सवाई माधोपुर जिले में सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में चल रहे रिक्त पदों की विद्यालयवार सूचना :—

क्र. सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पद	रिक्त रहने की तिथी
1	2	3	4
1.	उमावि करौली	4	11/89,=1 2/91=2,1/90=1
2.	उमावि मासलपुर	1	9/90=1
3.	उमावि हिण्डौन	4	1/91=4
4.	उमावि महावीरजी	1	2/91=1
5.	उमावि रतनजिला	3	7/90=2, 11/90=1
6.	उमावि टोडाभीम	3	9/90=2, 12/90=1
7.	उमावि पावटा	3	10/90=2, 1/91=1
8.	उमावि महुवा	4	12/90=2, 1/91=2
9.	उमावि मण्डावर	2	1/91=2
10.	उमावि बड़ा गांव खोडला	1	1/91=1
11.	उमावि गंगापुर सिटी	4	2/91=2, 12/90=2
12.	उमावि सवाईमाधोपुर	5	12/90=5
13.	उमावि चौथ का बरवाड़ा	3	4/90=1, 1/91=2
14.	उमावि सिवाड	3	7/90—3
15.	उमावि सपोटरा	3	12/88—1/, 2/90—2
16.	उमावि कुडगांव	—	—
17.	उमावि नादोती	1	1/89=1
18.	उमावि गुडाचन्द्रजी	3	7/90=2, 1/91=1
19.	उमावि वामनवासखुर्द	6	7/89=3, 7/90=2
20.	उमावि बोली	2	10/89=2
21.	उमावि खण्डार	2	2/91=2

1	2	3	4
22.	उमावि नांगलपाहडी	5	7/90=2, 12/90=2
23.	रामावि कोटसामहोली	1	7/90=1
24.	रामावि परता	1	7/90=1
25.	रामावि राजौर	1	12/90=1
26.	रामावि गुडला	1	12/90=1
27.	रामावि सुरोठ	2	1/91=2
28.	रामावि शेरपुर	2	2/90=2
29.	रामावि काचरौली	1	1/91=1
30.	रामावि करसौली	3	2/91=3
31.	रामावि कोटरी	1	11/89=1
32.	रामावि नई मण्डी हि.	2	1/91=2
33.	रामावि खेडी हेवत	1	1/91=1
34.	रामावि जटवाडा	1	2/91=1
35.	रामावि हमीरपुर	1	12/90=1
36.	रामावि खाण्डो	1	1/91=1
37.	रामावि छोटीदई	1	1/91—1
38.	रामावि बडोउदई	—	—
39.	रामावि पीलौदा	—	—
40.	रामावि सेवा	1	1/91—1
41.	रामावि मोनावडोड़ा	1	9/89—1
42.	रामावि टाक्सी	1	1/91—1
43.	रामावि तबलबडा	1	1/91—1
44.	रामावि बगलाई	1	291—1
45.	रामावि रामगढमुराडा	1	2/91—1
46.	रामावि मानटाउन	2	1/91—1
47.	रामावि सारसोद	2	12/90—2
48.	रामावि पावाडेरा	1	10/89—1

230

1	2	3	3
49.	रामावि जटवाडाकला	1	2/91—1
50.	रामावि ईसरदा	2	2/91—1
51.	रामावि गम्भीरा	1	1/91—1
52.	रामावि ऐवरा	1	2/91=1
53.	रामावि मित्रपुरा	2	11/89
54.	रामावि पीपल्दा	2	2/91—2
55.	रामावि भैंडोली	1	1/91—1
56.	रामावि लाखनुफ्स	2	2/91—2
57.	रामावि मूंडिया	2	1/89—2
58.	रामावि भोपुरबहादुर	1	2/90—1
59.	रामावि रानौली	2	1/91—1
60.	रामावि करोरी	2	2/91—2
61.	रामावि बामनवास पटी.	2	2/91—2
62.	रामावि बिन्जारी	3	10/89—2, 7/89—1
63.	रामावि बाटोला	1	2/91—1
64.	रामावि लोवाली	1	6/90—1
65.	रामावि अमावरा	1	2/91—1
66.	रामावि विकैमरी	2	1/91—1, 2/91—1
67.	रामावि कुन्जेला	1	12/90
68.	रामावि पाचौलास	3	2/91—3
69.	रामावि लसौडा	1	2/91—1
70.	रामावि वालेर	1	12/90—1
71.	रामावि वहरावडकला	1	1/91—1
72.	रामावि दौलतपुरा	1	2/91—1
73.	रामावि रोधई	2	12/90—2
74.	रामावि खेडला (नीमोदा)	1	1/91—1
75.	रामावि करणपुर	1	2/90—1

1	2	3	4
76.	रामावि डावरा	1	2/90—1
77.	रामावि हाडोती	1	1/90—1
78.	रामावि मण्डरायल	1	12/90—1
79.	रामावि ईनायती	1	1/91—1
80.	रामावि बालोती	2	2/91—2
81.	रामावि सैमरदाग्रस्थल	1	1/91—1
82.	रामावि खडूदा	2	11/89—2
83.	रामावि रसीदपुर	2	10/90—2
84.	रामावि तिछरिया	1	1/91—1
85.	रामावि नायडा	1	2/91—1
86.	रामावि मोहनपुरा	1	2/91—1
87.	रामावि शेखपुरा	1	1/91—1
88.	रामावि सैलू	1	1/91—1
89.	रावाउमावि सवाई माधोपुर	4	8/89—2, 2/90—1, 1/91—1
90.	रावासीउमावि गंगापुर	5	7/90—1, 1/91—4
91.	रावासीउमावि महवा	2	1/91—2
92.	रावासीउमावि करौली	2	2/89—1, 1/91—1
93.	रावासीउमावि हिण्डौन	2	11/90—1, 12/90—1

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 253 की सूची

कृषि भूमि के मूल्यांकन दरों की सूची

क्र. सं.	उप पंजीयक कार्यालय का नाम	सूची नम्बर 2 की दर सिंचित	सूची नम्बर 2 की दर असिंचित	सड़क के किनारे सिंचित	सड़क के किनारे असिंचित
1.	आमेर	30,000/–	20,000/–	1,00,000/– 40 से 55,000/–	
2.	विराटनगर	16,500/–	13,500/–	20,000/–	16,500/–
3.	बस्सी	25,000/–	16,000/–		
4.	बसवा (बांदीकुई)	32,500/–	32,500/–		
5.	चाकसू	13,000/–	10,000	40,000/–	30,000/–
6.	चौमू	60,000/–	58,000/–	1,00,000/–	60,000/–
7.	दौसा	1,64,000/–	10,100/–		
8.	दूदू	10,080/–	6,825/–	31,500/–	31,500/–
9.	जयपुर–I	24,000/– से 92,500/–	20,000/– से 30,000/–		
10.	जयपुर–II	40,000/– से 1,00,000/–	30,000/–		
11.	ज. रामगढ़	13,000/–	7,000/–		
12.	कालवाड	25,000/–	21,000/–	35,000/–	32,000/–
13.	किशनगढ रेनवाल	17,000/–	12,000/–		
14.	कोटपूतली	1,00,000/–	25,000/–	2,50,000/–	50,000/–
15.	कोटखावदा	6,000/–	4,000/–		
16.	लालसोट	35,000/–	30,000/–		
17.	फागी	8,000/–	5,000/–	12 से 17,000/–	
18.	सांभर	31,800/–	10,800/–		
19.	सांगानेर	1,25,000/–		1,57,000/–	
20.	शाहपुरा	28,000/–	10,000/–	30,000/–	24,000/–
21.	सिकराय	20,000/–	15,000/–		

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 254 की सूची

राजस्थान सरकार

वित्त (ग्रुप–4) विभाग

जयपुर दिनांक 20 मई, 1988

अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम-16) जैसा कि वह राजस्थान राज्य में लागू है, की धारा 22–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा यह घोषित करती है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में यथा परिभाषित रिक्त भूमि के संबंध मे किसी व्यक्ति के द्वारा जो ऐसी रिक्त भूमि को अधिकतम सीमा से अधिक धारण करता हो, विक्रय, प्रबन्धक, दान या पट्टे के रूप में या अन्यथा किये गये किसी भी अन्तरण के विलेख का रजिस्ट्रीकरण लोकनीति के विरुद्ध है परन्तु यह तब जबकि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में यह सूचित कर दिया जावे कि उसके पास यह विश्वास करने का प्रथम द्रष्टया कारण है कि ऐसा व्यक्ति अधिकतम सीमा से अधिक ऐसी रिक्त भूमि धारण करता हैं।

संख्या एफ–(27) वित्त/ग्रुप–4/87
राज्यपाल के आदेश से
ह./–
(सी. एस. राजन)
उप–शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आज ही के असाधारण राजपत्र भाग–4 (ग) उप खण्ड–2 में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 25 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करें।
2. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
3. विशेषाधिकारी, अनुसंधान प्रकोष्ठ, वित्त (कर) विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

ह./–
(ओमशरण गुप्त)
विशेषाधिकारी

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

URBAN DEVELOPMENT & HOUSING DEPARTMENT

No. F. 5(105) UDH/82 Dt. Jaipur the 15th December, 1982.

ORDER

Whereas the State Government is satisfied having regard to the purpose for which, such land is being or is proposed to be used that it is expedient in the public in erest so to do.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Urban Land (Ceiling Regulation) Act, 1976 (Central Act 33 of 1976), the State Government hereby exempts all aggricultural vacant lands held in excess of ceiling limit in the five urban agglomerations viz., Jaipur, Ajmer, Jodhpur, Kota & Bikaner to which the said Act applies and which have been transferred for the purpose of constructions of residential houses under sale deeds executed before 20th August, 1981 or in respect of which agreements to sell have been executed before the said date for the land agreed to be sold to be used for such purpose provided that these lands are otherwise eligible for regularisation under the Rajasthan Land Revenue (Allotment, Conversation & Regularisation of Agricultural Lands for Residential & Commercial purpose in Urban areas) Rules, 1991.

By Order of the Governor,

Sd/-

(Anandi Lal Rungta)

19-10-82

Secretary to the Government.

Copy forwarded to :—

1. Secretary to Govt., Revenue Department.
2. Spl. Secretary to Govt., Finance Department.
3. Director, Urban Land Ceiling Department, Raj. Jaipur,

4. Director, Local Bodies, Rajasthan, Jaipur.
5. Director, Agricultal Land Conversion Deptt., Jaipur.
6. Secretary, Jaipur Development Authority, Jaipur.
7. Secretary, U.I.T., Ajmer/Jodhpur/Kota/Jaipur & Bikaner.
8. Private Secretary to Minister of State town Planning/ Housing.
9. Private Secretary to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.
10. All Collectors.
11. All Competent officers/Thri : Director, Urban Land Ceiling Departmenr, Rajasthan, Jaipur.

Sd/–

Dy. Secretary to Govt.

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 256 की प्रति

राजस्थान सरकार

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

परिपत्र संख्या-12/90

जयपुर, दिनांक, 26 अप्रेल, 1990

1. समस्त शासन सचिव/वरिष्ठ शासन सचिव,
2. समस्त विभागाध्यक्ष (समस्त जिलाधीशों सहित)
3. समस्त राजकीय कार्पोरेशन/उपक्रम/निगम/मण्डल।

क्रमांक : प. 9(8) वित्त/साबिलेनि/90 दिनांक 26.4.90

विषय—विभिन्न विभागों/राजकीय कार्पोरेशनों/उपक्रमों निगमों/मण्डलों में उपलब्ध नकारा/सरप्लस सामान का वर्ष 1990–91 के दौरान अभियान का आयोजन कर निस्तारण बाबत।

महोदय,

राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से निर्णय ले लिया है कि समस्त विभाग/राजकीय कार्पोरेशन/उपक्रम/निगम/मण्डल अपने यहां उपलब्ध समस्त अनुपयोगी/नकारा/सरप्लस भण्डारों को एक अभियान आरम्भ कर निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निस्तारण की कार्यवाही करेंगे। अतः अभियान के लिए निर्धारित निम्न लिखित समय सारणी की अनुपालना की जावे—

कार्य विवरण	दिनांक जिसको पूर्ण होना है
1. अनुमानित कीमत नकारा/सरप्लस सामान की जिसे वित्त (सा.वि. एवं ले. नि. (विभाग में प्रेषित किया जाना।	31 मई, 1990
2. मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित किये जाने की तिथि निर्धारित करना।	जून, 1990 प्रथम सप्ताह में।
3. वित्त सचिव द्वारा प्रथम माह की समाप्ति पर रिव्यू।	16 जुलाई, 1990

कार्य विवरण	दिनांक जिसको पूर्ण होना है
4. वित्त सचिव द्वारा द्वितीय माह की समाप्ति पर रिव्यू	16 अगस्त, 1990
5. मुख्य सचिव द्वारा रिव्यू	31 अगस्त, 1990
6. मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में शासन सचिवों/विभागाध्यक्षों आदि की बैठक अभियान के परिणाम पर चर्चा तथा लक्ष्य प्राप्ति के रिव्यू हेतु।	सितम्बर, 1990 के प्रथम सप्ताह में।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में नकारा/सरप्लस सामान नीलाम करने हेतु तीन प्रकार की निलामी कमेटियों का गठन किया हुआ है उन्हे अभियान के दौरान निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है—

"क" श्रेणी की कमेटी	दस लाख तथा उससे ऊपर के मूल्य के स्टोर्स के लिए।	(1) विभागाध्यक्ष/अपर अपर विभागाध्यक्ष	संयोजक
		(2) वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी या जहां लेखाधिकारी न हो वहां संबंधित कोषाधिकारी	सदस्य
		(3) उप शासन सचिव प्रशासनिक विभाग या कलक्टर या उसका नाम निर्देशित अधिकारी जो रैंक में ए.सी.एम. से कम न हो।	सदस्य
"ख" श्रेणी की कमेटी	दो लाख रुपये से ऊपर परन्तु दस लाख से कम के मूल्य के स्टोर्स के लिए	(1) विभागाध्यक्षों के बाद वरिष्ठतम अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट जो रैंक में क्षेत्रीय अधिकारी से कम न हो।	संयोजक
		(2) लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी	सदस्य

		(3) कलक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो राजपत्रिक अधिकारी हो।	सदस्य
"ग" श्रेणी की कमेटी	दो लाख से नीचे के मूल्य के स्टोर्स के लिए	(1) कार्यालयाध्यक्ष	संयोजक
		(2) सहायक लेखाधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट लेखाकार	सदस्य
		(3) कोषागार अधिकारी का प्रतिनिधि जो कम से कम लेखाकार हो।	सदस्य

नकारा/सरप्लस भण्डारों के निस्तारण हेतु राज्यपाल महोदय द्वारा सा.वि.ले.नि. में निम्नानुसार संशोधन करने के आदेश एतद् द्वारा इस अभियान की समयावधि अर्थात 31-3-91 तक के लिए प्रदान किये जाते हैं :—

(1) सा.वि. एवं से.नि. ने परिशिष्ट- 4 के क्रम सं. 38(क) तथा (ख) में अभियान की अवधि तक निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है—

38 (क) किसी भी सामान को आवश्यकता से अधिक घोषित करना।	(1) प्रशासनिक सचिव	प्रत्येक विभाग के संबंध में एक वर्ष में दो लाख रुपये तक
	(2) विभागाध्यक्ष	एक वर्ष में 50,000/– रुपये तक।

(ख) 1. जहाँ भण्डारों का उपयोग समय निर्धारित है—

	निर्धारित उपयोग अवधि के पश्चात	निर्धारित उपयोग अवधि से पूर्व
(1) प्रशासनिक सचिव	पूर्ण शक्तियां	रुपये दो लाख तक एक वर्ष में प्रत्येक विभाग के लिए।
(2) विभागाध्यक्ष	पूर्ण शक्तियां	रुपये 50,000/– तक एक वर्ष में।
(3) कार्यालयाध्यक्ष	रु. 20,000 तक एक वर्ष में।	रुपये 10,000/–तक एक वर्ष में।

239

(ख) 2. जहां भण्डारों का उपयोग समय निर्धारित नहीं है—

1. प्रशासनिक सचिव	रुपये पांच लाख तक एक वर्ष में प्रत्येक विभाग के लिए।
2. विभागाध्यक्ष	रुपये 50,000/– तक एक वर्ष में।
3. कार्यालयाध्यक्ष	रुपये 2,000/– तक एक वर्ष में इस शर्त पर कि प्रत्येक वस्तु की कीमत 100/– रु. से अधिक न हो।

जो सामान बेचा जावे उस पर विभागों द्वारा बिक्री कर वसूल किया जावेगा। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि नीलामी के समय बकाया बिक्री कर की वसूली शेष न रहे।

नकारा/सरप्लस सामानों की एक सूची अविलम्ब तैयार की जावे जिससे अनुमानित कीमत प्रतिपादित की जावे।

शिक्षा विभाग में जहां शालाएं छोटी-छोटी जगहों पर स्थित है एवं जो सामान नीलाम किया जाना है जो भी बहुत कम कीमत का है, ऐसे मामलों में समिति का गठन निम्न प्रकार कर दिया जावे —

1. संस्थान का संचालक	संयोजक
2. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी	सदस्य

इस प्रकार तहसील एवं ब्लाक मुख्यालय पर यदि संबंधित कलक्टर चाहें तो इन स्थानों पर उपलब्ध सरप्लस/नकारा सामान जिसकी पुस्तक कीमत बहुत ही कम है, को नीलाम करने हेतु निम्न प्रकार की समितियों का गठन कर सकते हैं—

(क) तहसील मुख्यालय

1. तहसीलदार	संयोजक
2. कलक्टर द्वारा मनोनीत लेखाकार	सदस्य

(ख) ब्लाक मुख्यालय

1. ब्लाक निकास अधिकारी	संयोजक
2. कलक्टर द्वारा मनोनीत लेखाकार	सदस्य

पुरानी गाडियों को जो नकारा घोषित कर दी गई हैं, का भी नीलामी द्वारा

शीघ्र निस्तारण कर दिया जावे। वाहनों की नीलामी से संबंधित कठिनाइयों के निस्तारण हेतु उक्त अभियान की समयावधि के लिए निम्न कमेटी के गठन का भी निर्णय लिया है—

यातायात आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव यातायात

1. यातायात सचिव — संयोजक

2. उप शासन सचिव वित्त (सा.वि. एवं ले.नि.) — सदस्य

3. सहायक शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग — सदस्य

जो पुरानी गाडियां जयपुर से बाहर है तथा जिन्हें जयपुर तक लाने में अधिक खर्चा हो, उन गाडियों के लिए भी उक्त कमेटी अपना स्पष्ट मत देगी कि क्या इन गाडियों को जहां हैं वहां पर निस्तारण कर दिया जावे अथवा नहीं।

समस्त पुरानी गाडियों का नकारा सामान/पार्टस/जला हुआ तेल तथा अन्य सामान मय सूची जिसमें अनुमानित कीमत सम्मिलित हो, यथाशीघ्र नियंत्रक, राजस्थान मोटर गैराज, जयपुर को भिजवाने की व्यवस्था की जावे।

अतः समस्त शासन सचिवों/विभागाध्यक्षों/राजकीय कार्पोरेशनों/उपक्रमों/निगमों/मण्डलों/के संचालकों से निवेदन है कि उपरोक्त निर्देशों/आदेशों की क्रियान्वित निर्धारित समय सारणी के अनुसार की जावे तथा प्रगति की सूचना उक्त बैठकों से पूर्व निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को दी जावे जो इस अभियान के लिए को–आर्डिनेटर का कार्य करेंगे। बैठक की सूचना अलग से निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर (को–आर्डिनेटर) द्वारा जारी की जावेगी।

साथी ही निवेदन है कि निर्धारित समय पर चाही गई पूर्ण सूचना निम्न निर्धारित प्रोफार्मा में तैयार की जावे एवं बैंठकों में अपने साथ लावें एवं उक्त आदेशानुसार निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर (को-आर्डिनेटर) तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग को 31 मई, 1990 से पूर्व अवश्यमेव भिजवाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें :—

(२५१)

"——————कार्यालय"

मद संख्या	सामान का विवरण	क्वालिटी/मेक आदि मुख्य विवरण का संक्षिप्त विवरण	क्रय वर्ष	वे परिस्थितियां जिनमें वस्तुएं वेशी/बेकार/अप्रचलित हो गयी	सामान की वर्तमान दशा अर्थात काम में आने योग्य है अथवा नहीं	लगभग कीमत जिसके वसूल होने की आशा है	निबटारे के संबंध में कोई सुझाव	विशेष विवरण

कृपया इस परिपत्र में वर्णित आदेशों की क्रियान्विति निर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार की जावे ताकि विभागों द्वारा नकारा/सरप्लस भण्डारों की सर्वे रिपोर्ट/अनुमानित कीमत तैयार करने के संबंध में हुई प्रगति की यथा समय समीक्षा की जा सके।

भवदीय
ह./–
(सत्य प्रिय गुप्ता)
विशिष्ट शासन सचिव (वित्त)

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 257 की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्र
(1)	बयाना	145
(2)	कोलायत	113
(3)	चित्तौडगढ़	162
(4)	केशोरायपाटन	119
(5)	पदमपुर	119
(6)	झालरापाटन	165
(7)	रियां	141
(8)	रोहट	80
(9)	नीम का थाना	144
(10)	सिरोही	110
(11)	करौली	204
(12)	[illegible]गढ़	68
(13)	[illegible]	111
(14)	कठूमर	162
(15)	उमरेन	145
(16)	शाहपुरा (भीलवाडा)	115
(17)	राशिम	127
(18)	रतननगर	113
(19)	बसेड़ी	141
(20)	कोटपूतली	140
(21)	फागी	125
(22)	झुंझनूं	137
(23)	बिलाडा	139
(24)	चेचट	130
(25)	टोडारायसिंह	92
(26)	सायला	150
	कुल योग	3397

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 258 की प्रति.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL &
ADMINISTRATIVE REFORMS
(Department of Personnel-A–II)

No. F. 3(6)Karmik/A–II/75 Jaipur, September 29, 1975.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following special rules regulating the recruitment of the dependants of Government Servants Dying While in Service, namely—

THE RAJASTHAN RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING WHILE IN SERVICE RULES, 1975

1. **Short title and commencement**—(1) These Rules may be called the Rajasthan Recruitment of Dependants of Government Servants Dying while in Service Rules, 1975.

(2) These Rules shall come into force from the date of their publication in the Rajasthan Rajpatra.

2. **Definitions**—In these Rules unless the context otherwise requires—

(a) "Government" and "State" means respectively the Government of Rajasthan and the State of Rajasthan;

(b) "Appointing Authority" means the Government of Rajasthan and includes any other Officer to whom powers have been delegated by the Government through a special or general order to exercise the powers and functions of the Appointing Authority under the relevant Service Rules, if any;

(c) "Head of Department/Office" means the Head of the Department/Office in which the deceased Government Servant was serving prior to his death;

(d) "Government Servant" means person employed in connection with the affairs of the State and who–

(i) was permanent in such employment, or

(ii) though temporary had been regularly appointed in such employment; or

(iii) though not regularly appointed had put in one year continuous service in a regular vacancy in such employment; and

(iv) shall also include the person sent temporarily on deputation.

Explanation—"Regularly appointed" means appointed in accordance with the procedure laid down for recruitment to the post or service as the case may be.

E(e) "Deceased Government "Servant" means a Government Servant who died, while in Service on or after 2nd day of September, 1972.

(f) "Family" means the family of the deceased Government servant and shall include wife or husband, sons and unmarried or ※(widow daughters and son/daughtor adopted according to the crovisions of law by the deceased Government sarvant), who were dependent on the deceased Government Servant :

E Substituted vide notification No. F. 3 (6) DOP/A-II/75 dt. 25.3.76 for–

(e) "deceased Government Servant" means a Government Servant who dies while in Service."

※ Substituted vide notification No. F. 3(6) DOP/A-II/75, dated 22.8.83 for—"Widow Daughtors".

% Provided that if no such member of the family be eligible for getting benefit under these Rules the benefit available under these Rules may be extended to any other close relative of the deceased to be named by the widow or the Guardian of the children of the deceased with the specific approval of the Department of Personnel.

3. @ **Application of the rules**—These rules shall be applicable for recruitment of dependants of the deceased Government servants to public services and posts in connection with the affairs of the State except posts in major State Service i.e. the Rajasthan Administrative Service, the Rajasthan Police Service, the Rajasthan Forest Service, the Rajasthan Judicial Service and the Rajasthan Accounts Service.

4. **Over–riding effect of these Rules**—These rules and any orders issued there under shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any rules, regulations or orders in force at the commencement of these Rules,

5. **Recruitment of a member of the family of the decased**—In cases of deceased Government servants, one member of his family who is not already employed under the Central/State Government or Statutory Board/Organisations/Corporations owned or

---

% Added vide notification No. F. 3 (6) DOP/A–II/75 dated 22.2.1976 effective from 2.10.75.

@ Substituted vide notification No. F. 3(6) DOP/A–II/75 dated 22.8.83 for "**Application of the Rules**—These ruler shall apply to recruitment of the dependants of the deceased Government Servants to public Services and posts in connection with the affairs of State, except services and posts which are within the purview of the Rajasthan Public Service Commission."

E Substituted vide notification No. F. 3(6) DOP/A–II/75 dated 25.3.76 for "Government servants who die while in service on or after the commencement of these rules."

(२४६)

controlled by the Central/State Government shall on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government service without delay only against an existing vacancy, which is not within the purview of the state public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules, provided such member fulfils the educational qualifications prescribed for the post and is also otherwise qualified for Government service. In the event of non-availability of a vacancy or any of the members of the family, being unqualified or minor is not found suitable or eligible for immediate employment, then such cases should be considered immediately on the availability of the post or any one of them becomes qualified or eligible for such employment under these Rules.

\+ Provided that recruitment may be made on posts which are within the purview of the Rajasthan Public Service Commission except the major State Service mentioned in rule 3 where the Appointing Authority is satisfied in consultation with the Department of Personnol and the Rajasthan Public Service Commission that a dependent of a deceased Government servant is qualified and suitable for appointment such posts.

6. **Contents of application for employment** :—An applicaiion for appointment under these rules shall be addressed to the Appointing Authority in respect of the post for which appointment is sought, but it shall be sent to the concerned department or to the Head of Department/Office where the deceased Government servant was serving prior to his death. The application shall interalia, contain the following information :—

(1) The name & designation of the deceased Government servant;

(2) Department/Office in which he was working Prior to his death;

(3) The date & Place of death of the deceased Government Servant;

\+ Added vide Notification F 3(6) DOP/A-II/75, dt. 22.8.1983.

(4) Last pay drawn & the pay scale;

(5) Names, ages and other details pertaining to all members of the family of the deceased, particulary about their marriage, employment and income;

(6) Details of the financial condition of the family, and;

(7) Name, Date of birth, education and other qualifications, if any, of the applicant & his/her relation with the deceased Government servant

7. **Procedure when more than one member of the family seeks employment** :—If more than one member of the family of the deceased Government servant seeks employment under these Rules, the Head of Department/Office shall decide about the suitability of the person for giving employment. The decision will be taken keeping in view also the over all interest of the welfare of the entire family, particularly the widow and the minor members thereof.

8. **Relaxation for age and other requirement** :—(1) The candiates seeking appointment under these rule must not be less than 16 years at the time of appointment. In the cases in which the wife of the deceased Government servant being, the only candidate found qualified eligible for such employment there shall be no maximum upper age limit.

(2) The procedural requirement for selection, such as written test, typing test or interview by a Selection Committee or any other Authority shall be despensed with, but it shall be open to the Appointing Authority to interview the candidate in order to satisfy that the candidate will be able to maintain the speed and efficiency expected on the post or to prescribe any condition, if considered necessary, for acquiring any training or proficiency e. g. typing speed or any other qualifications etc., within a reasonable period after such emplyment under these rules.

9. **Satisfaction of Appointing Authority as regards general qualifications** :—Before a candidates is appointed the Appointing Authority shall satisfy itself that :—

(a) The character of the candidate is such as to render him suitable in all rsepects for employment in Government service;

Explanation :—Persons dismissed by the Union Government or by any State Government or by a Local Authority or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall be deemed to be ineligible for appointment to the service.

(b) He is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his/her duties for which the candidate shall be required to appear before the appropriate medical authority and to produce a Certificate of fitness in accordance with the rules applicable to the case; and

(c) In the case of a male candidate, he has not more than one wife living, and in the case of a female candidate, she has not married person already having a wife living.

10. **Power to remove difficulties** :—The State Government may for the purpose of removing any difficulty (of the existence of which it shall be the sole judge) in the implementation of any provision of these Rules, make any general or special order as it may consider neessary or expedient in the interest of fair dealing or in the Public interest.

By Order and the name of the

Governor,

Sd/-

Special Secretary to the Government.

परिशिष्ठ—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 264 की सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत	कुल संख्या व्यक्ति	रकबा जो आवंटन किया गया रकबा (एकड़ में)
1–	बिजौलिया खुर्द	57	47
2–	घड़ौदा	111	187
3–	बिजौलिया कलां	75	84
4–	चांदजी की खोड़ी	101	109
5–	भोपतपुरा	493	584
6–	उमाजी का खेड़ा	23	15
7–	रेसुन्दा	267	365
8–	बिलिस्वां	130	126
9–	विक्रमपुरा	61	58
10–	गोपालपुरा	9	7
11–	सलावटिया	244	228
	कुल योग	1630	1879

तहसील कार्यालय मांडलगढ द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये की सूची

क्र.सं.	नाम कार्यालय जिसके द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया।	पिछले 5 वर्षों में वर्ष अंकित किया जावे।	व्यक्ति या फर्म का नाम जिसे अ.प्रमाण पत्र जारी किया	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक	क्षेत्रफल बिलानाम भूमि ख.न.	रकबा (एकड़ों में)	खाते की भूमि ख.नं.	रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जिला कलक्टर	एफ 12–12(15)आरए 89/दिनांक 5-6-89 वर्ष 89 से प्राप्त स्वीकृति	खनिज अभियन्ता बिजौलिया	5–6–89	2 मी.	84.88	–	–
					7	1.52	–	–
					.8	5.10	–	–
2.	तहसीलदार मांडलगढ	राजस्व/89/346–52 दिनांक 12-6-89	,,		.9	9.66	–	–
				12-6-89	10	32.08	–	–
					11	14.90	–	–
					12	7.42	–	–
					13	5.02	–	–
				योग खडीपुर	8	160.58	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						12	5.00	
						236	2.50	
						237	2.50	
						238	2.50	
						249	2.50	
						244	5.50	
						245	5.00	
						246	6.18	
						647	5.00	
						248	5.00	
						249	5.00	
						250	2.50	
						253	2.50	
						254	5.00	
						260	3.64	
						261	4.90	
						10	10.34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						111	7.50	
						113	7.58	
						243	4046	
						242	5.88	
						259	0.86	
						256	8.04	
						252	2.50	
					सुखपुरी	224	72.08	
					खडीपुर (दुधियाखरड़ता)	730	24.44	
						139	54.88	
						186	41.16	
					योग :– (ग्रांटीचम्पापुर)	2	96.04	
					नया नगर (भाटखरला)	461	4.62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						4	1.00	
						5	16.80	
						6	15.50	
						रेसन्दर 3	33.30	
						151	3.70	
						152	1.20	
						153	5.58	
						154	20.96	
						शंभूपुरा 4	31.44	
						देरोली 150	5.82	
						कुलयोग 44	468.32	
2.	जिला कलक्टर	एफ 12–12(15) आरए/	खनिज अभियन्ता		23/8/89	461	5.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		89/23.8.89		बिजौलियां		462	28.48	
		से प्राप्त स्वीकृति				463	36.92	
	तहसीलदार	राजस्व/89/598–601		,,	7.9.89	464	16.04	
	मांडलगढ़	दि. 7.9.89 आदेश				122	39.14	
						21	43.64	
						नया नगर 6	169.72	
3.	जिला कलक्टर	एफ 12-12(15)आरए/89		खनिज अभियन्ता	26.9.89	आंटी 317	16.48	
		दिनांक 26.9.89		बिजौलियां		318	18.80	
						319मी.	9.38	
	तहसीलदार	राजस्व/89/686		,,		487	59.02	
	मांडलगढ	दिनांक 5.10.89 आदेश			5.10.89	488	10.68	
						गुढा 251	3.00	
						252	2.26	
						253मी.	20.68	
						रेसून्दा 3	9.80	
						योग 9	150.10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	जिला कलक्टर	एफ 12-12(15)आरए 89/6.12.89	खनिज अभियन्ता बिजौलियां	6.12.89	आंटी	493	13.32	
	तहसीलदार मांडलगढ	राजस्व/89.916–19 दिनांक 14.12.89	बिजौलियां	14.12.89		495	13.88	
						496	23.76	
						185	11.66	
						476	10.92	
						607/475मी.	20.00	
					योग	6	93.54	
					महायोग	65	881.68	

ह./–
तहसीलदार मांडलगढ

(255)

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 266 की सूची

इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के प्रथम एवं द्वितीय चरण में विशेष आवंटन हेतु व्याव-सायिक दर पर सूची उपलब्ध भूमि की उपनिवेशन तहसीलवार।

क्र. सं.	नाम उपनिवेशन तह.	व्यावसायिक दर पर विशेष आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि की सूची बीघा में।		
		कमांड	अनकमांड	योग
1.	बीकानेर	730	146	876
2.	लूणकरणसर	1101	1657	2758
3.	छत्रगढ़ नं. 1	2007	7542	9549
4.	छत्रगढ नं. 2	4538	21778	26316
5.	पूंगल	9623	145993	155616
6.	कोलायत नं. 1	9656	11785	21441
7.	कोलायत नं. 2	5240	11708	16948
8.	कोलायत नं. 3	25506	47837	73343
9.	कोलायत नं. 4	13008	22556	35564
10.	नाचना नं. 1	32148	16446	48594
11.	नाचना नं. 2	27377	12189	39566
12.	मोहनगढ नं. 1	204917	24856	229773
13.	मोहनगढ नं. 2	259841	14138	273979
14.	रामगढ नं. 1	113009	5359	118368
	योग	708701	343990	1052691

(257)

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 270 की सूची

टोंक जिले में पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं पर व्यय का विवरण :—

मद	प्रशासनिक व्यय	पशु विकास एवं नस्ल सुधार कार्यक्रमों पर व्यय	पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों पर व्यय	कुक्कुट विकास कार्यक्रमों पर व्यय
वर्ष 1989–90 में किये गये व्यय का विवरण				
1. संवेतन	2,25,950	—	18,83,380	2,27,970
2. मजदूरी	—	—	—	570
3. यात्रा व्यय	10,840	—	57,480	11,230
4. चिकित्सा व्यय	3,610	—	34,990	5,720
5. कार्यालय व्यय	6,010	—	36,150	12,990
6. चारा दाना	—	—	—	24,670
7. वाहन संधारण	—	—	14,840	1,220
8. किराया रेट कर	—	—	2,260	—
9. भेषज/औषधियां	—	—	30,000	—
10. मशीनरी साज सामान	—	—	11,270	—
11. फोजन सीमन	—	21,000	—	—
12. एल. एन.–2	—	16,200	—	—
13. उपकरण एवं औजार	—	36,990	—	—
	2,46,410	74,190	20,70,370	2,84,370
वर्ष 1990–91 के लिए आवंटन :—				
1. संवेतन	2,60,000	—	29,70,000	2,75,000

1	2	3	4	5	6
2.	मजदूरी	—	—	—	2,000
3.	यात्रा व्यय	9,000	—	52,500	12,000
4.	चिकित्सा व्यय	3,000	—	18,000	4,500
5.	कार्यालय व्यय	6,000	—	46,000	11,000
6.	किराया रेट कर	—	—	2,300	—
7.	चारा, दाना	—	—	—	30,000
8.	भेषज/औषधियां	—	—	1,63,750	—
9.	मशीनरी साज सामान	—	—	24,500	—
10.	वाहन संधारण	—	—	10,000	1,200
11.	फ्रोजन सीमन	—	93,184	—	—
12.	एल, एन.–2	—	30,240	—	—
13.	उपकरण एवं औजार	—	2,02,696	—	—
		2,78,000	3,26,120	32,87,050	3,35,700

259

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 274 की सूची

राजस्थान के राज्य स्तरीय पशु मेले

क्र. सं.	पशु मेले का नाम/स्थान	तहसील	जिला	गौ वंश
(1)	श्री मल्लिनाथ पशु मेला तिलवाडा	पचपदरा	बाड़मेर	थारपारकर कांकरेज
(2)	श्री बल्देव पशु मेला मेड़तासिटी	मेड़ता सिटी	नागौर	नागौरी
(3)	श्री गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन	झालरापाटन	झालावाड़	हरियाणा मालवी
(4)	श्री गोगामेड़ी पशु मेला गोगामेड़ी	नोहर	श्रीगंगानगर	हरियाणा
(5)	श्री तेजाजी पशु मेला	परबतसर	नागौर	नागौरी
(6)	श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर	भरतपुर	भरतपुर	हरियाणा
(7)	श्री पुष्कर पशु मेला पुष्कर	अजमेर	अजमेर	गीर
(8)	श्री चन्द्रभागा पशु मेला झालरापाटन	झालरापाटन	झालावाड़	मालवी
(9)	श्री रामदेव पशु मेला नागौर	नागौर	नागौर	नागौरी
(10)	श्री शिवरात्रि पशु मेला करौली	करौली	सवाई-माधोपुर	हरियाणा

राज्य स्तरीय पशु मेलों की रवन्ना दरों का विवरण

(1)	ऊंट	8–00 रु. प्रति पशु
(2)	घोड़ा	6–00 रु. प्रति पशु
(3)	बैल	5–00 रु. प्रति पशु
(4)	भैंस/पाडा	2–50 ,, प्रति पशु
(5)	खच्चर/गधा	2–00 ,, प्रति पशु
(6)	भेड़ बकरी	0–50 ,, प्रति पशु

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 277 की सूची

Abstract of the latest D.O. letter sent by Hon. Chief Minister Rajasthan to Union Finance Minister, Govt. of India.

Jaipur

Bhairon Singh Shekhawat 11th February, 1991

During your visit to Jaipur yesterday, certain crucial matters pertaining to Finances of the State were discussed with you. I am summarising these issues below for your persual :

(2) **Waiver of on–Farm Development Loan** : After coming into force the Agriculture Rural Debt Relief Scheme, 1990, our State has been facing problems in relation to loans routed through the agency of the Rajasthan Land Development Corporation. In this connection I had written to you vide my D.O. F. 11 (11) CAD/85 dated 28th November, 1990. you have informed vide your letter No. 131/FM/VIP/90 dated 16th Dec., 90, that the matter is being examined. However I am again bringing the factual position for your consideration :

In the command area of IGNP and Chambal, the Commercial Banks had given loans of Rs. 64.44 crores (Principal) to the farmers, for on farm development work. Out of this Rs. 15.92 crores were given by them directly and Rs. 48.52 crores were routed through the Rajasthan Land Development Corporation. These loans were obtained by Commercial Banks or refinance basis from NABARD. The Rajasthan Land Development Corporation acted as an agency of Commercial Banks as per conditions laid down by NABARD. After announcement of Debt Relief Scheme, it is necessary to issuc instruction to Commercial Banks, to give debt relief for these loans also. Besides the above mentioned principal amount the interest amount Comes to Rs. 19.52 crores and Rs. 26.52 crores respectively for Commercial Banks and Rajasthan Land Development Corporation loaning. It is requested that

on the anology of debt relief scheme announced nationwide, relief upto the limit of Rs. 10,000/– per person to be given. If this criteria/ scale is adopted, the total relief due to the farmers will be about 61.24 crores (No. of farmers 61241).

Moreover the figures given above, it needs to be pointed that under a Centrally Sponsored Scheme Rs. 8.80 crores (Principal) were given by way of loans to the farmers for on farm development works. This figure is a part of overall amount due of Rs. 128.05 crores. This can be written off by Central Government without any hesitation considering the weak finncial position of the state.

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 283 की सूची

क्र. सं.	अधिकरण का नाम	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	3
1.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, जोधपुर (पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जोधपुर)	जिला जोधपुर
2.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, जैसलमेर (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	जिला जैसलमेर
3.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, कोटा (जिला एवं सैशन न्यायाधीश, कोटा)	जिला कोटा (उपखण्ड बारां छबड़ा एवं शाहबाद को छोड़कर)
4.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, बारां (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बारां)	उपखण्ड बारां, छबड़ा एवं शाहबाद जिला कोटा।
5.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर (पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, बीकानेर)	जिला बीकानेर
6.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, उदयपुर (पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उदयपुर)	जिला उदयपुर (उपखण्ड राजसमंद, सलूम्बर, भीम व नाथद्वारा को छोड़कर)
7.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, उदयपुर अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं. 2, उदयपुर)	उपखण्ड सलूम्बर (जिला उदयपुर)
8.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा, अधिकरण राजसमंद (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, राजसमंद)	उपखण्ड राजसमंद, भीम एवं नाथद्वारा जिला उदयपुर)
9.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, जयपुर (पीठासीन अधिकारी, स्टेट को-ऑपरेटिव ट्रिब्यूनल)	जिला जयपुर (उपखण्ड दौसा कोटपूतली, सांभरलेक एवं शाहपुरा तहसील को छोड़कर)

1	2	3
10.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, जयपुर (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जिला जयपुर)	उपखण्ड कोटपूतली, सांभरलेक व शाहपुरा तहसील (जिला जयपुर)
11.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण दौसा (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, दौसा)	उपखण्ड दौसा (जिला जयपुर)
12.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, अलवर (जिला एव सैशन न्यायाधीश, अलवर)	ज़िला अलवर (उपखण्ड किशनगढ़वास व बहरोड को छोड़कर)
13.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, अलवर (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश. नं. 2 अलवर)	उपखण्ड बहरोड (जिला अलवर)
14.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, किशनगढबास (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, किशनगढबास)	उपखण्ड किशनगढबास (जिला अलवर)
15.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोतरा (जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बालोतरा)	उपखण्ड बालोतरा (जिला बाड़मेर)
16.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, बाडमेर (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बाडमेर)	जिला बाडमेर (उपखण्ड बालोतरा को छोड़कर)
17.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, बांसवाड़ा (जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा)	जिला बांसवाड़ा
18.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, भरतपुर (पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भरतपुर)	जिला भरतपुर (उपखण्ड डीग व बयाना को छोड़कर)
19.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, भरतपुर (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश–नं.–2, भरतपुर)	उपखण्ड बयाना (जिला भरतपुर)
20.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, डीग (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, डीग)	उप खण्ड डीग (जिला भरतपुर)
21.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा, अधिकरण, भीलवाड़ा जिला एवं सैशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा)	जिला भीलवाड़ा

1	2	3
22.	मोटरगाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, बूंदी (जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बूंदी)	जिला बूंदी।
23.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, चूरू (जिला एवं सैशन न्यायाधीश, चूरू)	जिला चूरू।
24.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, डूंगरपुर (जिला एवं सैशन न्यायाधीश, डूंगरपुर)	जिला डूंगरपुर।
25.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, श्री गंगानगर (जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर)	जिला गंगानगर (उपखण्ड हनुमानगढ़, नोहर, रायसिंह नगर सूरतगढ व करणपुर को छोड़कर)
26.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, श्री गंगानगर (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं.–1, श्री गंगानगर)	उपखण्ड करणपुर (जिला श्रीगंगानगर)
27.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, हनुमानगढ़ (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नं.–1, हनुमानगढ़)	उपखण्ड हनुमानगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)
28.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, हनुमानगढ़ (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नं.–2, हनुमानगढ़)	उपखण्ड सूरतगढ (जिला श्रीगंगानगर)
29.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, नोहर (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, नोहर)	उपखण्ड नोहर (जिला श्रीगंगानगर)
30.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, रायसिंहनगर (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, रायसिंहनगर)	उपखण्ड रायसिंहनगर (जिला श्री गंगानगर)
31.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, जालौर (जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जालौर)	जिला जालौर।
32.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, झालावाड़ (जिला एवं सैशन न्यायाधीश, झालावाड़)	जिला झालावाड़
33.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, झुंझुनू (जिला एवं सैशन न्यायाधीश, झुंझुनू)	जिला झुंझुनू

1	2	3
34.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, नागौर (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, नागौर)	जिला नागौर, डीडवाना (उपखण्ड मेड़ता परबतसर को छोड़कर)
35.	मोटरगाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, मेड़ता (जिला सैशन न्यायाधीश, मेड़ता)	उपखण्ड मेड़ता व परबत-सर (जिला नागौर)
36.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, पाली (जिला एवं सैशन न्यायाधीश, पाली)	जिला पाली (उप खण्ड बाली को छोड़कर)
37.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, बाली (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बाली)	उपखण्ड बाली (जिला पाली)
38.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, चित्तौड़ (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, चित्तौड़)	उपखण्ड चित्तौड़, बेगूं व कपासन, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़)
39.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, प्रतापगढ़ (जिला एवं सैशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़)	उपखण्ड प्रतापगढ़ (जिला चित्तौड़)
40.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, सवाई माधोपुर (जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर)	जिला सवाई माधोपुर (उपखण्ड गंगापुर सिटी, हिण्डौन एवं करौली को छोड़कर)
41.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण; गंगापुर सिटी (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, गंगापुर सिटी)	उपखण्ड गंगापुर सिटी एवं हिण्डौन (जिला सवाई माधोपुर
42.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, करौली (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, करौली)	उपखण्ड करौली जिला सवाई माधोपुर)
43.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, सीकर (जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सीकर)	सीकर (उपखण्ड नीम का थाना को छोड़कर)
44.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, नीम का थाना (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, नीम का थाना)	उपखण्ड नीम का थाना (जिला सीकर)

267

1	2	3
45.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, टौंक (जिला एवं सैशन न्यायाधीश, टौंक)	जिला टौंक।
46.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, धौलपुर (जिला एवं सैशन न्यायाधीश, धौलपुर)	जिला धौलपुर।
47.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर)	जिला अजमेर (उपखण्ड ब्यावर को छोड़कर)
48.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, ब्यावर (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, ब्यावर)	उपखण्ड ब्यावर (जिला अजमेर)
49.	मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण, सिरोही जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सिरोही)	जिला सिरोही।